खण्ड–28, अंक–06
गुरुवार, 27 फाल्गुन, शक सम्वत् 1931
(18 मार्च, 2010 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा
की
कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2010)

(खण्ड 28 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय-सूची

विषय | पृष्ठ संख्या

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
विपक्ष द्वारा कतिपय विषयों को नियम-310 के अन्तर्गत चर्चा किये जाने की माँग	1-5
प्रश्नोत्तर	5-35
नियम-300 के अन्तर्गत सूचनाएं	35-36
सभा सचिवों द्वारा सदन में प्रश्न पूछे जाने विषयक व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	37
जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत दर्जनों सड़कों के निर्माण कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	37
जनपद ऊधमसिंह नगर में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा विकलांग पेंशन की स्वीकृति प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	37-38
उत्तराखण्ड के सभी न्याय पंचायत स्तर के गाँवों को अटल आदर्श गाँव योजना के अन्तर्गत चयनित कर सम्पूर्ण विकास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	38-39
पर्वतीय भू-भाग में खेल मैदानों व स्टेडियमों का निर्माण न होने से खेल प्रतिभाओं व युवा वर्ग में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील धनौल्टी के अन्तर्गत विभिन्न आबादीय ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	39-40
जनपद पौड़ी गढ़वाल में लोक निर्माण विभाग के बैजरों स्थित निर्माण खण्ड में चौदह अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों के कारण विकास कार्य ठप्प होने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	40
नियम-310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की माँग	40-41
जनपद देहरादून के अन्तर्गत रायपुर विकास खण्ड के ग्राम सभा नत्थनपुर में अलकनंदा इन्क्लेव से मोहकमपुर, मोहकमपुर से राजेश्वरी विहार, लोअर नत्थनपुर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित)	41

जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत एकता विहार, लेन नं0-11 में झूलती विद्युत तारों को ठीक कराने हेतु खम्बे लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित)	41
कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	42-44
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ	44-60
वित्तीय वर्ष, 2010-2011 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	60-101
सिटूरगिया बॉयोकैमिकल्स लिमिटेड के ऋषिकेश स्थित कारखाने की भूमि उपयोग परिवर्तन में किये गये निर्णय से राज्य के आर्थिक हितों की उपेक्षा तथा गम्भीर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-310 के अन्तर्गत चर्चा	101-131
प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में दिये जाने में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-310 के अन्तर्गत चर्चा	131-154
उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (पारित)	155-161
उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010 (पारित)	161-172
उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010 (पारित)	172-174
उत्तराखण्ड राज्य को प्रदत्त औद्योगिक पैकेज, जिसकी अवधि माह मार्च, 2010 में समाप्त हो रही है, को वर्ष, 2020 तक बढ़ाये जाने का संकल्प (स्वीकृत)	175-176
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाई के निराकरण हेतु यथोचित दिशा-निर्देश जारी करने का संकल्प (स्वीकृत)	176-177
नियम-53 के अन्तर्गत सूचनाएँ	177
जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत लगभग एक दर्जन गाँवों में विद्युत संकट के सम्बन्ध में श्री शेर सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वैकल्पिक ऊर्जा एवं पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य	177-178
उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को सम्मान आदि न मिल पाने से फैले असन्तोष के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मंत्री का केवल वक्तव्य	178
नत्थी	179-183

उपस्थिति
'क'

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अनिल नौटियाल
3. श्रीमती अमृता रावत
4. श्रीमती आशा
5. श्री ओम गोपाल
6. श्री करन मेहरा
7. सुश्री कैरन मेयर
8. श्री किशोर उपाध्याय
9. श्री केदार सिंह रावत
10. श्री केदार सिंह फोनिया
11. श्री खजान दास
12. श्री खड़क सिंह बोहरा
13. श्री गगन सिंह
14. श्री गणेश जोशी
15. श्री गोपाल सिंह राणा
16. श्री गोपाल सिंह रावत
17. श्री गोविन्द लाल
18. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20. श्री चन्दन राम दास
21. श्री जोगा राम टम्टा
22. श्री जोत सिंह गुनसोला
23. हाजी तस्लीम अहमद
24. श्री तिलक राज बेहड़
25. श्री दिनेश अग्रवाल
26. श्री दिवाकर भट्ट
27. श्री दिवान सिंह
28. श्री नारायण पाल
29. काजी मो० निजामुद्दीन
30. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
31. श्री प्रकाश पन्त
32. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
33. श्री प्रीतम सिंह
34. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
35. श्री प्रेमानन्द महाजन
36. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
37. श्री बलबीर सिंह नेगी
38. श्री बिशन सिंह चुफाल
39. श्री बंशीधर भगत
40. श्री शेर सिंह
41. मे०ज० (अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए०वी०एस०एम०
42. श्री मदन कौशिक
43. श्री मनोज तिवारी
44. श्री मयूख सिंह
45. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदूं भाई"
46. श्री मातबर सिंह कण्डारी
47. श्री कुलदीप कुमार
48. श्री यशपाल बेनाम
49. वी० यशवीर सिंह
50. श्री रणजीत रावत
51. डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"
52. श्री राजकुमार
53. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
54. श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
55. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
56. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
57. श्रीमती वीना महराना
58. श्री शहजाद
59. डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
60. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
61. श्री सुरेन्द्र राकेश
62. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
63. श्री सुरेश चन्द जैन
64. डा० हरक सिंह रावत
65. श्री हरभजन सिंह चीमा
66. श्री हरिदास
67. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरुवार, दिनांक 18 मार्च, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

विपक्ष द्वारा कतिपय विषयों की नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा किये जाने की माँग

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 की सूचना है बहुत ही विकट स्थिति आज प्रदेश के सामने है, ऋषिकेश में स्टुडिया कम्पनी के सम्बन्ध में है, जिसने एक नया मोड़ लिया है।

श्री अध्यक्ष–

इसे प्रश्नकाल के बाद ले लेंगे। कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि प्रश्नकाल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के लोग जो उच्च पदों पर हैं, वे उस कम्पनी के हेलीकॉप्टर पर ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इस प्रदेश का क्या होगा ? उद्योगपतियों को हेलीकॉप्टर में घुमाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें। मात्र 6 प्रश्न हैं।

(व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी सूचना नियम–310 की है।

श्री शहजाद–

अगर आज हमने स्थान ग्रहण कर लिया तो इस प्रदेश का क्या होगा। आज इस प्रदेश के ही उद्योगपतियों के यहाँ जमीन गिरवी रख दिये गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल से पहले नियम–310 की सूचना है। मेरा आग्रह है, निवेदन है कि इस पर पहले चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें। पहले प्रश्नकाल होने दें।

(व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रकरण प्रश्नकाल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, उद्योगपतियों के यहाँ इस स्टेट के अधिकार गिरवी रख दिये गये हैं। उनके पैसे पर ऐश की जा रही है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें। मैं सुन लूँगा। प्रश्नकाल के बाद देख लेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, यह गलत आरोप लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जी अपने काम से गए हुए हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, प्रश्नकाल के बाद देख लूँगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे एवं भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष जी काम पर गए हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं। सत्ता पक्ष और बसपा मिलकर साजिश कर रहे हैं। यह मिलीभगत है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष मात्र अपने ही दल के नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं, वे आपके भी नेता हैं, सबके नेता हैं। माननीय सहजाद जी सुन लेंगे, प्रश्नकाल के बाद सुन लेंगे। कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने काम से जा सकता है, किसी कार्यक्रम में जा सकता है इस तरह के आरोप लगाना गलत है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष मात्र अपने दल के नेता नहीं हैं, सबके नेता हैं। सभी प्रतिपक्ष के नेता हैं।

(बहुजन राष्ट्रीय पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मात्र 6 प्रश्न हैं, प्रश्नकाल के बाद ले लेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य श्री शहजाद एवं श्री हरिदास 'वेल' में खड़े होकर चर्चा एवं जाँच की मांग करते रहे।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने विनिश्चय दे दिया और मैं माननीय नेता बसपा से अनुरोध करना चाहूँगा और आपने कह दिया कि प्रश्नकाल के बाद सुन लेंगे और प्रश्न ज्यादा नहीं हैं, क्योंकि प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रश्नकाल होने दीजिए, उसके बाद आपके विषय को ग्राह्यता पर सुन लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, किस बात की जाँच की बात कह रहे हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष किसी काम से गये थे तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय नेता बसपा विस्तार से ग्राह्यता पर आपका विषय आ जायेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रश्नकाल के बाद सभी विषयों पर विचार आ जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी द्वारा माननीय सदस्य श्री केदार सिंह रावत को कुछ कहने पर)

श्री केदार सिंह रावत–

मानतीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य सदन के सम्मुख अपनी बात कहें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बहुजन राष्ट्रीय पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े थे और एक साथ अपनी बात कह रहे थे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय शहजाद जी, आप सहमत होंगे कि माननीय नेता प्रतिपक्ष मात्र अपने दल के नेता नहीं हैं, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

आपके द्वारा दी गई सूचना पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा करा लेंगे। आज मात्र छः प्रश्न लगे हुए हैं। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, कोई माननीय सदस्य व्यक्तिगत कार्य से चला जाता है तो उस पर व्यक्तिगत आरोप लगाया जा रहा है, बिना किसी बात के, जो कि ठीक नहीं है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं आपसे सहमत हूँ। मैं आपकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार हूँ। प्रश्नकाल के बाद आपकी बात सुन ली जायेगी, तब आपकी बात और सभी माननीय सदस्यों की बात विस्तार से आ जायेगी। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इस तरह से कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगते हैं, आज वे यहाँ पर उपस्थित भी नहीं हैं, वे आने वाले हैं। आज उनको बोलना भी है, वे तैयारी कर रहे हैं। वे थोड़ी देर में आने वाले हैं। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता बसपा से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कृपा करके अपना आसन ग्रहण कर लें। प्रश्नकाल चलने दें, वह भी अतिमहत्वपूर्ण है। प्रश्न उठे हैं और पूरे राज्य से सम्बन्धित हैं। आपका प्रकरण भी है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसको प्रश्नकाल के पश्चात् ले लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद आपकी सूचना का संज्ञान लेंगे। मैं सुन लूंगा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य नेता बसपा के साथ अपने–अपने स्थान पर चले गये।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

मनेरी भाली द्वितीय चरण की इकाईयों में रेता बजरी सफाई हेतु बनाई गयी नीति

**1 श्री केदार सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि मनेरी भाली द्वितीय चरण की इकाईयों में रेता–बजरी सफाई हेतु जल विद्युत निगम द्वारा करोड़ों रुपये व्यय किया गया है ?

क्या यह सत्य है कि निगम सफाई में प्राप्त बजरी–रेता से अत्यधिक रॉयल्टी प्राप्त कर सकता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस हेतु कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

मनेरी भाली द्वितीय चरण की इकाईयों में ऊर्जाकृत होने पर प्रथम वर्ष के मानसून में कैचमेंट एरिया में अप्रत्याशित वर्षा तथा गाद बनाने की वजह से हॉपर्स बन्द हो गये थे, जिसकी सफाई हेतु जल विद्युत निगम द्वारा ₹ 9.33 करोड़ व्यय किया गया तथा भौतिक मात्रा में प्राप्त रेत की रॉयल्टी ₹ 2.71 लाख कोषागार में जमा की गई।

जी नहीं, सफाई की प्रक्रिया में अधिकांश रेत नदी में वापस चला गया तथा भौतिक मात्रा में प्राप्त रेत की रॉयल्टी ₹ 2.71 लाख प्राप्त हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जल विद्युत निगम के द्वारा 9 करोड़ 33 लाख रुपये में हॉपर्स की सफाई का जो कार्य करवाया गया, क्या इसी कार्य का प्राक्कलन, जब यह परियोजना सिंचाई विभाग द्वारा परिचालित थी, तो उनके द्वारा 80 लाख रुपये का बनाया गया था ? यदि हाँ, तो ऐसा कौन सा कारण था कि 80 लाख के प्राक्कलन के विरूद्ध इस कार्य को 9 करोड़ 33 लाख रुपये में कराया गया ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसका प्राक्कलन बनाकर निविदाएं 3 प्रमुख समाचार–पत्रों में प्रकाशित की गयीं। उस समय इस योजना की लागत 9 करोड़ 12 लाख 94 हजार न्यूनतम दरों पर हमें प्राप्त हुई थी। (व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, सिंचाई विभाग ने इन्हीं हॉपर्स की सफाई के लिए प्राक्कलन बनाया था।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह योजना 28–08–2008 को जल विद्युत निगम को हस्तान्तरित हो गयी थी। जिसके तहत इस निगम के माध्यम से इसके हॉपर्स की सफाई और जो सिल्टिंग है, उसे डि–सिल्टिंग करने की प्रक्रिया अपनाई गयी। 28–08–2008 से पूर्व यह सिंचाई विभाग के पास थी, किन्तु 28–08–2008 को यह योजना जल विद्युत निगम को प्राप्त हो गयी थी, इसलिए इसका प्राक्कलन जल विद्युत निगम द्वारा बनाया गया। (व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, 10 गुना से ज्यादा कॉस्ट है। (व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, क्या 28–08–2008 से पूर्व इसी कार्य के लिए सिंचाई विभाग द्वारा 80 लाख रुपये का प्राक्कलन बनाया गया था ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जल विद्युत निगम के माध्यम से जब सिल्टिंग को डि–सिल्ट करने की प्रक्रिया की गयी, क्योंकि जब सिंचाई विभाग ने सम्भवतः इसका प्राक्कलन बनाया होगा, उस समय उस मात्रा में रेत नहीं रही होगी। जब यह योजना जल विद्युत निगम को प्राप्त हुई, उस समय जुलाई, 2008 में पूरे महीने भर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हुई। (व्यवधान) जिसके चलते हुए उस परियोजना में बहुत अधिक रेत भर गयी, जिसकी वजह से परियोजना प्रभावित हुई। जिस कारण इसकी सफाई करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ी।

श्री केदार सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट सप्लीमेंट्री है। क्या 28-08-2008 से पूर्व इसी कार्य के लिए सिंचाई विभाग द्वारा 80 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया था या नहीं ?

श्री प्रकाश पन्त--

श्रीमन्, सिंचाई विभाग द्वारा कोई प्राक्कलन जल विद्युत निगम को प्राप्त नहीं हुआ था।

श्री केदार सिंह रावत--

मान्यवर, सिंचाई विभाग तो उत्तराखण्ड सरकार का विभाग है। (व्यवधान) मान्यवर, सिंचाई विभाग ने कितने का प्राक्कलन दिया था ?

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, 28-08-2008 को यह परियोजना जल विद्युत निगम को हस्तान्तरित हो गयी थी। उसके बाद यह काम जल विद्युत निगम ने किया। (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसके बाद कितने मीट्रिक टन रेता और कितने मीट्रिक टन बजरी सफाई में निकली तथा कितना मीट्रिक टन रेता और बजरी वापस नदी में चला गया ?

श्री प्रकाश पन्त--

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो विशेष प्रक्रिया अपनाई गयी, उसके तहत रेत निकालने की जो प्रक्रिया थी, उसमें 75 प्रतिशत रेत भागीरथी नदी में प्रवाहित हुई और लगभग 25 प्रतिशत रेत रिक्त स्थान पर एकत्रित की गयी थी। 67 हजार घन मीटर इसका प्राक्कलन था, जिसकी बिक्री करके जो रॉयल्टी राजस्व दरों पर प्राप्त हुई वह 2 लाख 71 हजार रुपये थी। (व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी--

मान्यवर, कुल कितनी रेत निकली ?

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, 67 हजार घन मीटर रेत निकली। (व्यवधान) जो बह गयी, उसका प्राक्कलन कैसे निकलेगा ? 75 प्रतिशत नदी में बह गया नदी से ही जमा हुआ और नदी में ही बह गया।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 9 करोड़ 33 लाख रुपये में यह साफ किया गया जल विद्युत निगम द्वारा। उस समय कितना क्यूबिक फिट रेत निकालना प्राक्कलन में शामिल था और जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, 80 लाख रुपये का प्राक्कलन पहले था, उस टाईम कितनी रेत निकालने का टारगेट था, उसकी कोई तो कैलकुलेशन होगी। किसी कैलकुलेशन के बेस पर ही तो आप 80 लाख का प्राक्कलन लाये होंगे, चाहे वह सिंचाई विभाग ने बनाया हो या ऊर्जा निगम से बनाया हो। ऐसे तो नहीं हो सकता कि बिना कैलकुलेशन के ही प्राक्कलन तैयार कर दिये जायं।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस समय इस परियोजना को जल विद्युत निगम ने अपने हाथों में लिया, उस समय हॉपर्स में सिल्ट दो भागों में जमा थी। जमा सिल्ट के कुछ भाग हॉपर्स के ऊपर की ऊँचाई पर थे, जिसे हैण्ड पम्पों द्वारा पानी में घोलकर रिटेनिंग दीवारों से ऊपर निकाला गया। 1104 मीटर की ऊँचाई पर इस जल विद्युत परियोजना का कार्य चल रहा था और यह सम्भव नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते सारे हॉपर्स ने काम करना बन्द कर दिया था और यह आवश्यक हो गया था कि हॉपर्स में से रेत निकाली जाय। उस समय रेत की सफाई का जो प्राक्कलन तैयार किया गया, वह 9 करोड़ 12 लाख 41 हजार 45 रुपये का था। श्रीमन्, वहाँ पर 67 हजार घन मीटर अनुमानित रेत जमा की गई, बाकी रेत बहा दी गई, 75 प्रतिशत रेत बहा दी गई।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि जिस समय प्राक्कलन तैयार किया गया था, उस समय कितनी रेत निकाले जाने का प्रावधान था ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह बताना तो सम्भव नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

यह तो सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यहाँ पर तो प्राक्कलन 11 गुना बढ़ा है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, दोनों ही माननीय सदस्य पिछली विधान सभा के भी सदस्य रह चुके हैं। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि यह

अल्पसूचित प्रश्न है और अल्पसूचित प्रश्न का एक सीमित दायरा होता है इस पर चर्चा नहीं हो रही है. यदि कोई स्पष्टीकरण चाहे तो स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। अगर आप सिंचाई विभाग की जानकारी भी इसी प्रश्न में माँगेंगे तो कैसे सम्भव होगा।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, बात सही है कि प्रश्न अल्पसूचित है, लेकिन आकलन 11 गुना बढ़ा है जो कि चिन्ता का विषय है।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा तो प्रश्न रिलीवेन्ट है, उसी कार्य से सम्बन्धित है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह दूसरे विभाग से सम्बन्धित है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, 80 लाख रुपये के काम को साढ़े नौ करोड़ रुपये में कराया गया है। (व्यवधान) जो 67,000 घन मीटर रेत निकाला गया है, क्या उसकी रॉयल्टी मात्र 4 रुपये घन मीटर ली गई है ? क्या यही प्रचलित दरें हैं ? जो 25 प्रतिशत रेत बच गया, जो 67,000 घन मीटर बताया गया है, क्या उसके लिये रॉयल्टी की प्रचलित दर चार रुपये घन मीटर है ? (व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, बहुत गम्भीर प्रश्न है कि 80 लाख रुपये के काम को 9 करोड़ 33 लाख रुपये में क्यों कराया गया और रेत को क्यों बहाया जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो प्रचलित दरें हैं, प्रथम श्रेणी, अनुसूची दो में उल्लिखित जनपदों में बालू का रेट 18 रुपये घन मीटर है।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 67,000 घन मीटर रेत 75 प्रतिशत बहाने के बाद भौतिक रूप से वहाँ पर इकट्ठा किया गया और उसकी रॉयल्टी 2 लाख, 71 हजार रुपये कोषागार में जमा की गई। यह मात्र 4 रुपये घन मीटर के हिसाब से रेट आता है, जब कि मंत्री जी ने अवगत कराया कि यहाँ पर इसका रेट 18 रुपये घन मीटर है। तो जो 14 रुपये

प्रति घन मीटर का लॉस सरकार को कराया गया है, उसके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, एग्रीमेन्ट के आधार पर 67,000 घन मीटर रेत वहाँ पर प्राक्कलित की गई है और उसमें जो निकाला गया है, वह 63 हजार, 765 घन मीटर रेत निकाला गया है और उसका जो निर्धारण होगा, वह 18 रुपये घन मीटर के हिसाब से होगा तथा अद्यतन रेत की रॉयल्टी 2 लाख, 71 हजार रुपये कोषागार में जमा की गई है।

श्री रणजीत रावत--

मान्यवर, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर रेत कहाँ गई और बाकी पैसा जो मिलना चाहिये था, वह कहाँ गया ?

श्री प्रकाश पन्त--

.... मान्यवर, जो हॉपर के ऊपर है वो 1418.58 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर, हॉपर के अन्दर 14 रुपये 48.55 प्रति क्यूबिक मीटर, पाईप से निकालने के लिए 14 रुपये 98 पैसे, 1498 रुपये 50 पैसे प्रति क्यूबिक में। (व्यवधान) दोनों रेट बता दिये न मैंने ? निकालने के पैसे भी बता दिये प्लस जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी भी बता दी। रॉयल्टी 63 हजार 765 क्यूबिक मीटर जो रॉयल्टी है, वो उसके हिसाब से जमा होगी। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत--

मान्यवर, हम किसी और तथ्य पर बहस नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बहस नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत--

मान्यवर, पहले माननीय मंत्री जी ने माना 67 हजार क्यूबिक मीटर, अब मान रहे हैं 63 हजार 765 क्यूबिक मीटर, प्रचलित रेट बताया है 18 रुपये, इसके हिसाब से पैसे बनते हैं, 11 लाख 47 हजार 530 और जबकि कोषागार में जमा किया गया 2 लाख 71 हजार, ये माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है तो बाकी पैसा कहाँ गया, मान्यवर।

श्री प्रकाश पन्त--

माननीय अध्यक्ष जी, जो 2 लाख 71 हजार गये ....। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बात तो आने दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, 63 हजार 785 घन मीटर रेत वहाँ पर जमा किया गया और उसमें से जो रॉयल्टी हमको मिली वो रॉयल्टी 18 रुपये के रेट से हमको प्राप्त हुई। 18 रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से रॉयल्टी 2 लाख 71 हजार जमा हुई श्रीमन्, और जो अवशेष रॉयल्टी, हमारी जो निकाली गयी रेत है, उसके अनुसार जमा होगी। अगर कहीं कोई ऐसा आपको संशय है तो श्रीमन्, इस प्रकरण का मैं परीक्षण करवा लेता हूँ। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय का मैं परीक्षण करवा लेता हूँ। जितनी रेत जमा की गयी, उसका पैसा रॉयल्टी के रूप में जमा होना चाहिए। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ और उतना पैसा जमा होगा। (व्यवधान) जो नदी में बह गया उसका तो कोई उल्लेख है नहीं। जो रेत वहाँ पर जमा है, उसकी पूरी रॉयल्टी जमा की जायेगी। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, जो रेत निकला उसमें भी 4 रुपये के हिसाब से पैसा लिया गया तो दो–दो घोटाले एक–एक काम में किये जा रहे हैं।

श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, 80 लाख रुपये के प्राक्कलन का काम 9 करोड़ 33 लाख में दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

श्री केदार सिंह रावत–

मेरा कहना यह है मान्यवर, कि मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया है, जो मैंने प्वाइंटेड प्रश्न किया था, कि क्या 80 लाख का प्राक्कलन बना था ?

श्री अध्यक्ष–

जब माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि दो विभागों से सम्बन्धित है, दूसरे विभाग से सम्बन्धित है तो दूसरे विभाग के जवाब यहाँ कैसे दे देंगे वो। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जो 63 हजार 785 घन मीटर रेत जमा की गयी है श्रीमन्, उसमें 18 रुपये घन मीटर से बिक्री की जायेगी और जितनी रेत बेची जायेगी उतने का पैसा जमा होगा। जो रेत बेची ही नहीं गयी, उसका पैसा कैसे जमा हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बात तो आने दीजिए। माननीय मंत्री जी बता रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जाँच किस बात की। जो 63 हजार 765 घन मीटर रेत जमा हुई, उसमें से 15 हजार घन मीटर रेत बची, उस बेची हुई रेत की रॉयल्टी जमा की जायेगी, वो रॉयल्टी 2 लाख 71 हजार जमा की गयी। कहीं पर अगर रेत बेचने की स्थिति होगी, 18 रुपये घन मीटर की दर से रॉयल्टी जमा होगी। इसमें जाँच का कहाँ प्रश्न आ गया श्रीमन्।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, यह जाँच का विषय है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, 15 हजार घन मीटर रेत बेची गयी, वह रेत 18 रुपये घन मीटर की दर से बेची गयी और 67 हजार घन मीटर उसको निकाला गया। इसमें जाँच का प्रश्न कहाँ आ गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो सरकार का उत्तर आया है उससे, मैं और मेरा दल संतुष्ट नहीं है, सरकार इस सदन को और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। इसलिए मैं और मेरा दल सदन से वॉकआउट करते हैं। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से वॉकआउट कर चले गये।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, संतुष्ट न होने का कहाँ प्रश्न है, 67 हजार घन मीटर रेत निकाली गयी, उसमें से 15 हजार घन मीटर रेत बेची गयी, उसकी रॉयल्टी 15 हजार रुपये जमा की गई। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में वापस आ गये।)

देहरादून में राज्य सरकार की अनुमति से क्रय की गई भूमि के भू–उपयोग में संशोधन

**2 श्री तिलक राज बेहड़–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में राज्य सरकार की अनुमति से क्रय की गयी भूमि का भू–उपयोग महायोजना में उसी उपयोग में

रखा गया है, जिस उद्देश्य हेतु भूमि क्रय की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

और क्या ऐसे प्रकरणों में भूमि का भू-उपयोग प्रस्तावित जोनल प्लॉन में संशोधित कर दिया जायेगा ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'-

जी नहीं।

क्योंकि भूमि क्रय की अनुमति दिये जाने तथा महायोजना में भू-उपयोग निर्धारण किये जाने की प्रक्रिया भिन्न-2 है।

महायोजना में निर्धारित जोन्स के जोनल डेवलेपमेंट प्लॉन्स (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 की धारा-9 के अन्तर्गत तैयार किये जाने का प्राविधान है। जोनल डेवलपमेंट प्लॉन में महायोजना की विसंगति को दूर करने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर ऐसे प्रकरणों का परीक्षण करते हुए महायोजना संशोधन की कार्यवाही द्वारा भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने पर शासन स्तर से विचार किया जायेगा।

श्री तिलक राज बेहड़-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि क्योंकि भूमि क्रय की अनुमति दिये जाने तथा महायोजना में भू-उपयोग निर्धारण किये जाने की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न है। यह भिन्न-भिन्न प्रक्रिया क्या है ?

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि भू-उपयोग किस उपयोग के लिए है, यह प्रस्ताव में बताया जाता है और उसके बाद जिस उपयोग के लिए भूमि क्रय किये जाने की और भू-उपयोग परिवर्तन करने की मॉंग प्रस्तावक करता है तो उसके अनुरूप प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। यथा श्रीमन्, व्यवसायिक उपयोग कर रहा है या शिक्षण संस्थान खोलना चाह रहा है या उसका कृषि उपयोग से इतर कोई उपयोग करने वाला है, यह प्रस्तावक बताता है उसके अनुरूप विचार किया जाता है।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रक्रिया भिन्न–भिन्न है, आपने स्पष्ट रूप से तो बताया नहीं कि प्रक्रिया किस तरह से लागू होती है, उस प्रक्रिया के अन्दर क्या–क्या व्यवस्था है ? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे प्रकरण जिनमें शैक्षिक उपयोग और भू–क्रय किये जाने की अनुमति पहले से दी गई है, लेकिन नये मास्टर प्लॉन में ऐसे भू–उपयोग को नहीं रखा गया है, क्या सरकार ऐसे मामलों पर विचार करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जिनको सरकार के माध्यम से भूमि क्रय किये जाने की अनुमति मिली थी और ऐसे प्रकरण जिनके आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं उनका पृथक्–पृथक् उनके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा रहा है और शैक्षिक प्रयोजन हेतु ऐसे प्रकरण जो महायोजना में शैक्षिक भू–उपयोग था, ऐसे भू–उपयोग जिसमें शैक्षिक भू–प्रयोजन अनुमन्य हो, से इतर है, इसके लिए जो उत्तराखण्ड–उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 के निहित प्राविधानों के आधार पर उसको महायोजना में संशोधन की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचार किया जाता रहा है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि प्रदेश में राज्य सरकार की अनुमति से कुल कितनी भूमि क्रय की गई, जो भूमि क्रय की गई है उसमें से कितनी भूमि का भू–उपयोग परिवर्तित किया गया है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह काफी विस्तृत हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, इसमें नहीं आ पायेगा। अल्पसूचित प्रश्न में इतना विस्तृत नहीं आ पायेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इसी से सम्बन्धित सप्लीमैंट्री प्रश्न है कृपया सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष–

सुन तो लिया ना। इतना विस्तृत सप्लीमैंट्री में नहीं आ सकता है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अल्पसूचित प्रश्न का एक दायरा होता है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, ऐसे भी कुछ मामले हैं, जिन पर पहले अनुमति ले ली गई। सरकार द्वारा बार-बार अनुमति दी गई। अनुमति के पश्चात् भी सरकार ने मास्टर प्लॉन में निर्धारित समय पर प्रार्थना-पत्र भी दे दिया, शुल्क भी जमा कर लिया। उसके पश्चात् भी जब मास्टर प्लॉन लागू हुआ तो मेरे पास शासनादेश भी हैं सरकार द्वारा चार बार अनुमति दी गई साईं विकास समिति को। चार बार से सरकार बराबर अनुमति दे रही है भूमि खरीदने की और जब मास्टर प्लॉन लागू हुआ तो उसको उससे अलग कर दिया गया। मान्यवर, ऐसे मामले हैं जिन पर कम से कम, पहले भी पीठ से निर्देश दिये जा चुके हैं कि ऐसे मामले को शामिल किया जाए। इस सम्बन्ध में पीठ से निर्देश भी हैं। माननीय कुंजवाल जी ने भी इसमें प्रश्न लगाया था।

श्री अध्यक्ष–

इसका आश्वासन भी है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इसका निस्तारण हो जाए बस।

श्री प्रकाश पन्त–

सम्मानित विधायक जी ने जिस स्पैसिफिक प्रकरण को दिखाया है, इसका शीघ्र निस्तारण कर लेंगे।

तारांकित प्रश्न

राज्य में फलोद्यानिकों, किसानों को बगीचे लगाये जाने हेतु अनुदान

*1 हाजी तस्लीम अहमद–

क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि राज्य में फलोद्यान का क्षेत्रफल निरन्तर कम हो रहा है ?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

क्या सरकार बगीचे लगाये जाने हेतु फलोद्यानिकों, किसानों को अनुदान दिये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि एवं पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

राज्य में फलोद्यान का क्षेत्रफल कम नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

फलोद्यानिकों, किसानों को फलों के बगीचे लगाने हेतु केन्द्रपोषित हॉर्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन योजना के अन्तर्गत अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा जिला योजनान्तर्गत चयनित क्षेत्रों में फल पट्टी विकसित किए जाने हेतु भी अनुदान दिया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत भी फलों के बगीचे लगाये जाने हेतु परियोजना लागत के सापेक्ष मैचिंग ग्रॉंट के रूप में अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, राज्य में फलोद्यान का क्षेत्रफल कम नहीं हो रहा है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 2008–09 में कितना क्षेत्रफल था और वर्तमान में कितना है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से बताना चाहूँगा कि जो क्षेत्रफल है फल, सब्जी, आलू, मसाले और पुष्प का यह कुल मिलाकर.......................। (व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, फूल और सब्जी छोड़ दें। फलोद्यान के क्षेत्रफल के बारे में बतायें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, ठीक है फलोद्यान के बारे में बताता हूँ। फलों में एक लाख निरानबें हजार सैंतालीस हैक्टेयर है यह पूरे उत्तराखण्ड के 2008–2009 के आँकड़े हैं।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, वर्तमान में आँकड़े क्या हैं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, वर्तमान के आँकड़े आने अभी शेष हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, तो मंत्री जी ने कैसे यह उत्तर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मंत्री जी से सीधा प्रश्न न करें। जो भी प्रश्न करना हो, पीठ के माध्यम से करें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें पिछला बताया जा सकता है कि लगभग इस गति से क्षेत्रफल बढ़ रहा हैं मान्यवर, 2007–08 में एक लाख नब्बे हजार छः सौ अट्ठासी है० था और 2006–07 में एक लाख छियासी हजार 650 है० था। इस तरह से धीरे–धीरे यह क्षेत्रफल बढ़ रहा है।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, वर्तमान में क्या है ? हम तो यह मालूम करना चाह रहे थे। आपने जवाब दिया है कि घट नहीं रहा है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इस वर्ष के आँकड़े आने अभी शेष हैं। आँकड़े आ जायेंगे।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिला योजना के अन्तर्गत अब तक फल पट्टी विकसित करने हेतु कितने क्षेत्र चयनित किये गये हैं और इन्हें अब कितना अनुदान दिया गया है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जो क्षेत्र है .... (व्यवधान) (हँसी)।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न को स्थगित किया जाय। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जिला योजना में पिछले और हॉर्टिकल्चर मिशन दोनों को मिला करके चार वर्षों में। (व्यवधान) मान्यवर, हमारे जिला योजना में कुल 534 क्लस्टर हैं, उस पर जो वित्तीय खर्च दिया है जिला योजना में, तीन वर्षों के लिए योजना होती है, वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक में 750 लाख रुपया है। यह टोटल क्लस्टर योजना में विकसित कर रहे हैं।

काजी मो० निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि केन्द्र पोषित हॉर्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन योजना के अन्तर्गत इस मौजूदा वित्तीय वर्ष में क्या टारगेट था ? कितना रुपया दिया गया था और कितना खर्च किया गया ? जो मेरी जानकारी में है कि वैसे तो खर्च नहीं किया गया, यदि खर्च किया गया होगा तो 2 या 4 प्रतिशत के ऊपर नहीं किया होगा और टोटल राशि बच गयी होगी।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, केन्द्र पोषित हॉर्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन है, उसमें 75 प्रतिशत राज्य सहायता पर और अधिकतम बाईस हजार पाँच सौ प्रति हैक्टेयर अनुदान अलग–अलग किस्तों में दी जाती है और वर्ष, 2009–10 में जो व्यय था वह 17 करोड़ रुपया था, उसमें से 11 करोड़ रुपया व्यय किया गया।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार के लंढौरा नगला, मंगलौर क्षेत्र में एक फल पट्टी का प्लॉन सरकार का था। वहाँ पर आम या अन्य के बागान थे, लेकिन पिछले तीन साल में देखने में आया कि सारे ही बागान समाप्त हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न तो करें।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूँ। आपने उत्तर में कहा कि जिला योजनान्तर्गत चयनित क्षेत्रों में फल पट्टी विकसित की जा रही है, जो इस क्षेत्र में ऑलरेडी फल पट्टी चयनित थी, वह खत्म हो चुकी है। उसके विकास के लिए क्या उपाय किये गये हैं और समाप्त होने के क्या कारण रहे ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि यह एक निजी क्षेत्र से सम्बन्धित सवाल है। (घोर व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, जिला योजना में कहा गया है। (व्यवधान के मध्य) (हँसी)

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन तीनों योजनाओं–केन्द्र पोषित, जिला योजना, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के तहत ब्लॉक लक्सर व बाहदराबाद में कितने किसानों को अनुदान दिया गया है ? (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह क्षेत्र विशेष के आँकड़ों की बात कर रहे हैं। मैं इनको उपलब्ध करा दूँगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने क्षेत्र विशेष की जानकारी चाही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रदेश में पवन ऊर्जा हेतु प्रस्ताव तथा उत्पादन का प्रारूप

*2 श्री मयूख सिंह–

क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पवन ऊर्जा हेतु विभाग के पास क्या प्रस्ताव है व प्रदेश में पवन ऊर्जा की कितनी सम्भावनायें हैं तथा वर्तमान में कितनी ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है ?

क्या सरकार व्यक्तिगत उद्यमियों को पवन ऊर्जा उत्पन्न करने पर कोई सहयोग/प्रोत्साहन देगी ?

यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

प्रदेश में पवन ऊर्जा के दोहन हेतु वर्तमान तक 24 स्थलों का चिन्हांकन किया गया है (संलग्नक–1)†। इनमें से 10 स्थलों पर वायु वेग मापन संयंत्रों की स्थापना (संलग्नक–2)† का कार्य प्रगति पर है वर्तमान में प्रदेश में पवन ऊर्जा से कोई विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है।

जी हाँ।

शासन द्वारा निजी विकासकर्ताओं एवं सामुदायिक सहभागिता के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने हेतु घोषित नीति के प्रस्तर–4.6 (संलग्नक–3)† के अनुसार इस प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (विवरण देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 179–182 पर)

श्री मयूख सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार द्वारा परीक्षण कराया गया है कि कुल प्रदेश में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार द्वारा पवन ऊर्जा दोहन हेतु चिन्हित स्थानों के चयन हेतु कोई मानक तय किये गये हैं ? मेरा तीसरा प्रश्न है कि क्या सरकार पवन ऊर्जा दोहन हेतु निजी विकासकर्ता को आर्थिक मदद करेगी या उपकरण प्रदान करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में पवन ऊर्जा से कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा है कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिनका कार्य प्रगति पर है और कुछ स्थलों के चिन्हांकन पहले किये गये थे, उनकी पर यूनिट कास्ट अधिक आने के कारण, वह विचाराधीन है और एक स्थान को चयनित किया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी साहब, बीच में न बोलें।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

और यू0पी0सी0एल0 के रेट बहुत कम है और जो विन्डमैपिंग करायी गयी थी उसकी कॉस्ट 6 रु0 27 पैसे के लगभग आ रही है तो उसमें किसी भी सहभागी ने अपनी निविदाएं नहीं दी हैं और कोई इस यूनिट को लगाने के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान में एक स्थान मिला है बछेलीखाल का, जिस पर लगभग 2 मेगावाट की क्षमता की परियोजना की डी0पी0आर0 पुनर्जीवित कर 2010–11 में निर्माण की प्रक्रिया प्रस्तावित की गयी है। जिसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में भी प्रस्तावित है।

श्री मयूख सिंह–

मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश में पवन ऊर्जा की कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है ? दूसरा प्रश्न है जिन स्थानों को चयनित किया गया है, उनके लिए क्या मानक तय किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष–

इसको दोबारा पढ़िये।

श्री मयूख सिंह–

मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में पवन ऊर्जा की कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है क्या इसका परीक्षण कराया गया है या नहीं और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में 10 स्थानों को चिन्हित किया गया है जिसमें रासी, रिखणीखाल में विण्ड क्षमता की बात बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ इसकी जाँच की गयी तो मात्र एक स्थान बछेलीखाल आया और बाकी जगह पर जो इसकी क्षमता होनी चाहिए, वह क्षमता से कम निकली। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए इसके लिए ये सारी 15 से कम निकली, सिर्फ बछेलीखाल की 18.12 निकली है, जो रासी की है वह 13.8 है, जो रिखणीखाल की है वह 12 है, जो गुमखाल की है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा है।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने 2005–06 की जो सूची दी है उसमें कहीं भी बछेलीखाल का नाम नहीं है क्योंकि यह क्षेत्र मेरी विधान सभा का है, इसके बाद इन्होंने जो 10 स्थलों की चयनित सूची दी है उसमें भी कहीं बछेलीखाल का नाम नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि 2 मेगावाट उत्पादन क्षमता, वहाँ पर वायु का वेग इतना ज्यादा है लेकिन क्या कारण है कि न तो आपने उसको सूची में दर्शाया और मान्यवर, न उस पर कोई काम शुरू हुआ। मान्यवर, पिछले 10 सालों से वहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने इस सूची में बछेलीखाल का क्यों जिक्र नहीं किया ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जो पूछा है उसकी मेरे पास सूची है और 5 वर्ष पहले से इसकी भारत सरकार की एक एजेंसी है जो भारत सरकार द्वारा चयनित की गई है, इसके द्वारा इसका परीक्षण कराया गया है और मैंने पहले भी बताया कि 5 रुपये 27 पैसे प्रति यूनिट की दर से इसकी कॉस्ट आ रही है।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, चयनित के भरोसे आप बैठे रहेंगे कि ठेकेदार आयेगा और काम करेगा, यदि नहीं आता है तो क्या योजना नहीं बनेगी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी की पूरी बात तो आने दें।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने सही जवाब नहीं दिया था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ, 5 मेगावाट की क्षमता और कैपेसिटी से हमको लेना–देना नहीं है, जब आप 15 रुपये प्रति यूनिट से खरीद

रहे हैं और 5.27 से यहाँ मिल रही है. एक तरफ तो आप इतनी महंगी खरीद रहे हैं, जब आपको यहाँ सस्ता उत्पादन हो रहा है तो दिक्कत क्या है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाएं, माननीय मंत्री जी का जवाब आने दें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप कब शुरू करेंगे और कब इसका शासनादेश निकालेंगे ? ऐसे तो रोज–रोज आश्वासन मिलता रहेगा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें, जवाब आने दें। माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कब काम शुरू करने जा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने उत्तर में पहले भी कहा है कि वर्ष, 2010–11 के बजट में इसके बजट का प्राविधान कर दिया है।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट में कोई भी व्याख्या नहीं है। (व्यवधान)

श्री मयूख सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या निजी उद्यमी को कोई आर्थिक सहायता दी जायेगी या उपकरण दिया जायेगा, जो इस योजना को लगाना चाहेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए 5 प्रतिशत, 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दी जायेगी और मैं बता दूँ कि इस पर रॉयल्टी भी नहीं लगेगी।

श्री अध्यक्ष–

रॉयल्टी बता दी, सब्सिडी बता दी, अब और क्या चाहिए। (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मानननीय अध्यक्ष जी, संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में नहीं बताया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि रॉयल्टी भी माफ कर देंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, संयंत्र लगाने के लिए कोई छूट नहीं है, लेकिन उसकी रॉयल्टी नहीं पड़ेगी और प्रति मेगावाट के हिसाब से सरकार में जो पैसा जमा होता है, वह उसको देय नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

बात आ गयी है आप थोड़ा धैर्य तो रखिये, आप लोग एकदम बौछार कर देते हैं।

प्रदेश में पवन ऊर्जा हेतु प्रस्ताव तथा उत्पादन का प्रारूप

*3 श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार कृषकों को निजी विपणन व्यवस्था के चंगुल से मुक्त करने हेतु विपणन की व्यवस्था को कारगर व उपयोगी बनाये जाने पर विचार करेगी ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में समस्त मण्डियों द्वारा जिलेवार ली जाने वाली कुल मण्डी शुल्क व मण्डी सैश से कितनी आय होती है तथा इस आय को किन–किन मदों में कृषकों के हितों के लिए खर्च किया जाता है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार कृषकों की सुविधाओं पर इसे खर्च करेगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

कृषि उत्पादन मण्डी समितियों द्वारा संचालित मण्डियों में नियमानुसार लाईसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से क्रय/विक्रय की व्यवस्था को समाप्त करके समस्त क्रय शासन द्वारा किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह व्यवस्था कारगर एवं सुचारू है।

वर्तमान में समस्त मण्डियों द्वारा जिलेवार ली जाने वाली मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की वार्षिक आय गत वित्तीय वर्ष, 2008–09 के अनुसार निम्नवत है–

क्रम सं0	जिले का नाम	मण्डी शुल्क से आय (लाख रु0 में)	विकास सेस से आय (लाख रु0 में)
1.	नैनीताल	578.94	148.35
2.	ऊधमसिंह नगर	1464.67	368.20
3.	चम्पावत	94.22	23.75
4.	देहरादून	403.44	103.40
5.	हरिद्वार	422.31	106.98
6.	पौड़ी गढ़वाल	62.19	15.78
	योग ..	3025.77	766.46

उपरोक्त आय को कृषकों के हित में सम्पर्क मार्गों के निर्माण, पेयजल व्यवस्था हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना, फल-सब्जी संग्रह केन्द्रों का निर्माण, रोप-वे का निर्माण, व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना, कृषक-उत्पादक क्षति सहायता योजना, छात्रवृत्ति योजना, अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्रों में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालयों को ₹ 5.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत विकास कार्य कराना, कृषकों के उत्पादन के विपणन हेतु मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थलों का निर्माण कराना तथा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय-केन्द्रों पर कृषकों की सुख-सुविधा हेतु पेयजल, दरी, त्रिपाल, छलना व नमी मापक यन्त्र आदि की व्यवस्था सम्बन्धी मदों में व्यय किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्राइवेट मण्डियों को इस परिधि से बाहर रखा गया है, उनका लाईसेंस निरस्त नहीं किया जायेगा और काश्तकार को भी उनसे मुक्ति नहीं मिल पायेगी। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2006-2009 में कितनी नयी मण्डियों की और कितनी उप मण्डियों की स्थापना की गयी है ? साथ ही क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन सभी मण्डियों को जो आज तक विद्यमान हैं, उनको कितना हाईटैक किया गया है ? मेरे एक सवाल के जवाब में यह उत्तर आया कि मण्डी शुल्क से होने वाली आय, जनपदवार और सेस का पैसा विकास का, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने साफ तौर पर यह दर्शाने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में एक अनुपूरक है कि कुल कितनी किलोमीटर सड़कें बनी हैं, अब तक ? कितने फल-सब्जी संग्रहों का निर्माण किया गया है, अब तक ? रोपवे कितने बनाये गये हैं, अब तक ? छात्रवृत्ति योजना का लाभ कितने किसान के बच्चों को दिया गया है, अब तक ? जवाब में अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र में दर्शाया गया है कि प्राथमिक विद्यालय के लिए पाँच लाख रुपये के विकास कार्य हुए हैं, ये विकास कार्य कौन से हैं, और किन पिछड़े क्षेत्र के विद्यालयों में यह कार्य किये गये हैं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किये हैं। इसमें जो प्रस्तावित मण्डी स्थल हैं, थल और खेत जनपद पिथौरागढ़ में, चौखुटिया, यह जनपद अल्मोड़ा में है। गढ़वाल में कर्णप्रयाग, नौ गाँव, उत्तरकाशी जनपद में और नागनी जनपद टिहरी में ये प्रस्तावित हैं। हाईटैक मण्डियों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने पूछा है, इसमें हल्द्वानी और देहरादून की मण्डी प्रक्रिया में चल रहा है। जो मण्डी शुल्क की बात माननीय सदस्य ने पूछी है इसमें हमें वर्ष, 2008-2009 में मण्डी शुल्क प्राप्त हुआ है, वह जिला नैनीताल से 578.94 लाख और विकास सेस प्राप्त हुआ है 148.35 लाख। ऊधमसिंह नगर से 1464.67 लाख और विकास सेस प्राप्त हुआ है 366.20 लाख चम्पावत में 94.22 लाख और विकास सेस प्राप्त हुआ है उपरोक्तानुसार। (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, यह तो लिखा हुआ है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। माननीय सदस्य ने संग्रह केन्द्रों की बात पूछी है। इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि च्यूनी बेतालघाट में, जनपद नैनीताल में हरिनगर ओखलकान्डा, जनपद नैनीताल में लूगड़ ओखलकाण्डा, धीतल खेडा, जनपद नैनीताल, नथौड़ा ताड़ीखेत ये पाँच निर्मित हो गये हैं। गढ़वाल मण्डल में मालदेवता, यह निर्मित हो गया है। थ्वांसी चकरौता में, निर्माण के अन्तिम चरण में है, शंकरपुर नैनीडांडा में, निर्माण के अन्तिम चरण में है, पांखी जनपद चमोली में, निर्माणाधीन है।

मान्यवर, जो रोप–वे की बात आपने की है ये कुमाऊँ मण्डल में नैनीताल जिले में 4 रोप–वे है। लोहा ग्वानी, अनपरा से भरपुरी, बेतराम बैण्ड से खेतखान, काण्डा से कन्धार और गढ़वाल में थ्वांसी से खटवा और बनियाना रोप–वे, थ्वांसी, देहरादून जनपद में माननीय प्रीतम सिंह जी के क्षेत्र में है। दुग्यांडा से कमन्दा रोप–वे नैनीडांडा विकास खण्ड में है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में जो रोप–वे है, वह बन्द है।

श्री अध्यक्ष–

उसकी चाभी तो आपके पास है। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आप प्रश्न पूछेंगे तो उसके बारे में बता देंगे।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, खुलवा देना, प्रश्न करूँगा तो लपेटे जाओगे। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, उसको खुलवा देंगे। मान्यवर, जो छात्रवृत्ति की बात माननीय सदस्य ने पूछी है इसमें पंतनगर विश्वविद्यालय के 45 स्नातकों और 11 स्नातकोत्तर छात्रों को, नारसण महाविद्यालय के 12 स्नातकों व 4 स्नातकोत्तर के छात्रों को प्रतिमाह 1,500 रुपये प्रति छात्र को छात्रवृत्ति देने का निर्णय मन्त्री परिषद द्वारा लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2007–08 में

67 छात्रों को 9.12 लाख रुपये, 2008-09 में 82 छात्रों को 11.49 लाख रुपये और 2009-10 में अभी तक 67 छात्रों को 10.06 लाख रुपये छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 215 छात्रों को 30.67 लाख रुपये छात्रवृत्ति अभी तक भुगतान की गयी है। स्कूलों की बात आपने पूछी है, जो मण्डी परिषद् द्वारा गोद लेने की योजना है, अत्यन्त पिछड़े क्षेत्रों (व्यवधान) इसको प्राविधानित किया गया है, यह लेटेस्ट योजना चालू की गयी है, अभी इसमें विद्यालयों का चयन किया जा रहा है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्ष, 2008-09 के जो आँकड़े आपने दिये हैं, उसमें आपने वर्ष, 2008-09 में मण्डी शुल्क प्राप्ति का क्या लक्ष्य रखा, जिसके सापेक्ष में 30 करोड़ 25 लाख रुपया लिया और जो मण्डी शुल्क की दर है ढाई रुपया, क्योंकि इसको कम करने की बहुत बड़ी माँग कृषकों और व्यापारियों की है, क्या इसको कम करने का सरकार का कोई विचार है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत-

मान्यवर, लक्ष्य के अनुरूप हम इसमें वृद्धि कर रहे हैं, जो लक्ष्य हम रखते हैं और दूसरी बात जो आपने शुल्क को कम करने की कही, जो बहुत दिनों से उठ रही है, तो मण्डी शुल्क हम कम करेंगे। यह घोषणा भी की है इसको हम करेंगे।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

मान्यवर, क्या बजट में इसको सम्मिलित करेंगे, क्योंकि बजट सेशन चल रहा है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत-

मान्यवर, इसको कर देंगे। चाहे बजट में करें या किसी और व्यवस्था में। अनेक व्यवस्थाएं हैं, इसको कर देंगे।

श्री तिलक राज बेहड़-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, जो व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना है, उसके अन्तर्गत कितने लोगों को अब तक लाभ मिला है, क्योंकि किसान लोग हैं, किसी का पैर कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है। इसके माध्यम से अब तक कितने लोगों को लाभ मिल चुका है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत-

मान्यवर, व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना में 2007-08 से 2009-10 तक कुल 53 लोगों को लाभ मिला है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मण्डियों के अन्दर इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसका मतलब है कि लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है प्रार्थना–पत्र पैण्डिंग हैं। पूरे प्रदेश के अन्दर 53 लोगों को दिया है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, हमारे प्रदेश के अन्दर छोटी–मोटी कुल 20 मण्डियाँ ही हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि मण्डी शुल्क से कुल कितने किलोमीटर सड़क बनी है ? उसका कहीं जवाब नहीं आया और जो सैस से है, उसमें कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है और सैस की लेवी कितने प्रतिशत के हिसाब से है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर मण्डी शुल्क 2 प्रतिशत है और सैस 0.5 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त आपने जो सड़कों का ब्यौरा मांगा है, उसका उत्तर विस्तृत है, मैं उसे आपको उपलब्ध करा दूँगा।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इतना तो बता दें कि जो मण्डी शुल्क से होने वाली आय है, इसको खर्च करने का तरीका क्या है ? क्योंकि कभी–कभी ऐसा होता है कि मण्डी के बाहर और कृषकों के क्षेत्र से बाहर यह पैसा खर्च हो जाता है। ऐसे कोई क्षेत्र क्या आपने चिन्हित किये हैं, अगर किये हैं, तो उनका खुलासा कर दीजिये।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, दो तरह का पैसा है, एक तो मण्डी शुल्क है और दूसरा सैस का पैसा है। मण्डी समिति जो दो प्रतिशत शुल्क लेती है, उसे मण्डी समिति का जो कमाण्ड एरिया है, उसी विनियमित क्षेत्र के अन्दर खर्च कर सकती है और सैस के पैसे को पूरे प्रदेश में कहीं भी खर्च किया जा सकता है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, यह जो सैस का पैसा है, उसे प्रदेश में किन–किन मदों में खर्च किया गया है ? वर्ष, 2008–09 में यह पैसा किस–किस मद में खर्च किया गया है और कितना–कितना खर्च किया गया है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, सैस के पैसे से सड़क निर्माण, संग्रह केन्द्र, रोप–वे, हैण्ड पम्प, छात्रवृत्ति दिये जाने आदि कार्य कराये जाते हैं। यदि कहीं पर शौचालय आदि बनाना हो, कहीं पर टिन शैड बनाने हैं, तो उस पर यह पैसा खर्च किया जा सकता है।

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत रवांई घाटी में उत्पादित नकदी फसलों की बिक्री हेतु विपणन व्यवस्था

*4 श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कृषि प्रधान रवांई घाटी में नकदी फसलें जैसे आलू, टमाटर, मटर, चौलाई, गोभी, सेब आड़ू, नाशपाती, खुमानी, पुल्म, राजमा, छिमी आदि फसलें उगाई जाती हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सत्य है कि इन फसलों की बिक्री हेतु सहारनपुर–दिल्ली एवं देहरादून आदि मण्डियों में आना पड़ता है, जिससे बचत का आधा हिस्सा किराये मे ही चला जाता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों–काश्तकारों–बागवानों के व्यापक हित को मध्यनजर रखते हुए इस क्षेत्र के पैदावार नगदी फसलों की विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

किसानों द्वारा अपनी औद्यानिक उपज को अपनी सुविधानुसार स्थानीय बाजार एवं निकटवर्ती मण्डियों में विक्रय हेतु भेजा जाता है।

औद्यानिक एवं कृषि फसलों की विपणन व्यवस्था मण्डी परिषद् द्वारा की जाती है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होता है। उद्यान विभाग द्वारा "सी" ग्रेड सेब के विपणन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए सेब क्रय किए जाने की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त जैविक उत्पाद परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष, 2004 से राजमा एवं चौलाई की बिक्री हेतु निजी संस्थाओं/कम्पनियों के मध्य अनुबन्ध के आधार पर विपणन कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने पिछले प्रश्न के उत्तर में अवगत कराया था कि रवांई घाटी के नौगांव में मण्डी प्रस्तावित है, यह मण्डी प्रस्तावित ही रहेगी या बनेगी भी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि वह भूमि वन विभाग की है, उसमें वन विभाग की अनुमति आनी शेष है। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा कि "नकदी फसलें जैसे आलू, टमाटर, मटर,

चौलाई, गोभी, सेब, आडू, नाशपाती, खुमानी, चुल्लू, राजमा, छिमी आदि फसलें" जो उगाई जाती हैं, वह कितने हैक्टयर भूमि में उगाई जा रही हैं ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 'उद्यान विभाग द्वारा सी ग्रेड के सेब के विपणन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है।' तो वह समर्थन मूल्य क्या है और अब तक कुल कितना सेब क्रय किया गया है ? तीसरा प्रश्न मेरा यह है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि "जैविक उत्पाद परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष, 2004 से राजमा एवं चौलाई की बिक्री हेतु निजी संस्थाओं/कम्पनियों के मध्य अनुबन्ध किया गया।' तो कितने निजी संस्थान और कम्पनियों से यह अनुबन्ध किया गया है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो संस्थायें हैं, उनमें एक पतंजलि योगपीठ है, वहाँ पर चौलाई की खरीद बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है। ....

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि मैं माननीय मंत्री से जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका ही वह जवाब दें। चूंकि उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर पहले दिया है, तो मैंने यह पूछा कि पतंजलि है या कौन है। मैंने प्वाइंटेड प्रश्न यह पूछा है कि राजमा और चौलाई की बिक्री के लिये जिन निजी संस्थाओं/कम्पनियों से अनुबन्ध किया गया, उनकी संख्या कितनी है और जिन कम्पनियों से करार हुआ है, उन कम्पनियों ने अब तक कितना क्रय किया है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया चौलाई के लिए तो एक तो पतंजलि है, (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा कि संख्या कितनी है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, रैपिड, ओवरसीज दो कम्पनियाँ हैं और जो चावल है (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, चावल नहीं, राजमा और चौलाई का। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, तो यही कम्पनियाँ है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कितना क्रय हुआ अब तक ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसका डाटा देता हूँ, आपको। माननीय सदस्य को क्षेत्रफल बता दूँ, पहले। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अब ये तो कोई बात नहीं हुई। किस तरह से माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान) जिस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे थे, उसका सुस्पष्ट उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें। मैंने पूछा कुछ, आप कह रहे हैं कि पहले क्षेत्रफल बता देता हूँ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, एक क्षेत्रफल था, आपने बिक्री पूछा और तीसरा क्या है ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सरकार कितनी गम्भीर है, इससे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। (व्यवधान) पहला प्रश्न मेरा यह है कि कितने हैक्टेयर भूमि में ये कैश क्राप उगाई जाती है ? दूसरा मेरा प्रश्न है कि आपने कहा कि सी–ग्रेड के सेब का न्यूनतम् समर्थन मूल्य घोषित किया है, क्या घोषित किया है और अब तक कितना मीट्रिक टन सेब आपके द्वारा खरीदा गया है ? तीसरा मैंने कहा था कि निजी संस्थानों और कम्पनियों ने कुल कितना चौलाई और राजमा अब तक क्रय किया है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, सी–ग्रेड सेब का मूल्य साढ़े चार रुपये प्रति किलो रखा गया है, लेकिन इस बार कोई भी हमारे पास विक्रेता नहीं आये हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, विक्रेता नहीं आया कोई। माननीय मंत्री जी, यह समय तो अब आयेगा, पिछले की बात कर रहा हूँ मैं, इस बार तो सेब की फसल अब आयेगी।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, पिछले वर्ष विक्रेता नहीं आये, सी–ग्रेड सेब की जो आपने बात की है वह चार रुपये पचास पैसे किलो हैं। मैंने बताया आपको, वर्ष, 2008–09 में 64.86 मीट्रिक टन उत्पादन रहा ....। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि समर्थन मूल्य क्या सरकार ने एक बार घोषित किया फिर दोबारा रिवाईज नहीं किया ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, अभी समर्थन मूल्य साढ़े चार रुपये है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पूरे प्वाईंट सवाल का जवाब दे दीजिए। माननीय मंत्री जी तो बिना जवाब दिये ही बैठ गये।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा जो सेब का क्षेत्रफल है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी ने मेरा प्रश्न सही तरीके से सुना नहीं। मैं आखिरी बार आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी को अपने तीनों ही प्रश्न बता देना चाहता हूँ। मैंने माननीय मंत्री जी से पहला प्रश्न यह किया कि रवांई घाटी में जो नकदी फसलें हैं, ये नकदी फसलें कुल कितने हैक्टेयर भूमि में उत्पादित की जाती हैं, सेब वाला जवाब आपने दे दिया। मेरा तीसरा प्रश्न यह था कि राजमा और चौलाई की बिक्री के लिए जिन निजी संस्थानों से आपने अनुबन्ध किया है उन निजी संस्थानों ने अब तक कितने मीट्रिक टन राजमा और चौलाई क्रय की है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जो राजमा है इसके लिए 1386 हैक्टेयर .... (व्यवधान) मेरा पूरा जवाब तो सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं क्या सुन लूँ, आप जवाब तो सही दीजिए। मैं जो प्रश्न पूछ ही नहीं रहा हूँ उसका जवाब माननीय मंत्री जी दे रहे हैं, जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, अपनी मर्जी से जवाब देंगे तो कैसे चलेगा। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आपने जो चौलाई और राजमा की बात की, चौलाई इस बार हमने 40 रुपये 40 पैसे प्रति किलो...................... (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न ही नहीं पूछा, मैंने यह पूछा कि जो निजी संस्थानों से आपने अनुबन्ध किया है उन निजी संस्थानों ने कुल कितने मीट्रिक टन राजमा और कुल कितने मीट्रिक टन चौलाई खरीदी है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, राजमा 1455 मीट्रिक टन उत्पादन...................... (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कहें कि इसे बाद में उपलब्ध करा दें, या इसे स्थगित कर दें तो ज्यादा बढ़िया था, इसे स्थगित कर देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जो अभी तक कम्पनियों ने खरीदी है वह 305 मीट्रिक टन राजमा और 55 मीट्रिक टन चौलाई खरीदा है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, तीसरे का जवाब नहीं आया, तीसरा प्रश्न यह था कि रवांई घाटी में जो नकदी फसलें उगाई जा रही हैं, वह कितने हैक्टेयर जमीन में उगाई जा रही है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इसके आंकड़े इकट्ठा करने पड़ेंगे, इस तरह से माननीय सदस्य पूरे जिले के पूछेंगे तो ....(व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न रवांई घाटी का है मैं और कहीं का नहीं पूछ रहा हूँ, फसलों का नाम भी दिया है, ये फसलें कितने हैक्टेयर जमीन में उगाई जा रही हैं ? (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, छीमी का जो क्षेत्रफल है वह 49 हैक्टेयर है। मान्यवर, रवांई क्षेत्र में तीन विकास खण्ड नौगाँव, मोरी और पुरोला हैं। इनमें 49 हेक्टेयर में छीमी की खेती होती है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, अगर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊँगा। मैं आपकी अनुज्ञा से यह जानना चाहता हूँ कि जो इसमें लिखा हुआ है आलू, टमाटर, मटर, चौलाई, गोभी, सेब, आड़ू आदि।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर,मैं सब बता रहा हूँ। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के कुछ सदस्य अपने स्थान में खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(प्रश्न काल समाप्त)

*श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कार्यवाही निकाली जाए अगर मैंने यह प्रश्न पूछा हो। माननीय मंत्री जी किसी भी प्रश्न का जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे हैं और समय भी हो गया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए। मान्यवर, बहुत गम्भीर प्रश्न है।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या–04 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी में पशु चिकित्सक विहिन पशु चिकित्सालयों का विवरण तथा पशु चिकित्सकों की तैनाती

1. श्रीमती अमृता रावत–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में पशु चिकित्सक विहीन पशुचिकित्सालयों का विकास खण्डवार विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन पशु चिकित्सालयों में पशुओं की चिकित्सा की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है तथा कब तक इन पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सकों की तैनाती की जायेगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में पशुचिकित्सक विहीन पशुचिकित्सालयों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	पशुचिकित्सालय का नाम
1.	पौड़ी	1. कण्डुवादवी
2.	कोट	1. कमलपुर
3.	खिर्सू	1. देवलगढ
4.	थलीसैंण	1. चौंकीसैंण
		2. कल्याणखाल
5.	बीरोंखाल	1. जौखाल
		2. कोलदरिया
6.	रिखणीखाल	1. रिखणीखाल
		2. कोटलीसैंण
		3. बुलेखाखाल
7.	एकेश्वर	1. रीठाखाल
		2. सतपाली
8.	यमकेश्वर	1. अमोला
		2. थलनदी
9.	द्वारीखाल	1. चेलूसैंण
		2. कटुडबड़ा
		3. कांडाखाल
10.	कल्जीखाल	1. कल्जीखाल

पशुचिकित्सक विहीन पशुचिकित्सालय में पशुओं की चिकित्सा की वैकल्पिक व्यवस्था पशुचिकित्सालय के समीपस्थ कार्यरत पशुचिकित्सक को तथा वहाँ पर तैनात पशुधन प्रसार अधिकारी/वेटेनरी फार्मेसिस्ट को दी गई हैं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से पशुचिकित्सा अधिकारियों का चयन होने के उपरान्त रिक्त पदों पर तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पौड़ी के भवनहीन राज0 पशु चिकित्सालय तथा पशुधन प्रसार केन्द्रों के भवनों का निर्माण

2. श्रीमती अमृता रावत–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन–कौन से भवनहीन राजकीय पशु चिकित्सालय तथा पशुधन प्रसार केन्द्र हैं जिनके लिये अभी तक भवनों का निर्माण नहीं किया जा सका है ?

क्या सरकार के पास उक्त पशुचिकित्सालयों/पशुधन प्रसार केन्द्रों के लिए भवन निर्माण कराये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक उक्त भवन निर्मित कर दिये जायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त भवन निर्मित कर दिये जायेंगे ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत भवनहीन पशुचिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्र जो वर्तमान में किराये के भवन में संचालित किये जा रहे हैं का विवरण निम्न प्रकार है–

पशु चिकित्सालय–

1.	कमलपुर	2.	देवलगढ	3.	पाकीसैंण
4.	कल्याणखाल	5.	चौखाल	6.	कौलदरिया
7.	कोटलीसैंण	8.	बुलेखाखाल	9.	सतपाली
10.	डांडामंडी	11.	कालागढ	12.	गमकेश्वर
13.	अमोला	14.	मोहनचट्टी		

पशु सेवा केन्द्र (पशु औशधालय)–

1.	अमकोटी	2.	सत्यखाल	3.	खाण्डयूसैंण
4.	गिनोली	5.	घटगोला	6.	घिण्डवाडा
7.	देहलचौरी	8.	पिपलघाट	9.	पोखरीखेत
10.	सीकू	11.	तिरपालीसैंण	12.	चौरीखाल
13.	दौड़ियाल	14.	अधरियाखाल	15.	देवराजखाल
16.	दन्धा	17.	कुण्जखाल	18.	श्रीकोटखाल
19.	किल्बोखाल	20.	अंजनीसैंण	21.	बसड़ा
22.	ग्वील	23.	छेवीखेत	24.	समरूसैंण
25.	पली	26.	आगरौंण	27.	सर
28.	गंगाभोगपुर	29.	धारकोट	30.	श्रामणी
31.	स्नेह	32.	सिगड्डी	33.	हल्दूखाल
34.	सल्डमहादेव	35.	मौन	36.	दिगोलीखाल
37.	वैजरो	38.	दुनाव	39.	मैठणाघाट
40.	मरोलीखाल	41.	बमेली	42.	गौलीखाल
43.	गज्याडीसैंण				

जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वित्तीय वर्ष–2009–10 हेतु उक्त संस्थाओं हेतु धनराशि अनुमोदित न किये जाने के कारण वर्तमान में निर्माण कार्य कराये जाने की कोई योजना प्रस्तावित नही है। आगामी वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एक पशुचिकित्सालय एवं तीन पशु सेवा केन्द्रों का पुनर्निर्माण 13वें वित्त आयोग के माध्यम से चरणबद्ध रूप से किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री शेर सिंह, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री नारायण पाल, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री विजय सिंह पंवार, श्री राजकुमार तथा श्रीमती अमृता रावत की कुल 09 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री शेर सिंह, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री विजय सिंह पंवार, श्री राजकुमार तथा श्रीमती अमृता रावत की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था आ गई।

कृषि एवं पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सारा जवाब देने को तैयार हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। क्या चाहते हैं। प्रश्न काल तो समाप्त हो गया है। अब मैं क्या करूँ। ऐसा कोई प्राविधान नही है मैं क्या करूँ।

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने सम्पूर्ण जवाब दे दिया है प्रत्येक प्रश्न का जवाब दे दिया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आपकी बात का जवाब आ गया है। प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। क्या करें इसमें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

हाँ, सुन रहा हूँ, मैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जब प्रश्न प्रहर चल रहा था और जो प्रश्न मैंने माननीय मंत्री जी से किया था। पहले सुन लें। (घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं बता तो रहा हूँ।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आधे घण्टे में तो बता नहीं पाये। अब आप कह रहे हैं सारा बताने के लिए तैयार है। क्या तैयार हैं। वहाँ से पर्ची नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष–

प्रीतम सिंह जी, क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, प्रश्न प्रहर में माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। अब नहीं दिया तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस सदन को व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए।

(घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं उत्तर देने को तैयार तो हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। एक–एक कर अपनी बात कहें। मैं एक बार में एक ही माननीय सदस्य की बात तो सुन पाऊँगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा 'वेल' में आकर अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्य अपने स्थान में खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

सभा सचिवों द्वारा सदन में प्रश्न पूछे जाने विषयक व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

*काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या सभा सचिव सदन में सरकार से कोई प्रश्न या सुझाव दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

नहीं पूछ सकते हैं।

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत दर्जनों सड़कों के निर्माण कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री शेर सिंह–

[मान्यवर, बागेश्वर जनपद विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत दर्जनों सड़कों के निर्माण कार्यों में विभागीय कमी के कारण निर्माण कार्य अधर में लटके हैं। विगत दस वर्ष पूर्व स्वीकृत सड़कों का निर्माण अभी तक अधर में लटका हुआ है। जिस कारण कई क्षेत्रों की जनता सड़क का लाभ लेने से वंचित है। सड़कों के निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलम्ब के कारण क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है। इसलिए विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत सभी स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य त्वरित गति से पूर्ण कर जनता को सड़कों की सुविधा से जोड़ा जाना चाहिए।

इस अतिलोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कर समुचित कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद ऊधमसिंह नगर में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा विकलांग पेंशन की स्वीकृति प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

[मान्यवर, सदन को अवगत कराना है कि ऊधमसिंह नगर में वृद्धावस्था पेंशन,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गए।

विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के हजारों आवेदन–पत्र जमा हैं। प्रार्थीगणों का पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के हजारों आवेदन–पत्र जमा हैं। प्रार्थीगणों का पेंशन हेतु कई बार समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिला है। उपरोक्त यह सारे पेंशन फार्म सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार जमा किये गये हैं। ऊधमसिंह नगर जिले में 4832 वृद्धावस्था पेंशन के लगभग फार्म जमा हैं। विधवा व विकलांग पेंशन के क्रमशः 153,384 फार्म कार्यालय में जमा है।

यह विषय समाज के सबसे कमजोर माने जाने वाले व्यक्तियों से जुड़ा है। अति लोक महत्व का विषय है। सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की माँग करता हूँ।]

उत्तराखण्ड के सभी न्याय पंचायत स्तर के गाँवों को अटल आदर्श गाँव योजना के अन्तर्गत चयनित कर सम्पूर्ण विकास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, उत्तराखण्ड के सभी न्याय पंचायत स्तर के गाँव को अटल आदर्श गाँव योजना के अन्तर्गत चयनित कर उस गाँव को सम्पूर्ण विकसित करने की योजना सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी है। इसी क्रम में हरिद्वार जनपद के ब्लॉक भगवानपुर की नौ न्याय पंचायतों के मुख्य गाँव भगवानपुर, चौली शहाबुद्दीनपुर, सिकंदरपुर, मलस्वागाज, चुड़ियाला, हबीबपुर निवादा, ढाँढा जलालपुर, खेड़ी शिकोहपुर, नौकराग्रौंट का चयन किया गया है।

1. पेयजल हेतु उक्त नौ न्याय पंचायतों में हैण्ड पम्प लगवाएं तथा अन्य सभी घोषित सुविधाएं दिलवाएं जिससे कि व्याप्त पेयजल समस्या का निराकरण हो सके।
2. खेड़ी शिकोहपुर गाँव में सम्पर्क मार्ग के बीच में पड़ने वाले सोलानी नदी पर पुल की आवश्यकता है एवं बैंक की आवश्यकता हैं पुल का निर्माण करवाया जाए तथा बैंक व पशु सेवा केन्द्र भी खोला जाए।
3. चौली शहाबुद्दीनपुर न्याय पंचायत में कोई इण्टर कॉलेज नहीं है, इण्टर कॉलेज बनाया जाए एवं पशु सेवा केन्द्र भी खोला जाए।
4. न्याय पंचायत नौकराग्रौंट में बालिका इण्टर कॉलेज, पशु चिकित्सा केन्द्र बनाया जाए।

उपरोक्त कार्य, जनहित में घोषित सरकार की योजनाअटल ग्राम विकास योजना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गए।

के अन्तर्गत कराने हेतु उपरोक्त गाँव के लोगों ने पूर्व में भी प्रयास किए थे व अब भी प्रयासरत् हैं। इसलिए उपरोक्त गाँवों के उक्त कार्यों हेतु इस वित्तीय वर्ष में बजट का निर्धारण कर कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। इस अति लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाई की माँग करता हूँ।]

पर्वतीय भू-भाग में खेल मैदानों व स्टेडियमों का निर्माण न होने से खेल प्रतिभाओं व युवा वर्ग में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

[मान्यवर, पर्वतीय भू-भाग में विद्यालयों व महाविद्यालयों में लगभग सभी के पास खेल मैदानों/स्टेडियमों की कमी है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को आगे आने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। जबकि खेल प्रतिभाओं की राज्य के पर्वतीय भू-भाग में कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ उन्हें निखारने की, उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करने की, इस प्रकार की सुविधायें न मिल पाने से जहाँ उनमें कुण्ठा जन्म ले रही है वहीं समाज में भी असन्तोष का वातावरण व्याप्त हो रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि स्थानीय खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए पर्याप्त सुविधाओं से सुसज्जित खेल मैदान/स्टेडियम का निर्माण स्थान-स्थान पर करायें ताकि युवाओं को खेल सम्बन्धित पर्याप्त अवसर प्रदान कर सके]

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री विजय सिंह पवार जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील धनौल्टी के अन्तर्गत विभिन्न आबादीय ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजकुमार-

[मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत कई ग्राम पंचायतों में सम्मिलित आबादीय ग्रामों क्रमशः ग्राम पंचायत विरोड़ के पडेल, खैराड़ के कुखड़सारी, काण्डी के बन्दरकोट, मूटगाँव के काटोई, जयद्वार के खैड़ा, सड़ब के सड़ब मल्ला, मसरास के थुरेटी आदि कई अन्य आबादीय ग्रामों को राजस्व ग्रामों के रूप में परिवर्तित किये जाने की माँग काफी समय से जनमानस द्वारा की जा रही है किन्तु अभी तक भी आबादीय ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित न करने के कारण क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट-[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गए।

अतः मैं माननीय सदन में इस अविलम्बनीय लोकहित के प्रश्न को नियम-300 के तहत त्वरित कार्यवाही हेतु रखे जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल में लोक निर्माण विभाग के बैजरों स्थित निर्माण खण्ड में चौदह अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों के कारण विकास कार्य ठप्प होने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अमृता रावत-

[माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से मुझे सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में लोक निर्माण विभाग के बैजरों स्थित निर्माण खण्डों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के 14 पद रिक्त होने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास एवं निर्माण कार्यों में विशेषकर सड़कों के निर्माण में गति नहीं आ पा रही है। अधिकारियों/कर्मचारियों की भारी कमी के कारण स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं और फिर पुनरीक्षित आगणन गठित कर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने की माँग की जा रही है।

मेरा मान्यवर, से आग्रह है कि अधिकारियों/कर्मचारियों की भारी कमी के कारण निर्माण एवं विकास कार्यों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को गम्भीरता से लेते हुए, रिक्त पदों पर यथाशीघ्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती/नियुक्ति करने के सम्बन्ध में सरकार को निर्देशित किया जाय, ताकि स्वीकृत निर्माण कार्य यथासम्भव पूर्ण हो सकें और फिर पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत कर, अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने/करवाने की आवश्यकता न पड़ सके।]

नियम-310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की माँग

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-310 के अन्तर्गत तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं, पहली सूचना जो प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में दिये जाने में किए गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, श्री दिनेश अग्रवाल जी, श्रीमती अमृता रावत जी, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी, श्री तिलक राज बेहड़ जी, श्री केदार सिंह रावत जी, डा0 हरक सिंह रावत जी द्वारा दी गयी हैं। दूसरी सूचना सिद्धार्थिया बॉयोकैमिकल्स लिमिटेड के ऋषिकेश स्थित कारखाने की भूमि उपयोग परिवर्तन में किए गये निर्णय से राज्य के आर्थिक हितों की उपेक्षा तथा गम्भीर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय जी, श्री गोपाल सिंह राणा जी, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल जी, श्री प्रीतम सिंह जी, श्री जोत सिंह गुनसोला जी एवं श्री रणजीत सिंह रावत जी की है। तीसरी सूचना उत्तराखण्ड में नियमों व शासनादेशों की धज्जियाँ उड़ाते हुए सरकार ने एक उद्योगपति के स्वामित्व वाली स्टेबिया कैमिकल कम्पनी, जो ऋषिकेश में स्थित है, जिस भूमि को 1962 में, इससे

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्बन्धित है, माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, माननीय श्री शहजाद जी, माननीय प्रेमानन्द महाजन जी, माननीय हरिदास जी, माननीय तस्लीम अहमद जी द्वारा दी गयी है। इसी से सम्बन्धित .... (व्यवधान) दूसरी और तीसरी सूचना एक ही है। लेकिन नाम अलग-अलग हैं। (व्यवधान) मैं दूसरी और तीसरी सूचना को क्लब करता हूँ, इन दोनों सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन लूँगा।

श्री शहजाद-

मान्यवर, यदि चर्चा हो जाय तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ, चर्चा करेंगे, यह बाद की बात है।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत रायपुर विकास खण्ड के ग्राम सभा नत्थनपुर में अलकनंदा इन्क्लेव से मोहकमपुर, मोहकमपुर से राजेश्वरी विहार, लोअर नत्थनपुर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री जोत सिंह गुनसोला-

मान्यवर, जनपद देहरादून के अन्तर्गत रायपुर विकास खण्ड के ग्राम सभा नत्थनपुर में अलकनन्दा इन्क्लेव से मोहकमपुर, मोहकमपुर से राजेश्वरी विहार लोअर नत्थनपुर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में श्री ओ0पी0 सकलानी, निवासी विवेकानन्द ग्राम फेज-2, नत्थनपुर, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत एकता विहार, लेन नं0-11, में झूलती विद्युत तारों को ठीक कराने हेतु खम्बे लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री जोत सिंह गुनसोला-

मान्यवर, जनपद देहरादून के रायपुर विकाश खण्ड के अन्तर्गत एकता विहार, लेन नं0-11 में झूलती विद्युत तारों को ठीक करने हेतु खम्बे लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र बहुगुणा, निवासी-एकता विहार, लेन नं0-11, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 मार्च, 2010 की बैठक में दिनांक 18 मार्च, 2010 से दिनांक 22 मार्च, 2010 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :-

मार्च, 2010

18 (गुरूवार) 1. वित्तीय वर्ष, 2010–11 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

2. विधायी कार्य

(1) उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(3) उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

3. सरकारी संकल्प

(1) "यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को प्रदत्त औद्योगिक पैकेज जिसकी अवधि माह मार्च, 2010 में समाप्त हो रही है, को वर्ष, 2020 तक बढ़ा दिया जाय।"

(2) "यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाई के निराकरण हेतु यथोचित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें।"

मार्च, 2010

19 (शुक्रवार) 1. वित्तीय वर्ष, 2010–11 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

2. विधायी कार्य

(1) उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन), विधेयक, 2010 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

3. असरकारी संकल्प

(1) श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा:–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित की जाय"

(2) श्री अजय टम्टा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24, दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा :–

"यह माननीय सदन प्रबल सिफारिश करता है कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत तथा प्रशासनिक दृष्टि से जन सामान्य को सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश में वर्तमान विकास खण्डों की संख्या को बढ़ाते हुए नए विकास खण्डों के सृजन पर गम्भीरता से विचार किया जाय, विशेषकर जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मछखाली, मझोड़, जाखली, सोमेश्वर नये विकास खण्ड बनाये जाने तथा प्रदेश में लगभग 30 नये विकास खण्डों का निर्माण किए जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाय।"

4. नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर से जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया तक रेलवे लाईन बिछाई जाय ताकि उक्त सुदूर क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके।"

(2) श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा :–

"प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक पर्यटन के नये आयाम तलाशे जाएं।"

(3) डा० हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा द्वारा दिनांक 24 दिम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किया जाय।"

<u>मार्च, 2010</u>
20 (शनिवार), 21 (रविवार) — बैठक नहीं होगी।

<u>मार्च, 2010</u>
22 (सोमवार), — वित्तीय वर्ष, 2010–11 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री केदार सिंह रावत, श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री शहजाद, श्री नारायण पाल तथा श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री रणजीत रावत तथा श्री करन मेहरा, श्री किशोर उपाध्याय, श्री तिलक राज बेहड़ तथा श्री मनोज तिवारी की कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री शहजाद, श्री रणजीत रावत तथा श्री करन मेहरा की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूं। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

*श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने बार–बार कहा है कि इस सम्बन्ध में आप पार्टी फोरम में ही तय कर लें।

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मान्यवर, सेल्स टैक्स विभाग द्वारा ठेकेदारों से ठेका स्वीकृत होने पर 4.5 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है और जब ठेकेदार ठेका पूरा कर लेता है विभाग में तो, उसके बाद 3.5 प्रतिशत रुपया ठेकेदार को वापस किया जाता है। मान्यवर, चम्पावत जनपद में जो सेल्स टैक्स ऑफिस, टनकपुर में है, वहाँ सन् 1999 के बाद चम्पावत जिला बना, उसके बाद से अभी तक ठेकेदारों का करोड़ों रुपया जमा है और आज तक उस धनराशि को वापस नहीं किया गया, कई बार ठेकेदारों ने कोशिश की, विभाग

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लोगों से मिले परन्तु दुर्भाग्य है कि अभी तक करोड़ों रुपया ठेकेदारों का वहाँ पर जमा है और जो 3.5 प्रतिशत वापस होना चाहिए था, वह अभी तक वापस नहीं किया जा रहा है, जिससे ठेकेदारों में भारी आक्रोश है और स्थिति विस्फोटक है, उनके रिश्तेदार भी बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं कि करोड़ों रुपया गरीब ठेकेदारों का वहाँ अभी तक सेल्स टैक्स ऑफिस में रुका है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूँगा कि सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा जी द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से नियम-58 के तहत यह सूचना दी गई है और जैसा कि माननीय सदस्य ने अवगत कराया कि 4.5 प्रतिशत धनराशि व्यापार कर के रूप में ठेकेदारों से ली जाती है। श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूँगा कि स्रोत पर विभाग द्वारा 4 प्रतिशत की कटौती की जाती है और समाधान योजना अपनाने वाले ऐसे ठेकेदार जो किसी भी प्रकार का आयात नहीं करते, ऐसे ठेकेदारों का उनके ठेके की धनराशि से एक प्रतिशत और आयात करने पर 3 प्रतिशत धनराशि कर देयता बनी हैं स्रोत पर कटौती करने वाले विभाग को कटौती की सूचना मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित फार्म-6 में दोनों आवश्यक होता है, कतिपय मामलों में सम्बन्धित विभागों से यह सूचना समय पर उपलब्ध न होने के कारण निश्चित रूप से मामलों के निस्तारण में समय लगाता है और जहाँ तक आपने चम्पावत जनपद का सोफिस्टिकेटेड प्रश्न पूछा है तो मैं अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष, 2004-05 में चम्पावत जनपद का गठन कर, वाणिज्य कार्यालय का चम्पावत में सृजन किया गया था और इससे पूर्व यह कार्यालय जनपद पिथौरागढ़ से संचालित होता था और निश्चित रूप से थोड़ा विलम्ब उनके अभिलेखों के मिलान में होता है और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार पूरी तरह से गम्भीर है और इसको विशेष अभियान के रूप में लेकर इन सारे लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, यह सूचना नियम-58 के परिधि में नहीं है, माननीय सदस्य भी संतुष्ट हो गये होंगे। अतः मैं अनुरोध करूँगा कि इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"-

मान्यवर, 6 वर्ष का कार्यकाल कम नहीं होता है, जहाँ तक पिथौरागढ़ की बात है तो अब चम्पावत में खुल गया है, वर्ष, 2004-05 में आप भी कह रहे हैं और नियम के अनुसार ठेका पूरा होने के बाद 3.5 प्रतिशत वापस होता है, आज तक करोड़ों रुपया वहाँ पर जमा हो गया है और उस पैसे को ठेकेदारों को नहीं दिया जा रहा है, क्या कारण है मान्यवर, इसमें समय सीमा बता दें कि कब तक कर देंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस प्रकरण के निस्तारण के लिए हम विशेष अभियान चलायेंगे। यह मैंने आश्वस्त कर दिया है कि शीघ्र से शीघ्र इसको करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। मान्यवर, कभी–कभी यह भी जाना जाता था कि यह प्रदेश पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित किया जायेगा। तमाम पूर्व और वर्तमान सरकार का लक्ष्य था कि पर्यटन प्रदेश के रूप में इसको विकसित करते हुए, यह प्रदेश एक बहुत बड़ी इण्डस्ट्री का रूप लेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और राजस्व भी मिलेगी और आर्थिकी का भी उन्नयन होगा। मान्यवर, होटल एसोसियेशन, उत्तराखण्ड और होटल एसोसियेशन, मसूरी के द्वारा अपनी न्यायोचित माँग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय पर्यटन मंत्री जी से बार–बार नियमों के तहत आग्रह भी किया गया कि पर्यटकों के ऊपर लग्जरी टैक्स की जो सीमा है, वह 1999 में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रति कक्ष के रूप में आरोपित की जाती थी और तत्समय इसका संग्रह करने का अधिकार भी पर्यटन विभाग को था, उनके द्वारा अवगत भी कराया गया कि इस कक्ष पर आरोपित होने वाली सीमा, जिसको बढ़ाकर ₹ 3000 कर दिया जाय और बिक्रीकर विभाग से संग्रह न कराकर, पूर्व की भाँति पर्यटन विभाग ही इसका संग्रह करे। साथ ही उनके द्वारा यह आग्रह भी किया गया कि परीक्षण का जो काल हो, वह एक वर्ष का हो। नियमानुसार विगत तीन और पाँच वर्षों का परीक्षण काल कोई सार्थक नहीं है साथ ही तमाम उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों ने हमारे मार्गदर्शी के रूप में जब हम बार–बार कहते हैं कि हमारा भी एक पर्वतीय प्रदेश है। बाजू में हिमाचल प्रदेश भी एक पर्वतीय प्रदेश है, जिसका हम बार–बार उल्लेख करते हैं।

मान्यवर, अपने प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के एक कम्प्रेटिव चार्ट के आँकड़े आपके सम्मुख रख रहा हूँ। उत्तराखण्ड प्रदेश में सुख साधन कर की टैरिफ 5 प्रतिशत है और हिमाचल प्रदेश में टैरिफ 10 प्रतिशत है वैट खाने पर उत्तराखण्ड में 12.5 प्रतिशत है और हिमाचल में यह 4 प्रतिशत है। लीकर लाईसेंस फीस 4.5 लाख है जिसमें 50 कमरों से कम है और जिनके पास 50 कमरे से ज्यादा हैं उनमें 15 लाख है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 50 हजार रु० प्रतिवर्ष है और जिनके पास 50 कमरे से अधिक है, उन पर ₹ 100,000 प्रतिवर्ष है। यही स्थिति होटल में कार्यरत्

कर्मचारियों की है। अकुशल हैं, कुशल है। जिनका कम्प्रेटिव अकुशल का 3588 रु0 प्रतिमाह है, जोकि हिमाचल प्रदेश में 2550 रु0 प्रतिमाह है। उत्तराखण्ड में हर छः माह में वृद्धि होती है और खाने के लिए भी उनको पैसे दिये जाते हैं। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न विद्युत दरों का है। 25 किलोवाट से कम पर 3.90 रुपये प्रति यूनिट की दर से चार्ज होता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 25 किलोवाट से कम पर 3.50 प्रति यूनिट चार्ज होता है। मान्यवर, 25 किलोवाट से अधिक पर 3 रुपये 25 पैसे और 100 किलोवाट से अधिक पर 3 रुपये 10 पैसे है। ऐसे ही मनोरंजन कर जैसे, टी0वी0, वीडियो गेम्स, म्यूजिक आदि पर हैं यह तुलनात्मक विवरण मान्यवर, मैंने इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि हम सदैव कहते हैं कि हिमाचल पर्यटन पर बहुत आगे जा चुका है और हमको शीर्ष पर उसको मार्गदर्शी के रूप में अपनाना चाहिए। मान्यवर, जिस भोजन पर साढ़े बारह प्रतिशत हमारे यहाँ वैट लागू है, तो वहाँ पर वह चार प्रतिशत है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुनसोला जी, आपकी जो सूचना थी, वह लग्जरी टैक्स के बारे में थी।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, उसी का कम्प्रेटिव है क्यों दिया, कैसे दिया, क्यों लग्जरी टैक्स की परिधि में नहीं लाए ?

श्री अध्यक्ष–

आप बीच में वैट भी ले आए। कर्मचारियों के बारे में भी बात ले आए।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, लग्जरी टैक्स में 1000 रुपये प्रति कक्ष की परिधि से बढ़ाकर उसको 3000 रुपये प्रति कक्ष कर दिया जाये यह मैं सरकार से चाहता हूँ। यह स्वाभाविक भी है। पर्यटन के लिए होटल इण्डस्ट्री का सर्वाइवल भी बहुत जरूरी है। अगर होटल इण्डस्ट्री उत्तराखण्ड में नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि पर्यटकों के लिए वे सुख–सुविधाएं, जिनका जिक्र हम बार–बार करते हैं, उनसे वे महरूम रह जाएंगे। उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी और आपसे भी आग्रह था, माननीय पर्यटन मंत्री जी से भी आग्रह किया, आपसे भी वार्ता हुई। मान्यवर, मुझे तो उन्होंने यह भी अवगत कराया कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम अपने होटलों की चाबियाँ सरकार के हवाले कर देंगे। क्योंकि यह परिस्थितियाँ हमारे लिए प्रतिकूल पड़ रही हैं, हमारे अनुकूल नहीं हैं। तो मैं इस पर सब कामों को रोकते हुए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ और समस्त कार्य रोकते हुए चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा सुख-साधन कर की सीमा निर्धारण करने सम्बन्धी यह सूचना, नियम-58 में दी गयी। श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में सादर अवगत कराना चाहूँगा कि सुख-साधन कर के लिए एक हजार रुपया प्रति कक्ष जो किराए की सीमा निर्धारित है, वह पूर्ववर्ती प्रदेश, उत्तर प्रदेश से है और उत्तराखण्ड बनने के बाद, चूँकि राज्य की स्थापना के पश्चात् हमारे यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई और उसके बाद जब हमने राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया, तो इसके पश्चात् इसकी उपयोगिता और महत्व और अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य के सन्दर्भ में पर्यटन की विशिष्ट भूमिका है और सीमित संसाधनों को बढ़ाने में पर्यटन क्षेत्र का योगदान भी राज्य को प्राप्त हो, यह अति आवश्यक है। अगर हम, जैसा कि माननीय सदस्य ने ग्राह्यता पर बोलते हुए विषय रखा, अगर हम पर्यटन के आधार पर प्रमुख रूप से हिमाचल की बात करें, या पर्यटन पर आधारित जिस राज्य गोवा की अर्थव्यवस्था चलती है, उसकी बात करें, तो गोवा में आने वाले पर्यटकों की संख्या 2004 में 20 लाख 84 हजार रही, 2005 में 19 लाख 65 हजार हुई और 2006 में 20 लाख 98 हजार हुई तथा हिमाचल प्रदेश में 2004 में 63.45 लाख, 2005 में 69.36 लाख और वर्ष, 2006 में 76.71 लाख रही। श्रीमन्, हमारे उत्तराखण्ड राज्य में 2004 में यह संख्या 01 करोड़ 17 लाख थी, 2005 में यह संख्या 01 करोड़ 42 लाख थी और वर्ष, 2006 में यह संख्या 1 करोड़ 66 लाख थी। लेकिन सुख-साधन कर के माध्यम से जो आय राज्यों को हुई, यदि उस आय पर हम निगाह डालें तो गोवा को जहाँ वर्ष, 2007-08 में 70 करोड़ 28 लाख की आय प्राप्त हुई और हिमाचल प्रदेश को 24 करोड़ 28 लाख रुपये की आय हुई।

उत्तराखण्ड राज्य में जहाँ वर्ष, 2006 में 1 करोड़ 66 लाख पर्यटकों की आमद हुई थी, वहीं आय मात्र 4 करोड़ 69 लाख रुपये हुई। श्रीमन्, ऐसे समय में हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिये, जहाँ तक माननीय सदस्य ने हिमाचल प्रदेश में कर की दर का उल्लेख किया, वहाँ पर कर की दर 10 प्रतिशत है और हमारे प्रदेश में 5 प्रतिशत है और हिमाचल प्रदेश में 1 हजार या अन्य कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है, सभी पर कर देयता निर्धारित है। गोवा राज्य का आपने उल्लेख किया तो गोवा राज्य में 250 रुपये उसकी सीमा निर्धारित है। 250 रुपये से अधिक के जो भी कमरे होंगे, उन पर सुख-साधन कर निर्धारित किया जाता है। हमारे प्रदेश के अन्दर सुख-साधन कर की दर मात्र 5 प्रतिशत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है हमने किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया है, केवल इसका क्रियान्वयन विभाग बदला है इसे बदलने का जो औचित्य है, वह यह है कि वर्तमान में जो विभाग हमने निर्धारित किये हैं, वह अन्य विभागों से भी कर की वसूली बेहतर तरीके से करते

है। उनके पास अपना नेटवर्क है, आधारभूत सुविधायें हैं, इसके तहत यह पर्यटन विभाग से इसका क्रियान्वयन विभाग बदला गया है। इसलिये यह औचित्य नहीं बनता, मैं अनुरोध करूँगा कि इस सूचना को अग्राह्य किया जाय।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने बताया कि गोवा के अन्दर 70 करोड़ रुपये की आय सुख–साधन कर से होती है। लेकिन मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि गोवा के अन्दर लगभग 54 फाइव स्टार होटल हैं, 54 कान्ट्रेक्ट फ्लाइटें वहाँ पर आती हैं, कार्गो बस आती हैं। इसके साथ ही यह भी नहीं बताया कि हमारी लिकर की पॉलिसी क्या है, बार की पॉलिसी क्या है। मान्यवर, मैं यह कह रहा हूँ कि जो यह 70 करोड़ रुपये की आय की बात है, वह उस शहर की है, जिस शहर में धनाढ्य लोग भी आते हैं और कान्ट्रेक्ट की उनकी अपनी एयर बसें होती हैं, फ्लाइटें होती हैं और उस परिधि में वह लोग पैसा देते हैं। हमारे यहाँ तो तीर्थयात्री आते हैं और मझोले पर्यटक आते हैं, इसलिये उसकी परिधि को बढ़ाया जाय। इसीलिये 1000 रुपये प्रति कक्ष से बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपये प्रति कक्ष किया जाय। क्योंकि उसमें आम जन ठहर सकता है, 3000 से नीचे आम जन ठहर जायेगा। 3000 रुपये से ऊपर आप कर दें, क्योंकि सुख साधन कर का मतलब ही लग्जरी टैक्स है, जिसमें आप अधिक सुविधायें देंगे और उस पर टैक्स लेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि हमने टैक्स को बढ़ाने का कोई प्राविधान नहीं किया है, सुख साधन कर का निर्धारण, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय में था, वही निर्धारण अभी भी है। जहाँ तक माननीय सदस्य हिमाचल प्रदेश और गोवा का उदाहरण दे रहे हैं, मैंने अपने आँकड़ों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हमारे यहाँ सुख साधन कर में आमदनी बहुत न्यून है और राज्य के आर्थिक संसाधनों को देखते हुये जितनी आधारभूत सुविधायें हमारे माध्यम से पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाती हैं, उसके अनुसार उनको भी कुछ योगदान इसमें करना चाहिये। इसलिये यह कोई ऐसा विषय नहीं है, जिस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–58 की कार्य स्थगन की सूचना पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, चन्दोला होम्योपैथिक मेडिकल

कॉलेज, रूद्रपुर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है और यह कॉलेज अनुच्छेद द्वितीय के अन्तर्गत सूचीबद्ध नहीं है। जबकि उक्त कॉलेज के सभी होम्योपैथिक डॉक्टरों ने सी0सी0एच0 द्वारा निर्धारित बी0एच0एम0एस0 कोर्स के सभी चारों वर्षों की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं और एक वर्ष की इन्टर्नशिप भी कर ली है। जिस कारण इनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है और ये पंजीकृत चिकित्सक की हैसियत से कार्य नहीं कर सकते हैं। यह कॉलेज उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से श्रीमन्, 25 सीटें इस कॉलेज को आरक्षित की जाती हैं। जिसकी निर्धारित फीस प्रति छात्र 64 हजार रुपये, हॉस्टल फीस 40 हजार प्रति कॉलेज द्वारा वसूल की जाती है। इस कोर्स को पूरा करने में लगभग 7 लाख रुपये व्यय होते हैं श्रीमन्, जो कि सम्पूर्ण भारत में सबसे अधिक खर्चा है। कुमाऊँ विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि पैरा–2 के लिए आवेदन प्रस्ताव की कार्यवाही करना मन्दोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी है, किन्तु कॉलेज इस ओर उदासीन है श्रीमन्, और उन्होंने अभी तक कोई आवेदन–पत्र भी प्रेषित नहीं किया है और इसके बावजूद भी श्रीमन्, प्रदेश सरकार इस कॉलेज को जो मानक में नहीं आता है, 25 सीटें इस कॉलेज को आरक्षित कर रही है श्रीमन्, उक्त कॉलेज एक जरूरी मान पैरा–2 को पूरा नहीं कर पा रहा है श्रीमन्, जोकि उत्तीर्ण छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए अति आवश्यक है। जिस कारण होम्योपैथिक डॉक्टरों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। श्रीमन्, इसलिए प्रदेश सरकार को इस कॉलेज की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। श्रीमन्, जब पैरा–2 के लिए इन्होंने अभी तक कोई आवेदन–पत्र ही नहीं दिया और जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, श्रीमन्, जो वहाँ से अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण करके इन्टर्नशिप भी कर चुके है। श्रीमन्, इस पैरा–2 के कारण उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है श्रीमन्, इसलिए जो उत्तीर्ण छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए अति आवश्यक है और जिस कारण होम्योपैथिक डॉक्टरों का भविष्य अन्धकारमय हो गया, इसीलिए प्रदेश सरकार को इस कॉलेज की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए था इस कॉलेज पर अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल करके इस कॉलेज की जो अथॉरिटी है श्रीमन्, उन पर दबाव डाल कर पैरा–2 के लिए आवेदन–पत्र प्रेषित करे ताकि वहाँ से पास होने वाले जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनका भविष्य अन्धकारमय न हो।

श्रीमन्, भूपेन्द्र कौर औलख, जाँच अधिकारी, अपर सचिव, चिकित्सा के माध्यम से भी एक जाँच हुई है श्रीमन्, कि ये अपने मानकों को पूरा करता है कि नहीं करता है और श्रीमन्, उनकी रिपोर्ट है कि निरीक्षण के दौरान कॉलेज द्वारा फैकल्टी में मरीज बुलाकर एक दिन के लिए मानक पूरे किये गये, जबकि संस्था में सी0सी0एच0 के मानकानुसार फैकल्टी एवं बेड एक्यूपैन्सी उपलब्ध नहीं है। मरीज बेड एक्यूपैन्सी उपलब्ध नहीं है और श्रीमन्, शैक्षिक सत्र 2008–09 एवं 2009–10 के लिए संस्था द्वारा शुल्क निर्धारित समिति के प्रमुख के सम्मुख फीस

वृद्धि हेतु कोई प्रत्यावेदन, प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है। श्रीमन्, जिसके कारण शैक्षिक सत्र 2008–09 में फीस वृद्धि का कोई निर्णय चिकित्सा शिक्षा द्वारा नहीं किया गया और ये मान्यवर, 18 हजार जो हॉस्टेल फीस है, प्रेसकाइब्ड फीस है, उससे कहीं ज्यादा, 40 हजार रुपये छात्रों से वसूल कर रही है। श्रीमन्, निरीक्षण के समय जो अपर सचिव की रिपोर्ट है, निरीक्षण के समय कॉलेज के अटैच्ड हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया गया, सी0सी0एच0 के मानकों के अनुसार स्टूडेन्ट बैड एक्यूपैन्सी का अनुपात एक अनुपात में होना चाहिए था जो कि संस्था के पास उपलब्ध नहीं है। केवल 30 बैड का हॉस्पिटल ही उपलब्ध है, दिनांक 27.10.2009 के निरीक्षण के समय फीमेल और मेल वार्ड में केवल एक–एक मरीज ही एडमिट पाये गये हैं। अतः छात्रों द्वारा शिकायत की गई कि वार्ड में पर्याप्त मरीज उपलब्ध नहीं होते हैं, जो कि सही पाया गया। श्रीमन्, जाँच अधिकारी की रिपोर्ट स्पष्ट है कि ये होम्योपैथिक कॉलेज मानकों को पूरा नहीं कर रहा है और प्रदेश सरकार इनको प्रति वर्ष 25 सीट एलॉट करती जा रही है, इस होम्योपैथिक कॉलेज पर कोई दबाव नहीं बना रही है, जिसके कारण आज जो यहाँ से पास होने वाले छात्र हैं, उनका भविष्य अन्धकारमय हो रहा है। मान्यवर, इसलिए मैं सदन से, पीठ से आग्रह करना चाहूँगा कि सदन के सभी कार्यों को स्थगित कर इस पर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बलबीर सिंह नेगी जी ने एक अतिमहत्वपूर्ण विषय पर नियम–58 के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया है। इसके सम्बन्ध में अवगत करना चाहूँगा कि चन्दोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 50 सीटें प्रतिवर्ष प्रवेश दिये जाने हेतु मान्यता दी गई थी, जिसके क्रम में 25 सीटें मैनेजमैन्ट कोटे की एवं 25 सीटें सरकारी कोटे की हैं। इसमें सरकारी सीटों के लिए प्रवेश राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाली परीक्षा यू0ए0पी0एम0टी0 के माध्यम से, काउन्सलिंग बोर्ड द्वारा की जाती है तथा मैनेजमैन्ट कोटे पर प्रवेश निजी कॉलेजों द्वारा संचालित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दी जाती है। आपने फीस के बारे में भी अवगत कराया, इस सम्बन्ध में, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि चिकित्सा शिक्षा द्वारा गठित सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री लक्ष्मी बिहारी की अध्यक्षता में गठित फीस कमेटी द्वारा प्रति बैच की फीस निर्धारित की जाती है। इसके साथ–साथ जो दूसरे विषय से अवगत कराया कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा उक्त अधिनियम के पैरा–2 में वह सूचीबद्ध नहीं है, जिसके कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, पंजीकृत होने के लिए, इस सम्बन्ध में श्रीमन्, कुमाऊँ विश्वविद्यालय ने 24–09–2009 को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को अनुरोध किया था। इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए, इस सारे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए 30 दिसम्बर, 2009 को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है

कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद अधिनियम, 1973 की अनुसूची–2 में सूचीबद्ध करने का कष्ट करें। यह अनुरोध सरकार के माध्यम से किया जा चुका है, इस विषय पर हम स्वयं गम्भीर हैं और विषय का संज्ञान हम पूर्व में भी ले चुके हैं और शीघ्र कार्यवाही के लिए पुनः हम आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को अनुरोध करेंगे ताकि प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों का भविष्य अंधकारमय न हो। अतः यह सूचना अग्राह्य करने योग्य है क्योंकि सरकार स्वयं इस विषय का संज्ञान ले रही है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले हवाला दिया है अपर सचिव, चिकित्सा का, जो जाँच अधिकारी भी थे, उनका स्पष्ट मत था कि संस्था के लिए शासन द्वारा 18 हजार रुपये प्रति वर्ष मान्यवर, हॉस्टल फीस निर्धारित की गई है। जब कि संस्था द्वारा 40 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र वसूला जा रहा है। उक्त धनराशि वसूलने के बाद भी छात्रों को सामान्य मानकों के अनुसार सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है। मान्यवर, सरकार का इस पर दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। उस संस्था के मालिकों के ऊपर क्यों नहीं सरकार दबाव बना रही है, पैरा–2 के लिए। कुमाऊँ विश्वविद्यालय ने कहा कि संस्था ही पैरा–2 के अभ्यर्थी एप्लीकेंट होगी। तो यह संस्था तो पैरा–2 के अन्तर्गत कोई एप्लीकेशन ही अभी तक नहीं दे पा रही है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जैसा कि मैंने अवगत कराया है कि सरकार इस विषय पर गम्भीर है। चूँकि इसी के चलते हुए जब हमको शिकायत प्राप्त हुई तो हमने तत्काल अपर सचिव स्तर के अधिकारी को जाँच के लिए भेजा और जाँच में जो उन्होंने कमियाँ पाई हैं, उन कमियों के सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर उसको अवगत करा दिया गया है और विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, जाँच के बाद भी 40 हजार रुपये स्टूडेन्ट से लिये जा रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इससे पहले का प्रकरण है अब तो नहीं हो रहा होगा। आप तो पूर्व के प्रकरणों से अवगत करा रहे हैं। नये एडमिशन तो 2010–11 में होंगे।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, 26–10–09 की जाँच आख्या है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 2010 का बैच तो अब प्रारम्भ होगा। नये एडमिशन तो अब होंगे।

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, श्री बलबीर सिंह नेगी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इसे अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-58 में बोलने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, उत्तराखण्ड में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर, किसानों और बी०पी०एल० परिवारों के कनेक्शन धारकों को समय से बिजली का बिल न मिलने के कारण बिजली के बिल दो-दो वर्ष, तीन-तीन वर्ष तक भी नहीं मिल पाते हैं। जिस कारण से वह गाँव के किसान, मजदूर अपना बिल समय से जमा नहीं कर पाते हैं। गलती विभाग की है, भुगतान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है कि उस बिल पर जो मूल बिल की राशि है उस पर कई गुना सरचार्ज लगा दिया जाता है। सरचार्ज के कारण बहुत अधिक बिल आ जाता है और विद्युत विभाग को भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि समय से उन्हें भी राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही है। पिछले वर्ष तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि घरेलू बिजली के कनेक्शन पर सरचार्ज माफ कर दिया जायेगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्य यह है कि घोषणा तो कर दी गई और घोषणा पर अमल भी विभाग द्वारा कर दिया गया और लेकिन उसका कोई भी आदेश विभाग द्वारा वहाँ तक नहीं पहुँचा, जहाँ से इस पर कार्यवाही होनी थी। गोलमोल रखकर खानापूर्ति करके इसको निपटा दिया गया। इस मामले का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री 'निशंक' जी को भी गाँव के लोगों ने हरिद्वार के दौरे के समय और अन्य लोगों ने और माननीय विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर अवगत कराया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब रुड़की में पधारे थे तब इन्होंने घोषणा की थी कि सरचार्ज माफ किया जायेगा। मान्यवर, लगभग दो महीने बीतने के बाद भी, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आज तक विभाग द्वारा सरचार्ज माफ करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया।

मान्यवर, सरचार्ज माफ करने की घोषणा तो कर दी जाती है और विभाग उस पर अमल नहीं करता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं ? यह तो सरकार को जानना चाहिए कि क्यों प्रदेश के मुखिया की घोषणा के बाद भी गरीब लोगों की सहायता क्यों नहीं की जाती है और क्यों नहीं उनका उपयोग किया जाता है ? माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी सौभाग्य से सदन में मौजूद हैं, मैं उनसे यह निवेदन करूँगा कि यह एक गम्भीर समस्या है और विभाग का राजस्व भी वसूल नहीं हो रहा है किसानों और मजदूरों पर सरचार्ज लगाया जा रहा है और विशेष रूप से मैं कहना चाह रहा हूँ कि

बी०पी०एल० परिवार के ये लोग जो रोजी-रोटी मुश्किल से कमाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं, उन पर भी यह सरचार्ज लगाया जा रहा है, जबकि मुफ्त में कनेक्शन दिये जाते हैं लेकिन सरचार्ज के द्वारा उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है। इसलिए मैं आज माननीय सदन के समक्ष यह कहना चाहता हूँ कि सरचार्ज माफ किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यन्त आवश्यक है, विभाग के हित में भी और जनता के हित में भी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं और निवेदन करूँगा कि इसकी घोषणा करें और इसका तत्काल आदेश जारी करायें, जिससे कि सरचार्ज माफ हो सके और लोगों को लाभ मिले और विभाग का राजस्व बढ़ सके। मान्यवर अन्त में मैं, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की माँग करता हूँ। धन्यवाद।

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, उत्तराखण्ड के गरीब किसान एवं बी०पी०एल० कनेक्शन धारकों पर घरेलू बिजली के बिल पर विद्युत विभाग द्वारा सरचार्ज माफ किये जाने के सम्बन्ध में सूचना माननीय सदस्य द्वारा दी गयी है। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूँगा कि विद्युत अधिनियम, 2003 के निहित प्राविधानों के आधार माननीय नियामक आयोग के क्षेत्राधिकार में यह सम्पूर्ण प्रकरण आता है। श्रीमन् अद्यतन स्थिति इस प्रकार है कि जो बी०पी०एल० उपभोक्ताओं के घरेलू बिल, जिनका बकाया अभी वर्तमान में उसकी मूल राशि 123 करोड़ 09 लाख 55 हजार रुपये हैं, इस पर विलम्ब का अधिभार 50 करोड़ 23 लाख 95 हजार रुपये हैं, निजी नलकूप पर जो मूल धनराशि है, वह 30 करोड़ 5 लाख 21 हजार रुपये हैं और विलम्ब अधिभार 14 करोड़ 36 लाख 33 हजार रुपये हैं। श्रीमन्, माननीय नियामक आयोग के माध्यम से जो निर्देश जारी हुए हैं, उनके अनुसार वर्तमान में सभी उपभोक्ता श्रेणी में विद्युत देयकों का भुगतान न करने की दशा में 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब अधिभार की धनराशि देय होगी और माननीय नियामक आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विभाग के माध्यम से यह अधिभार निर्धारित किया गया है। इसके सम्बन्ध में मैं, माननीय सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय विद्युत नियामक आयोग में विभाग द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाकर इस अवशेष सरचार्ज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा गया था और यह प्रकरण माननीय नियामक आयोग में विचाराधीन है, जब तक माननीय नियामक आयोग इस प्रकरण पर उचित निर्णय लेकर सरकार को निर्देशित नहीं करती तब तक विभाग इस पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हैं श्रीमन्, अतः यह सूचना अग्राह्य करने योग्य है।

श्री सुरेन्द्र राकेश-

माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी तो नियामक आयोग कहाँ से आया। जब घोषणा की है तो पालन किया जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पश्चात् विभाग ने विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव बनाकर भेजा और विस्तृत कार्य योजना भेजी कि किस तरह से हम इसको करेंगे। जब तक नियामक आयोग उस पर निर्णय नहीं देता। हम एक तरफा नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, जब निर्णय आ जायेगा, तब हो जायेगा।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ जो पूर्व में घोषणा हुई थी उसको फिर दोबार सरचार्ज लगाकर भेज दिया गया। विकट स्थिति है। पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा भी की गयी थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मामला विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्षजी, नियम–58 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा पिछले वर्ष कक्षा–1 से 8 तक की पुस्तकों की छपाई के लिए टी0एन0एच0के0 प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, मेरठ को छपाई का कार्य दिया गया था। जिस पर शिक्षा सचिव ने एक जाँच में, उनके खिलाफ पाया था कि उन्होंने जो मानक थे, टेण्डर के, उनको पूरे नहीं किए हैं। पुरानी किताबों पर नई जिल्द पहनाकर, सप्लाई से लेकर, कागज की मोटाई जो महत्वपूर्ण होती है और जो उसका वॉटर मार्क होता है, यह सब उसके खिलाफ जाँच में पाया गया कि उसने मानकों को पूरा नहीं किया है। मेरे द्वारा नियम–58 में ही इसी सदन में यह मामला उठाया गया था और सरकार द्वारा उसके बाद कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया था और सचिव, शिक्षा द्वारा कार्यवाही भी की गयी और निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को आदेश किया गया कि मुद्रक के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्यवाही तथा सम्बन्धित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए मानकों के प्रतिकूल पायी जाने वाली पाठ्य–पुस्तकों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का कार्य करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य पाठ्यक्रम होने की दशा में किसी भी अभिभावक, विद्यार्थी को वर्ष विशेष की पाठ्य पुस्तकों को क्रय करने के लिए बाध्य न किया जाए। इसके बाद मान्यवर, निदेशक, विद्यालयी शिक्षा के द्वारा एक

आदेश पारित किया गया, जिसमें मैसर्स टी0एन0एच0के0 प्रिन्टर्स एवं पब्लिशर्स, मेरठ की जमा सुरक्षा राशि ₹ 24 लाख 25 हजार को जब्त करने व निविदा की शर्तों तथा अनुबन्ध-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने, राजकोष को हानि पहुँचाते हुए अनधिकृत रूप से वित्तीय लाभ कमाने तथा व्यवसायिक हितों के विरुद्ध कार्य करने के कारण मैसर्स टी0एन0एच0के0 प्रिन्टर्स एवं पब्लिशर्स, मेरठ को अगले तीन वर्षों के लिए विद्यालयी शिक्षा अनुभाग द्वारा काली सूची में डालने के आदेश पारित किये गये।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से इस बात को जानना चाहता हूँ कि जब तीन वर्ष के लिए वर्ष, 2007-08-09 में उसको काली सूची में डाला गया तो उसके मात्र कुछ ही महीने बाद, जो अगले वर्ष के लिए टेण्डर आमन्त्रित किये गये हैं, उसमें टी0एन0एच0के0 पब्लिशर्स को दूसरे नम्बर पर, यह कम्परेटिव चार्ट है मान्यवर, हमारे पास, फिर से उसके द्वारा टेण्डर दिये गये हैं तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ पैदा हो गयी कि पब्लिशर्स द्वारा जो मानकों के विरुद्ध कार्य किया गया और उसके बाद उसको काली सूची में डाला गया, उसमें फिर से सफेद सूची में आने के लिए ऐसा क्या प्रोत्साहन सरकार को या सरकारी मशीनरी को दिया या ऐसा क्या घोटाला इसमें है ? इस पर सरकार से कार्यवाही की माँग करते हुए मान्यवर, मैं अपनी सूचना पर बल देता हूँ और इस तरह से जो बिल्कुल प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित प्रमाण है, इसके बाद भी अगर इस तरह से अनियमितायें होंगी तो कैसे जनापेक्षाओं को पूरा किया जायेगा और बार-बार सदन के अन्दर भी और सदन के बाहर भी समाचार-पत्रों के माध्यम से कह रही है कि पारदर्शिता और बिल्कुल पाक-साफ सरकार चला रहे हैं, उनके इस वायदे का क्या होगा, इस पर मैं अपनी सूचना पर बल देते हुये सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की माँग करता हूँ।

*श्री करन मेहरा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं माननीय विधायक श्री रणजीत सिंह की बात से अपने को सम्बद्ध करते हुये यह कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, सरकार से कि इसमें मैसर्स टी0एन0एच0के0 प्रिन्टर के खिलाफ जब कार्यवाही करने का आदेश हो गया है और उनकी 24 लाख 25 हजार की जमानत राशि को जब्त कर लिया गया था तो उसके बाद भी क्या कारण रहे कि टेण्डर ईशू किया गया। मान्यवर, मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड में स्थापित उद्योगों प्रिन्टर्स पब्लिशर्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए इस नये राज्य में, लेकिन दुर्भाग्य है कि काली सूची में दर्ज ऐसे उद्योग और प्रिन्टर्स को जो लोग राज्य को बहुत बड़ा राजकोषीय घाटा दिला रहे हैं, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है और 3 वर्ष के लिए उसे काली सूची में डाले जाने के बावजूद टेण्डर जो निर्गत किये गये उसमें कौन सा ग्रुप ऐसा है प्रशासन में, जो सरकार के आदेशों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की अवहेलना कर रहा है, कानून की अवहेलना कर रहा है। सरकार को तुरन्त इस प्रकरण की जाँच करते हुए, ऐसे कर्मचारी, अधिकारी के विरुद्ध मैं कार्यवाही की माँग करता हूँ और इस अति लोकमहत्व की अविलम्बनीय सूचना पर नियम-58 के अन्तर्गत सदन में कार्यवाही स्थगित कर चर्चा किये जाने की माँग पर मैं बल देता हूँ।

*शिक्षा मंत्री (गोविन्द सिंह बिष्ट)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों द्वारा नियम-58 में जो सूचना दी है मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो मैसर्स टी0एन0एच0के0 पब्लिकेशन, मेरठ है, इसको पिछले वर्ष कक्षा एक से आठ तक का कोई भी न मुद्रण का कार्य दिया गया और न मुद्रण का कार्य गत वर्षों में किया गया। हाँ, इस फर्म के द्वारा गत वर्ष कक्षा 9-10-11-12 की पुस्तकों के मुद्रण का कार्य किया और मुद्रण के कार्य की दरें कम होने के कारण से जो मुद्रण समिति है उसके द्वारा इस फर्म को काम दिया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पूरी बात आने दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट-

मान्यवर, मुद्रक की शिकायत होने पर समिति द्वारा इसकी जाँच कागज की गुणवत्ता में कमी और पाठ्यपुस्तकों के आकार के मानकों के अनुसार न पाये जाने की शिकायत जब प्राप्त हुई तो उसके बाद शासनादेश संख्या-567 24-3-9/46, दिनांक 9 अप्रैल, 2009 के द्वारा मुद्रक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को दिये गये और उक्त के अनुपालन में निदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा अपने पत्र दिनांक 7 अगस्त, 2009 द्वारा मैसर्स टी0एन0एच0के0 प्रिन्टर्स एवं पब्लिशर्स, 2 विजयनगर, चर्च रोड, मेरठ की जमा सुरक्षा राशि 24 लाख 25 हजार को जब्त किये जाने के आदेश निर्गत होने की तिथि से 3 वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड में मुद्रण कार्य हेतु काल सूची में डाले जाने के आदेश दिये। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र दिनांक 18-08-2009 द्वारा उक्त प्रकरण का आरबिट्रेशन किये जाने का निर्देश दिया और उनके अनुपालन में सचिव, विद्यालयी शिक्षा द्वारा उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा को कहा गया और उसके अनुबन्ध में भी सरकार व्यवस्था है कि जब मुद्रण कार्य किया गया तो उसको किसी आदेश से आपत्ति हुई तो ऑब्जेक्शन लग जायेगा, तो इसमें ऑब्जेक्शन विद्यालयी शिक्षा के उप सचिव द्वारा किया गया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरबिट्रेटर द्वारा 21-10-2009 को अपनी आब्जेक्शन आख्या सचिव, विद्यालयी शिक्षा को प्रस्तुत की गई।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उक्त आख्या के परीक्षणोपरान्त और अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या 197224–3–945/दिनांक 3 फरवरी, 2010 को निर्णय दिया गया कि शैक्षिक सत्र 2009–2010 के लिए कक्षा 9, 10, 12 की पाठ्य पुस्तक के मुद्रण में की गयी त्रुटि के लिए मैसर्स टी०एन०एच०के० प्रिंटर्स एवं पब्लिशर्स, मेरठ की जमा धनराशि, जोकि उनकी जमानत राशि थी उसको दण्ड स्वरूप 10 प्रतिशत जब्त की जायेगी, उसमें कटौती की जायेगी। इसके उस समय निर्देश दिये गये और 7 अगस्त के आदेश को निरस्त किये जाने और आगे मुद्रण कार्य के लिये उनको चेतावनी के लिए इस फर्म को सचेत किया गया। चूंकि मैसर्स टी०एन०एच०के० प्रिंटर्स एवं पब्लिशर्स, मेरठ को अन्तिम निर्णय में कार्यसूची में नहीं डाला गया तथा इसके लिए 10–11 हेतु मुद्रित किये जाने वाले पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु टेंडर को विद्यालयी शिक्षा पाठ्य मुद्रण को अर्ह मान लिया गया।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि ₹ 24,25,000 जमानत धनराशि, उसको जब्त करने के आदेश निर्गत कर दिये गये थे और तीन साल के लिए काली सूची में भी डाला गया था। लेकिन आरबिट्रेशन में उसे छूट मिली। यही मैंने भी जानना चाहा था कि क्या कृत्य उस फर्म द्वारा किये गये ? माननीय मंत्री जी को, सरकार को या शासन को, उपकृत करने के लिए जो आरबिट्रेशन में उसकी जब्त धनराशि को 10 प्रतिशत कर दिया गया और तीन साल के लिए ब्लैकलिस्टेड फर्म को दोबारा टेंडर डालने के लिए अर्ह कर दिया गया। यही तो मान्यवर, घोटाला है। इस प्रदेश में बड़ी शर्मनाक स्थिति है, पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि इसके क्या कारण हैं ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय सदस्य बहुत पुराने सदस्य हैं और बिना किसी प्रमाण के इस प्रकार का आक्षेप सरकार पर करना उचित नहीं है। (व्यवधान)

[नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे। (घोर व्यवधान)]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वह आरबिट्रेशन में गया। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं सदन की कार्यवाही अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था कहाँ से आ गयी ?

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, रोजाना सरकार द्वारा दोपहर के भोजन के लिए सभी सम्मानित विधायकों को आमंत्रित किया जाता है। पहले भी दो–तीन बार हो चुका है और आज भी अधिकांश विधायकों को खाना नहीं मिला। या तो ये हमें पत्र न भेजें। अपमानित करने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, आज यहाँ पर खाना ही नहीं था। मैं यह नहीं कहना चाहता कि कौन लोग ले जाते हैं, उनके लिए हम यह नहीं कह सकते कि उनको खाना क्यों मिलता है। माननीय सदस्यों को पत्र देने के बाद भी खाना नहीं मिलता, इस प्रकार उन्हें अपमानित किया जा रहा है। ऐसा कई बार हो चुका है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यदि सभी माननीय सदस्य सहमत हों, तो जो दलीय कार्यालय हैं, उनमें कल से भोजन भेज देंगे। (व्यवधान)

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, हम इसमें सहमत हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज खाद्य मंत्री का भोजन तो नहीं था ? (हँसी)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, साधारण शिष्टाचार भी नहीं निभाया जा रहा है। होस्ट निमंत्रण देकर अपने आप गायब हैं, वहाँ खाली बर्तन पड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, खाद्य मंत्री जी का प्रश्न लगे तो गायब, भोजन बंटे तो गायब। (व्यवधान) जनता के लिए राशन गायब। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, कैंटीन वाला खाना ठीक है, वह हल्का तो होता है। पैकेट वाला बहुत भारी हो जाता है। (व्यवधान)

(अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–12 पर माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शहजाद–

मान्यवर, हमारी नियम–310 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 की 3 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, इनमें से 2 को क्लब कर दिया गया है। पहली प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में माननीय दिनेश अग्रवाल तथा अन्य सदस्यों की सूचना है।

***श्री हरिदास–**

मान्यवर, हमारी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी भी है। वह भी आ जाएगी।

वित्तीय वर्ष, 2010–2011 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने वित्तीय वर्ष, 2010–2011 के बजट पर बोलने का मौका दिया ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष बजट पर अपना वक्तव्य रख देंगे, उसके बाद नियम–310 की सूचना ले लेंगे।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शहजाद–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष का हम तो फिर भी सम्मान करते हैं। उधर से ज्यादा ही। नियम–310 ही पहले ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

परम्परा तो यही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष पहले बजट पर अपनी बात रखते हैं। कोई और बात है तो आपस में तय कर लीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने वित्तीय वर्ष, 2010–11 के बजट पर सामान्य चर्चा में इस सदन के सम्मुख और सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता के सम्मुख, प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण और समाधान के लिये, सुझाव देने के लिये और प्रदेश की जनता की पीड़ा को अभिव्यक्ति देने के लिये, अवसर दिया। उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बड़ी गम्भीरता के साथ, अक्षरशः इस बजट भाषण को, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 मार्च, 2010 को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया। उसका मैंने अध्ययन किया है और इस बजट भाषण का अध्ययन करने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि इसका एक–एक पन्ना और एक–एक पन्ने की एक–एक पंक्ति और एक–एक पंक्ति का एक–एक अक्षर, अक्षरशः सत्य से परे हैं। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि पिछली बार पौने तीन घण्टे का मेरा बजट भाषण हुआ था और मेरे साथी रात तक बैठने के लिये तैयार हैं, क्योंकि नियम–310 में भी चर्चा होनी है .... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के रिजीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि बजट भाषण तो माननीय वित्त मंत्री जी पेश करते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं संशोधन कर लेता हूँ कि बजट पर चर्चा के दौरान मैंने पौने तीन घण्टे बोला था। प्रदेश की जनता के हित के लिये हम चार कदम आगे बढ़ सकते हैं तो दो कदम पीछे भी हटना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि पिछली बार की तरह माननीय सदस्य बीच में टोका–टोकी करेंगे तो निश्चित रूप से मैं उसका जवाब भी दूँगा। बीच में जो–जो माननीय सदस्य बोलेंगे, मैं निश्चित रूप से उनका जवाब दूँगा।

(माननीय सदस्य श्री प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर)

मान्यवर, जब तक चाहोगे, तब तक बोलूँगा। (हँसी) जब तक आपका संयम नहीं टूटेगा, तब तक हरक सिंह रावत की आवाज बन्द नहीं होगी। हरक सिंह रावत की आवाज रात-दिन तब तक बन्द नहीं होगी, जब तक इस सरकार की विदाई नहीं हो जायेगी। तब तक मेरी आवाज बन्द नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रेम चन्द अग्रवाल जी, अनावश्यक रूप से मत बोलिये। कृपया गम्भीरता बनाये रखें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आँकड़े प्रस्तुत किये हैं, कुल प्राप्तियाँ जो 2009-10 की हैं, वे हैं 13,909.16 और इस समय की कुल प्राप्तियाँ हैं 14,821.67 करोड़। अब माननीय अध्यक्ष जी, ये जो कुल प्राप्तियाँ हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और जो ये आँकड़े ऊँचाई की ओर दिखायी देने चाहिए थे, अगर अनुमानित लगाएँ तो लगभग 800 करोड़ का अन्तर इन कुल प्राप्तियों में है। जबकि प्रति किलोमीटर जो सड़क का निर्माण है, वह पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में लगभग 40 प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। तो माननीय अध्यक्ष जी, ये जो कुल प्राप्तियाँ हैं, ये आँकड़े काफी हैं। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को आईना दिखाने के लिए कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है, ये अकेले इस आँकड़े से परिलक्षित होता है। व्यय माननीय अध्यक्ष जी, 2009-10 में 14737.78 करोड़ था और इस वित्तीय वर्ष में आपने अनुमानित 15490.95 करोड़ रुपये प्रदर्शित किया है, रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो समेकित घाटा है, वह इस वर्ष आपने 630.28 करोड़ रखा है।

अब माननीय अध्यक्ष जी, केवल सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए और आज सारे न्यूज चैनलों में और सारे समाचार-पत्रों की सुर्खियों में यह बात छपी कि सरप्लस बजट इस सरकार ने प्रस्तुत करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इन आँकड़ों से पेट में रोटी नहीं जाती और इन आँकड़ों में यह सरप्लस शब्द देखकर, अखबारों की सुर्खियां बटोर कर, किसी नौजवान को रोजगार नहीं मिलता है, किसी वृद्ध, विधवा, विकलांग का जीवनयापन नहीं होता है। इसलिए कि आपने सरप्लस दिखाने के लिए जो लोक लेखा है, उससे 600 करोड़ का समायोजन किया है। अब आपने आँकड़े की जादूगरी की। जिस तरह कोई जादूगर माननीय अध्यक्ष जी, जब जादू दिखाता है तो तरह-तरह के खेल दिखाता है, कभी आदमी को गायब कर देगा। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे भी जादूगर हैं, जो हमारे शैलेन्द्र रावत जी को गायब कर देंगे। तो ठीक है कि 'निशंक' जी ने आँकड़ों में ही जादू दिखाया है, शैलेन्द्र रावत जी पर जादू नहीं दिखाया है। 'निशंक' जी इतने कलाकार, इतने अच्छे जादूगर

हैं माननीय अध्यक्ष जी, और आजकल वेशभूषा भी कोई जादूगर से कम नहीं है। (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी।

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

आप सुरक्षित रहें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो निश्चित रूप से सुरक्षित हूँ और इसीलिए मैंने अपना निवास स्थान भी 'निशंक' जी के सामने रखा है कि कम से कम डायन भी एक घर छोड़कर मार करती है। (हँसी) तो 'निशंक' जी कम से कम मुझ पर जादू नहीं दिखाएंगे, मैं इसलिए मैंने पड़ोस में घर लिया है।

श्री अध्यक्ष–

पड़ोस में घर आपने लिया है या इन्होंने लिया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

अब माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ये पड़ोस में भले ही बाद में आये, लेकिन हमारी शुभकामनाएँ थीं, खण्डूड़ी जी चले गये बेचारे, आज सदन में होते तो मैं कहता। तो यह पड़ोस में बाद में आये, लेकिन नेता सदन की कुर्सी पर बेचारे हमारे खण्डूड़ी जी को कंदराओं में दौरा करने के लिए भेज कर और यहाँ बैठ गये। मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूँ कि यह कोई हँसी मजाक की बात नहीं है और कोई सरप्लस बजट से इस प्रदेश का भला होना नहीं, चाहे आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं, लक्ष्य हमारा सबका एक है कि कैसे हम उत्तराखण्ड के उन शहीदों को जिन्होंने सपना देखा था उत्तराखण्ड राज्य के विकास का। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस राज्य का निर्माण कोई नेताओं की देन नहीं है, किसी राजनैतिक दल की देन नहीं है। इस राज्य का निर्माण अगर हुआ है तो वह उत्तराखण्ड के नौजवानों के संघर्ष के बलबूते पर हुआ है, भूतपूर्व सैनिकों के, कर्मचारियों के बलबूते पर हुआ है और उन्होंने एक सपना देखा था।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने हँसा धनाई की लाश को मसूरी में देखा, जिस तरह हमारे जवान सीमाओं की सुरक्षा करते–करते पीठ पर दुश्मन की गोली नहीं खाते, सीने पर गोली खाते हैं। उसी तरह हँसा धनाई ने और राजेश रावत ने पीठ पर गोली नहीं खाई थी, सीने पर गोली खाई थी, इस उत्तराखण्ड की जनता के भविष्य के लिए। आज उन सबको नमन करते हुए, जिन्होंने इस उत्तराखण्ड राज्य के संघर्ष में अपना बलिदान और योगदान दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो आँकड़े हमने प्रस्तुत किये हैं, राजस्व प्राप्ति के माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी आय है, आपने अनुमानित दिखाया है 12,158.79 करोड़, पूँजीगत

आय आपने दिखाई है 2,682.80 करोड़ रुपये। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जो राजस्व प्राप्ति है, जो हमारी आय है और जो पूँजीगत आय है, जो हम ऋणों से लेते हैं, ये जो लक्ष्य होना चाहिए था राजस्व प्राप्ति का, वह लक्ष्य पिछले वर्ष के मुकाबले कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि यह अनुमानित है. अनुमान तो कुछ भी लगाया जा सकता है। जब अनुमान ही आपने पिछले वर्ष के मुकाबले मात्र एक हजार करोड़ के आस–पास, क्योंकि जो पिछले साल राजस्व प्राप्ति थी वह 10947.67, अब आपने उसके मुकाबले लक्ष्य ही कम रखा हो, अगर हम एवरेस्ट पर लक्ष्य रखें तो एवरेस्ट पर नहीं चढ़ पायेंगे, बहुत सारे लोग चढ़ जायेंगे और बहुत सारे लोग नहीं चढ़ पायेंगे, लेकिन किसी न किसी कंदरा पर चढ़ने की कोशिश, जो एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो कहीं न कहीं पहुँच जायेगा, उसके खाते में भी कोई न कोई चोटी जरूर दर्ज हो जायेगी।

ये जो राजस्व प्राप्ति है, पूंजीगत आय है, वह लक्ष्य बहुत मजबूत लक्ष्य नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, राजकोषीय घाटा 2008–09 में था 18440.96 करोड़ रुपया और इस वर्ष 2009–10 में था 2070.99 करोड़ रुपया और जो पुनरीक्षित अनुमान है, मान्यवर, जो बजट में आपने घाटे का प्राविधान राजकोषीय घाटा दिखाया था, वह 2070.99 करोड़ रुपये दिखाया था और जो एक्चुअल में 2009–10 में घाटा हुआ, वह 3882.15 करोड़। अब जो यह आँकड़ा है माननीय अध्यक्ष जी और इस बार आपने जो राजकोषीय घाटा दिखाया है, 1747.15 करोड़ रुपये दिखाया है। आपने जो इस राजकोषीय घाटे का जो आंकड़ा है, जो पुनरीक्षित अनुमान था, 3882.15 करोड़। इस वर्ष आपने 1747.15 करोड़ दिखाया है और उसकी सफाई आपने दी है। उसकी सफाई में आपने कहा है कि पुनरीक्षित अनुमानों में व्यय के मद में वर्ष, 2009–10 के बजट अनुमान तथा अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित अनुमान बनाये गये है। अतः पुनरीक्षित अनुमानों में वित्तीय वर्ष, 2009–10 के दौरान काफी कमी होने की सम्भावना है, इस कमी के कारण राजकोषीय घाटे में भी काफी कमी होने की सम्भावना है। आपने इस बात को स्वीकार किया है कि वित्तीय–वर्ष का समापन नहीं हुआ है तथा विभागों द्वारा व्यय में समर्पित की गई धनराशि की सूचना बजट बनाने के समय तक वित्त विभाग को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी।

यह जो राजकोषीय घाटे में आपने अन्तर दिखाया है कि राजकोषीय घाटा पुनरीक्षित में 3882.15 करोड़ था और आप इस समय अनुमान लगा रहे हैं, एकदम ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि 3800 करोड़ के कुल घाटे को आप, जो राजकोषीय घाटा है आपका, उस घाटे को 1700 पर ले आयेंगे। यह जो लगभग 2000 करोड़ के राजकोषीय घाटे के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है, सिवाय इस बात के कि वित्त विभाग से पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार हमारे पास जो सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं, वह नहीं हो पाई। जो समर्पित करते हैं विभाग, वह सूचनायें उपलब्ध नहीं हो पाई और इसलिए हमने अनुमानित

1747.15 करोड़ का राजकोषीय घाटा दिखाया है माननीय अध्यक्ष जी, यह खोट है 'निशंक' जी, आपने गुब्बारे में बहुत हवा भरने की कोशिश करी। आप जब गुब्बारे में हवा भर रहे थे तो आपके साथी बड़े जोर–जोर से तालियाँ बजा रहे थे कि 'निशंक' जी, बहुत अच्छी हवा भर रहे हैं।

कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, यह गुब्बारा नहीं, ट्यूब है वह। पक्का काम। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, तो पंचर नहीं होती है क्या ? (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कृषि मंत्री जी, कृषि के क्षेत्र में सदन में दवाओं के बारे में, प्रयोगशाला के बारे में कोई बात हो रही थी। कम्पोस्ट के बारे में परिभाषा पूछ रहे थे, हमारे प्रणव जी, उसमें तो कोई तकनीकी या वैज्ञानिक आधार नहीं दे पा रहे थे।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने चमत्कार की बात कही तो चमत्कार दिखाने का काम तो हमारा है, परेशान क्यों हो रहे हैं। 3800 से 1700 तक लाने की जिम्मेदारी तो हमारी है। (मेजों की थपथपाहट)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य क्यों तालियाँ बजा रहे हैं। (हँसी) ऐसे ही जब माननीय खण्डूड़ी जी ने कहा था। माननीय अध्यक्ष जी, शब्द कुछ असंसदीय हो जायेगा, लेकिन मैं वापस ले लूँगा। (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़े बेशर्म हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कोई असंसदीय हो गया हो तो मैं वापस ले लेता हूँ। मान्यवर, खण्डूड़ी जी जब यहाँ मूछों पर ताव देकर बजट रख रहे थे तो ये बड़ी तालियाँ बजा रहे थे और जब पाँचों लोक सभा की सीटें हार गये तो कहने लगे हमने तो पूरी मेहनत की, हमने नहीं हराया। मदन कौशिक जी कहने लगे हरिद्वार में तो मैंने पूरी मेहनत की थी, डोईवाला में त्रिवेन्द्र जी कहने लगे, हमने पूरी मेहनत की थी लेकिन खण्डूड़ी जी के कारण हम पाँचों सीटें हार गये। इन्होंने मूछों पर ठीक से ताव नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुनसोला जी का हाथ मूछों पर क्यों जा रहा है ?

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मूछों पर जायेगा नहीं, हमारे गुनसोला जी ने अपनी मूंछ पर हाथ फेरते–फेरते, यहाँ के मूछ वालों को लटका दिया और जो जीत गया वह सिकन्दर, हमने तो पांचों पार्लियामेंट सीटें मूछों पर ताव देते–देते, गुनसोला जी ने सीट जीत ली और हमारे खण्डूड़ी जी की मूछों में थोड़ा कमी आ गयी। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मूंछों के लिए बजट की व्यवस्था नहीं है। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मूंछों के लिए बजट में कोई व्यवस्था ही नहीं है। 'निशंक' जी के मूंछ हैं ही नहीं। वे इसमें क्यों प्राविधान करेंगे, (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, एक चमत्कारी ट्यूब की बात माननीय त्रिवेन्द्र रावत जी ने की, वह बात इस सदन में रख दो। इस ट्यूब के बारे में हम पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को बतायेंगे कि हिन्दुस्तान में त्रिवेन्द्र जी ने खोज कर दी कि ट्यूब में पन्चर ही नहीं होती है। (हँसी) ट्यूबलेस तो होती है, वह भी पन्चर होती है। हरक सिंह रावत जैसा विपक्ष का नेता हो तो कैसा भी ट्यूबलेस पन्चर बनाओगे वह भी पन्चर होगी। (हँसी और मेज की थपथपाहट), मान्यवर, इस प्रदेश की जनता के हित में ....

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह जी ने कभी जनता दल की ट्यूब पन्चर की, कभी बसपा की ट्यूब पन्चर की, अब कब कॉंग्रेस की ट्यूब पन्चर करें, इसका पता नहीं। यदि हाँ, तो कब तक ? (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, त्रिवेन्द्र जी, आप भी संयम रखें, अब आपकी भी ट्यूब पन्चर होगी, आपकी सरकार की भी करेंगे, वैसे तो आप बिरादरी भाई हैं, जब मैं सतपुली में जाता हूँ तो आपके बड़े भाई मेरे समर्थक हैं, वो कहते हैं कि मेरा भाई तो कलयुगी लक्ष्मण हो गया है (हँसी) लेकिन वो असली भाई मुझको मानते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मुझको तुम्हारी ट्यूब पन्चर करने की जरूरत न पड़े, लेकिन जरूरत पड़ी तो करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी पीठ थपथपायी जाती है, हमारे कॉंग्रेस शासनकाल में जो वार्षिक योजना वर्ष, 2005–06 की थी वह 2700 करोड़ रुपये की थी और वार्षिक योजना वर्ष, 2006–07 में वृद्धि हुई वह 4000 करोड़ रुपये। माननीय अध्यक्ष जी, यह है 48 प्रतिशत की वृद्धि और आपके शासनकाल में वर्ष, 2008–09 में 4775 करोड़ रुपये और इस समय 5117.38 करोड़ रुपये जो केवल 6.89 प्रतिशत है, शैलेन्द्र जी, नहीं थपथपाओगे क्या, आपका भाई गोला रावत मैंने पिछली बार भी कहा था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शैलेन्द्र भाई को कहना चाहता हूँ कि माँ के पेट से कोई भारतीय जनता पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और यूकेडी के कार्यकर्ता के रूप में पैदा नहीं हुए। हम माँ के पेट से हिन्दुस्तान के नागरिक के रूप में और उत्तराखण्ड के नागरिक के रूप में पैदा हुए हैं। हमारी पहली जिम्मेदारी उत्तराखण्ड के प्रति है, उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी हमारी अपने

राजनैतिक पार्टी के रूप में है, माननीय शैलेन्द्र रावत जी, आपकी जिम्मेदारी भाई की प्रति इतनी नहीं है कि भाई इतनी अच्छी बात कह रहा हैं, आप ताली भी नहीं बजा रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी हास्यास्पद स्थित है कि कर–मुक्त बजट, बड़ा सन्धि–विच्छेद हुआ है, मदन कौशिक जी, आबकारी विभाग वाले क्या जाने की संधि–विच्छेद क्या होता है ? ये तो देशी शराब और अँग्रेजी शराब में विच्छेद कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, क्या कर मुक्त बजट है। आपने जो पेट्रोल, डीजल में छूट दी थी, सब्सिडी दी थी, आपने दो महीने पहले समाप्त कर दिया। सब्सिडी समाप्त कर दी अगर सब्सिडी समाप्त करनी थी तो सदन के सम्मुख खड़े होकर करते कि हमारी मजबूरी है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। दो महीने में कौन सा अकाल आ गया था। इस सदन के सम्मुख घोषणा करके करते। आपने अगर वैट में वृद्धि करनी थी, आपने शासनादेश निकाला कि 1 मार्च से जो 12.5 प्रतिशत वैट था, उसको बढ़ाकर 1 प्रतिशत की वृद्धि करके 13.5 प्रतिशत कर दिया और अधिकांश चीजें।

होली के समय तब एक न्यूज चैनल रिपोर्टर आई और कहा कि भाई साहब, आपकी होली की बाईट चाहिए, मैंने कहा कि किस बात का संदेश दूँ मैं उत्तराखण्ड के लोगों को, उत्तराखण्ड की महिलाओं को। अरे, जो उत्तराखण्ड की महिलाओं पर होली का रंग बढ़ना चाहिए था, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कॉस्मेटिक सामान पर वैट को बढ़ाकर उनके रंग को फीका कर दिया। महिलाओं के चेहरे का जो कॉस्मेटिक सामान होता है, महिलाएँ भूखा रहना पसंद करेंगी, (हँसी) व्रत लेती हैं, क्यों माननीय विधायक आशा जी, और यह बात भी ठीक है और यह बॉयलोजिकल भी है कि महिलाएँ मृदु होती हैं, सरल होती हैं और पुरुषों के मुकाबले। वैसे तो माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी और हमारे कण्डारी जी को भी सुन्दर दिखने का बहुत शौक हैं। (हँसी) अरे भईया, मैं आपका नाम क्या जोड़ूँ, यह कुर्ता पायजामा जब मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करता था, तब भी कुर्ता, पायजामा पहनता था और आज भी कुर्ता पायजामा पहनता हूँ। माननीय 'निशंक' जी, तब कुर्ता पायजामा पहनते थे और आज शेरवानी पहन रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो हेरा–फेरी हुई है, बहुत बड़ी हेरा–फेरी हुई है कि आज बजट सत्र था, बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो गयी थी और यह सदन की भी अवमानना है, लोकतंत्र की हत्या है और माननीय अध्यक्ष जी, आपकी पीठ की भी अवहेलना है कि सरकार सदन की अधिसूचना जारी होने के बाद वैट को बढ़ा देती है 4 प्रतिशत को 4.5 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत को 13.5 प्रतिशत, अरे कर मुक्त क्यों नहीं होगा, कर आपने पहले लगा दिया और मुक्त बाद में कर दिया। ये सुधरने वाले नहीं है अगर सुधरने वाले होते तो 5 पार्लियामेन्ट सीटें न हारते। हमने बहुत सुझाव दिए खण्डूड़ी जी को, नहीं सुधरा और हार गये और मैं कहना चाहता

हूँ मानीय अध्यक्ष जी, मैं महाभारत का सीरियल देख रहा था। मान्यवर, उसके विज्ञापन में आता था कि "मैं समय हूँ"। हम इसी कुर्सी पर खड़े होकर और माननीय खण्डूड़ी जी उस कुर्सी पर बैठे थे, जब हमने बजट में कुछ सुझाव दिये थे, उन्होंने समय को नहीं पहचाना। माननीय अध्यक्ष जी, जब उन्होंने समय को नहीं पहचाना तो समय आगे निकल गया और माननीय खण्डूड़ी जी पीछे छूट गये। माननीय 'निशंक' जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह आंकड़ों की हेर-फेर में पड़ेंगे और और धरातल की सच्चाई को नहीं समझेंगे, समय को नहीं पहचानेंगे तो माननीय खण्डूड़ी जी की तरह समय आगे निकल जायेगा और आप पीछे छूट जायेंगे।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, पहचान लेंगे आपको भी और समय को भी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, दालें, देसी घी, चावल-बासमती, सरसों का तेल, रिफाइण्ड सब पर चार से साढ़े चार प्रतिशत हुआ है और अधिकांश चीजें हैं जो हमारे घरों के किचन से लेकर, हमारी माता-बहनों के ड्रेसिंग रूम की जो सामग्री है उसमें साढ़े बारह प्रतिशत और चार प्रतिशत की इस सरकार ने वृद्धि की है, इस सदन की अवमानना की है, उसकी परिधि में आते हैं। मान्यवर, आय-व्ययक में इनके आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं, यह पैसा कहाँ से आता है, यह इनका चार्ट है, रुपया कहाँ से आता है, यह 45.23 केन्द्र से आता है, इस ग्राफ में जो गहरे रंग में दिखाया गया है, यह केन्द्र सरकार से आता है इसमें आपकी उपलब्धि क्या है ? आपकी उपलब्धि तो खर्च करने में है, खर्च कैसे करते हैं, यह चार्ट आपका है। मान्यवर, विकास के लिए बड़ी-बड़ी बातें होती हैं कि हम यह करेंगे वो करेंगे। माननीय भट्ट जी, वहाँ साथ बैठकर इस लाल बत्ती के चक्कर में तिरंगे झण्डे की गाड़ी के चक्कर में, माननीय 'निशंक' जी के आंकड़ों के हेर-फेर में आप भी आंकड़ेबाज हो जायेंगे और ये तो आंकड़ों में, इनके यहाँ जो सिखा दिया जाता है, वही बोलते हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, सीखने की शुरूआत तो इन्होंने ही की थी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमने सच को सच कहा और हमने कहा कि सच कहना अगर बगावत है साथियों, तो समझ लो कि हम भी बागी हैं। कॉंग्रेस में आतरिक लोकतंत्र है। माननीय अध्यक्ष जी, "जाता कहाँ है," आप इसलिए माननीय 'निशंक' जी ने सोचा कि विकास की बात होगी तो थोड़ा सा रावत जी का ध्यान हट जायेगा, लेकिन चाहे जितनी हँसी-मजाक कर लो, जितनी

टीका–टिप्पणी कर लो, टोका–टाकी कर लो। मान्यवर, लेकिन मुझे जो विषय रखना है, सदन के सम्मुख उसे जरूर रखूँगा। विकास के लिए पिछली बार मैंने कहा था 12.3 प्रतिशत विकास पर खर्च होता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूरे सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष विकास के लिए 11.70 प्रतिशत धन रखा गया है, पूरे बजट का। मान्यवर, यह जो बड़े–बड़े आंकड़े हैं सरप्लस बजट, राजकोषीय, समलेखिक बजट। मान्यवर, इन शब्दों से आम जनता को क्या लेना–देना है, उन्हें तो स्कूल, सड़क, पेयजल, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, उनकी गली पर कितना पैसा खर्च किया जायेगा, से मतलब है।

(सदन में किसी माननीय सदस्य द्वारा पर्ची आ गयी है की बात कहने पर।)

मान्यवर, पर्ची डा0 हरक सिंह रावत की आदत नहीं है, पर्ची में तो सबसे ज्यादा माहिर माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी हैं। (हँसी)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे सहपाठी भी हैं। एक बार इण्टरमीडिएट में इनको भागना पड़ा था, तब मैं इनको घर से घसीट कर लाया था। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इनको यही तो पता नहीं है कि मैं तो महाराजा अग्रसेन इण्टर कॉलेज, मुरादाबाद का छात्र रहा हूँ और ये रहे हैं जवाहरलाल इण्टर कॉलेज के छात्र या एकेश्वर इण्टर कॉलेज के छात्र। माननीय अध्यक्ष जी, हरक सिंह रावत तो जन्मजात नेता था, लेकिन उस समय आप नेता नहीं थे। यदि आप नेता होते तो मुझे जरूर पता होता। मैं तो छात्र राजनीति में था, शिक्षक राजनीति में था। हमने तो गढ़वाल विश्वविद्यालय का आंदोलन किया। कोई राजकीय शिक्षकों का आंदोलन नहीं, कोई उत्तराखण्ड का आंदोलन नहीं। माननीय 'निशंक' जी और माननीय दिवाकर भट्ट जी बैठे हुए हैं। मान्यवर, 1994 को पौढ़ी में उत्तराखण्ड आंदोलन के लिए जब मुलायम सिंह जी की सरकार माननीय भट्ट जी की जान के पीछे पड़ गयी थी तो किसने इनको रात में बचाया था। अपनी कार्यकर्ता की मोटर साईकिल में बैठाकर गाँव में ले गया।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर पिछला वाला भाषण देखें। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर विकास की यही स्थिति रहेगी तो यह प्रदेश के लिए हानिकारक है। जब प्रदेश बना था तो 22 सीटें थी अब 70 विधान सभा

सीटें तो गयी हैं। कर्मचारियों के वेतन–भत्ते बढ़ गये, वे बढ़ने चाहिए थे। लेकिन आम लोग जिनके विकास के लिए पैसा खर्च होना चाहिए, उनकी सुविधा के लिए पैसा खर्च होना चाहिए। जिनका इस राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखण्ड की धरोहर को उत्तराखण्ड बनाये रखने में जिनका योगदान है, उनके विकास पर कितना खर्च कर रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है मान्यवर, मात्र 11.70 प्रतिशत बाकी वेतन–भत्ते, मैं अपने वेतन–भत्ते भी जोड़ रहा हूँ। मान्यवर, टेलीफोन, गाड़ियाँ, (व्यवधान) कार्यकर्ताओं को लाल बत्तियाँ, माननीय अध्यक्ष जी, जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति का यह खाका हो और सदन के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक है और आकड़े बता रहे हैं, धरातल बता रहा है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति जर्जर है। ऐसी स्थिति में आपने अपने कार्यकर्ताओं को, मान्यवर, कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन प्रदेश की जनता की कीमत पर नहीं मिलना चाहिए। प्रदेश की जनता के हितों पर कुठाराघात करते हुए, उनके हितों का शोषण करते हुए, लाल बत्तियाँ नहीं मिलनी चाहिए, सुविधाएं नही बढ़ाई जानी चाहिए।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, 300 से तो कम हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमने गलती की, इसलिए हम यहाँ बैठ गये। (व्यवधान) स्वीकार कर लो, आज सदन के सम्मुख। (मेजों की थपथपाहट) हमें कहने में कोई परहेज नहीं है। हमने प्रदेश की जनता की नजरों में कोई गलतियाँ की होंगी।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम आश्वस्त कर रहे हैं, इनको। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जो गलती कर दी, उसमें सुधार नहीं करेंगे ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, कोई गलती नहीं की।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मत मानिये। 'निशंक' जी, मैं फिर कह रहा हूँ। मत मानो गलती। हमने गलतियाँ की होंगी, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। चाहे हम लाख कहें कि हमने सड़कें बनाई, हमने स्कूल बनाए, हमने पेयजल योजना बनाई, लेकिन कहीं न कहीं जनता की नजरों में हम खरे नहीं उतरे, इसलिए जनता ने हमें

वहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। अगर आप खड़ी आईना नहीं देख रहे हो, (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

डा0 हरक सिंह रावत–

प्रेम चन्द जी, अगर आपके नाम के आगे मुंशी होता तो प्रेम चन्द जी ने जो गोदान आज से. वर्षों पहले लिखा था, वह आज भी ऐसा लगता कि जैसे सच्चाई के करीब है। लेकिन प्रेम चन्द जी, आप तो शरीर से भी, हाव-भाव से भी और बातचीत करने से भी सच के करीब नहीं दिखाई देते। (व्यवधान) भाई के बारे में भाई ही तो बताएगा। इनके घर पर मैंने कई बार रात्रि विश्राम किया है, डोईवाला में। क्यों प्रेम चन्द जी ?

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, आप सच बोल रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपका नमक खाया है, तो सच बोलूँगा कि नहीं ? (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री राजकुमार द्वारा बैठे-बैठे कुछ बोलने पर)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, राजकुमार जी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ? 'निशंक' जी ने कह दिया कि अब गलती नहीं करेंगे। तो इसका मतलब राजकुमार जी को बत्ती नहीं मिलने वाली है। (हँसी) राजकुमार जी, बोलोगे भी तो तब, जब फुल स्टॉप हो गया। पिछले दिसम्बर में बोलते तो अब तक बत्ती मिल भी जाती। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 'निशंक' जी से निवेदन करना चाहता हूँ, (व्यवधान) अपने साथियों की पीड़ा को मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा ? 'निशंक' जी ने घोषणा कर दी कि अब गलती नहीं होगी। इसलिए 'निशंक' जी, एक निवेदन कर रहा हूँ, एक गलती मेरे निवेदन पर आप कर दो। राजकुमार जी बहुत बोल रहे हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, मैंने कहा कि इनकी तरह गलती नहीं करेंगे। इनका अच्छा सुझाव आ रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय नेता प्रतिपक्ष को।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, राजकुमार जी के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। तो मैं इस सदन के सम्मुख आपको धन्यवाद दूँगा।

श्री राजकुमार–

तो क्या आप यहाँ आ जायेंगे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, राजकुमार जी के दिल में हमारे लिये जगह हो या न हो, राजकुमार जी, हमारे दिल में आपके लिये हमेशा जगह है। क्योंकि आपके पिताजी कॉंग्रेसी थे और आज भी कॉंग्रेसी हैं, इसलिये 'आप कहीं भी रहो, लेकिन आपके लिये हमारे दिल में हमेशा जगह रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, क्या स्थिति है; जब 5575 करोड़ की वार्षिक योजना पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हँसते हुये फोटो सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आये थे। इसलिये कि केवल अकेले पं0 नारायण दत्त तिवारी में ही वार्षिक बजट में वृद्धि करने की खूबी नहीं थी, मेरे अन्दर भी है। मान्यवर, इस वार्षिक वृद्धि का क्या हश्र हुआ, 5574 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना थी, लेकिन खर्च कितना किया गया। अरे भैया, रुपया दो, परिव्यय दो, खर्च नहीं करोगे, सड़क नहीं बनेगी, स्कूल नहीं बनेंगे, हॉस्पिटल नहीं बनेंगे तो इस परिव्यय का क्या करना है। सिर्फ अपनी ही पीठ थपथपाते रहो कि शाबाश, बेटा चढ़ चने की झाड़ में। माननीय 'निशंक' जी, क्यों इस प्रदेश को चने की झाड़ में चढ़ा रहे हो ? खर्चा कितना हुआ जानते हैं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से इधर देख सकता हूँ। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

प्रीतम सिंह जी के लिये यहाँ से पूछने की क्या जरूरत पड़ गई आपको।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिये यहाँ देख रहा हूँ, ताकि पूरा विपक्ष मेरे साथ इनको आईना दिखा सके। (व्यवधान) साथ तो आपके भी नहीं है, 28 विधायक खंडूड़ी जी के खिलाफ नहीं गये थे दिल्ली ? हमारी 5 साल सरकार रही और पं0 नारायण दत्त तिवारी पूरे पाँच साल मुख्यमंत्री रहे और आपने चार साल में चार मुख्यमंत्री दिये हैं। तो कौन किसके साथ है, 13 मार्च को मुझे नेता प्रतिपक्ष बने हुये पूरे तीन साल हो गये हैं, तो आपको चिन्ता हो रही है। आप तो एक नेता सदन को पूरे तीन साल नहीं रख पाये। हमने एक भूतपूर्व सैनिक, एक मेजर जनरल आपको दिया था (हँसी) आप लोग एक भूतपूर्व सैनिक, मेजर जनरल का तीन साल सम्मान नहीं कर पाये। तीन साल से पहले ही आपने नेता सदन को कुर्सी से हटाकर, जहाँ पर आज राजकुमार जी बैठे हैं, वहाँ पर बैठने को बाध्य कर दिया। (व्यवधान) मैंने ही कहा था न, तो तुमने भी मान लिया। (हँसी)

माननीय अध्यक्ष जी, एक घंटा हो गया। कल मैं आपको घड़ी दिखाता रहा और आपने, अरे भईया, पिछली बार सवा घंटा बोले थे और इस बार पौने दो घंटा बोले, मैं पिछली बार पौने तीन घंटा बोला हूँ, इस बार पौने पांच घंटा बोलूँगा। (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, अब आपने भी प्रिविलेज दिया न, तो माननीय अध्यक्ष जी, क्या अब मुझको नहीं है प्रिविलेज ? माननीय अध्यक्ष जी, इतना बड़ा गम्भीर विषय है मित्रों, मैं क्योंकि इन सबके दिलों पर साँप न लोटने लगे, इसलिए कुछ हास्य, कुछ माहौल, इन बेचारों के चेहरे मुरझा जाएंगे जब मैं आंकड़ा दूँगा, 28 फरवरी, 2010 का आंकड़ा दूँगा। तो निश्चित रूप से ये बेचारे, प्रेम जी बेचारे अब तक कितने हँस रहे हैं, फिर जब जनता पूछेगी भाई तुमको तो इतना पैसा मिला था, तुम खर्च क्यों नहीं कर पाये अब तक, 28 फरवरी, तक, तब क्या मुँह दिखाएंगे। अब जनता के बीच में भी मुँह नही दिखा पाये और यहाँ भी मैं आंकड़े इतनी जल्दी, इसलिए मैंने थोड़ा हँसी-मजाक का माहौल बनाया। 2183 करोड़, 5574 करोड़ की वार्षिक योजना के विरुद्ध 28 फरवरी, 2010 को कितना खर्च हुआ, प्रतिशत कितना है माननीय अध्यक्ष जी, त्रिवेन्द्र जी, आप बोलो न कितना प्रतिशत है ? मैं तो लाया ही हूँ, मैं तो गणित का विद्यार्थी हूँ, मैं तो कहूँगा ही, मैं तो टू प्लस टू इज इक्वल टू थी नहीं कहूँगा। निश्चित रूप से मैं तो मैथमैटिक्स का स्टूडेंट हूँ, इण्टर मैथमैटिक्स का स्टूडेंट हूँ और वो भी फर्स्ट क्लास हूँ त्रिवेन्द्र जी, आपको बता दूँ। अरे, अगर आप कहोगे तो मार्कशीट दिखा सकता हूँ जो बाहो कर दो।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत-

मान्यवर, आपकी बात का विश्वास है, आप सदन में बोल रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, जब भी विश्वास नहीं करोगे तो सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट होता है, उत्तर प्रदेश बोर्ड का दिया हुआ सर्टिफिकेट है। ये प्रतिशत है 'निशंक' जी, आप माथे को यूँ कर रहे हो, आप तो इतना आजकल आपके चेहरे पर, उम्र मुझसे दो साल बड़ी, निशंक जी, (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, उम्र मुझसे दो साल (व्यवधान) अब आंकड़ा नहीं बदलेगा। मुझसे उम्र में दो साल बड़े हैं, आप इनके माथे पर एक भी कहीं, क्या कहते हैं उसको, झुर्रियाँ, एक भी झुर्री नहीं है। अब यहाँ देखो झुर्रियाँ-झुर्रियाँ पड़ गयीं दिवाकर भाई, आपके चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ गयी संघर्ष करते-करते। माननीय फोनिया जी, ताऊ जी, ताऊ जी, खंडूड़ी जी थे तब तो आप हँसते थे, खूब ठपोरशख हैं, क्या शंख है, कुछ कहते थे न। ताऊ जी के चेहरे पर भी झुर्रियाँ नहीं थी, लेकिन इन्होंने ताऊ जी को यहीं बैठाना चाहिए था, जहाँ हनुमान जी बैठे हैं हमारे और यहाँ बैठे हैं। (हँसी) तो झुर्रियाँ तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी। अरे भईया देखें, दोबारा जब मंत्री पद की शपथ लिये हैं, भगत जी ने, तब से तो ऐसा शान्त हो गये, जब आपने शपथ ली मंत्री पद की, उसमें ये भी शपथ ली कि हाथ यूँ करके बैठोगे सदन के अन्दर।

परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, बोलूँगा तो फिर तुम कहोगे कि बोल रहे हो। झूठ का पुलिया बांध कर इतने बढ़िया ढंग से बोल रहे हैं इनको यह पता नहीं है कि क्या हकीकत है ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अब हकीकत तो जनता बतायेगी। आप अपने आँकड़े देते रहो और हम अपनी बात कहते रहें। जब 2007 में आप वहाँ बैठे थे, हमने 2009 में भी इंतजार किया। अब 2010 है, 2012 फरवरी का भी इंतजार कर लेते हैं। हम तो तुम्हारी ही बात पर कह रहे हैं। माननीय बंशीधर जी, आप उस समय यहाँ होंगे कि नहीं इस सदन के सदस्य, लेकिन मार्च में जब से सदन पुनः 2012 में आहूत होगा तो मैं जरूर याद दिलाऊँगा कि बंशीधर भगत जी ने, अगर आप इस सदन के सदस्य हुए, मेरी शुभकामनाएँ हैं वैसे आपको, मान्यवर, नहीं भी होंगे तो मैं जरूर उल्लेख करूँगा, जिस तरह खण्डूड़ी जी की बात कह रहा हूँ कि समय आगे निकल गया खण्डूड़ी जी पीछे छूट गये, उस दिन मैं फिर कहूँगा कि उस दिन बंशीधर भगत जी ने कहा, खण्डूड़ी जी ने यहाँ खड़े होकर कहा था नेता सदन की कुर्सी पर कि रावत जी, आपको 20 साल लगेंगे विपक्ष से सत्ता पक्ष में आने में। मैंने उस दिन भी कहा था खण्डूड़ी जी, हमें नहीं मालूम कि हमें 20 साल लगेंगे या 40 साल लगेंगे या दो साल लगेंगे या दो महीने लगेंगे, लेकिन यह तय है कि आप लम्बे समय तक यहाँ नहीं रह पाओगे, दो महीने बाद हट गये। माननीय अध्यक्ष जी, यह पतिशत है, आप थक गये क्या ?

श्री अध्यक्ष–

आप जारी रखिये।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो आपका भी ध्यान रखना है। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

धन्यवाद।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप पूरे सदस्यों का ध्यान रखते हैं तो हमारा भी फर्ज है, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, एक सदस्य होने के नाते, आपका भी ध्यान रखें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपका भाषण चालू होते ही सब एस0सी0 चलवा दिये गये हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इतनी गर्मी लगती है क्या ? पंत जी, मुझे नहीं मालूम कि मेरा भाषण इतना हॉट होता है जिससे आपको इतनी ऊर्जा मिल जाती है, आपको ठंडे की जरूरत होती है। मैं इतनी ऊर्जा देने की स्थिति में हूँ, जब ऊर्जा विभाग आयेगा तब मैं कहूँगा प्रदेश में तो अंधेरा है और सरकार में ऊर्जा है, मैं तो चाहूँगा कि निश्चित रूप से आपको इतनी ऊर्जा दूँ, अपने भाषणों से कि

आप उस ऊर्जा का प्रयोग प्रदेश के अंधकार को मिटाने के लिए करें। माननीय अध्यक्ष जी, 39 प्रतिशत थर्ड डिवीजन, 45 प्रतिशत के नीचे थर्ड डिवीजन, 45 से 60 प्रतिशत तक सेकेण्ड डिवीजन और 60 प्रतिशत से ऊपर फर्स्ट डिवीजन और 75 प्रतिशत से ऊपर डिस्टिंक्शन, अब आपको कौन सा रान मिला, आपको बैकबेन्चर मिला।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, लेकिन टायर ही पंचर हो गया, हवा निकल गई। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अमृता जी, आप ठीक कह रही हैं। त्रिवेन्द्र जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये कह रहे थे कि ये ट्यूब ऐसी है, ये पंचर ही नहीं हो सकती, आधे घंटे में पंचर हो गई। हरक सिंह रावत पंचर हो जायेगा तो चल जायेगा क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन सत्ता पक्ष अगर पंचर हो गया तो प्रदेश की गरीब जनता का क्या होगा, प्रदेश के नौजवानों का क्या होगा ? जब शेर लोगों को खा लेगा तब आदमखोर जानवर को, आदमखोर बाघ को मारोगे। तब देखोगे जब लोग भूख से मर जायेंगे और नौजवान बेरोजगारी से मर जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कृषि मंत्री जी, तब अनाज उत्पादन करेंगे, जब लोग मर जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, जिला सैक्टर में बजट में प्राविधान किया आपने 390 करोड़ का, खर्च किया आपने केवल 157 करोड़ रुपये, 46.66 प्रतिशत। जिला योजना में सेकेण्ड आया है, राज्य सेक्टर में फर्स्ट हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम यू0पी0 बोर्ड का एक्जाम देते थे, उसमें 60 प्रतिशत किसी कॉलेज में अगर एक फर्स्ट क्लास आ जाता था तो उस स्कूल का नाम होता था कि तीन लोग फर्स्ट आये राजकीय इण्टर कॉलेज, श्रीनगर में, जयहरीखाल इण्टर कॉलेज में बड़ा नाम होता था। अब आज तो 80 प्रतिशत से नीचे अगर कोई आता है तो स्कूलों में एडमिशन नहीं होता। कौन कह रहा था, फर्स्ट आ गये। शैलेन्द्र जी, एडमीशन होगा। सैन्टजोजफ में 90 प्रतिशत में एडमिशन करा दो। अरे, आज के जमाने में तो सेकेण्ड आना कोई आना हुआ। राज्य सैक्टर में केवल 45 प्रतिशत आप खर्च कर पाये, मतलब सेकेण्ड क्लास के नजदीक हैं। मैं इनका उत्साह बढ़ा रहा था, ये थर्ड-थर्ड सुनकर परेशान थे, इसलिए मैंने सोचा एक बार फर्स्ट कह दूँ इनको। मान्यवर, केन्द्र पोषित योजनाओं, जिसमें बहुत अधिक हल्ला मचाते हैं। आजकल कौन सी रैली हो रही है, जनाक्रोश रैली या आक्रोश रैली। यह किनका आक्रोश है, जिनको लाल बत्ती नहीं मिली है, उनका आक्रोश है या जनता का आक्रोश है। रैली हो रही है आक्रोश रैली, उसमें पुतले फूँके जा रहे हैं। किसके, केन्द्र सरकार के, डा0 मनमोहन सिंह जी के, जो केन्द्र की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पुतले फूँके जा रहे हैं कि केन्द्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। आप केन्द्र सरकार की जो पोषित योजनायें है, आंकड़े देखें, केवल आप 42.23 प्रतिशत केन्द्र सरकार की जो पोषित योजनायें,

उस पर खर्च कर पाये हो। जो बाह्य सहायतित योजनायें हैं, उसका केवल 28.30 प्रतिशत, इसमें तो खर्च भी नहीं आ रहे हो आप। फेल हो गये। सप्लीमैंट्री तो नहीं आती है दिनेश जी, आप वकील हो।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, नहीं आती है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, विभागवार। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कुछ विभागों के आँकड़े रखे हैं, सब रखूँगा तो बहुत समय लगेगा। जलागम है, परिव्ययता यह लाख रुपये में 1719 लाख रुपये, व्यय हुआ 621.13 लाख रुपये। ऊर्जा विभाग, जल विद्युत निगम में, उरेडा में, जो कुल खर्च किया है, 13.81 प्रतिशत किया है। पर्यटन विभाग में कल, मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था तो बड़ी–बड़ी बातें कही जा रही थी। इसमें कोई खर्च ही नही कर पाये। मान्यवर, यह आंकड़े 28 फरवरी तक के हैं। अब यह जरूर कहेंगे माननीय अध्यक्ष जी, 'निशंक' जी, जब खड़े होंगे तो कहेंगे अभी एक महीना है, 28 फरवरी से 31 मार्च तक। उच्च शिक्षा में जीरो प्रतिशत परिव्ययता एक हजार दस करोड़ रुपये, पाँच सौ करोड़ रुपये बजट में प्राविधान था, कोई स्वीकृतियाँ जारी नहीं हो पाई। तकनीकी शिक्षा में जीरो प्रतिशत, एलोपैथिक, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है, उसमें 35.51 प्रतिशत, होम्योपैथिक में 50 प्रतिशत, आयुर्वेदिक में जो आँकड़े हमारे विभागों से लिये हैं, इसमें जीरो प्रतिशत दिखाया गया है, पेयजल में केवल 33 प्रतिशत, नगर निगम में 20 प्रतिशत, श्रमसेवा योजना में 13 प्रतिशत और इसी तरह बहुत सारे विभागों में माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत विभाग हैं, सबका उल्लेख न करना, कुछ विभागों का उल्लेख करके दिखाने की कोशिश की है। माननीय अध्यक्ष जी मेरे बजट भाषण से प्रेम जी पानी पीने चले गये, हम तो चाहते हैं कि केवल प्रेम जी और इस सदन के सदस्य ही पानी नही पीयें, बल्कि इस प्रदेश की जनता भी पानी पीये।

माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण आँकड़ा मैं रखना चाहता हूँ कि प्रदेश के बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नही की, रोजगार व नियुक्तियों को लेकर इस प्रदेश का निर्माण हुआ था, नौजवान के हाथ को काम देने के लिए हमारी क्या कार्य योजना है ? मान्यवर, जो विभागों में रिक्तियाँ हैं, प्रदेश के सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागों में 60062 पद रिक्त हैं, बिक्रीकर विभाग में 1160, विद्यालयी शिक्षा में 24739 पद, कहाँ गये शिक्षा मंत्री जी, नहीं हैं, मुख्यमंत्री जी के विभाग में 4416 पद खाली हैं, होम्योचिकित्सा में 134 पद खाली हैं, चिकित्सा शिक्षा में 422 पद खाली हैं, आयुर्वेदिक शिक्षा में 1169 पद खाली हैं, परिवार कल्याण में 424 पद खाली हैं, महिला सशक्तिकरण की बात सरकार ने की, 3188 पद खाली हैं, श्रम एवं रोजगार में 1326 पद खाली हैं, लोक निर्माण विभाग में 1688 पद खाली हैं, सड़क परिवहन में 425 पद खाली हैं, वानिकी वन जीवन में

2299 पद खाली हैं, पशुपालन में 855 पद खाली हैं, उद्यान विभाग में 800 पद खाली हैं, सिंचाई विभाग में 1953 पद खाली हैं, लगभग 61 हजार पद खाली हैं। अब विरोधाभास है, यदि प्रदेश में पूरे पद भरे गये, मान्यवर, जो सरप्लस की बात कर रहे थे। बजट में कैसा सरप्लस होगा कल्पना कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो पद खाली हैं, उत्तराखण्ड के नौजवानों की तरफ से मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ–

कोई नाराज है हमसे कि हम कुछ कहते नहीं,
कहाँ से लायें वो लफ्ज जो मिलते नहीं,
दर्द की जुबान होती तो बता देते साहिब,
वे जख्म कहाँ से दिखायें जो दिखते नहीं।

यह उत्तराखण्ड के उन हजारों नौजवानों की ओर से, मैं इस सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। मान्यवर, प्रदेश की जनता की ओर से कहना चाहता हूँ दो पंक्तियाँ–

भीड़ की कीमत लगायी जा रही इस तरह, (भीड़ का मतलब प्रदेश की जनता से)
बेवजह की गजल पर वाह–वाह की जा रही इस तरह।

जैसे कल की जा रही थी इस तरह (मेज की थपथपाहट) सबसे ज्यादा कौन कर रहा था, कौशिक जी कैसे कर रहे थे, आज कौशिक जी ने कसम खा रखी है कि आज नहीं बोलूँगा। (हँसी) आज कौशिक जी ने कसम खा रखी है कि नहीं बोलूँगा क्यों दिनेश जी, आपने सुबह कह दिया कि देखते हैं। (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, भीड़ की कीमत लगाई जा रही इस तरह, बेवजह की गजल पर वाह–वाही की जा रही है इस तरह, आज जनता सल्तनत की हिफाजत भी खुद करे, यह उत्तराखण्ड की जनता के लिए कि आज उत्तराखण्ड की हिफाजत भी उत्तराखण्ड की जनता खुद करे, है लुटेरों की यहाँ, त्रिवेन्द्र जी, आप हँस रहे हो और कौशिक जी बड़े गम्भीर हो रहे हैं। मैं कौशिक जी का चेहरा मनोवैज्ञानिक रूप से देख रहा हूँ कि उनके दिल में क्या उथल–पुथल हो रही है।

*आबकारी मंत्री (श्री मदन कौशिक) –

माननीय अध्यक्ष जी, ये मैथमैटिक्स के स्टूडेन्ट हैं या मनोविज्ञान पढ़ते हैं। ये कौन से विषय के स्टूडेन्ट हैं, यह भी तो तय हो जाय, ये जो भी पढ़ते हैं, उसी के स्टूडेन्ट हो जाते हैं। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने विद्यार्थी कहा, मैंने यह कहा कि मैं छात्र रहा हूँ, प्रोफेसर तो नहीं कहा। हाँ, मैं मिलेट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ, दर्शन शास्त्र का, भूगोल का और मिलेट्री साइंस का बी0ए0 का छात्र रहा हूँ, फिजिक्स, कैमेस्ट्री, मैथमैटिक्स, इंग्लिश, हिन्दी का इण्टर का छात्र रहा हूँ। मैंने तो यही कहा कि छात्र रहा हूँ, मैंने यह तो नहीं कहा कि भईया, प्रोफेसर रहा हूँ। (हँसी)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदन कौशिक–

नेता प्रतिपक्ष जी, पीछे से बच कर रहो, ये कहीं न कहीं आपके हितैषी नहीं हैं। पीछे जो प्रीतम सिंह जी और अन्य बैठे हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ है। (हँसी)

डा० हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, लुटेरों को यहाँ शक्लें सिपाही की दी गयीं, सिपाही मतलब सरकार।

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

यह कविता मुझे लगता है पाँच साल पहले की है।

डा० हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, कविता पाँच साल पुरानी हो या पचास साल पुरानी हो, उसका अर्थ आज तात्कालिक है, उसकी विषयवस्तु आज तात्कालिक है। अब 'निशंक' जी यह कहना चाह रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, कि जो उन्होंने 91 से पहले कविताएँ लिखी हैं, मतलब जब आप विधायक बने पहली बार 91 में।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

सारी बात मत बताना 91 की। (हँसी)

डा० हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, टैक्स के बारे में कहना चाहता हूँ। भट्ट जी की ओर से कह दूँ दो पंक्तियाँ। (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, मैं भट्ट जी को भी अर्पित कर रहा हूँ दो पंक्तियाँ, 'कुछ पत्तियाँ गिर गयी होंगी चमन को सींचने में, कुछ पत्तियाँ गिर गयी होंगी, चमन को सींचने में, ये इल्जाम हमारी बेवफाई का है ये इल्जाम हमारी बेवफाई का है, जिन्होंने चमन की हर कली को रौंद डाला, 'निशंक' जी, जिन्होंने चमन की हर कली को रौंद डाला, वही दम भरते हैं चमन की रहनुमाई का।' अरे, हर कली को रौंद डाला, नहीं–नहीं भट्ट जी तो बेचारे अब, यह तो कृषि मंत्री रौंद रहे हैं। (हँसी) अब मैंने कहा क्योंकि बहुत हो गया। मान्यवर, लोग कहेंगे कि रावत–रावतों की राशि नहीं मिलती है, इसलिए मैंने जानबूझकर माननीय भट्ट जी को कहा कि रौंदने का काम माननीय रावत जी आप ही कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, बारात घरों पर जिसको हम वेडिंग कहते हैं।

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे उत्तराखण्ड में बड़े भाई का नाम नहीं लेते हैं। मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं बड़ा भाई हूँ और मेरा नाम लिया है।

डा० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने बड़े भाई का नाम नहीं लिया, मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी का नाम लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम बड़े भाई का नाम लें, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है। माननीय कण्डारी जी, आप समझते क्यों नहीं है, यह माननीय श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी हम दोनों भाईयों में लड़ाई कराना चाहते हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं दो पंक्ति कहना चाहता हूँ–

सैर करने हम चले थे, सैर करने हम चले थे, दिल में कुछ अरमान थे,

सैर करने हम चले थे, दिल में कुछ अरमान थे,

इधर झाड़ियाँ थी, उधर शमशान थे, हड्डी टकराई, उसके ये बयाँ थे,

ए चलने वाले जरा संभल कर चल, कभी हम भी इंसान थे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, बहुत अच्छा कहा, माननीय कण्डारी जी के इस रंग को जिस रंग में दिख रहे हैं तो यह कहावत की पंक्ति हमने भी माननीय कण्डारी जी के लिए लिखी थी। माननीय अध्यक्ष जी,

सिमट कर बिखरते हुए, सिमट कर बिखरते हुए,
जिंदगी के यह रंग बड़े अजीब होते हैं,
सिमट कर बिखरते हुए, जिंदगी के यह रंग बड़े अजीब होते हैं,
जो बिखरते हुये, होली के त्यौहार में बिखरते हैं,
तो जब बिखरते हैं तो बड़े सुकून दे जाते हैं,
जिंदगी के ये रंग बड़े अजीब होते हैं,
जो बिखरते हुये सुकून देते तो है
और हम चाहते हैं कि ये रंग यूँ ही जिंदगी में बिखरे रहें,
यह रंग यूँ ही जिंदगी में बिखरे रहें।

माननीय कण्डारी जी, आप समाज कल्याण मंत्री जी हैं, इसलिए ये पंक्ति मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ–

बिखरे रहें लेकिन कुछ जीवन जो निराश हैं, वृद्धा–विकलांग, विधवायें,
लेकिन ये जो जीवन निराश हैं, बदरंग हैं, इन्हें भी तो रंगों की आस है,
क्यों न उस निराश जीवन में रंगों का बिखराव भर दें, एक आस भर दें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, वह तो कर ही रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपने पंक्ति कही है, इसलिए मैंने इन पंक्तियों के माध्यम से गरीबों की पीड़ा, उन विधवाओं की पीड़ा आप तक पहुँचाई है, इन रंगों के माध्यम से, आगे कहेंगे कि कितना कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो 4 बजकर 25 मिनट हुआ है, अभी तो पूरा नहीं कहा है, यदि विपक्ष के लोग

कहेंगे तो शार्ट कर देंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के कहने से शार्ट नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने, जो बारात घर हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में वेडिंग प्वाइंट कहते हैं। माननीय भण्डारी जी, आपने तीनों पुत्रों की शादी कर दी है। हमारी बेटियों की भी शादी हो गयी। मैंने हमारी कहा है, अब आप मुझे यह न कहना कि आप नाम लेते हो। वह आपकी बेटियाँ हैं, हमारी भी बेटियाँ हैं। अब आपको तो वेडिंग प्वाइंट की जरूरत नहीं है। अब जब नाती–पोतों की शादी होगी, तब जरूरत पड़ेगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, वेडिंग प्वाइंट की जरूरत आपको भी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी बेटी की शादी करनी है और मुझे भी वेडिंग प्वाइंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे भी अपनी बेटी की शादी करनी है। हम पर तो मेहरबानी कर दो। हमने अभी अपने बच्चों की शादियाँ करनी हैं। आपने वेडिंग प्वाइंटों पर एक लाख रु0 का आबकारी कर लगा दिया है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सूचना गलत है। केवल जो एक दिन के लिए आबकारी का लाईसेंस लेंगे, उनको रजिस्ट्रेशन पहले कराना पड़ेगा। आबकारी का लाईसेंस उन्ही को मिलेगा, जो हमारे आबकारी विभाग में रजिस्टर्ड होंगे। उसकी फीस एक लाख रु0 है। जो आबकारी विभाग में रजिस्टर्ड होंगे, एक दिन के लिए जो आबकारी का लाईसेंस लेंगे, यह कोई टैक्स नहीं है। (व्यवधान) जो एक दिन के लिए लाईसेंस लेते हैं, पूरे साल में हर शादी पर वे लाईसेंस लेते रहते हैं। इसलिए हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन पहले करा दो। एक दिन की फीस तो एक हजार रु0 है। फीस ज्यादा नहीं है। उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। (व्यवधान) जो बार की लाईसेंस फीस थी, वह साढ़े चार लाख रु0 थी। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बारात घर की बात कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, बारात घर जो बार का लाईसेंस लेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यह उनके लिए है। यह बार के लिए है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह व्यवस्था पहले भी थी। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने मात्र बार के लिए लगाया है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, बारात घर में आप बार क्यों खोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक--

माननीय अध्यक्ष जी, पहले जो वन डे के लिए लेता था, अब यदि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो, उसे नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़--

माननीय अध्यक्ष जी, यदि किसी बारात घर में शादी रोज होती है तो रोज लाईसेंस लेगा तो वह रोज बार चलायेगा ? (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक--

माननीय अध्यक्ष जी, जब बारात घर में शादी होगी, तभी तो वह लाईसेंस लेगा। (व्यवधान) आपको क्या दिक्कत है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, दिक्कत क्यों नहीं है। यह कैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या आप यह चाहते हो कि हमारी बहू-बेटियों की शादियों में बारात घर शराब खाने बने। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक--

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार ऐसा नहीं चाहती है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने यह व्यवस्था क्यो की है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" --

श्रीमन्, पहले नेता प्रतिपक्ष अपना भाषण पूरा कर लें, इसके बाद जवाब हम दे देंगे।

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे जो बिन्दु मैं रख रहा हूँ, इनको माननीय मुख्यमंत्री जी नोट कर रहे हैं, अधिकारी नोट कर रहे हैं। जैसे कल जब माननीय मुख्यमंत्री जी बजट भाषण पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारे बिन्दुओं पर हमारी आपत्ति थी, लेकिन हम बीच में नहीं बोले। हमने भाषण को सुना। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, सम्पत्ति कर जो सात प्रतिशत था, उसको आपने एक प्रतिशत घटाया और छः प्रतिशत किया अर्थात् स्टाम्प ड्यूटी ....। अब माननीय अध्यक्ष जी, जब सर्किल रेट जो 80 हजार बीघा जमीन थी और जब वह जमीन 4 लाख बीघा हो गयी। मान्यवर, जब जमीन की कीमत 80 हजार रू0 बीघा थी तो मान्यवर, सर्किल रेट 80 हजार रुपये के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी

7 प्रतिशत पड़ती थी। अब जब 4 लाख रुपये बीघा जमीन की कीमत हो गयी तो आपने केवल एक प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी घटाई है। क्योंकि सर्किल रेट में आपने चौगुना, पाँच गुना वृद्धि की है। जब सर्किल रेट में आपने वृद्धि की है, तो जो व्यक्ति जमीन खरीदेगा, तो उसको स्टाम्प ड्यूटी, जैसा आपने कहा और थपथपाया कि हमने स्टाम्प ड्यूटी 7 प्रतिशत से 6 प्रतिशत कर दी, अचल सम्पत्ति के क्रय करने पर, तो आपने कौन सा उपकार कर दिया ? आपने स्टाम्प ड्यूटी एक प्रतिशत घटाई और सर्किल रेट कुछ जगह आपने दस गुना, सौ गुना, दो सौ गुना बढ़ा दिया। तो जो व्यक्ति जमीन खरीद रहा है, स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत कम करने से उसकी जेब से कम पैसा नहीं गया। अगर दो सौ प्रतिशत की वृद्धि सर्किल रेट में हुई है तो भी उसकी जेब से 195 प्रतिशत से अधिक रुपया स्टाम्प ड्यूटी में खर्च हुआ। आपने कौन सा काम कर दिया ? आपने प्रदेश की जनता को गुमराह किया कि हमने स्टाम्प ड्यूटी कम कर दी।

माननीय अध्यक्ष जी, आबकारी में पिछले वर्ष 596.21 करोड़ का बजट था, इस वर्ष 686 करोड़ रखा है। मैंने पिछली बार भी इस सदन के सम्मुख कहा था कि अगर हम आबकारी नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हमें फायदा नहीं होगा। आबकारी में मैं टैक्स नहीं मिलेंगे और हमको घाटा होगा। घाटे का मतलब यह नहीं कि पिछले लक्ष्य के मुकाबले घाटा होगा। जितना हमको अर्जित करना चाहिए था, उसमें घाटा होगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार भी मैंने कहा था कि जब आप आबकारी पॉलिसी बनाएँ, तो जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल है, हरियाणा है, चण्डीगढ़ है, पंजाब है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, इनकी आबकारी नीति को देख कर अपने प्रदेश की आबकारी नीति निर्धारित करें। उनके यहाँ जो ब्रांड बिक रहे हैं, हम अगर उनमें अपने टैक्स कम कर दें, अर्थशास्त्र में कहते हैं, अगर टैक्स कम होगा, बिक्री अधिक होगी तो आमदनी अधिक होगी। यह बहुत सीधा फॉर्मूला है, फाइनेंस का, वित्त विभाग का। यदि आप अपनी शराब को सस्ती करेंगे तो शराब अधिक बिकेगी।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात कहना चाहूँगा, पिछले वर्ष हमने बियर सस्ती की थी तो हमारे माननीय मित्रों ने सारे प्रदेश में आन्दोलन चला दिया कि यह सरकार सस्ती शराब देकर, इस प्रदेश की जनता को शराब पिलाना चाह रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, हर एक प्वाइंट का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वक्तव्य में हर बात का जवाब देंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या विरोधाभास हो रहा है, शराब की तस्करी को रोकने के लिए आपने उड़न दस्ते बनाये हैं। क्राईम बढ़ रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि कोटद्वार में बिल्कुल जो हमारी सीमा है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश ने आबकारी का ठेका खोल रखा है। कोटद्वार की दुकान तो घाटे में रहती है और

हमारा सारा टैक्स जो उत्तराखण्ड को मिलना चाहिए था, वह टैक्स उत्तर प्रदेश में जा रहा है। क्योंकि उनकी दुकान में वही ब्रांड सस्ता है। हमारी कोटद्वार की दुकान में महंगा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो तस्करी हो रही है, जो पूरे उत्तराखण्ड में क्राईम का सबसे बड़ा कारण है, वह शराब की तस्करी है। आज अगर आप शराब चण्डीगढ़ के मुकाबले सस्ती कर दें, हरियाणा, पंजाब के मुकाबले सस्ती कर दें, हिमाचल के मुकाबले सस्ती कर दें, उत्तर प्रदेश के मुकाबले सस्ती कर दें, तो यदि लोगों को यहाँ पर सस्ती शराब मिलेगी तो वे तस्करों से महंगी शराब क्यों खरीदेंगे ? इससे हमको टैक्स भी मिलेगा और जो तस्करी होती है, वह भी नहीं होगी और अपराध भी नहीं होंगे। जो गिरोहबंदी होती है, अगर एक–दूसरे के क्षेत्र में शराब तस्कर सप्लाई करने लगते हैं तो उससे खून–खराबा होता है। अभी बीरोंखाल में खून हुये हैं और रिखणीखाल में हुये हैं, अगर आप पिछले 15–20 साल में देख लें तो जितने भी खून और हत्यायें हुई हैं, उनमें कहीं न कहीं शराब तस्करों की भूमिका संदिग्ध रही है। मैंने इस बात को पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कहना चाहता हूँ कि हमको अपनी आबकारी नीति बनानी होगी। (व्यवधान) मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार ऐसी आबकारी नीति बनाये जो जनोपयोगी हो, प्रदेश की जनता के हित में हो, राजस्व के हित में हो और ऐसा भी सन्देश न जाय कि हम प्रदेश में पीने के पानी की बजाय शराब बहा रहे हैं।

मान्यवर, कल माननीय मुख्यमंत्री जी नागरिक उड्डयन की बात कर रहे थे, इसके लिये बजट में आपने कितना प्रावधान किया है। तमाम हवाई पट्टियों के निर्माण की बात हुई, कहा गया कि पर्यटन के लिये हम हवाई पट्टियों का निर्माण करेंगे। चिन्यालीसौड़ की बात भी हुई, पिछले चुनाव में मैं गौचर गया था, जब हम वहाँ पर हैलीकॉप्टर उतारने लगे, तो वहाँ पर गाय–भैंसे चर रही थीं। फिर हम कुछ देर तक हैलीकॉप्टर को घुमाते रहे और हमारे कार्यकर्ताओं ने उन गाय-भैंसों को हवाई पट्टी से दूर भगाया, तब हमारा हैलीकॉप्टर लैण्ड हुआ।

श्री शहजाद–

मान्यवर, वहाँ पर गाय थी या गौ थी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, गाय बोलें या गौ बोलें, एक ही बात है। गौ माता भी कहा जाता है, (व्यवधान) मान्यवर, हम तो सभी को माता कहने के लिये तैयार हैं।

श्री शहजाद–

मान्यवर, एक–दो को छोड़ दें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप 'निशंक' जी से पूछ लीजियेगा कि किन को छोड़ना है।

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक' –

मान्यवर, यह भाभी का इतना अपमान न करें।

डा० हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो महिला का रूप है, पत्नी जब माँ की तरह मार्गदर्शन करती हैं तो वह माँ का रूप होती है। जब वह बहन की तरह सुरक्षा देने की बात करती है, तो यह बहन का रूप होती है और, जब हम उसकी गलती पर उसको डांटते हैं, तो वह बेटी का रूप होती है। मान्यवर, पत्नी तो हर रूप में है, अब माँ का रूप लिख लो 'निशंक' जी। (हँसी)

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं नागरिक उड्डयन विभाग के बजट को देख रहा था तो उसमें लिखा था कि पर्यटन गतिविधियों के लिये यह करेंगे, वह करेंगे और बजट में कितना प्राविधान किया है, मात्र 15.62 करोड़ रुपये, अब इसमें क्या पर्यटन और क्या नागरिक उड्डयन होगा। नागरिकों का उड्डयन तो नहीं होगा, नागरिक ऊपर उड़ जायेंगे, आपकी नीति ऐसी है कि हम हवा में तो नहीं उड़ेंगे, लेकिन सरकार की ऐसी नीतियों से प्रदेश की जनता सचमुच इस धरती से न उड़ जाये। तो माननीय 'निशंक' जी, कम से कम प्रदेश के लोगों की विदाई का तो इंतजाम न करो। मान्यवर, आज हम जॉलीग्रान्ट जाते हैं मान्यवर, कब से एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया। सड़क, फोर लेन सड़क की बात हुई। मैं रोज अखबार में पढ़ता हूँ फोर लेन सड़क स्वीकृत हो गयी, बनने वाली है। मैं रोज जब जॉलीग्रान्ट जाता हूँ, कभी हॉस्पिटल जाता हूँ, कभी एयरपोर्ट जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आज एक–आध मजदूर काम करते हुए दिखाई दें। वन विभाग की अनुमति, अब सरकार क्या सब विभागों को बैठा के वन विभाग को, उड्डयन विभाग को, पी०डब्ल्यू०डी० को बैठाकर क्या इतनी इच्छाशक्ति नहीं है सरकार की अरे, ये तो कुम्भ मेले से पहले जॉलीग्रान्ट का विस्तार होना चाहिए था, जॉलीग्रान्ट को सड़क से जोड़ने का काम होना चाहिए था। कुंभ मेले के पैसे से आप काम करवा देते। आप के पास पैसे की कमी थी, आपने नहीं किया। मैं ऊर्जा को देख रहा था, 'निशंक' जी, जब आपने शपथ ली थी तो मैंने पहला बयान आपका पढ़ा था, क्या कहा था, मैं सही हूँ, 'निशंक' जी ने यही कहा था कि 24 घंटे बिजली मिलेगी।

काजी मो० निजामुद्दीन–

एक दिन में थोड़ा ही कहा था।

डा० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अच्छा जैसे एक दिन में 72 हजार लोगों को मिली है, वैसे ही एक महीने में 24 घंटे बिजली मिलेगी। (व्यवधान) अच्छा ये बात सही है माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने शब्दों को वापस ले रहा हूँ। अगर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा

था कि एक महीने के अंदर या कितने घंटों में, कितने दिनों में कहा था। (व्यवधान) दो दिन में 24 घंटे बिजली मिलेगी। अगर ये कहा था तब तो ठीक है, ये बात सच है कि एक दिन में 12 घंटे और दिन मिलाकर 48 घंटों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। जैसे हमारे माननीय सदस्य जी कह रहे हैं, निजामुद्दीन जी कह रहे हैं, दो ही दिन कहा था निजामुद्दीन जी।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मैंने तो पूरा नहीं पढ़ा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, ये तो आप कन्फर्म हो कि एक दिन से अधिक दिन कहा था। दो दिन, एक के बाद दो ही होता है। अब कहाँ गयी वो बिजली, कहाँ गयी बिजली। बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं नौटियाल जी, आप अपनी राखी को खुजला रहे हो, जब ऊर्जा की बात आ रही है, खुजली हो रही है। बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, और बिजली गायब। अरे 'निशंक' जी, आपने और हमने लालटेन में पढ़ा है 'निशंक' जी, उस समय आपके गाँव में बिजली आ गयी थी, जब आप पढ़ते थे छोटी क्लास में, बिजली तो नहीं थी आपके गाँव में, आ गयी थी। हाँ बोलो या न बोलो।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सभी बातों का जवाब आयेगा।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" –

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं सोचता हूँ क्योंकि समय भी काफी हो गया। सवाल-जवाब होते रहेंगे तो यहाँ पहले सब उत्तर अभी पाने शुरू कर देंगे तो बाद में क्या उत्तर देंगे। इसलिए अच्छा होगा कि बिन्दुओं पर चर्चा करें, हम उसका उत्तर देंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने भी और अगर उनके गाँव में बिजली उस समय आ गयी थी तो मैं डा0 शिवानन्द नौटियाल जी का इस सदन के माध्यम से बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि माननीय 'निशंक' जी के जैसे पिछड़े गाँव में आज से 35 साल पहले बिजली लाने का उन्होंने काम किया है तो मैं स्व0 शिवानन्द नौटियाल जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे गाँव में माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री बना 91 में, तब मेरे गाँव का विद्युतीकरण हुआ। तो मैंने हाईस्कूल तक की शिक्षा........ मान्यवर, मैं तो कहता हूँ, मैंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी मात्र इस उत्तराखण्ड के प्रति है, भारत के

प्रति हैं, पार्टी के प्रति नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, हमने उत्तराखण्ड की जनता के लिए दल बदले, हमने उत्तराखण्ड के लिए किया, हमने चम्पावत जिले का निर्माण किया, बागेश्वर जिले का निर्माण किया, रुद्रप्रयाग जिले का निर्माण किया, सात तहसीलों का निर्माण करवाया। अगर हमने दल बदले तो वह उत्तराखण्ड की जनता के हित में बदले हैं।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो काफी दल बाकी हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड की जनता के हित में हमने दल बदले, तो उत्तराखण्ड की जनता के हित में कॉंग्रेस के माध्यम से उत्तराखण्ड की जनता की भलाई के लिए हम काम करेंगे। मैं कल्याण सिंह के शब्द नहीं कह रहा हूँ जो कहते थे कि मेरी अर्थी भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे जायेगी। मैं बघेला जी के .... (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" –

माननीय अध्यक्ष जी, अच्छा होगा कि जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम यहां नहीं लिया जाय।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं वापस ले रहा हूँ, जिस पर आपत्ति होगी हम तो दो कदम पीछे हटेंगे, खुला व्यवहार होना चाहिए और खुला दिल होना चाहिए। ऊर्जा विभाग 10 घंटे बिजली गायब, 12 घंटे बिजली गायब। मैं अभी कुमाऊँ के दौरे पर था, मैं पिथौरागढ़ में गया, इतना सुन्दर पिथौरागढ़, जब मैं 9 बजे रात को पहुँचा, मुझे ताज्जुब हुआ कि ऐसा मातम क्यों छा गया, मयूख जी साथ थे। मैं एक गवाह भी साथ ले गया था, इस सदन के एक सदस्य को साथ लेकर गया था, वहाँ अंधेरा छाया हुआ था, अब जब संसदीय कार्य मंत्री जी के जिले के हैड क्वार्टर में .... (व्यवधान) कुत्ते भौंक रहे थे, पंत जी के क्षेत्र में (हँसी) निभाओ–निभाओ ऐसी भी क्या दुश्मनी है भगत जी, अगर उन्होंने पहली बार में शपथ ले ली और आप शपथ लेने से छूट गये तो दुश्मनी निभाओगे क्या ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं तो एक बात पूछ रहा था कि अंधेरे में आपको सुन्दरता कैसे दिख रही थी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा, मैंने कहा कि पिथौरागढ़ जैसा सुन्दर क्षेत्र अंधेरे के कारण ऐसा लग रहा था कि मातम छा गया। शहजाद जी, अंधेरे में

इतना खूबसूरत क्षेत्र, मैं चुफाल जी के क्षेत्र से होकर गया था। मैं थल, बेरीनाग में जनसभायें करते हुए निकला था। बागेश्वर से चौकोड़ी होते हुए थल, बेरीनाग और जगह-जगह होते हुए गया, थल के बाद अंधेरा हो गया था, पिथौरागढ़ जाते-जाते तो अंधेरा हो गया था, तो मैंने लोगों से कहा कि यहाँ बिजली नहीं है, तो कहने लगे बिजली तो है, मैंने कहा इस समय की बात नहीं कह रहा हूँ, विद्युतीकरण हुआ कि नहीं, खम्भे लगे कि नहीं लगे, तार हैं कि नहीं हैं, तो उन्होंने कहा, भाई साहब, दिखाई दे रहे हैं या नहीं। तो मैंने कहा, जब लाईट हो तो दिखाई देंगे, अंधेरे में खम्भे भी नहीं दिखाई दे रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, शपथ के बाद जो आपने घोषणा की थी कि 24 घंटे बिजली देंगे, पेयजल पर भी आऊँगा जब पेयजल की बात करूँगा, क्या हुआ उस घोषणा का ? माननीय कोनिया जी चले गये। जब आप शुरू-शुरू में मुख्यमंत्री बने थे जुलाई में, उन्होंने कहा था, 'निशंक' जी, ढपोरशंख बोला कि गपोड़शंख बोला था। क्या बोला था उन्होंने (हँसी)। हाँ, गपोड़शंख उन्होंने कहा 'निशंक' जी, आप सचमुच के शंख बनना, गपोड़शंख मत बनना। बोला तो उन्होंने मुझे था लेकिन सुना आप को रहे थे। लेकिन आपकी उस घोषणा का क्या हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ आज प्रदेश की जनता कह रही है कि 'निशंक' जी, आप की उस घोषणा का क्या हुआ ? क्या वह घोषणा केवल गपोड़शंख की तरह तो नहीं थी।

गाँव के विद्युतीकरण की बात आपने कही 950 मेगावाट, 3180 मेगावाट बिजली स्थापित है, उत्पादन हो रहा है, यूनिट स्थापित हो गई। 950 आवंटित हो गई। 2000 की हम सम्भावित और करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ जब आप कह रहे हैं कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में चमत्कार कर रहे हैं तो फिर गाँव को बिजली क्यों नहीं मिल रही है, शहरों को बिजली क्यों नहीं मिल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन में माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद अपनी बात को रखें तो उनको यह भी उल्लेख करना चाहिए कि हमारा उत्पादन, उस उत्पादन से क्या मतलब जो भारत सरकार को या दूसरे प्रदेश को चला जाता है। हमारी माँग कितनी है ? और उत्पादन जो हमारे हिस्से में है, जिसे हम खर्च कर सकते हैं, वह कितना हमको मिल रहा है, तभी तो स्थिति स्पष्ट हो पायेगी कि ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हमारा उत्पादन, जो हमारा इस समय साढ़े बारह प्रतिशत, जो तेरह प्रतिशत हो गया जो हमारे हिस्से की बिजली है वह हमको कितनी मिल रही है और हमारी आवश्यकता कितनी है और अगर हमको अधिक मिल रही है तो बिजली का संकट क्यों है ? गाँव के विद्युतीकरण का लक्ष्य, ग्रामों को तोकों का लक्ष्य रखा गया। लेकिन मैं आपके आँकड़े पढ़ रहा था कि इस वर्ष कितने गाँवों का विद्युतीकरण करेंगे ? आपका यह लक्ष्य कभी 2009 का लक्ष्य था। अमृता जी, आप ऊर्जा मंत्री रही हैं, पहले यह लक्ष्य कब का था। पूर्व ऊर्जा मंत्री जी बता रही हैं कि पहले 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य था। अब 2010 का आ गया।

सिंचाई मंत्री जी चले गये। अब 473.86 करोड़ की इन्होंने व्यवस्था की है। अब यह व्यवस्था इतनी कम है, नहरों की संख्या इन्होंने दी है, 2400 नहरें,

918 नलकूपें। अब माननीय अध्यक्ष जी, नहरों की संख्या तो दी है लेकिन इन नहरों में पानी कितनी नहरों में चल रहा है। नहरों की संख्या से प्रदेश की जनता को क्या लाभ ? जब पानी नहीं है नहरें टूट गई, उनकी मरम्मत के लिए पैसा नहीं है, नलकूप बंद पड़े है। लघु सिंचाई की हालत क्या है, पहले भी मैं सदन के सम्मुख कह चुका हूँ, जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। एक अवसर पर मैं दौरे पर गया, तो वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है ओर लघु सिंचाई की गूलें बना दी। मैंने इंजीनियर से कहा भैया, तुमने नहर बना दी, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, आधा इंच पानी नहीं है और तुम यहाँ नहर बना रहे हो तो उन्होंने बताया कि साहब, विश्व बैंक का पैसा है। अरे, विश्व बैंक का पैसा क्या बर्बाद करने के लिए है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, यह छः साल पहले की बात है।

डा0 हरक सिंह रावत–

नहीं, मैंने यही कहा था।

श्री बंशीधर भगत–

यहां कब कहा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, पेयजल पर सिर्फ 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, पन्त जी, आप इतने कम बजट पर भी मुस्कुरा रहे हो, आपके जैसा कठोर दिल का आदमी हमें दिखायी नहीं दे रहा है। मान्यवर, पूरा प्रदेश पानी की बूंद के लिए तरस रहा हो, अभी मैंने खण्डूड़ी जी के विधान सभा क्षेत्र का दौरा किया। नैनीडाँडा व रिखीणीखाल का, फरवरी के माह में लोग 10–10 किलोमीटर दूर सड़कों से जीपों में पानी ला रहे हैं, जून–जुलाई में क्या स्थित होगी ? मान्यवर, कॉंग्रेस के शासनकाल में जो पम्पिंग योजना स्वीकृत हुई थी, गैरसगढ़ी, बीरोंखाल, खिर्सू में इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में और हर विधायक के विधान सभा क्षेत्र में पम्पिंग योजना स्वीकृत हुई थी। मान्यवर, तीन साल हो गये एक भी पम्पिंग योजना में काम शुरू नहीं हो पाया, कहाँ गयी वे योजनाएँ। क्या यह सरकार का लक्ष्य प्रदेश के लोगों को पानी पीने का नहीं है ? क्या सरकार अपने मूल कर्तव्य से विमुख होना चाहती है ?

मान्यवर, स्वैप के तहत जो योजनाएँ बनायी जा रही हैं, उसमें गाँव के लोगों का कोई सहयोग नहीं हो रहा है, जिस रूप में मिलना चाहिए था और अधिकांश योजनाएं लम्बित पड़ी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश की पेयजल के लिए और सवाल के माध्यम से भी इस सदन के सम्मुख विषय आया था कि कितने गाँव में पानी पीने की किल्लत की सम्भावना भविष्य में है, भीषण गर्मियों में उनके पीने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

और अल्मोड़ा के पेयजल की समस्या पर सरकार ने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन का जो कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद आश्वासन मिला उस पर आज तक क्या हुआ ?

मान्यवर, जो वर्ष, 2008–09 में सड़कों में बजट में व्यवस्था थी, वह 1056.25 करोड़ रुपये की थी इस साल उसे घटाकर 1001 करोड़ 80 लाख रुपये कर दी, सड़कों की कीमत प्रति किलोमीटर बढ़ रही है। आज सड़कों के बजट में आपने जो प्राविधान परिव्यय के लिए परिलक्षित किया है, उसको आप घटा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में सौतेला व्यवहार हो रहा है, एक भी किलोमीटर सड़क नहीं दी जा रही है, लैंसडोन के क्षेत्र की जनता ने, बहादराबाद क्षेत्र की जनता ने, मंगलौर क्षेत्र की जनता ने, लक्सर की जनता ने यह सोचकर वोट दिया था कि कौन सरकार बनेगी, उन्होंने अपने विधायक को विकास के लिए चुना था, लैंसडोन के क्षेत्र में, बहादराबाद क्षेत्र में, मंगलौर क्षेत्र में, पिथौरागढ़ में अगर कोई सड़क बनेगी तो कॉंग्रेस, यूकेडी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर नहीं चलेंगे, मान्यवर, उसका उपयोग आमजन करेंगे इस प्रकार से सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। यह सौतेला व्यवहार विपक्ष के साथ नहीं हो रहा है, प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है, यह कैसा अन्याय हो रहा है

माननीय अध्यक्ष जी, औद्योगिक विकास की बात कहना चाहता हूँ। मैं संकल्प देख रहा था कि सदन के सम्मुख संकल्प रखने का काम सरकार की ओर से हो रहा है, बजट में कितनी व्यवस्था आपने की है। 59.81 करोड़ की आपने व्यवस्था की है, आप एक तरफ औद्योगिक पैकेज बढ़ाना चाहते हैं 31 मार्च, 2010 से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2013 तक हमारा अधिकार है और 20 तक हम कोशिश कर रहे हैं, औद्योगिक पैकेज बढ़ाने से क्या फायदा होगा ? जब हम उसके लिए वातावरण, प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रदेश में बिजली उद्योगों को नहीं मिलेगी, यातायात, पेयजल की सुविधाएँ फैक्ट्रियों को नहीं मिलेगी, औद्योगिक क्षेत्रों को नहीं मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा, बंधुआ मजदूरों की तरह मिलेगा, माननीय अध्यक्ष जी, वह तो जिस दिन संकल्प आयेगा हम कहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसी नये औद्योगिक क्षेत्र के विकास की कोई योजना नहीं है, लघु औद्योगिक क्षेत्र के विकास की कोई योजना नहीं है, यह प्रावधान बजट में नहीं किया गया, हम लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में लघु औद्योगिक क्षेत्र का विकास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया गया।

शहरी विकास में माननीय अध्यक्ष जी, 473 करोड़ का प्रावधान किया गया है, नगरपालिकाओं की स्थिति क्या है, उन्हें अपने कर्मचारियों के वेतन देने के लाले पड़े हुए हैं, सफाई कर्मचारियों की स्थिति क्या है ? जो नगरपालिका पहले 2 हजार की जनसंख्या की थी, नगर पंचायत 5 हजार जनसंख्या की थी, तब सफाई कर्मचारी अगर 5 थे और आज अगर उसकी जनसंख्या 20 हजार हो गयी और सफाई कर्मचारियों की संख्या 5 ही रही, यह विरोधाभास कैसे ? इस दिशा में क्यों नहीं कोई ठोस योजना बजट के माध्यम से की गयी ? माननीय अध्यक्ष जी, गंगा स्पर्श की बात हुई, अगर गंगा में सीवर लाईन आयेगी,

गंदे नाले उसमें जायेंगे, चाहे वे ऋषिकेश हो, चाहे वह हरिद्वार हो, माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी हरिद्वार के दौरे पर गया था, मैंने स्वयं देखा है, बहुत सारे गंदे नाले जो ट्रीटमेन्ट प्लॉन के नाम पर पाईपों में तो डाले गये लेकिन आगे चलकर नदी में खुले छोड़ दिये गये, अगर सीवर लाईन की व्यवस्था गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक जो कस्बे पड़ते हैं, नहीं होगी, बद्रीनाथ से लेकर हमारी जो छोटी-छोटी नदियाँ हैं, जो गंगा, यमुना में मिलती हैं, इनके आस-पास के जो कस्बे हैं, जो शहर हैं अगर वहाँ सीवर लाईन की व्यवस्था नहीं होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यह गंगा स्पर्श जिसको आप गंगा सागर से शुरू करना चाहते हो, मैं इस सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि ये गंगा की सफाई, गंगा स्पर्श आप गंगोत्री से करें, बद्रीनाथ से करें, गंगा सागर के तट से करें।

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही एक घंटे तक के लिए, 5.00 बजे तक के लिए बढ़ाता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत-

कुम्भ मेले के लिए माननीय अध्यक्ष जी, 565 करोड़ रु0 की आपने बात की है। माननीय प्रणव जी, बड़े 80 प्रतिशत स्थायी कार्यों की बात हुयी, हम कौशिक जी के घर के लिए, मान्यवर, एक दिन मैंने अखबारों में पढ़ा कि जो पुल बन रहा था, वह बनने से पहले मायापुर में टूट गया, क्या 80 परसेण्ट स्थाई कार्य इस तरह से हुये। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह हरिद्वार के लिए बाई पास सड़क बन सकती थी कुम्भ मेले के पैसे से, जिस तरह स्थाई व्यवस्था हो सकती थी, केवल कुम्भ मेले में चूना डालने के अलावा, मिट्टी को इधर से उधर करने के अलावा, इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्लॉस्टिक की कुर्सी 250 रुपये में मिलती है, उसके लिए 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 600 रुपये का किराया भुगतान किया गया, जो टिन ढाई सौ रुपये की थी, उसका 400 रुपया किराया दिया जा रहा है, यह कैसा स्थाई है, कैसी नीति है, ईंट किराये पर ली जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर टिनें खरीदी जाती उस पैसे से तो कुम्भ मेला समाप्त होने के बाद 14 अप्रैल के बाद हम इण्टर कॉलेजों के भवन बनाने के लिए, गौशाला बनाने के लिए तमाम विकास के कामों में उन टीनों और ईंटों का प्रयोग कर सकते थे, जिनको किराये पर लिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, समाज कल्याण विभाग में बहुत बुरी स्थिति है, पिछले 3 वर्षों से हम विधवा-विकलांग, वृद्धा पेंशन के लिए कह रहे हैं कि 400 रुपया है, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था कि 400 रुपये को 600 रुपया किया गया, केवल विकलांगों के लिए, लेकिन वृद्ध-विधवा जिनको 1-2 साल से पेंशन नहीं मिली है, कुछ ब्लॉकों में 6 महीने और कुछ में 2-2 साल हो गये हैं।

मान्यवर, इस महंगाई के समय में सरकार कह सकती है कि यह केन्द्र सरकार की योजना है, क्या यह उत्तरदायित्व इस प्रदेश सरकार का नहीं है कि प्रदेश के वृद्ध, विधवा, विकलांगो के लिए यह सरकार कम से कम ढाई हजार पेंशन की व्यवस्था करने का काम करे, लेकिन इन असहाय लोगों की पीड़ा को, इन असहाय लोगों के आँसूओं को पोंछने का काम इस सरकार ने नहीं किया है, इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, जो बी0पी0एल0 के सर्वे में, अन्त्योदय के सर्वे में, जो लोग छूट गये हैं, अगर उन बी0पी0एल0 परिवारों को, अन्त्योदय परिवारों को केन्द्र सरकार के द्वारा सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जाता है। गेहूँ, चावल, चीनी, केरोसीन उपलब्ध कराया जाता है, उनको इन्दिरा आवास उपलब्ध कराया जाता है तो ग्राम विकास अधिकारी की गलती से, ग्राम प्रधान की गलती से कोई परिवार बी0पी0एल0 की लिस्ट में सम्मिलित नही हो पाया, ऐसे पूरे प्रदेश में कितने परिवार होंगे, 100 परिवार, एक हजार, 10 हजार या 50 हजार परिवार होंगे जिनको बी0पी0एल0 के और अन्त्योदय की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया, तो क्या प्रदेश सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है कि अगर केन्द्र सरकार 5 लाख गरीब बी0पी0एल0 और अन्त्योदय परिवारों को इन्दिरा आवास, सस्ता राशन उपलब्ध कराता है तो क्या यह प्रदेश सरकार सब्सिडी रेट देकर बी0पी0एल0 और अन्त्योदय के द्वारा जो चिन्हित नहीं किये गये, उन परिवारों को सस्ता अनाज और आवास उपलब्ध नहीं करा सकती है। मान्यवर, महिला सशक्तिकरण में 95 ब्लॉक में 47 इन्होंने की है, 9664 आंगनबाड़ी केन्द्र की बात की है, उन आंगनबाड़ी केन्द्रों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनका वेतन इतना न्यूनतम है जो केन्द्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, प्रदेश सरकार अपना धर्म इसमें नहीं निभा पा रही है, बजट की व्यवस्था भी केवल 296 करोड़ की है, माननीय अध्यक्ष जी, जो पर्याप्त नहीं है।

कृषि के क्षेत्र में केवल 278 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, जौं, मडुँवा, जिस खेती को कम पानी पर भी पैदा कर हम प्राथमिकता दे सकते हैं और जिसकी माँग न केवल देश में, बल्कि दुनिया में बढ़ रही है डाईबिटीज और तमाम तरह की ऐसी बीमारियों के लिए जो फायदेमंद है और जो ऊबड़–खाबड़ खेतों पर भी हो सकती है। ऐसी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसी कार्ययोजना का बजट में प्राविधान नहीं किया गया है। किसानों के लिए खाद में सब्सिडी, मान्यवर, बीज का मामला इस सदन के सम्मुख आया कि डोईवाला में बीज दिया गया और वह घास उत्पादित हो गया, इस तरह का बीज न दिया जाय। मान्यवर, इस तरह के उत्तम किस्म के बीज अच्छी खादें, जैविक खादों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई व्यवस्था बजट में नहीं की गयी है गन्ना विकास मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। 10 करोड़ 39 लाख की व्यवस्था मात्र बजट में की गयी है। गन्ने की उत्पादन की क्षमता घट रही है, जहाँ 15 हजार है0 गन्ने की खेती में से 13 हजार है0 खेती रह गयी है। यह

विषय इस सदन के सम्मुख आ गया है। मान्यवर, जो गन्ने की खेती का है0 कम हो रहा है, यह पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। जहाँ चीनी की कीमतें बाजार में बढ़ी हैं, लेकिन किसानों को जो गन्ने का भाव दिया जाना चाहिए था, वह भाव नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, उद्यान विभाग के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि इसके लिए 87.34 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है, जोकि मैं सोचता हूँ कि बहुत ही कम है। मान्यवर, फलों के उत्पादन के लिए, उसे व्यवसायीकरण करने के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए किसी कार्ययोजना का उल्लेख इस बजट में नहीं किया गया है। मान्यवर, पुष्पों की खेती के लिए भी कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। मैं अभी एक समाचार-पत्र में देख रहा था कि अच्छे मौसम के कारण हमारे प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में फूलों की खेती हो गयी कि किसानों को वह फूल अपने जानवरों को खिलाने के लिए बाध्य होना पड़ा। मान्यवर, फूलों की खेती के लिए कोई एयर कंडीशन संचालित वाहनों की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गयी है, जिससे कि इसकी मार्केटिंग हो सके। जबकि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी।

मान्यवर, चिकित्सा की बात करना चाहता हूँ, इसके लिए 668.78 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है। 108 की बात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी है। मुझे गोवा जाने का अवसर मिला था, मुझे हिमाचल में जाने का अवसर मिला, मुझे कर्नाटक में जाने का अवसर मिला। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह सकता हूँ, यह भारत सरकार की योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे यह प्रदेश सरकार की कार्य योजना है। चूंकि जो 108 एंबुलेंस है, उसमें लिखा हुआ है, भले यह छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, आपने लिखा है "भारत सरकार ग्राम राष्ट्र मिशन के तहत पोषित योजना है"। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर यह केन्द्र सरकार की योजना नहीं है तो यदि यहाँ पर यह 108 है तो हिमाचल में यह 108 क्यों नहीं हुई। क्या वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने संचार विभाग से बात करके 108 नम्बर ही क्यों लिया। गोवा में यह 110 क्यों नहीं हो गयी। अन्य प्रदेशों की सरकारें कोई और नम्बर ले सकती थीं। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह योजना केन्द्र सरकार की योजना है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमन्त्री जी कहते हैं कभी न्यूज चैनल खोला और कोई भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी का सुनो तो उनका सम्बोधन होता है जो गाँव में पैदा हुआ है, जो पिनानी में पैदा हुआ हो, उसका जन्म स्थान पिनानी है। जो देहरादून के खुडबुड़ा, देहरादून में पैदा हुआ हो उसका जन्म स्थान खुडबुड़ा, देहरादून है, मान्यवर, जो 108 में पैदा हुआ, वह बच्चा पूछता है कि माँ, मेरा जन्म स्थान कौन सा है, तो माँ कहती है कि तेरा जन्म स्थान 108 है।

मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी का ऑपरेशन जॉलीग्रांट हॉस्पिटल में हो रहा था, पड़ोस के बैड पर एक हार्ट पेशेंट था। उसने कहा रावत जी, इस

108 की वजह से मुझे दुबारा अटैक पड़ गया। (हँसी) मैंने कहा ऐसी कौन सी बात हो गयी ? 'निशंक' जी तो कह रहे हैं, 108 जीवनदायिनी है। मान्यवर, वह विकास नगर का परिवार था। उन्होंने कहा, जब हमने 108 को विकास नगर बुलाया, तो हम उसमें लेटकर देहरादून की तरफ आए। तो उसने झाझरा में हाथ खड़े कर दिये कि मेरी सीमा खत्म हो गयी, जो निर्धारित 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की सीमा है, वह समाप्त हो गयी। अब झाझरा में कोई हार्ट हॉस्पिटल नहीं था। उन्होंने बहुत खुशामद करी उसकी, कि हार्ट पेशेंट है, अटैक पड़ा हुआ है, आप जॉलीग्रांट तक या दून हॉस्पिटल तक या सी0एम0आई0 तक ले जाने का काम करो। उसने कहा, भई मैं तो नहीं ले जा सकता। उसने हाथ खड़े कर दिये। उसे 108 से उतार कर, उनको एक जीप की व्यवस्था करनी पड़ी। उस व्यक्ति को दूसरा अटैक डलवा दिया 'निशंक' जी, आपकी 108 ने।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, अभी तो आप कह रहे थे, हमारी 108, अब 'निशंक' जी की हो गयी ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जो आप संचालित कर रहे हो। हम तो दे रहे हैं लेकिन संचालन, मैनेजमेंट आपका है और कैसा मैनेजमेंट आपका है ? (व्यवधान) सही बात निकली है। दाता हम हैं, दाता केन्द्र की कॉंग्रेस सरकार है लेकिन प्रबन्ध तंत्र आपका है।

*श्री खड़क सिंह बोहरा–

मान्यवर, कॉंग्रेस शासित राज्यों में कहीं नहीं है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए कहना चाहता हूँ। बेहड़ साहब बैठे हैं। मान्यवर, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का कोई उल्लेख इसमें नहीं है। मैं अभी चमोली के दौरे पर गया था। माननीय अध्यक्ष जी, यह स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है कि पूरे चमोली जिले में एक भी फिजीशियन नहीं था। पूरे एक साल से चमोली जिले में एक भी फिजीशियन नहीं है। केवल गोपेश्वर में नहीं, गैरसैंण में नहीं, कर्णप्रयाग में नहीं, नन्द प्रयाग में नहीं, जोशीमठ में नहीं, बद्रीनाथ में नहीं, पोखरी ब्लॉक में नहीं, दसौली ब्लॉक में नहीं, पूरे चमोली जिले में एक भी फिजीशियन नहीं। यह स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है माननीय अध्यक्ष जी, सतपुली में हमारी सरकार के शासनकाल में हॉस्पिटल बना, मैंने आपसे भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निवेदन किया कि सड़क के चौड़ीकरण के कारण जो नया भवन बना है, वह क्षतिग्रस्त होने वाला है। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। यह स्थिति केवल सतपुली की नहीं है, यह स्थिति केवल चकराता की नहीं है, यह स्थिति केवल यमुनोत्री और बीरोंखाल की नहीं है, बहादराबाद की नहीं है, भगवानपुर की नहीं है, लालढांग की नहीं है, पौढी की नहीं है, डोईवाला की नहीं है, गैरसैंण की नहीं है, कोटद्वार की नहीं है, रुड़की की नहीं है, बागेश्वर की नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, खुड़बुड़ा की भी यही स्थिति है, जहाँ आपका निवास स्थान है पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जर्जर हालत है जर्जर शब्द-प्रयोग कर रहा हूँ। आज अगर हमारे लिए कोई सबसे बड़ी चुनौती है, तो वह इस प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की चुनौती है। कैसा चल रहा है, आयुष ?

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के लिये कहना चाहता हूँ कि आपने शिक्षा के लिये 2617.70 करोड़ की व्यवस्था की है एक तरफ भारत सरकार शिक्षा का अधिकार कानून बना रही है, सर्व शिक्षा अभियान चला रही है। पहले आठवीं तक चलाया, अब मिडिल में भी चलने जा रहा है और दूसरी तरफ आप एक किलोमीटर, तीन किलोमीटर पर, 10 से कम बच्चों पर स्कूल को समाप्त करना और 25 बच्चों पर विलीनीकरण करना आप चला रहे हो। मैं अभी पिथौरागढ़ गया था और चमोली जिले के दौरे पर लोगों ने मुझसे कहा था कि रावत जी, चूँकि गाँवों के इन स्कूलों में अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। जब 10 बच्चे या 25 बच्चों वाले स्कूल बंद हो जायेंगे, तो पर्वतीय क्षेत्रों में 3 किलोमीटर का जंगली रास्ता होता है। हमारे ज्यादातर पुरुष बाहर नौकरियों में होते हैं, हमारी मातायें, बहनें और बेटियां ही गाँवों में रहती हैं। वहाँ पर शहरों की तरह नहीं होता है कि हम अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और लेने जायें। गाँव में यह होता है कि चाहे 4 साल का बच्चा हो, चाहे पाँच साल का बच्चा हो, वह अपने आप स्कूल जाता है। मैं स्वयं 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करके पाँचवी क्लास तक स्कूल गया हूँ, स्व० हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के गाँव देवलगढ छठी से आठवीं तक पढ़ने गया हूँ। लगभग 10 किलोमीटर के जंगली रास्ते से होकर मैं जाता था, जब यह स्कूल बंद हो जायेंगे, 3 किलोमीटर का जंगली रास्ता है, माँ उनको छोड़ने जा नहीं सकती है, क्योंकि उसके पास घर के तमाम काम होते हैं। मान्यवर, नतीजा यह निकला कि इन स्कूलों के बन्द होने के कारण 90 प्रतिशत गरीब और अनुसूचित जाति के बच्चे शिक्षा से वंचित हो गये और विशेषकर लड़कियाँ शिक्षा से वंचित हो गयी।

मान्यवर, एक तरफ भारत सरकार की रोजगार गारन्टी योजना और एक किलोमीटर पर शिक्षा देने की भारत सरकार की यह योजना। इस प्रदेश के अन्दर भी एक किलोमीटर के भीतर शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को होना चाहिये। मान्यवर, मुझे यह भी कहते हुये शर्म आ रही है कि सरकार ने शिक्षा विभाग में ट्रांसफर का उद्योग खोल दिया है। हम लोग उत्तर प्रदेश में

इंजीनियर, आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 के ट्रांसफर उद्योग की बात करते थे, लेकिन इस सरकार ने यहाँ पर शिक्षा विभाग में भी ट्रांसफर उद्योग खोल दिया है। मैं देख रहा हूँ, फरवरी का महीना है, बोर्ड के इम्तहान की तैयारियां चल रहीं थी, सिलेबस को टीचर्स पूरा करते हुये अन्तिम अध्याय की ओर चल पड़े थे और सरकार ने ट्रांसफर की लिस्टें निकाल दीं। कुछ लिस्टें मुख्यमंत्री जी के सिफारिश पर आई, कुछ शिक्षा मंत्री की सिफारिश पर आई, मान्यवर, यह क्या स्थिति है, ट्रांसफर उसका फरवरी में हो रहा है, आदेश में लिखा जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा के बाद 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग होगी। मान्यवर, जिस टीचर को यह पता चल गया कि उसकी इस विद्यालय से विदाई हो रही है, दूसरी जगह उसका ट्रांसफर होना है। उसने मन लगाकर उस विद्यालय में जो उसकी जिम्मेदारी थी, सिलेबस पूरा करना था, उसने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। जिस स्कूल में उसका ट्रांसफर किया गया, चूंकि वह उस स्कूल में जा नहीं पाया, इसलिये वहाँ भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाया। आपने यह कैसा ट्रांसफर उद्योग शिक्षा विभाग में बना दिया है, यह निश्चित रूप से पीड़ा की बात है।

मान्यवर, आपने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 170.27 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। संविदा शिक्षकों के भरोसे उच्च शिक्षा चल रही है, आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ संविदा शिक्षकों के भरोसे हमारी उच्च शिक्षा की व्यवस्था चल रही है सतपुली में हमारा डिग्री कॉलेज है, बीरोंखाल, नरेन्द्रनगर, चकराता में हमारे डिग्री कॉलेज हैं। हम इन विद्यालयों में प्रिंसीपल से टीचरों के बारे में पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि हमारे यहाँ तीन टीचर हैं और तीनों संविदा पर हैं, फिजिक्स और कैमेस्ट्री के टीचर नहीं हैं। उच्च शिक्षा को संविदा शिक्षकों के भरोसे चलाकर आप कौन सी उच्च शिक्षा की बात करते हैं। मान्यवर, आज दून विश्वविद्यालय बना था। यह निर्णय हुआ था कि यह जे0एन0यू0 और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह उच्च शिक्षा के उच्च सोपानों को छुएगा। लेकिन कैसे उच्च सोपानों तक उच्च शिक्षा को दून विश्वविद्यालय ने पहुँचाने का काम किया है, आप अच्छी तरह से दून विश्वविद्यालय की स्थिति को समझ सकते हैं।

मान्यवर, तकनीकी शिक्षा के लिये आपने 101.28 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, 27 और 37 पॉलीटेक्निक की बात आपने की है मान्यवर, अभी सतपुली में हमारा नया पॉलीटेक्निक खुला था, वहाँ पर पीने के पानी के लिये भी मुझे चार लाख रुपये विधायक निधि से देना पड़ा, उनकी प्रयोगशाला बनाने के लिये टिन शेड बनाने के लिये भी विधायक निधि से मुझे धन देना पड़ा। तीन सालों के बाद भी, पहले यह पॉलीटेक्निक श्रीनगर में संचालित होता था, अब सतपुली में संचालित हुआ है। मान्यवर, लेकिन उसके बावजूद भी इतने वर्षों के बाद वो अपना भवन नहीं बना पाया है तमाम पॉलीटेक्निक, जो 37 पॉलीटेक्निक

का उल्लेख सरकार ने किया है, इनमें अधिकांश पॉलीटेक्निक में हम ऊँची तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं, जब इन पॉलीटेक्निकों में हमारे टीचर्स नहीं हैं, वहाँ कोई प्रोफेसर नहीं है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कहना चाहता हूँ कि निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के समय डोनेशन लिया जा रहा है, अधिक फीस ली जा रही है। ये निश्चित रूप से सदन के सम्मुख मैं पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ उन अभिभावकों की, जो गरीब हैं, उनके बच्चे मेधावी हैं, किन्हीं कारणों से अगर वो इंट्रेंस एग्जामिनेशन में मुख्य सूची में नहीं आ पाये, लेकिन अपने बच्चे को तकनीकी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन उन बच्चों के सामने प्रवेश के लिए डोनेशन के नाम पर, इंजीनियरिंग कॉलेज के विकास के नाम पर, चाहे देहरादून के अन्दर हों, चाहे हल्द्वानी में हों, चाहे हरिद्वार के इंजीनियरिंग कॉलेजों से ऐसी धनराशि वसूल की जाती है कि निश्चित रूप से उससे हमारे उत्तराखण्ड के गरीब और जो कर्मचारी भाई हैं, जो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उनके सामने एक धर्म संकट की स्थिति बन गयी है।

(माननीय सदस्य के कुछ बोलने पर)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतनी तेजी से रेल को ले जा रहा हूँ, मैं इतनी तेजी से ले जा रहा हूँ कि अगर आप डिस्टर्ब करोगे पंत जी तो और दो घंटा सुनना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मानव संसाधन मंत्री जी का, भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने उत्तराखण्ड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्वीकृति दी है, एन0आई0टी0 की स्वीकृति दी है, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, मैं इस सम्बन्ध में 'निशंक' जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से भारत सरकार और 'निशंक' जी के सहयोग से जो पौड़ी जनपद में इस एन0आई0टी0 की स्थापना के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि सचमुच जो सपना उस समय दून विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित करने का हमने सोचा था, ये एन0आई0टी0 हमारा निश्चित रूप से उन सोपानों को, उन ऊँचाईयों को छुए कि जिस तरह हम आई0आई0टी0, रुड़की, आई0आई0टी0, कानपुर, आई0आई0टी0, खड़गवासला, आई0आई0टी0, दिल्ली का मुकाबला करने में हमारे ये इंस्टीट्यट के मुकाबले हमारा सिलेबस हो, उसके मुकाबले में हमारी फैकल्टी हो, उस रूप में हमारा ये टैक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट आगे बढ़ सके, ये उम्मीद मैं करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, खेल के लिए प्रीतम सिंह जी, आप स्वयं कह रहे थे कि खेल का स्टेडियम बंद करने की बात हो रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आई0एम0ए0 के लिए तो निश्चित रूप से प्रयास हो रहे हैं और हम केन्द्र सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट देने की घोषणा हमारे प्रदेश में की है, उसके लिए

भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सरकार से उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी इसके लिए भी सार्थक कदम उठाये जाएं। खेल के क्षेत्र में केवल आपने 10 करोड़ 08 लाख की व्यवस्था की है और माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए मैं सोचता हूँ कि 10 करोड़ ऊँट के मुँह में जीरे की स्थिति है, यह बहुत कम की स्थिति है। देहरादून में एक स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए और उसके लिए आपको प्रयास करने चाहिए। कॉंग्रेस के शासनकाल में इस तरह की व्यवस्था हुई थी, लेकिन वो कदम जो आगे बढ़ने चाहिए थे, इस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पाये।

गृह विभाग के मामले में माननीय अध्यक्ष जी, आपने 566 करोड़ की व्यवस्था की है और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि आज मैं देख रहा था, पूरा आपका बजट भाषण देख रहा था आपने उसमें उल्लेख किया, आपने उसमें कहा कि हम पुलिस का आधुनिकीकरण करेंगे, वायरलेस सेट देंगे, नये वाहन देंगे, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप किस तरह आधुनिकीकरण करना चाहते हो कि जब कालाढूंगी थाना जल रहा था तो हमारी सरकार, हमारी पुलिस हताश होकर देख रही थी। वो कहते हैं कि रोम जल रहा था, नीरो बंशी बजा रहा था। ये कैसा पुलिस का आधुनिकीकरण हो रहा है, क्या हम एक अपने थाने को नहीं बचा पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ हमारे पुलिस विभाग को, हम कहते हैं मित्र पुलिस, मित्र पुलिस की बात हम करते हैं, लेकिन कैसी मित्र पुलिस है, रणबीर हत्याकांड के कारण और तमाम जो घटनाएं हुई हैं, मान्यवर, चाहे ट्रैफिक के सिपाही की वर्दी को फाड़ने को लेकर हुआ, चाहे हरिद्वार में बहुगुणा, सब इंस्पेक्टर की आँख फोड़ी गयी हो, चाहे हरिद्वार में थाने पर कुछ भगवाधारियों का आक्रमण हो, ये तमाम जो घटनायें हुई हैं, इसने जहाँ पुलिस के मनोबल को नीचे गिराया है, वहीं हमारी पुलिस की स्थिति बड़ी दयनीय बन गयी। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि अमन चैन पैदा करना, भाई-चारा पैदा करना, कानून की रक्षा करना, सरकार की पहली जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाने में सरकार किसी न किसी रूप में पीछे रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं राजस्व विभाग की बात करना चाहता हूँ, इसमें केवल 120 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया। कल भी चर्चा हुई थी पटवारियों की हड़ताल दो साल से चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़े सदन के सम्मुख रखे जाते हैं कि हत्यायें घट रही हैं, चोरियाँ घट रही हैं, घटेंगी क्यों नहीं, उत्तराखण्ड के 60 प्रतिशत हिस्से पर ये केवल हिन्दुस्तान के अन्दर उत्तराखण्ड केवल एक ऐसा प्रदेश है, जिसमें राजस्व पुलिस कर्मचारी पिछले दो वर्षों से जो हमारे पटवारी हैं, वह हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। मैंने जुलाई के महीने में भी सदन के

सम्मुख इस विषय को उठाया था, माननीय खण्डूड़ी जी ने मुझसे लॉबी में कहा कि रावत जी, मुझसे गलती हो गयी कि मैं अपने समय इस हड़ताल को समाप्त नहीं करवा पाया, आपने बहुत महत्वपूर्ण मामले को उठाया है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर पटवारी हड़ताल पर रहेंगे जो गाँव के गरीब हैं, विधवायें हैं, विकलांग हैं, कोई आपस में झगड़ा हो जाता है, वह मुकदमा लिखाना चाहते हैं तो वह न्याय की आशा किससे करेंगे, कौन उसका मुकदमा लिखेगा, नायब तहसीलदार अकेले तहसील में होता है, कोई गरीब तहसील तक जा नहीं सकता और नायब तहसीलदार हर मुकदमा लिख नहीं सकता, इसलिए जो मुकदमों की संख्या है जो मुकदमें लिखे नहीं जा रहे हैं, गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, पटवारी भर्ती कब हुई थी ?

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं गणेश जी की बात का जवाब इसलिए नहीं दूंगा, मैंने मुँह खोल दिया तो बड़ा कड़वाहट का वातावरण बना जायेगा, इसलिए मैं कोई शब्द व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है, गणेश जी, आपने जो सवाल किया है। (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह पुलिस का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उसी तरह राजस्व पुलिस का भी आधुनिकीकरण होना चाहिए। मैंने अपने समय में पटवारी चौकियों का निर्माण करने का निर्णय लिया था, उसके लिए भारत सरकार से धनराशि लाये थे, उस दिशा में पटवारी चौकियों का निर्माण, दूसरे चरण में कानूनगो चौकियों का निर्माण, हर तहसील में पटवारी के हाथ पर वायरलैस सैट की व्यवस्था, इस तरह की जब तक व्यवस्था नहीं होगी, जब तक हम जो कानून व्यवस्था का राज प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं, वह राज स्थापित नहीं हो पायेगा, क्योंकि अगर हम 40 प्रतिशत सिविल पुलिस का आधुनिकीकरण करना चाहेंगे, राजस्व पुलिस का आधुनिकीकरण नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो न्याय की आशा गरीब को है वह न्याय उसे नहीं मिल पायेगा, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस दिशा में कदम उठाये जाने चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपदा प्रबन्धन के लिए 180.60 करोड़ की व्यवस्था की गई, मैं एक निवेदन सभी विधायकों की ओर से करना चाहता हूँ, विशेषकर विपक्ष के विधायकों की ओर से कि आपदा प्रबन्धन में पहले विधायकों की संस्तुति पर धनराशि स्वीकृत होती थी, लेकिन कुछ समय से डी0एम0 की मर्जी पर यह निर्णय छोड़ दिया गया, जहाँ हम विपक्ष के विधायक हैं, जिलाधिकारी जहाँ आवश्यक समझते हैं उन विधायकों से संस्तुतियाँ ले लेते हैं और जहाँ नहीं समझते हैं विधायकों से संस्तुतियाँ नहीं लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह एक धनराशि 25 25 लाख या 50 लाख निश्चित हो

जाय, क्योंकि निश्चित रूप से हर विधान सभा क्षेत्र में इतना नुकसान तो हो ही जाता है बारिश के कारण, भूस्खलन के कारण, 25 लाख या 50 लाख की धनराशि हर विधान सभा क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन के तहत आवश्यकता पड़ेगी। निश्चित रूप से जहाँ कोई बड़ी घटना हो जाती है ऐसे क्षेत्रों के लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था का प्राविधान होना चाहिए। लेकिन एक न्यूनतम आप भले ही 25 लाख कर दें, 30 लाख कर दें, मान्यवर, विधायकों की संस्तुति में 50 लाख और किसी क्षेत्र विशेष में कोई बड़ी घटना होगी तो उसके लिए अलग से प्राविधान की व्यवस्था प्रदेश के स्तर पर की जायेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम्य विकास के लिए 517 करोड़ की व्यवस्था की गई है, यह बहुत कम धनराशि है क्योंकि गाँव का विकास इसी धनराशि से होगा। गाँव में नालियाँ बनेंगी, मार्ग बनेंगे, पंचायत भवन बनेंगे। वैसे तो ग्राम्य विकास की अधिकांश योजना केन्द्र पोषित होती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्राम्य विकास की योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार को भी अपने स्तर पर अपने स्रोतों से अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। विधायक निधि में आपने माननीय अध्यक्ष जी, 2 करोड़ का प्राविधान आपने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए किया है लेकिन यह धनराशि क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह विकास की योजनाओं में सीमेंट की कीमत, सरिया की कीमत बढ़ी है, जिस तरह मजदूरी बढ़ी है, जिस तरह रेत बजरी की कीमत बढ़ी है, उससे माननीय अध्यक्ष जी, 2 करोड़ की धनराशि विधायक निधि की बहुत कम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि पिछले हमारे निवेदन पर सभी विधायकों के निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डेढ़ करोड़ से दो करोड़ किया गया और मैं इस बार फिर आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के सम्मुख अपनी बात को रखेंगे तो निश्चित रूप से इस उम्मीद के साथ कि इसको कम से कम वैसे तो पाँच करोड़ की धनराशि की जाए अगर पाँच करोड़ करना सम्भव न हो तो न्यूनतम तीन करोड़। मैं सोचता हूँ इस पर विचार करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन के विकास के मामले में बहुत लम्बी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ लेकिन जिस तरह माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन के विकास पर केवल 85 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मैं सोचता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत कम है क्योंकि हमारा प्रदेश पर्यटन प्रदेश है, धार्मिक प्रदेश है।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि पर्यटन के क्षेत्र में हम चाहे जितने पुरस्कारों की बात करें, हमारी सरकार के समय में भी बड़े-बड़े पुरस्कारों की बात हुई। हमको देश में और विदेशों में पुरस्कार मिले, इस सरकार में भी देख रहा हूँ कि पुरस्कारों की बात हो रही है कि हमको पुरस्कार मिल रहे हैं। हमको पुरस्कारों की आवश्यकता नहीं है। हम सचमुच पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ें क्योंकि हमने कोई नये पर्यटन स्थलों का

विकास इन दस वर्षों में नहीं किया है चाहे मसूरी हो, नैनीताल हो, चौखुटिया हो, चाहे बैरीनाग हो, पौड़ी हो या चाहे लैंसडाऊन हो। यह जो हमारे तमाम धार्मिक स्थल हैं या पर्यटक स्थल हैं जो पूर्व से निर्धारित हैं। कुछ अंग्रेजों के समय में अपनी ख्याति अर्जित कर चुके हैं, उस समय पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित किये गये और कुछ आजादी के बाद विकसित किये गये, उन्हीं क्षेत्रों का विकास किया गया है। लेकिन इन दस वर्षों में हम चाहे जितनी बातें करें लेकिन पर्यटन के दृष्टिकोण से हमने 10 कदम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम नहीं किया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हमको एक नियोजन करना पड़ेगा। मैंने उत्तर प्रदेश की विधान सभा में 25 अगस्त, 1994 को अपने सम्बोधन में कहा था कि अगर उचित नेतृत्व प्रदेश को मिलगा, उत्तराखण्ड को उचित नियोजन होगा संसाधनों का, उचित दोहन के बजाए उचित विकास होगा तो यह राज्य अपने बनने के बाद 10 वर्षों में हिन्दुस्तान का सबसे सम्पन्नशाली राज्य होगा। लेकिन आज मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, खेद हो रहा है कि 10 वर्ष राज्य बने हुए हो गये हैं, लेकिन इन 10 वर्षों में जो बात मैंने 25 अगस्त, 1994 को उत्तर प्रदेश विधान सभा में सदन के अन्दर कही थी, आज मुझे शर्म लग रही है कि मेरे यह शब्द धरातल पर नहीं उतरे पाये हैं और इसलिए नहीं उतर पाये क्योंकि इस प्रदेश को जिस तरह का नेतृत्व मिलना चाहिए था, मान्यवर, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका दोहन के बजाय विकास होना चाहिए था, वहाँ कहीं न कहीं हम पीछे रहे या नहीं कर पाये है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से और प्रदेश के उन असहाय लोगों की ओर से, किसानों की ओर से और अल्पसंख्यक की ओर से और अल्पसंख्यक के विकास में अगर आप पूरे बजट में, उनके बजट के बारे में देखेंगे तो अल्पसंख्यक विभाग के बारे में कहीं पर प्रयोग हुआ है मान्यवर, अल्पसंख्यक मदरसों के लिए हों या उनकी शिक्षा के लिए हों या उनके धार्मिक स्थानों के लिए हों इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के सम्मुख मैंने पहले भी कहा था और किसी मैगजीन ने छापा था कि मुख्यमंत्री को प्रथम स्थान देश में प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में मिला है, उसी मैगजीन ने छापा था कि हमारा प्रदेश, विकास के मामले में 17 प्रदेशों का सर्वेक्षण हुआ था, उसमें हमारा प्रदेश 17 नम्बर वाली अन्तिम पायदान पर था। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमको व्यक्ति नम्बर वन नहीं चाहिए बल्कि विकास के मामले में उत्तराखण्ड प्रदेश नम्बर वन चाहिए। (तालियों की गड़गड़ाहट) मैं कहना चाहता हूँ कि जब कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग होली मनाते हैं या दीपावली मनाते हैं, जब हम खुशियाँ मनाते हैं कि जब एक सड़क बन जाती है तो गाँव की माता–बहिन ढोल लेकर हमारा स्वागत करती हैं, मैं उन लोगों से कहता हूँ कि हरक सिंह रावत उस दिन खुशियाँ मनायेगा, जिस दिन हमारे प्रदेश की माता–बहिन के चेहरा संघर्ष करते करते मुर्झा गया है और

उनके चेहरे की रौनक लौटकर आयेगी और जिस दिन हमारे प्रदेश के नौजवान का चेहरा बेरोजगारी के थपेड़े खाते-खाते मुर्झा गया है और जिस दिन उनके चेहरे की रौनक लौटकर आयेगी, उस दिन हरक सिंह रावत खुशियाँ, दीपावली और होली मनायेगा, उस दिन हम तमाम साथी जो इस सदन में बैठे हैं सबके लिए वह दिन दीपावली का होगा, उत्तराखण्ड की जनता के लिए उस दिन होली का होगा और खुशियों का होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे समय दिया और आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ कि जो हमने तथ्य, बातें और अनुरोध सरकार के संज्ञान में लाये हैं और वह विरोध करने के लिए नहीं है बल्कि हमारे प्रदेश के विकास के लिए है, चाहे सत्ता पक्ष हों चाहे विपक्ष में बैठे हों हमारी सब की एक जिम्मदारी है इस प्रदेश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। माननीय अध्यक्ष जी, हम निराशावादी नहीं हैं हम महाराष्ट्र को कैसा कहेंगे, गुजरात को कैसा कहेंगे, कर्नाटक को कैसा कहेंगे, तमिलनाडू को कैसा कहेंगे, हम सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टिकोण से, तुम्हारे मामले में तुमसे किसी मामले में पीछे नहीं हैं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ, हम विकसित प्रदेश के मुकाबले इस उत्तराखण्ड प्रदेश को खड़े कर पायें यही विनती मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं अपने सत्तापक्ष और विपक्ष के सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मैंने बजट पर सुझाव दिये और आपने सुना। एक बार फिर मैं सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। (तालियों की गड़गड़ाहट)

श्री अध्यक्ष-

कल चर्चा जारी रहेगी। इन छोटे-छोटे मामलों को निपटा लें।

श्री शहजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-310 में चर्चा करायी जाय, ये तो बाद में निपट जायेंगे। मान्यवर, एक सप्ताह हो गया है कि नियम-310 की प्रार्थना करते-करते।

सिट्टूरगिया बॉयोकैमिकल्स लिमिटेड के ऋषिकेश स्थित कारखाने की भूमि उपयोग परिवर्तन में किये गये निर्णय से राज्य के आर्थिक हितों की उपेक्षा तथा गम्भीर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-310 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री किशोर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने तो स्टेंडिया प्रा0 लिमिटेड और स्टेंडिया कैमिकल है ऋषिकेश में, उस पर प्राथमिकता पर मुझे अनुमति दी मान्यवर, बोलने की। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी जल, जंगल और जमीन है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, दो माननीय सदस्यों के बोलने की बात थी न, तो आप उनके नाम बता दीजिए कि कौन–कौन हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, ऋषिकेश हमारी शान है और पूरे विश्व में ऋषिकेश की वजह से और गंगा की वजह से उत्तराखण्ड को भी जाना जाता है और हमारे देश को भी जाना जाता है मान्यवर, ऋषिकेश जैसी पवित्र धरती पर इस तरह का महापाप हो, वहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण जमीन है उसको मान्यवर, कुछ भू–माफियाओं को लाभ देने के लिए, कुछ सरकार के लोगों की जेब भरने के लिए, अगर खुर्द–बुर्द कर दिया जाय तो यह पूरे प्रदेश पर कलंक है। मान्यवर, जिस तरह से सारे कानून कायदों की धज्जियाँ उड़ा दी गयी। मान्यवर, जो राय दी गयी जो जानकार हैं कानून के, उन्होंने जो राय दी उसके खिलाफ सरकार ने जो निर्णय लिया और एक ही दिन में अगर आप आज्ञा देंगे मान्यवर, तो मैं पीठ के समक्ष दस्तावेज रखने को तैयार हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है मान्यवर, यह सरकार ऐसे तीव्र गति से कैसे कार्य कर सकती है कि एक जो लिपिक है, जो नोट इनीशेट करता है, वह इस पत्रावली पर उसी दिन दस्तखत कर रहा है, जो उसका अधीक्षक है, वह भी उसी दिन दस्तखत कर रहा है जो अपर सचिव है मान्यवर, जो सचिव है मान्यवर, जो प्रमुख है मान्यवर, मुख्य सचिव है मान्यवर, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं। मान्यवर, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उसी दिन उस पत्रावली पर दस्तखत कर रहे हैं, ऐसे दुनिया में मैंने कोई सरकार को काम करते हुए नहीं सुना है और उसी दिन शासनादेश हो जाता है, यह सरकार को बताना चाहिए। मान्यवर, गरीब आदमी जो गाँव में बैठा हुआ है, उसकी पीड़ा के लिए सरकार यदि त्वरित गति से निर्णय लेती तो निश्चित रूप से हम विपक्ष के सदस्य होते हुये भी मेजें थपथपाने का काम करते, साधुवाद भी देते, लेकिन इस प्रदेश की जमीन को, इसके जंगलों को जिस तरह से यह सरकार लुटाने का काम कर रही है, इस तरह का कहीं दूसरी जगह उदाहरण नहीं मिलेगा और उसके अलावा उस भूमि का उपयोग जब फैक्ट्री बनाने के लिए भूमि दी गई थी तो उस समय उसमें साफ–साफ लिखा है कि अगर यह फैक्ट्री बन्द होगी तो जिस फर्म ने यह फैक्ट्री लगाई है वह सफाई करके उस भूमि को सरकार में निहित हो जायेगा।

मान्यवर, उस भूमि पर दो माननीय मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में इस पर विचार हुआ, सौभाग्य से मुझे भी पिछली सरकार में राज्य मंत्री रहने का मौका मिला, हम लोगों ने इस पर निर्णय नहीं लिया, हमने कहा यह जो भूमि है, यह धरोहर है, ऋषिकेश की धरोहर है, इस प्रदेश की धरोहर है, इस प्रदेश के गरीब व्यक्ति की धरोहर है, अल्पसंख्यक की धरोहर है, जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है,

उसकी धरोहर है, इसको खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे। इस सरकार का कितना बड़ा पेट है मुझे समझ में नहीं आता है, यह घोटाले पर घोटाला है। मान्यवर, जब यह था कि यह भूमि सरकार में निहित हो जायेगी तो इसका भू-उपयोग बदलने की क्या आवश्यकता थी और कितने लोगों को यह कम्पनी बिक चुकी है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें और यह सातवाँ व्यक्ति है जिसने यह भू-उपयोग बदलवा और इसमें भी जो भू-उपयोग बदल रहे हैं, पहले तो जो भूमि इण्डस्ट्री के लिए दी गई है तो आप कैसे भू-उपयोग बदलेंगे, आपने केन्द्र सरकार से कोई अनुमति नहीं ली, यदि आपने बदल भी दिया तो कम से कम जो राज्य सरकार की सम्पत्ति थी उसको भूमि का मूल्य तो मिलना चाहिए था, वहाँ पर सर्किल रेट 10 हजार है और ऋषिकेश जैसी जगह में लोग आश्रमों के लिए एक से एक नतमस्तक हैं, महात्मा हैं, जिनकी जमीन है वह सोने के भाव में है। मान्यवर, 50 हजार रुपया वर्ग मीटर पर वहाँ जमीन की कीमत है, यह आज के दिन का बाजार भाव है और उसके साथ-साथ भूमि उपयोग के परिवर्तन जब आपने किये थे, जो चार्जेज लगाने चाहिए थे, 125 परसेण्ट वह भी खैरात में दे दी, जैसे हम दहेज के विरोधी हैं, जैसे यह सरकार अपने दामाद को सब कुछ दे रही है, अपने दामाद को दान में दे रही है, इतना बड़ा घोटाला है, इसमें जो डेवलपर हैं, उसको आपने भी परिवर्तन के लिए जो शर्तें रखी थी, उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। आपने मॉल बनाया है, उसमें क्लब खुलेगा, उसमें दुकानें खुलेंगी, क्या-क्या खुलेगा, जो पूरी की पूरी 60 एकड़ जमीन है उसको हड़पने के इरादे से सरकार से मिलकर मान्यवर, कुछ लोगों का है, जो भू-माफिया हैं। मान्यवर, वहाँ पर कितने पेड़ थे। क्या उन पेड़ों को काटने की अनुमति सरकार ने दी है। वन विभाग भी सरकार का ही है। वहाँ पर हजारों-हजार पेड़ थे। मैं वहाँ पर खुद देखने गया था, अब वहाँ पर दो-चार पेड़ बचे हुए हैं।

इस तरह से सारे कायदे कानून की धज्जियाँ उड़ाकर इस प्रदेश के कानून को तोड़ा जायेगा तो मेरे विचार से इससे बड़ी पंचायत कोई और नहीं है, इस प्रदेश की, यह सर्वोच्च पंचायत है इससे पिछले एक हफ्ते से इस तरह का संदेश जा रहा है कि जैसे हम भ्रष्टाचारियों को यहाँ पर पनाह देने का कार्य कर रहे हों। मान्यवर, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसलिए हम सब लोगों का आपसे निवेदन है विपक्ष का और इस प्रदेश की जनता का कि इस मामले की तो सबसे पहले जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दो माह पूर्व पत्र लिखा था, उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया और उसमें मैंने मात्र दो सौ करोड़ रु० के घोटाले की बात कही थी। लेकिन आज यह कम से कम तीन हजार करोड़ रु० का घोटाला है। इसलिए सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने अनुमति दी है, उसको निरस्त करने का तुरन्त कार्य करें और इस सारे घोटाले की सी०बी०आई० जाँच करायी जाय, जिससे जो कुहासा पूरे प्रदेश में, भ्रष्टाचार के बारे में। हम सब लोग जनता की नजरों में, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो,

चाहे विधान सभा हो, आज संदेह के घेरे में है। इस संदेह को मिटाना हमारा पहला कार्य बनता है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारी मांग को स्वीकार करेंगे और इस पर सी०बी०आई० की इन्क्वायरी निश्चित रूप से आज आप निश्चित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

सदन का कार्य समाप्त होने तक, सदन बढ़ाया जाता है।

श्री शहजाद--

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने बड़े मुद्दे जिस पर कई दिन सदन की कार्यवाही बाधित रही, इस पर आज आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए विशेष आभारी हूँ। मान्यवर, सिटूरजिया बॉयोकेमिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश का ही नहीं है। एक सिंडिकेट जो प्रभातम, स्टूडिया कम्पनी, पराग फार्म हाउस और मीडिया सेंटर हरिद्वार। मान्यवर, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट इस प्रदेश में है, जिसके माध्यम से अनेक घोटाले, अनेक कार्य इस प्रदेश को लूटने के लिए किये जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी चिंता इससे भी आगे बढ़कर है। अभी बात आयी रोम जलता रहा, नीरो बंसी बजाता रहा। आज नीरो से ज्यादा चिंतित मैं इस बात के लिए हूँ कि भूमि घोटाले में उत्तराखण्ड जल रहा है। हरिद्वार में कुम्भ के नाम पर जहाँ मीडिया सेंटर करोड़ों रु० की लागत से बना है, वह एक बरसात नहीं झेल पाया, वहीं प्रभातम कम्पनी और पराग फार्म हाउस को ऊधमसिंह नगर में पूरा जिला प्रशासन और पूरी सरकार ने कब्जा कराने का कार्य किया है। चाहे विजय जिंदल हो, चाहे कोई उदय हो या कोई और हो, लेकिन एक बड़ा सिंडिकेट है। सरकार ने घोटाला किया है, मैं इसलिए भी विशेष चिंतित हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं माफी चाहता हूँ, मैं कोई व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो तथ्य आज सामने आये हैं, उनसे मैं गुरेज नहीं करूँगा। नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस करके कहा कि अगर लेण्ड यूज चेंज किया गया तो मैं धरना प्रदर्शन करूँगा। लेकिन उसी पार्टी के प्रोग्राम में स्टैडिया लिमिटेड के प्रोग्राम में जहाँ भू-लेण्ड यूज चेंज किया गया, वहाँ उस प्रोग्राम में नेता प्रतिपक्ष भी सम्मिलित होते हैं। माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी, सम्मिलित होते हैं, माननीय मदन कौशिक जी, शामिल होते हैं।

कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)--

माननीय अध्यक्ष जी, यह गलत बात है, मैं वहाँ नहीं था। अपने शब्द वापिस ले लें। रिकार्ड की बातें हैं।

श्री शहजाद--

माननीय अध्यक्ष जी, शब्द गलत होंगे तो मैं वापस ले लूँगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, जब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं वहाँ नहीं था तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हुआ है।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, कई लोग वहाँ इकट्ठा हुए, जो अभी उपाध्याय जी ने कहा वाकई इनके पास बहुत मोटी फाईल थी, लेकिन जितना मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर तथ्य रखेंगे। मुझे नहीं पता कि क्या प्रेशर पड़ा। सारे तथ्य दो मिनट में गायब हो गये। चार दिन इस मुद्दे पर सदन नहीं चला, इसकी स्पेशल जाँच होनी चाहिए, पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। मान्यवर, अगर इसको ग्राह्यता पर सुनना ही था, तो 4 दिन इस प्रदेश की जनता के खून–पसीने की कमाई के पैसे को क्यों बर्बाद किया गया ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका भी जवाब माननीय नेता प्रतिपक्ष से चाहूँगा। नेता सदन यहाँ नहीं हैं, उन्हें होना चाहिए था, बहुत अहम मुद्दा है। सीधे आरोप नेता सदन पर लग रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष पर लग रहे हैं। उसी कम्पनी के एक चैनल का उद्घाटन था। स्पेशल हैलीकॉप्टर भेज कर मेहमान बुलाए गये। माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन भी गये और नेता प्रतिपक्ष भी गये। भले ही बाद में किराया चैक से जमा हो गया हो। मुझे उससे भी गुरेज नहीं है। जिस कम्पनी ने इस उत्तराखण्ड के साथ दगा किया हो, करोड़ों रुपयों का घोटाला किया हो, ऐसी कौन सी परेशानी थी, जिसकी वजह से उसके प्रोग्राम में शामिल होना पड़ा ? जिसकी वजह से 4 दिन यहाँ सदन नहीं चलने दिया गया, जिस विजय जिन्दल के लिए, इस प्रदेश की जनता से जुड़े जो मुद्दे सदन के सामने आने चाहिए थे, वह नहीं आए। उसके प्रोग्राम में स्पेशल हैलीकॉप्टर से जाते हैं, यह मेरी चिन्ता का विषय है। मेरी चिन्ता यह इसलिए भी है, माननीय अध्यक्ष जी, अगर सत्ता पक्ष गलत करता है, तो प्रतिपक्ष उसको जगाता है। अगर दोनों नूरा कुश्ती लड़ते रहे और इसी तरह नूरा कुश्ती होती रही, तो मैं समझता हूँ कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं दोनों को जगाऊं और दोनों को सचेत करूँ। मैं आज इस मसले पर जहाँ नेता सदन को जगाने का काम कर रहा हूँ, वहीं नेता प्रतिपक्ष को भी कहता हूँ कि वे अपना पूरा दायित्व निभाएं। अगर सरकार घोटालेबाज है तो आप उससे दूर रहें, उसमें शामिल न हों। आज कहीं न कहीं इस घोटाले में बू आती है कि दोनों पार्टियाँ मिलकर इस घोटाले में शामिल हैं। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री रणजीत रावत-

मान्यवर, 25 करोड़ सरकार ने कब्जा रखा है, उसको छुड़ाने के लिए इन्होंने सरकार के साथ सौदा किया है और माननीय नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार की बैसाखी बनने का काम यहाँ पर नेता बसपा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रणजीत रावत-

मान्यवर, एक जन्मदिन पर हजारों करोड़ रुपये की कमाई करने वाली पार्टी कॉंग्रेस पर आरोप लगा रही है। (व्यवधान)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे।)

श्री रणजीत रावत-

मान्यवर, अपने नेता के जन्म दिन पर करोड़ों रुपया उगाही करने वाले, इंजीनियरों की हत्या करने वाले, आज कॉंग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

मान्यवर, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि माननीय नेता बसपा ने कोई बात कही है, तो उसका स्पष्टीकरण लिया जा सकता है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप लोग इस तरह से आरोप-प्रत्यारोप करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपको इसका उत्तर मिलेगा।

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, माननीय नेता सदन के बारे में भी बात आई है, माननीय नेता सदन स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं। वे स्पष्टीकरण देने के लिये उपस्थित हुये हैं, क्योंकि आपने कहा कि वे हैलीकॉप्टर से गये।

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')-

श्रीमन, मैं सोचता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर हैं, हमारे बसपा के नेता भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर सभी को बोलने का अधिकार है और यदि कोई बात होगी तो नेता प्रतिपक्ष उसका स्पष्टीकरण देंगे। मैं स्वयं यहाँ पर हूँ और नेता बसपा, श्री शहजाद जी भी यहाँ पर हैं। इसलिये मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूँ और दोबारा अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विधान सभा की गरिमा बनी रहनी चाहिये। सरकार एक-एक शब्द का जवाब देने को तैयार है और एक-एक वाक्य का जवाब देगी, लेकिन आखिर बातों को बातों के तरीके से रखा जाना चाहिये। अच्छा है कि तथ्यों को रखें और उन तथ्यों का जवाब दिया जायेगा। अब जैसा माननीय नेता, बसपा ने कहा कि मैं कल दिल्ली गया था, जबकि मैं कल दिल्ली गया ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि कभी-कभी संवादहीनता के कारण भी ऐसा होता है, लेकिन यदि उनको ऐसा लगा है तो उसका भी जवाब देंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अच्छी परम्परा हो, कोई बात यदि सदन के समक्ष आये तो उस पर चर्चा हो। क्योंकि यह पूरा सदन इस प्रदेश की चिन्ता के लिये है,बजाय व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप के अपनी बात को रखें और उन सभी बिन्दुओं का जवाब देने के लिये सरकार यहाँ पर है। मैं आपके माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सरकार पूरी ताकत के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ है और एक-एक विषय का जवाब देने के लिये तैयार है। (मेजों की थपथपाहट) सरकार एक-एक शब्द और एक-एक वाक्य का जवाब देने के लिये तैयार है। आप सुनें तो, चर्चा होनी चाहिये, निश्चित रूप से यदि कोई बात सामने आ गई हो, मैं देख रहा हूँ कि बीते चार-पाँच दिन से बातें उठ रही हैं। मैं तो तब भी अनुरोध कर रहा था कि यदि यह बातें सदन में आ रही हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिये। यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप ग्राह्यता पर बोलें और हम उसका जवाब देंगे। श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि जिन बिन्दुओं पर तीन-चार दिन बहुत खराब हुये हैं, मैं यहाँ पर नहीं था, पर मैंने आपका पूरा भाषण सुना है। आपकी बात सही है कि चार दिन सदन का समय खराब हुआ है, तो उस पर आप ग्राह्यता पर बोलें और सरकार उसका जवाब देना चाहेगी।

श्री शहजाद-

मान्यवर, मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूँ।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)-

मान्यवर, जो इन्होंने कहा है, मैं उसका जवाब तो दे दूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, चूंकि नेता बसपा ने आपका नाम लिया है और आपको इंगित किया है, इसलिये मैं आपको अपनी बात कहने का पूरा अवसर दूँगा।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुँची हो तो मैं उसके लिये फिर से माफी चाहता हूँ। कल आपने भी कहा था कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, वह मेरे भी नेता हैं और हरक सिंह रावत जी भी जानते हैं कि मैं इनका बेइंतहा सम्मान भी करता हूँ। लेकिन जो मसला, जो स्थिति एक महीने से सामने है, उसे इस प्रदेश की जनता के सामने, इस विधान सभा में रखना जरूरी है। मान्यवर मेरा मकसद किसी पर व्यक्तिगत हमला करना नहीं है, लेकिन सच्चाई को उजागर करना मेरा हक बनता है, मेरा फर्ज है माननीय अध्यक्ष जी, जो स्टेडिया कम्पनी का मसला है, जो भी उपाध्याय जी ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि 125 परसेंट का नियम है, अगर उस हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी 15 एकड़ पर भी ली जाय तो भी 75 करोड़ बनता है, अगर 15 एकड़ जमीन पर भी ली जाय तो 75 करोड़ बनता है। जो 75 करोड़ का नुकसान इस प्रदेश को हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं जो फाईल बताती है कि एक दिन में टोटल स्वीकृति होगा। हम एक सड़क के लिए लिखते हैं, 6-6 महीने तक वो फाईल रेंगती रहती है। ये फाईल में क्या लगा हुआ था जो एक दिन में कई दफ्तरों के चक्कर काट कर फिर ओ०के० हो गयी। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो ये कम्पनी है, [×××], मैं नाम ले रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

विजय सिंघल यहाँ पर मौजूद नहीं हैं।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मौजूद नहीं हैं, लेकिन घोटाला तो जुड़ा हुआ है कम्पनी का नाम है। जो राजनीतिक माहौल है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ये तो आरोप-प्रत्यारोप है, क्योंकि वो तो स्पष्टीकरण देने के लिए उपस्थित हो नहीं सकते, इसलिए किसी का नाम लेकर कहना उचित नहीं होगा।

श्री शहजाद–

मान्यवर, कम्पनी मालिक कह दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

कम्पनी मालिक यहाँ उपस्थित नहीं हो सकता जवाब देने के लिए।

श्री शहजाद–

मान्यवर, तो कहूँ क्या माननीय अध्यक्ष जी, वो शब्द आप ही बता दें।

नोटः–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आपने कम्पनी को बता दिया। ठीक है, बात आ गयी।

श्री शहजाद–

मान्यवर, दो शब्द मुझे बता दें, मैं दो बोल दूँगा। पराग फार्म हाउस पर कब्जा हुआ है, मीडिया सेंटर, हरिद्वार में एक बारिश नहीं झेल पाया, जिसका बजट भाषण में भी जिक्र है, माननीय नेता सदन जी ने किया है और ये जो हेलीकॉप्टर की बात है, ये भी प्रीमियर एयर लाइन्स किस नाम से आया, प्रभातम कम्पनी, वह भी उसी की है। अगर एक सिंडीकेट है तो उससे सचेत करना, इस उत्तराखण्ड की जनता और सदन को, मेरा फर्ज बनता है माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस मसले को संकुचित न हो करके जमीन पर उतारते हुए सी0बी0आई0 जाँच हो और जब तक इसकी जाँच न हो, ये टोटल मसले पेन्डिंग कर दिये जायें, कैन्सिल करने चाहिए। इस आग्रह के साथ माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन करना चाहता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने स्टेडिया बॉयोकैमिकल भूमि हस्तान्तरण के विषय पर जिस समस्या को लेकर 8 मार्च से महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय से लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हम इस सदन का ध्यान और इस प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं उस मुद्दे पर माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे सम्मानित सदस्य किशोर उपाध्याय जी ने नियम–310 के तहत जिस पर आपने उनको ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया हमारे सम्मानित सदस्य माननीय प्रीतम सिंह जी अभी उस विषय पर अपनी बात को रखेंगे, हमारे सम्मानित सदस्य माननीय रणजीत रावत जी और अन्य साथी, बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी शहजाद जी ने इस विषय को रखा और अन्य साथी भी इस विषय पर अपनी बात को रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपके निर्देश पर क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेता शहजाद जी ने इस प्रकरण का उल्लेख करते हुए नेता प्रतिपक्ष के रूप में उल्लेख किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोई स्पष्टीकरण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। इसलिए मान्यवर, मैं बड़े विनम्र शब्दों में नेता बहुजन समाज पार्टी शहजाद जी से कहना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से भी और नेता बहुजन समाज पार्टी के नेता के रूप में भी, जब से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी इस सदन ने और कॉंग्रेस विधान मण्डल दल ने मुझे सौंपी हैं, मैंने दोनों ही स्थिति में नेता विरोधी दलों रूप में भी और व्यक्तिगत रूप में भी उनका दोनों ही स्थिति पर सम्मान किया है और उम्र के लिहाज से भी हमेशा बड़े भाई के रूप में, अग्रज के रूप में उन्हें सम्मान दिया, भले ही उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा है कि अगर उनके शब्दों से किसी को कष्ट हुआ है, वह किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते। लेकिन

निश्चित रूप से बिना तथ्यों के केवल घटना का उल्लेख करने मात्र से और मिलीभगत का आरोप लगाने मात्र से, यह कहने से कि मैं क्षमा याचना करना चाहता हूँ, अगर किसी की भावना को आहत पहुँची हो, मैं सोचता हूँ आप आहत भी पहुँचायें तो क्षमा याचना करने से माननीय अध्यक्ष जी, जब भावनाओं को आहत पहुँचती है तो "सॉरी" शब्द जिसको हम क्षमा याचना कहते हैं, वह बहुत छोटा हो जाता है और वह भी उस स्थिति में जब आरोप नेता प्रतिपक्ष के रूप में ही न लगा हो, आपने कॉंग्रेस पार्टी पर भी लगाया। माननीय अध्यक्ष जी, हरक सिंह रावत की कोई हैसियत नहीं, हरक सिंह रावत का अपना कोई मान सम्मान नहीं है, आप हरक सिंह रावत का अपमान करें, सम्मान करें, यह आपका विषय हो सकता है, लेकिन नेता विरोधी दल का और कॉंग्रेस पार्टी का मान और सम्मान हरक सिंह रावत के लिए अपने जीवन से भी बढ़कर है।

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है जब ऋषिकेश के भूमि घोटाले का स्टेडिया बॉयोकैमिकल भूमि हस्तान्तरण का मामला मेरे संज्ञान में आया था, जैसे किशोर उपाध्याय जी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और जब मेरे संज्ञान में यह मामला आया था तो मैंने विधान मण्डल दल के अपने कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन करके इस प्रकरण को मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम किया था। यह भी कड़वी सच्चाई है माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसके शिलान्यास के अवसर पर गया था और शिलान्यास के अवसर पर जाने पर मुझे न आत्मग्लानि है और न दुःख है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, जब मैंने यह प्रकरण मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम किया था, उस समय मैंने जो तथ्य उजागर किये थे, अब जब मेरे सम्मुख शिलान्यास के अवसर पर जो तथ्य लाये गये, मैं उससे जब संतुष्ट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, हरक सिंह रावत केवल विरोधी दल ही नहीं, इस सम्मानित सदन के तमाम सदस्यगण होटलों के उद्घाटन पर, विभिन्न कार्यक्रमों के उद्घाटन पर जाते हैं। सरकार के पास तो निश्चित रूप से जानकारियाँ होती हैं, उनके पास इन्टेलीजेंस है, प्रशासनिक मशीनरी है, इस बात को आंकलन करने को लेकर कि जिस कार्यक्रम में वह जा रहे हैं, वह नियम कायदे कानूनों और संविधान के दायरे के तहत या कोई भ्रष्टाचार का मामला तो उसमें नहीं बन रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सम्मुख जो कागज प्रस्तुत किये जायेंगे, उन कागजों पर विश्वास करते हुए हम शिलान्यास के कार्यक्रम में गये।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के सम्मुख कहना चाहता हूँ कि यह पत्रावली जो माननीय किशोर उपाध्याय जी के पास है, वह पूरी पत्रावली मुझको प्राप्त हुई, मैंने इसका तीन दिन तक लगातार अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद मुझको यह महसूस हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो 7 तारीख को कॉंग्रेस विधान मण्डल दल की बैठक में मैंने स्वयं यह तय किया कि

9 तारीख को हम जल विद्युत परियोजना के मुद्दे को नियम-310 के तहत और 10 तारीख को सदन के सम्मुख नियम-310 के तहत ऋषिकेश के स्टेडिया बॉयोकैमिकल के मामले को सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता के सामने उठाने का काम करेंगे और मैंने अपने सभी साथियों को वह पत्रावली उपलब्ध कराई और कुछ तथ्य जो हमारे साथियों के पास थे, किशोर उपाध्याय जी के पास थे जो इस पत्रावली में किन्हीं कारणो से नहीं थे, वह भी उस पत्रावली के साथ हमने जोड़े। माननीय अध्यक्ष जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय शहजाद जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पीड़ा अगर शहजाद जी यह कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वे अकेले जंग लड़ रहे हैं।

श्री शहजाद-

मान्यवर, मैंने कहा था कि मैं जगाने का काम कर रहा हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं शहजाद जी से कहना चाहता हूँ, मैंने अपने बजट भाषण में सम्बोधन के समय में भी कहा था कि हमने छात्र जीवन से संघर्ष किया है। जब से हमने होश संभाला है तब से इस उत्तराखण्ड के गाँव गलियारों में, गली-मोहल्लों में चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे कर्मचारी हों या चाहे नौजवानों की लड़ाई को हमने लड़ा है।

श्री अध्यक्ष-

विषय पर अपनी बात कहें।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, मैं विषय पर आ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं शहजाद जी से कहना चाहता हूँ कि आप हमको जगाने का काम न करें। हरक सिंह रावत पहले से जगा है। हमारी कॉंग्रेस पार्टी पहले से जगी है, अगर आपको किसी को जगाने का काम करना है तो अपनी पार्टी को जगाने का काम करना चाहिए और विपक्ष में होने के नाते अगर आपको जगाने का काम करना चाहिए तो सरकार को जगाने का काम करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, कल बहुजन समाज पार्टी के नेता ने पुनः एक और आरोप हमारे ऊपर लगाने का काम किया, उसका भी मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता हूँ इसलिए कि "हम तो आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती" माननीय अध्यक्ष जी, हम तो बहादुर हैं, पराक्रमी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, गिरते हैं वह सवार मैदाने जंग में, वह किफन खा के गिरेंगे, जो घुटनों के बल चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं" माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहूँगा। लेकिन कहना चाहता हूँ कि किसी न्यूज चैनल के उद्घाटन पर लोकार्पण के अवसर पर जाना कोई अपराध है। हम तो सी0बी0आई0 जाँच की माँग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मान्यवर, उस लोकार्पण कार्य में केवल हरक सिंह रावत नहीं था, हमारे उत्तराखण्ड के तमाम बड़े नेता

[×××], दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री [×××], मध्य प्रदेश भाजपा के तमाम मंत्रीगण, झारखण्ड के मंत्रीगण, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री[×××], तमाम विभिन्न पार्टी बसपा, जनता दल, भाजपा एवं कॉंग्रेस के सांसद उस लोकार्पण के कार्यक्रम में उपस्थित थे। माननीय अध्यक्ष जी.........

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अगर किसी लोकार्पण के कार्यक्रम में जाने में कोई अपराध है तो मैं कहना चाहता हूँ कि श्री शहजाद जी द्वारा यह बात यहाँ पर उठाने से पहले मुझे कष्ट हुआ इस बात का कि मैं प्रश्नकाल में समय से.................।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष एक वरिष्ठ सदस्य हैं वे पुनः उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं, जो अपनी बातों का स्पष्टीकरण देने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं और आप उनके नाम यहाँ पर इंगित कर रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जो नाम मैंने यहाँ पर लिये हैं, उन नामों को मैं वापस ले रहा हूँ कि उस कार्यक्रम में देश एवं प्रदेश के प्रमुख नेता, कार्यकर्ता, उद्योगपति, वरिष्ठ अधिकारी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपराध से घृणा होनी चाहिए अपराधी से नहीं, जिस दिन आपका आदेश होगा और सी0बी0आई0 की जाँच होगी और कोई दोषी पाया जायेगा, मैं चुनौती से कहना चाहता हूँ कि जो आरोप हम पर लगाने का काम कर रहे हैं कि हमारी मिली भगत है और मैंने पहले भी कहा है कि प्रदेश की जनता के हित में यदि 'निशंक', हरक सिंह रावत के पारिवारिक सदस्य हो सकते हैं, लेकिन नेता विरोधी दल के रूप में मेरा उनसे कोई समझौता नहीं है अगर कोई समझौता है तो वह उत्तराखण्ड की जनता के प्रति है और नौजवानों के प्रति है। इसलिए शहजाद जी, मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम उस कार्यक्रम में गये वह राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में और यह हमारी जिम्मेदारी भी है। हम जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं अगर कोई समाचार–पत्र या न्यूज चैनल या साप्ताहिक अखबार हमें विमोचन पर बुलाता है तो क्या हम इंटेलीजेंस से पूछेंगे कि हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ? अगर वे इस घोटालों में

नोट–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सम्मिलित होंगे, अगर हरक सिंह रावत जिस दिन उनके साथ सम्मिलित होगा उस दिन आपको आरोप लगाना चाहिए था कि हरक सिंह जी आपने इस घोटाले को सदन में उठाने का काम किया और पत्रकारों के माध्यम से उठाने का काम किया और आज आप उस अपराधी के साथ और उस कम्पनी के साथ उसके हित में क्यों खड़े दिखायी दे रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो विपक्ष के द्वारा और हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा यह घोटाला उठाया गया है वह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है और मैं श्री किशोर उपाध्याय जी और बसपा के श्री शहजाद जी और जो सदस्य इस विषय पर या घोटाले के खिलाफ बोलेंगे, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ क्योंकि ये पत्रावली तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के द्वारा बार–बार कॉंग्रेस शासनकाल का उल्लेख किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कॉंग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी के उस आदेश का उल्लेख करना चाहता हूँ वर्ष, 2003 में मुख्यमंत्री जी ने इस पत्रावली को रिजेक्ट कर दिया। मान्यवर, 23.07.2003 को अपर सचिव, उद्योग ने न्याय विभाग से टिप्पणी मांगी थी और न्याय विभाग की टिप्पणी भी इसमें अनुकूल नहीं आयी थी और मार्च, 2004 में सचिव, उद्योग द्वारा भूमि विक्रय के द्वारा महाधिवक्ता उत्तराखण्ड की रिपोर्ट मांगी गयी थी और महाधिवक्ता ने भी अपनी इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि इस भूमि को न बेचा जा सकता है और न इसके शेयर बेचे जा सकते हैं और न इसका भूमि परिवर्तन किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव की मीटिंगों में लगातार उनकी अध्यक्षता में जो भी बैठकें हुई उन सारी बैठकों में इस पत्रावली पर है कि यह भूमि न बेची जा सकती है और न इसका परिवर्तन किया जा सकता है। 13 तारीख 2006 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जब बैठक हुई तो इस पत्रावली ने टर्न लेना शुरू किया, जो बिल्कुल 2006 तक प्रतिकूल थी, वह धीरे–धीरे अनुकूलता की ओर, इस पत्रावली का अध्ययन करने से लगता है, जा रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, 5 फरवरी, 2007 को उस समय चुनाव चल रहा था, आचार संहिता लगी थी। जब जनवरी में बी0आई0एफ0आर0 ने, जिसको हिन्दी में औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड कहते हैं। मान्यवर, जो उद्योग हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए, उनके कर्मचारियों के जीवन–यापन को देखते हुए, उस पर जो फाइनेन्शियल जिम्मेदारी है उस यूनिट पर, उसको उबारने के लिए यह बोर्ड भारत सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर या वर्तमान जज की अध्यक्षता में इस बोर्ड का गठन होता है और इसलिए इस बोर्ड का जो निर्णय होता है, वह सब पर बाध्यकारी होता है, लेकिन इस पत्रावली में और इस मामले में यह हटकर है क्योंकि 45 दिन का समन दिया गया था। उस समय कॉंग्रेस की सरकार थी, आचार संहिता प्रदेश में लगी थी, 45 दिन के अन्दर प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। नतीजा, बी0आई0एफ0आर0 ने जनवरी, 2007 में एक तरफा निर्णय कर दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी ने बी0आई0एफ0आर0 के निर्णय के बाद जो एक तरफा निर्णय था, उस निर्णय के बाद तिवारी जी ने लिखा है मैसर्स रिसचिन कैमिकल लि0, जोकि एक बीमार इकाई है, के मामले में बी0आई0एफ0आर0 द्वारा जनवरी, 2007 में कम्पनी को पुनर्जीवित करने के लिए एक निर्णय दिया गया है जो पत्रावली में दायीं ओर रखा हुआ है। द सिक कम्पनी के एक्ट, 1985 की धारा (19) के अन्तर्गत यह आदेश राज्य सरकार सहित सभी संस्थाओं द्वारा पारित किये जाने की बाध्यता है, इस सम्बन्ध में न्याय विभाग से परामर्श करके पत्रावली शीघ्र प्रस्तुत की जाए, यह आगे लिखा है, 24 तारीख फरवरी, 2007 को। माननीय अध्यक्ष जी, 21 फरवरी को मतदान हो गया था और रिजल्ट खुलने की प्रक्रिया गतिमान थी, इसलिए उन परिस्थितियों में लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तिवारी जी ने उस समय कोई आदेश स्पष्ट रूप से नहीं दिया था। कि न्याय विभाग के परामर्श से पत्रावली प्रस्तुत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, 1 नवम्बर, 2007 को फिर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस पत्रावली में उस बैठक का भी कार्यवृत्त संलग्न है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो कहना चाहता हूँ कि लगातार 8 मार्च, 2007 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में विराजमान हो गयी। अचानक जो शासनादेश 5 अक्टूबर, 2009 को जारी हुआ, उससे पहले माननीय किशोर उपाध्याय जी ने उस बात का उल्लेख किया है कि एक ही तिथि में मान्यवर, 28 सितम्बर, 2009 को जैसा कि माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी ने उल्लेख किया है कि बाबू से लेकर, क्लर्क से लेकर, मुख्य सचिव और मुख्य सचिव से ऊपर माननीय मुख्यमंत्री के पत्रावली के एक ही दिन में यह हस्ताक्षर हुये हैं, एक ही दिन में नोटिंग हुई है और इसीलिए जिस पत्रावली का माननीय तिवारी जी ने आदेश 24 फरवरी, 2007 को किया तो अचानक 2 साल बाद जब माननीय 'निशंक' जी मुख्यमंत्री बने, 2 साल से यह पत्रावली तिवारी जी के न्याय विभाग के परामर्श के बाद भी पत्रावली घूमती रही, इसमें निर्णय नहीं हुआ और अचानक एक ही तारीख में यह अद्भुत निर्णय किया गया और निश्चित रूप से यह निर्णय कायदे-कानून से प्रदेश की जनता को लगता है कि अगर भू-परिवर्तन करना था तो बाबू से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक एक ही दिन में हस्ताक्षर होते हैं और अगर प्रदेश के वृद्ध, विधवा, विकलांग, गरीब नौजवानों के लिए, सड़क बनाने को लेकर, समाज कल्याण की विकास की योजनायें, पेयजल की योजनाओं के लिए काम होता है।

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी नोटिस देख रहा था कि इसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष के हस्ताक्षर नहीं हैं, आप केवल स्पष्टीकरण दे सकते हैं, क्योंकि यह चर्चा नहीं हो रही है, नोटिस में जिन माननीय सदस्य के हस्ताक्षर होंगे और ग्राह्यता पर बोल रहे हैं, कार्य स्थगन सूचनाओं में यह

प्रक्रिया नहीं है, कार्य स्थगन सूचनाओं में कभी भी खड़े होकर नहीं बोला जाता है, किसी विषय विशेष पर स्पष्टीकरण देने की प्रक्रिया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ सम्मानित सदस्यों को जिन्होंने सी0बी0आई0 जाँच की मांग की है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है मेरी दूसरे विषय पर नियम–310 की सूचना थी, क्योंकि इसमें उल्लेख आया है इसमें पूरे घटनाक्रम का उल्लेख करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि यह सदन के सम्मुख सुबह भी और अभी भी आया है, जब सदन को गुमराह करने का काम किया गया तो सदन गुमराह न हों, प्रदेश की जनता गुमराह न हो इसलिए मैंने पूरी विषयवस्तु को रखने का काम किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि इस पर मेरी पार्टी और मैं सी0बी0आई0 की जाँच चाहता हूँ कि आपके माध्यम से विनिश्चय आये कि इस विषय पर जो नियम–310 की हमारे सदस्यों की सूचना है, इस पर 1–2 घण्टे की चर्चा निश्चित करें और चर्चा के बाद यह ऐतिहासिक निर्णय होगा कि उत्तराखण्ड के इतिहास में पीठ के द्वारा सी0बी0आई0 जाँच के निर्देश, विनिश्चय सरकार को दिये गये, यह ऐतिहासिक निर्णय की उम्मीद हम आपके माध्यम से इस पीठ से करना चाहते हैं, प्रदेश की जनता की ओर से करना चाहते हैं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन, जवाब तो अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी देंगे। लेकिन बीच में थोड़ा सा कहूँगा क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने 2 विषय कहे हैं कि यह घोटाला, यह बात, इस प्रकरण पर मुझको जानकारी मिली तो मैंने उन तथ्यों को देख करके और बाकायदा पत्रकार वार्ता करके पूरे प्रेस के माध्यम से, पूरे प्रदेश की जनता को बताया कि यह बहुत बड़ा घपला है। श्रीमन्, आपने दूसरा विषय यह बताया कि जो विषय मैंने उठाये थे उस विषय में जब सम्बन्धित पार्टी मुझको मिली और उन्होंने सारे दस्तावेज दिखाये तो उनसे मैं सहमत होकर उस कार्यक्रम में गया, तो स्वाभाविक है कि जो बिन्दु सामने आये होंगे, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ट्रेस किया होगा और ट्रेस के माध्यम से जो बिन्दु उठे होंगे और जब वे सारे प्रमाण और सारे बिन्दु माननीय नेता प्रतिपक्ष को सम्बन्धित लोगों ने उपलब्ध कराये होंगे। श्रीमन, वे उनसे आश्वस्त हुए होंगे तो उस कार्यक्रम में गये होंगे। उस कार्यक्रम में भी उन्होंने उल्लेख किया कि "मुझे पहले यह लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है।" श्रीमन्, मैं सोचता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष को कुछ चीजें मिलनी स्वाभाविक ही है कि वे इस सदन के नेता प्रतिपक्ष भी हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। वह चिंता उनकी स्वाभाविक भी थी। श्रीमन्, जो पत्रकार वार्ता उन्होंने की, हालांकि मैं सोचता हूँ कि अच्छा होता कि और थोड़ा सा एक बार फिर पूरे प्रकरण को देखकर के फिर इस बात

को कहा जाता तो शायद उसमें और गम्भीरता भी होती। श्रीमन्, जवाब तो इसके एक-एक विषय पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी देंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यह पर्याप्त विषय हो गया था। यदि सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को सार्वजनिक रूप से कह दिया था। श्रीमन्, आज भी सम्मानित सदन में उन्होंने इस बात को इंगित किया है कि 'पहले मेरे पास जो तथ्य लाये गये थे, उसी के आधार पर उन्होंने ट्रेस कर इस मुद्दे को उठाया है।' श्रीमन्, इसके बाद उन्हीं तथ्यों के आधार पर जब उस कम्पनी ने सारी चीजें उनको दिखायीं और वे इस बात से आश्वस्त हुए कि गड़बड़ी कहीं न कहीं है तो मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूँ और उन्हें इसी पर स्टैण्ड करना चाहिए था। मुझे इतना ही कहना है।

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ दो लाइनों में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। एक तो निश्चित रूप से तीन चरणों में क्योंकि यह पत्रावली इतनी बड़ी थी कि पहले चरण में जो तथ्य हमें मिले, मुझे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सम्मुख जो तथ्य, उस समय पत्रावली मेरे सामने नहीं आयी थी, जब मैंने प्रेस वार्ता की थी। मैंने अपने साथियों से पत्रावली मांगी, आई0टी0 के तहत पत्रावली लाने की हमने कोशिश की लेकिन पूरी पत्रावली हमें उपलब्ध नहीं हो पायी, लेकिन जितने तथ्य हमारे पास थे, उसके आधार पर हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब सम्बन्धित पक्ष उस शिलान्यास के सम्बन्धित कार्यक्रम के लिए हमारे पास आया तो उस समय उन्होंने जो उनके पक्ष की चीजें थी, जैसे पी0आई0ओ0, एफ0ओ0 की रिपोर्ट कुछ चीजों को मेरे सम्मुख रखा और कहा कि रावत जी, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो मुझे लगा कि डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने निश्चित रूप से शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि मुझे पहले लगता था कि गड़बड़ हुई है, लेकिन जब मेरे सामने जो तथ्य यह लाये। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब पूरी फाईल, चूँकि ये 26 तारीख का आदेश है, यह आदेश हमको नहीं मिला था। माननीय तिवारी जी का आदेश हमें पहले उपलब्ध नहीं हो पाया था। जब पूरी पत्रावली हमको मिली तो फिर मैंने अध्ययन करने के बाद विधान मण्डल दल की बैठक में निर्णय लिया कि हमको इस पर स्टैण्ड लेना चाहिए, इस पर अपना कदम उठाना चाहिए।

श्री प्रीतम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-310 की ग्राह्यता की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। श्रीमन्, मुझसे पूर्व सम्मानित सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी और अन्य साथियों ने बड़े विस्तार से इस प्रकरण पर अपनी-अपनी बातें कहीं। निश्चित रूप से बहुत ही गम्भीर विषय पर इस सदन के अन्दर चर्चा हो रही है या ग्राह्यता पर

बोलने की बात हो रही है। जिस विषय की वजह से विगत 5 दिनों तक सदन नही चल पाया और आज सदन में उस पर चर्चा हो रही है। पूरे प्रदेश की जनता की निगाह आज इस सदन पर है। श्रीमन्, आपने कहा कि संक्षेप में अपनी बात कहूँ।

मैं कुछ बिन्दुओं पर अपनी बात जरूर करना चाहूँगा। सिट्रजिया बॉयोकैमिकल लिमिटेड का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1962 में 1 लाख 24 हजार 521 रुपये में जमीन अधिग्रहित करके दी गयी और जो अनुबंध की शर्तें थी, उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि यदि इकाई बन्द होगी तो उस परिस्थिति में बिना शासन की पूर्व अनुमति के भूमि को न तो विक्रय किया जा सकता है और नहीं किसी अन्य उपयोग में लाया जा सकता है यह भी उसमें सुस्पष्ट था कि यदि इकाई कार्य नहीं करेगी तो उस स्थिति में अधिग्रहण में व्यय की गयी धनराशि उस कम्पनी को वापस कर दी जाएगी और जो जमीन है, वह शासन में निहित हो जाएगी। यह बात हुई थी। लेकिन वर्ष 2003 में सिट्रजिया बॉयोकैमिकल लिमिटेड बीमार घोषित हुई, उसके पश्चात् ही इस इकाई द्वारा, यह जो आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, सारा खेल उसके बाद प्रारम्भ हुआ। श्रीमन्, 24.05.2003 की अपर सचिव, औद्योगिक विकास की टिप्पणी का जिक्र करूँ या 26.05.2003 की प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास की टिप्पणी का जिक्र करूँ और अपर सचिव, राजस्व की जो टिप्पणी है, उसका अगर जिक्र करूँ, उसमें सुस्पष्ट यह बात कही गयी कि इस जमीन को कम्पनी को नहीं दिया जा सकता। श्रीमन्, जब यह सब तमाम चीजें हो रही थीं, उसी समय कम्पनी के कई हिस्सेदारों ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी और सिट्रजिया बॉयोकैमिकल के बजाय स्टेड़िया डेवलपर्स के नाम से यह कम्पनी हो गयी और बी0आई0एफ0आर0 जिसका जिक्र अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी सम्मानित साथियों ने किया, उसके फैसले के माध्यम से सरकार ने इस जमीन को इकाई को देने की बात कही है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो यह शासनादेश है, 24 जुलाई, 2003 का, इसमें सुस्पष्ट लिखा है कि जहाँ पर औद्योगिक इकाई स्थापित होगी, उसका भू-उपयोग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह उत्तराखण्ड राज्य का शासनादेश है।

श्रीमन् सबसे बड़ी बात यह है, जिसका अभी जिक्र माननीय सदस्य किशोर उपाध्याय जी ने किया, मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि इसमें सरकार हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। एक-एक बात का जवाब देने के लिए तैयार है। तो श्रीमन्, सबसे पहले शक की सुई सरकार पर जो इंगित होती है, वह इस बात से होती है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि एक ही दिन में, वैसे तो कैबिनेट की बैठक होनी चाहिये थी। लेकिन जो मेरी जानकारी में है कि कैबिनेट की बैठक न करके विचलन के माध्यम से कार्यवाही की गई। एक ही दिन में सारी औपचारिकतायें पूरी करने के बाद सरकार द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया और ऋषिकेश के मास्टर प्लॉन को संशोधित करने की बात की गई। इसीलिये

शक गहराता है, इस बात के लिये कि इसके पीछे जरूर कोई न कोई बात है। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं सचिव, आवास को एक पत्र लिखा था, जिसमें मैंने सचिव, आवास से कुछ बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी। अगर यह सूचना मैं सचिव, आवास से सूचना के अधिकार में माँगता तो निश्चित रूप से यह सूचना मुझे उपलब्ध हो जाती। लेकिन मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैंने एक विधायक के रूप में सूचना सचिव, आवास से माँगी। सचिव, आवास का जो पत्र मुझे मिलता है, उस पत्र में जो बात सचिव, आवास ने लिखी है। निश्चित रूप से यह इस बात का संकेत करता है कि इस भू-परिवर्तन में भ्रष्टाचार हुआ है। सचिव, आवास के पत्र को मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ-"महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक पत्र दिनांक 5 मार्च, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, पत्र में आपके द्वारा वांछित सूचना एकत्र करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित कर दिया गया है। सादर अवगत कराना है कि विधान सभा सत्र के गतिमान होने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी सत्र से सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं के प्रेषण में व्यस्त हैं। इस कारण आप द्वारा वांछित सूचना एकत्र करने में कुछ अधिक समय लगेगा।"

श्रीमन्, यदि यह सूचना मैंने सूचना के अधिकार में माँगी होती तो निश्चित रूप से सचिव, आवास की यह बाध्यता होती कि वह सूचना मुझे एक माह में उपलब्ध कराते। लेकिन विधायक के रूप में जब मैंने यह सूचना माँगी तो निश्चित रूप से यह इस बात का संकेत है कि जब सत्र समाप्त हो जाय तब यह सूचना मुझे दी जाय। तो यह सब चीजें इस बात की ओर संकेत करती हैं कि इस जमीन घोटाले में, जो यह भूमि परिवर्तन हुआ है, इसमें व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसे शालीनता पर सुन रहा हूँ और आप कई चीजों को रिपीट कर रहे हैं, विषय यह आया था कि जो माननीय सदस्य बोलेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन आप रिपीट कर रहे हैं।

श्री प्रीतम सिंह-

श्रीमन्, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि यह जो भू-परिवर्तन हुआ है, जिसमें यह कम्पनी आवास बनाने जा रही है, शॉपिंग मॉल बनाने जा रही है और 1500 फ्लैट बनाने जा रही है और यह सब गंगा से मात्र 200 मीटर की दूरी पर 1500 फ्लैट बनाने की बात होगी, तो निश्चित रूप से ऋषिकेश शहर की आबादी बढ़ेगी और जो गंगा को स्वच्छ रखने की बात हम बार-बार करते हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, तो यह अपने आप में एक गम्भीर बात होगी। अभी सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आयेगा और उसमें कहा जायेगा कि यह आपकी सरकार के समय का मामला है। हम स्वीकार करते हैं, अगर हमारी सरकार के

समय का भी मामला है तो हमने जमीन को बेचने की बात नहीं की। अगर हमने कोई गलती की है तो क्या आप भी उस गलती को दोहराने का काम करेंगे ? इसलिये मैं हमारी नियम–310 की सूचना पर बल देता हूँ और यह चाहता हूँ कि इस सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाय। साथ ही साथ साथ सी०बी०आई० जाँच की हम माँग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी काफी बढ़–चढ़ कर कहते हैं कि वे किसी भी जाँच के लिये तैयार हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष पर भी अंगुलियाँ उठी हैं और मैं नेता प्रतिपक्ष की ओर से, कॉंग्रेस दल की ओर से यह बात कहना चाहता हूँ और इसलिये भी कहना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष पर इस सदन में पहले भी आरोप लगे हैं और जाँच के बाद स्थिति सभी के सामने है। आज हम फिर कहना चाहते हैं, आज इस प्रदेश के अन्दर सिटूरनिया बॉयोकैमिकल को जिस तरीके से जमीन दी गई है, उस पर पूरे प्रदेश की निगाह है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत दिखाइये, साहस दिखाइये और इस सदन के माध्यम से एक प्रस्ताव भेजिये कि इस प्रकरण की सी०बी०आई० जाँच कराई जाय। निश्चित रूप से जब सी०बी०आई० की जाँच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी प्रदेश की जनता के सामने आ जायेगा। मान्यवर, और अगर हमने इसमें टालमटोल की, हम उधर से जवाब आ गया और अग्राह्य करने की बात हुई माननीय अध्यक्ष जी, तो फिर जो बात हमने कहीं उसमें पूरा सदन शक के दायरे में आयेगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–310 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस चर्चा में नेता बसपा दल, माननीय किशोर उपाध्याय जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय प्रीतम सिंह जी से सम्बद्ध करते हुए कुछ बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अहम मुद्दा है। उत्तराखण्ड की जनता यह जानना चाहती है कि जिस मुद्दे को लेकर चार दिन तक सदन नहीं चला, इसमें कुछ न कुछ तथ्य जरूर छुपा है और ये उजागर होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, तत्कालीन सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1962 में वाडिया समूह को 52 एकड़ जमीन 1 लाख 24 हजार रुपये में दी है। 30 वर्षों तक लाभ कमाने के बाद 90 के दशक में चूना खदानों पर प्रतिबन्ध के कारण घाटे में आ गयी, जिस कारण से इस कम्पनी को बंद करना पड़ा, कम्पनी संचालकों द्वारा 2002 में राज्य सरकार की 10 एकड़ भूमि को बेचकर शेष भूमि पर रियल स्टेट का कारोबार करने का प्रस्ताव उत्तराखण्ड सरकार को दिया। इस प्रस्ताव को शासन ने औचित्य मानते हुए न्याय विभाग और राजस्व विभाग की डीड ऑफ ट्रांसफर की धारा–4 के 4ए, 4बी, 4डी, 4ई व 4एफ के अनुसार अनुमति नहीं दी। 24 मई, 2003 को औद्योगिक विकास सचिव ने लिखित में ये कहा कि नुस्लीवाडिया समूह

के कब्जे वाला 52 एकड़ जमीन बिना शासन की अनुमति के न तो बेची जायेगी, न ही लैण्ड यूज किया जायेगा। तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया। माननीय अध्यक्ष जी, बोर्ड ऑफ इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेंशियल रिक्टेशन बी0आर0एफ0आर0 ने 19 जुलाई, 2005 को इस उद्योग को बीमार घोषित किया तथा कम्पनी ने बी0आई0आर0एफ0 के वाद संख्या 232/2003 में 12.01.2007 को 30 एकड़ जमीन को निम्न शर्तों व प्रतिबंध के साथ निर्णय दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, जब यह निर्णय आया और सरकार को मालूम था कि ये निर्णय बाध्यकारी है तो इसमें क्यों नहीं उस समय इसकी अपील की गयी, 45 दिन का समय दिया गया था, क्यों नहीं उसमें अपील की गयी। ये भी एक गम्भीर विषय है। कम्पनी संचालकों ने अनुमति न मिलने के कारण कम्पनी की इस इकाई को पुनःस्थापित करने के स्टूरगिया बॉयोकैमिकल लि0 एण्ड स्टेडिया प्राईवेट लि0 के नाम से शासन को प्रस्ताव भेजा। 52 एकड़ जमीन को हड़पने के लिए कम्पनी ने चाल चली, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि दून घाटी में प्रदूषण न फैलाने के लिए उद्योगों पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था। जब उन्होंने ये प्रतिबंध लगा दिया था तो इस कम्पनी ने किन कारणों से अनुमति माँगने का काम किया कि हमें दुबारा इस कैमिकल फैक्ट्री को लगाने की अनुमति दी जाय। जिस संवेदनशील कार्य को तिवारी सरकार, खंडूरी सरकार ने नहीं किया। माननीय 'निशंक' जी की वर्तमान सरकार ने एक ही दिन में पूरी की पूरी फाईल को चपरासी से लेकर क्लर्क तक, क्लर्क से लेकर मुख्यमंत्री तक एक ही दिन में साईन करके और उसमें उसी दिन शासनादेश जारी करके उस फैक्ट्री मालिक और कम्पनी को ये पैगाम देने की कोशिश की उत्तराखण्ड की जनता को, कि मेरी इस कम्पनी से अच्छी दोस्ती है, मैं इसका अच्छा दोस्त हूँ। क्योंकि कोई काम तभी इतनी जल्द किया जा सकता है जब उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ छिपा हो। या तो दोस्ती हो या कहीं भ्रष्टाचार की बू आती हो। मान्यवर, इसमें से कहीं न कहीं यह काम इसलिए किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सभी अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा, उद्योग विभाग के अधिकारियों के द्वारा, न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा सभी ने उस पर आपत्ति लगायी। यह पूरी की पूरी फाइल है, इसमें हर जगह लिखा है, आपत्ति लगी है। इसमें हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने भी आपत्ति लगाई है, सभी की आपत्ति लगने के बाद एक ही दिन में इतना बड़ा काम, 3 हजार करोड़ रुपये घोटाले का काम, एक ही दिन में करने का काम, हमारी माननीय सरकार ने कर दिया, क्यों कर दिया ?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'-

श्रीमन्, मैंने फिर निवेदन किया है कि आपने कह दिया कि एक ही दिन में क्यों हुआ ? क्यों नहीं हुआ, यह जवाब सरकार देगी, लेकिन जो शब्द आप बोल

रहे हैं उस पर शख्त आपत्ति है। यह सदन इसलिए बैठा है कि उसका जवाब दे, लेकिन आप इस सदन में इस तरीके से सरकार पर सीधे-सीधे। (व्यवधान) हम जवाब देंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय सदस्य द्वारा कही गयी बात का संज्ञान लिया जाता है, माननीय सदस्य ने कोई आक्षेप लगाया है तो उसका प्रमाण उनके पास होगा। आपने कहा कि इतने हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है तो उसका प्रमाण आपके पास होना चाहिए। (व्यवधान) इसका मतलब आपके पास प्रमाण है तो उसको सरकार को उपलब्ध करायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री सुरेन्द्र राकेश जी, सभी बिन्दु सदन में आ चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सदन में कहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप एक ही बात की पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि मैं हर बिन्दु पर उत्तर देने को तैयार हूँ। मैं कुछ बिन्दु रख रहा हूँ, उसका उत्तर भी दें, उसके बाद जो मैं माँग करता हूँ, उसके आप आदेश करें। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि जब निर्णय हो गया बी0आर0एफ0 का 45 दिन का समय था, क्यों नहीं उसके खिलाफ अपील की गई, दूसरा जब 15 एकड़ जमीन की अनुमति माँगी गई तो 30 एकड़ जमीन की अनुमति क्यो दी गई, तीसरा लैण्ड यूज चैन्ज करने में जो राजस्व 01 अरब 25 करोड़ बनता था, वह किस कारण से माफ कर दिया गया, चौथा कम्पनी की पुनःस्थापना करने का जो आदेश दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं ध्यान में रखा गया कि जब वहाँ उद्योग नहीं लग सकते तो उन्हें क्यों उद्योग लगाने की पुनः अनुमति और आवासीय बनाने की अनुमति दी, छठा आज अनुमति देने के बाद सरकार का यह भी दायित्व बनता है, सरकार ने उस ओर जाकर देखने की जहमत नहीं उठायी, जो अनुमति दी गई है, उसके विपरीत वहाँ पर मॉल बनाये जा रहे हैं। वहाँ पर अन्य कार्य किये जा रहे हैं जो प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। मैं इसलिए इस महाघोटाले में आपके माध्यम से सी0बी0आई0 के जाँच की मांग करता हूँ, क्योंकि पूरा सदन शक के घेरे में है। पूरा

सदन शक के घेरे में इसलिए है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष पर भी आरोप लग रहे हैं। पूरे सदन पर आरोप लग रहे हैं, इसलिए इसकी सी०बी०आई० जाँच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम-310 के ग्राह्यता पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मान्यवर, कुछ बिन्दु पहले आ गये हैं, लेकिन कुछ बिन्दु ऐसे भी, जिन पर अभी तक किसी की बात नहीं आई। सदन के अन्दर बार-बार जिक्र आया है, बी०आई०एफ०आर० का। बी०आई०एफ०आर० का जो आदेश आया, मैं उसमें कहना चाहता हूँ कि बी०आई०एफ०आर० ने अपने आदेश में कहीं यह नहीं लिखा है कि जो मेरा आदेश है वह सारे एक्टों को, सारे नियमों को, सारे प्राविधानों को सुपरसीट करेगा। यह कहीं भी बी०आई०एफ०आर० ने नहीं कहा है। जब कि यहाँ पर दून वैली नोटीफिकेशन और आपका उत्तर प्रदेश अरबन एरिया डेवलपमेंट जो एक्ट है और खुद उत्तराखण्ड सरकार का शासनादेश जिसमें प्राविधान हैं कि जो इण्डस्ट्रीयल उपयोग है, उस इण्डस्ट्रियल से आवासीय में परिवर्तन एक्स कैटेगरी में दिया गया है और एक्स कैटेगिरी की परिभाषा दी गई है कि भू-उपयोग किसी भी सूरत में परिवर्तित नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बी०आई०एफ०आर० ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुपरसीड कर दो। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश है कि दून वैली जो एरिया है, विशेष क्षेत्र है, उसमें कोई भी प्रदूषित इकाई नहीं लगाई जायेगी और फिर बी०आई०एफ०आर० ने यह कहा कि वहाँ पर आप शॉपिंग मॉल बना दो और सबसे बड़ी बात कि बी०आई०एफ०आर० ने कहीं नहीं कहा कि उत्तराखण्ड की सरकार को जो एक-एक पैसे के लिए परेशान है, नॉन प्लॉन के मद में प्लॉन का पैसा खर्च कर रही है सारे राज्य योजनाओं के काम रूके हुए हैं। हमारे यहाँ चलती हुई योजनाएँ रूकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है और उसी के दूसरी तरफ 135 करोड़ रुपया जो आपके आवासीय उपयोग के भू-उपयोग परिवर्तित करने के लिए 125 प्रतिशत की दर से शुल्क लगना था जिसके हिसाब से 15 एकड़ भूमि पर 135 करोड़ रुपये का राजस्व सरकार को मिला था, उसे भी माफ कर दिया, क्या यह भी बी०आई०एफ०आर० ने कहा है ?

माननीय अध्यक्ष जी, यही सारे बिन्दु हैं जो इस घोटाले की ओर लोगों की शंका पैदा कर रहे हैं। चाहे वह भू-उपयोग परिवर्तन की बात हो, उसके परिवर्तन में जो आवासीय परिवर्तन में 125 प्रतिशत शुल्क लगना चाहिए था, उस शुल्क को माफ करने की बात हो, या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना की बात हो, दून वैली नोटिफिकेशन के अवहेलना की बात हो, अपने खुद के निर्णय को जो 2003 में सरकार ने लिया था, एक्स कैटेगिरी में इस कम्पनी को डाला था, उसकी अवहेलना की बात हो और सबसे बड़ी बात जो शंका पैदा करती है कि भू-उपयोग परिवर्तन किया गया, जो एक दिन में कहा जा रहा है, उससे पहले 26 सितम्बर से पहले कम्पनी ने वहाँ भूमि पूजन कर दिया, आवासीय भवनों के नक्शे बाँट दिये, बिना नक्शे पास किये और

उनकी बिक्री/बुकिंग शुरू कर दी जनता के बीच जाकर, यह बहुत बड़ा प्रश्न है यह इंगित करता है कि यह घोटाला नहीं, महाघोटाला है और सरकार इसमें सम्मिलित है। क्योंकि जिस सरकार में हमारी 2002 की, 3003 की स्वीकृति उन सड़कों की वन अधिनियम में क्लीयरेंस नहीं आई है और इसमें सैकड़ों पेड़ काटे गये हैं, उनकी क्लीयरेंस कहाँ से आई गंगा के नजदीक, ऐसा कृत्य करने का दुस्साहस क्या सरकार ने ऐसे ही जनहित में कर दिया। इसलिए यह महाघोटाला है। मैं इस महाघोटाले पर नियम–310 के तहत चर्चा की माँग करता हूँ और सी0बी0आई0 जाँच की माँग करता हूँ।

*श्री गोपाल सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, एक लाईन में अपनी बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, बड़े विस्तार से सब बातें आ गई।

श्री गोपाल सिंह राणा–

उत्तर प्रदेश सरकार ने बॉयोकैमिकल कम्पनी को इस शर्त पर यह जमीन दी थी कि जब यह कम्पनी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगी तो जमीन वापस सरकार में निहित हो जायेगी और इसी को लेकर के एस0के0 दास, जो हमारे प्रमुख सचिव थे, उनके समय में एक कमेटी बैठी थी कि इस जमीन को पर्यटन विकास परिषद् को दे दिया जाए। पर्यटन विकास के लिए अथवा इसको आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दी जाए। तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि एक विशेष प्राइवेट कम्पनी को दे दिया, जबकि यह उत्तराखण्ड की जनता के लिए इतने लाभकारी प्रस्ताव थे, उसको क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

कृपया स्थान ग्रहण करें। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष या अन्य सदस्यों ने ऐसे महानुभावों का उल्लेख किया हुआ हो जो इस सदन में उपस्थित नहीं हो सकते हैं और अपनी बातों का जवाब नहीं दे सकते हैं, उनका नाम कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, नेता सदन, सदन में उपस्थित हैं, क्योंकि सीधे–सीधे उनके ऊपर आरोप हैं मान्यवर, उनकी तरफ से उत्तर आना चाहिए। (व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। नेता सदन के ऊपर जो आरोप थे और जो इंगित किये गये थे उनका जवाब दे दिया गया हैं श्री किशोर उपाध्याय जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ऐसी कौन सी परम्परा है और नेता सदन तो सदन में उपस्थित रहते हैं और ऐसी कौन सी परम्परा है जो आप संसदीय कार्य मंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आप कौन सी परम्परा की बात कर रहे हैं और संसदीय कार्य मंत्री सदन की प्रत्येक कार्यवाही के प्रति जिम्मेदार है और सरकार के प्रति जिम्मेदार है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हम परम्परा कही नहीं रहे हैं, उसमें हम संशोधन करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी और माननीय किशोर उपाध्याय जी, आप मुझे कहीं एक उदाहरण दे दीजिए। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, नियम–310 के अन्तर्गत विगत 8 मार्च से अनवरत यह सदन व्यवधानित होता रहा कि इस नियम पर हम एक बहुत बड़ा मामला खोलने जा रहे हैं और अभी जब माननीय सदस्यगणों ने अपने विषयों को रखा, उसके बाद स्थिति काफी हद तक साफ हुई है। मान्यवर, जिस भूमि का उल्लेख सम्मानित सदस्यों ने किया, उसकी पृष्ठ भूमि के सम्बन्ध में भी बताया।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, बार–बार सरकार की ओर से आ रहा है कि 8 मार्च से लेकर अब तक सदन को अव्यवस्थित किया गया। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आप लोगों ने कहा इस बात को, यह उचित नहीं है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसकी पृष्ठ भूमि में जिन तिथियों का उल्लेख किया, उस पर पुनर्विचार करने के लिए मैं माननीय सदन से आग्रह करना चाहूँगा। मान्यवर, वे

तिथियाँ हैं जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा और माननीय सदस्यों ने भी कहा कि 27.07.2003 व 28.07.2003 और मार्च 2004 और 19.04.2004, 13.11.2006 ये तिथियाँ बी0आई0एफ0आर0 के निर्णय आने से पूर्व की हैं और इनका निर्णय किन परिस्थितियों में आया और उससे पूर्व क्या प्रक्रिया चल रही थी, सरकार के अन्दर किस तरह के विचार आये थे और सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए बैठक में क्या विषय आया उस पर चर्चा करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि ये जो सिदूरगिया बॉयोकैमिकल्स लि0 इण्डिया इकाई जिसका गठन हुआ और निश्चित रूप से 1962 में स्थापना हुई और 50.47 एकड़ भूमि इस इकाई को उपलब्ध करायी गयी। उसके पश्चात् श्रीमन्, देहरादून के आस-पास लाईम स्टोन का खनन बंद होने से और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के चलते हुए यह इकाई घाटे के चलते बंद हो गयी थी और जब यह फैक्ट्री बंद हुई तो घाटे की दृष्टि से उबरने के लिए कम्पनी द्वारा पुनर्जीवित किये जाने के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दिये गये।

जिन तिथियों का हमने उल्लेख किया और जब विषय नहीं सुलझ पाया तो यह कम्पनी श्रीमन्, माननीय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्जीवन बोर्ड बी0आई0एफ0आर0 में चली गयी उसके पश्चात् क्या होता है, उसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा श्रीमन्। बी0आई0एफ0आर0 ने एक तरफा फैसला दिया श्रीमन्, और वह एक तरफा निर्णय आखिर किन परिस्थितियों में हुआ, सम्मानित सदन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। एक तरफा निर्णय के बारे में राज्य सरकार को धारा-19(2) के अन्तर्गत स्कीम में सहमति हेतु भेजी गयी थी। बी0आई0एफ0आर0 ने जो कार्य योजना इस फैक्ट्री द्वारा अपने पुनर्जीवन के लिए बी0आई0एफ0आर0 को सुपुर्द की थी उस कार्य योजना को बी0आई0एफ0आर0 ने राज्य सरकार को भेजा था और वह जो सिक इण्डस्ट्रियल कम्पनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट, 1985 के धारा-19 के भाग-2 के अनुसार है और यह पक्ष सुनने के लिए राज्य सरकार के पास भेजा और राज्य सरकार ने 60 दिनों के भीतर जो तय सीमा थी अपना मंतव्य स्पष्ट नहीं किया और समय मांगा उसके बाद भी राज्य सरकार ने कोई अपना मत बी0आई0एफ0आर0 के समक्ष प्रकट नहीं किया और जिसके फलस्वरूप निर्धारित अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा स्कीम पर सहमति न दिये जाने के कारण, स्कीम पर आपत्ति न किये जाने के कारण, यह राज्य सरकार की डीम्ड सहमति मान ली गयी और इसके पश्चात् जो 45 दिनों का अपील का समय था, वह धारा-25 के अनुसार है, उस अपील का समय भी निकल गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह कब हुआ ? यह जब बी0आई0एफ0आर0 ने अपना निर्णय दिया और जब इसका निर्णय आया और बी0आई0एफ0आर0 ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से अपने निर्णय में कहा। यह 12 जनवरी, 2007 को आया इसमें बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि स्टेट गवर्नमेन्ट ऑफ उत्तरांचल नॉन फिजिकल टू परमिट चेंज ऑफ लैण्ड यूज ऑफ पार्ट ऑफ द एक्जिसटिंग लैण्ड एण्ड बिल्डिंग एट ऋषिकेश एण्ड अलाउ द

कम्पनी टू प्रोसीड विद रि-डेवलपमेन्ट सेल ऑफ द सरप्लस लैण्ड एट ऋषिकेश इन अकॉर्डेन्स विद द स्कीम अर्थात् जो कार्य योजना इसने बी0आई0एफ0आर0 को सौंपी है, उस कार्य योजना के तहत राज्य सरकार को निर्देशित किया गया कि आप इसके आधार पर कार्य करें।

इसके पश्चात् क्या होता है श्रीमन्, जब यह निर्णय 12 जनवरी, 2007 को आता है। चूँकि यह निर्णय बाध्यकारी है, यह इस आधार पर है कि इसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में जो व्यवस्था दी गयी है वह दी गयी, डायमण्ड, प्लॉस्टिक इण्डस्ट्रीज एण्ड अदर वर्सेज गवर्नमेन्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एण्ड अदर्स के निर्णय दिनांक 09.05.1997 में, यह निर्णय दिया गया कि यह निर्णय बाध्यकारी है, इसको सरकार को मानना चाहिए और यह इस कम्पनी एक्ट की धारा-19(3) के आधार पर है कि वेयर इन रिसपैक्ट ऑफ एनी स्कीम द कन्सार्ट रिफर्न्ड टू द सबसेक्शन-7 इज गिवन बाय ऐवरी परसन रिक्वायर्ड बाई द स्कीम टू प्रोवाईड फाइनेंशियल एसिसटेंस। दि बोर्ड में ऐज सून ऐज में बी. सेक्सन दि स्कीम एण्ड ऑन दि फार्म, दि डेट ऑफ सच सेंक्सान दि स्कीम शैल बि बाईन्डिंग ऑन दि ऑल कन्सर्न। अर्थात् यह बाध्यकारी है और इस बाध्यकारी निर्णय के चलते हुये, उस समय तत्कालीन समय में यह प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अब सवाल यह है कि 12 जनवरी, 2007 को कौन मुख्यमंत्री था, इस उत्तराखण्ड सरकार में और कौन उस समय वर्तमान में सरकार में उपस्थित था। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। मान्यवर, 24 फरवरी, 2007 तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी नोटिंग को उद्घृत माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया, उस नोटिंग को थोड़ा गौर करने की आवश्यकता है, मैसर्स सिट्रूरनिया बॉयोकैमिकल लिमिटेड जो कि एक बीमार औद्योगिक इकाई है, के मामले में बी0आई0एफ0आर0 द्वारा जनवरी, 2007 में कम्पनी को पुनर्जीवित करने का निर्णय दिया है, जो पत्रावली के दाहिनी ओर रखा है दि सिक इण्डस्ट्री कम्पनी स्पेशियल प्रोविजन एक्ट, 1985 की धारा-19 के अन्तर्गत यह आदेश राज्य सरकार सहित सभी संस्थाओं द्वारा पालन किये जाने की बाध्यता है, अब यदि बी0आई0एफ0आर0 ने कोई निर्णय दिया तो वह बाध्यकारी है और सरकार को मानना होगा, इस बात को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह-

मान्यवर, हम स्वीकार करते हैं, अगर सरकार पाक-साफ है तो हम सी0बी0आई0 जाँच की माँग करते हैं।

श्री प्रकाश पन्त-

श्रीमन्, जाँच तब कराई जायेगी जब कोई भ्रष्टाचार हुआ हो। आप सुनना नहीं चाह रहे, क्योंकि इसमें सरकार पूरी पाक-साफ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की पूरी बात आ जाये।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हमारी सरकार ने प्रदेश के हितों पर कुठाराघात किया है, उस पर भी सी0बी0आई0 जाँच होनी चाहिए।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सीधे–सीधे उस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को इंगित कर रहे हैं, यदि आप इंगित करके बात करते हैं तो उसकी जाँच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, इधर सरकार ने एक–एक विषय को सुना है।

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह परम्परा भी है और उचित भी है कि जब माननीय नेता सदन बोलने के लिए खड़े होते हैं तो कृपया बैठकर उनकी बातों को सुनें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं यह अनुरोध करना चाह रहा था कि जितने भी विषय आये, एक–एक बिन्दु को शांतिपूर्वक सरकार ने सुना है। श्रीमन्, अभी तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं, यदि उसके बाद भी किसी को कुछ पूछना होगा, या कोई बात करनी होगी तो वह की जा सकती है, लेकिन यह परम्परा तो ठीक नहीं है कि बोल रहे हैं और अभी पूरा भी नहीं बोला गया है। आखिर यह प्रक्रिया 2003 से चली आ रही है। एक–एक करके विषय आ रहा है। आप पहले पूरी बात तो सुन लें हमारे मंत्री जी की। इतना धैर्य तो होना चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि जब यह निर्णय आया। श्रीमन्, मैंने पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का उल्लेख इसलिए किया चूँकि उन्होंने इस विषय की गम्भीरता को स्वीकार किया था। उसके चलते हुए वह निर्णय बाध्यकारी भी है और उसकी कार्य योजना को स्वीकार करना चाहिए और उसकी कार्य योजना का

पालन सरकार के माध्यम से होना चाहिए, यहाँ इस बात का उल्लेख उन्होंने किया था। इसके पश्चात् यह प्रकरण आगे चला और सम्पूर्ण अध्ययन इस पत्रावली का हुआ, हर पहलू पर विचार किया गया कि किस तरह से आखिर इस कम्पनी को पुनर्जीवित किया जाय जैसा कि बी0आई0एफ0आर0 ने निर्णय दिया। श्रीमन्, इसके पश्चात् 6–3–2008 को माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री, जनरल खण्डूड़ी जी ने भी इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया। श्रीमन्, जो प्रस्ताव पी0आई0 फार्म के अनुपालन के सम्बन्ध में था।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, पत्रावली में क्या लिखा है ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें लिखा है यथा प्रस्तावित अनुमोदित अर्थात् यह जो प्रस्ताव दिया गया है, इसको अनुमोदित किया जाय। इसके पश्चात् कुछ विषय उठाये गये, उनके सम्बन्ध में भी अवगत कराना चाहूँगा कि 14 मार्च, 2008 को उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से इस कम्पनी को जो बी0आई0एफ0आर0 ने दिशा–निर्देश दिये थे, उसके अनुपालन के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किया गया। इस कम्पनी के भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया की गयी और जिसके तहत जो आवेदित भू–उपयोग था, उसका भू–उपयोग परिवर्तित किया गया। जहाँ तक जो विषय माननीय सदस्य ने रखा कि गंगा भूमि के 200 मीटर दूरी के भीतर होने के कारण भूमि उपयोग परिवर्तन से गंगा नदी पर प्रदूषण बढ़ेगा। यह बात इस सदन के समक्ष रखी गयी थी, इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूँगा कि यह भू–भाग जो गंगा जी के 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थित है और जिसका माननीय बी0आई0एफ0आर0 के निर्णय के तहत भू उपयोग परिवर्तित किया गया है। वह मात्र आवासीय और पर्यटन सुविधाएँ जैसे ओल्ड ऐज होम, नेचुरोपैथी, ग्रुप हाउसिंग इत्यादि सृजित किये जाने के प्रस्ताव उसमें है। इसके माध्यम से किसी भी तरह का प्रदूषण सम्भावित नहीं है। फिर भी प्रस्ताव ग्रुप हाउसिंग आदि के जल–मल आदि निकासी की व्यवस्था पृथक से करने का गंगा नदी पर न जोड़ा जाना, यह उस परियोजना में प्रस्तावित है। इस भू–भाग पर पूर्व से ही उद्योग की मुख्य फैक्ट्री नहीं है अपितु कुछ कर्मचारियों के क्वार्टर इत्यादि बने हुए हैं।

श्रीमन्, इस तरह से जो आशंका व्यक्त की गयी कि माँ गंगा के 200 मीटर के अन्दर यह प्रदूषण फैलाएगा, तो यह आशंका भी निर्मूल है। इस तरह से यदि यह सम्पूर्ण प्रकरण हम देखें तो यह प्रथम दृष्ट्या ही गलत प्रतीत होता है। जो केवल कल्पनाओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया प्रकरण है। (व्यवधान) यह प्रकरण ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है। अतः मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस विषय को अग्राह्य करें (व्यवधान) और जितने भी आरोप लगाए गये हैं, उनमें से किसी भी आरोप में दम नहीं है और किसी भी तरह का कोई आरोप सत्य प्रतीत नहीं होता। (व्यवधान) विशेष रूप से जो धन से सम्बन्धित आरोप लगाए

लगाए गये हैं, उसे सम्बन्ध में मैं, आपसे अनुरोध करूँगा, चूँकि माननीय सदस्य ने अपने संज्ञान में लिया है, या तो वे उसका कोई प्रमाण उपलब्ध करा दें। (व्यवधान) अतः इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के सभी माननीय सदस्य तथा माननीय सदस्य काजी मो0 निजामुद्दीन को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े सभी माननीय सदस्य नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय, श्री शहजाद, डा0 हरक सिंह रावत, श्री प्रीतम सिंह, माननीय नेता सदन, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री रणजीत सिंह रावत, श्री बलबीर सिंह नेगी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान) इस प्रकरण में जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, कोई भी आपत्तिजनक उल्लेख हो तो उसे सदन की कार्य से बाहर निकाल दिया जाय। इसका हम परीक्षण करा लेंगे। यदि कोई आपत्तिजनक उल्लेख होगा तो उसे कार्यवाही से बाहर निकाल दिया जाएगा। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े सभी माननीय सदस्य नारे लगाने लगे।)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, ...

श्री अध्यक्ष–

इस पर विनिश्चय आ चुका है इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं सुनूँगा। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि सरकार ने सीबी0आई0 की जाँच के आदेश नहीं दिये हैं और पीठ के द्वारा भी जो हम उम्मीद कर रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम आपसे जो उम्मीद कर रहे थे, (व्यवधान) हम पीठ का बहुत सम्मान करते हैं। इस सरकार के द्वारा कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गयी। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हमने इस मुद्दे को अभी तक सदन के अन्दर लड़ा है। अब हम प्रदेश की जनता के बीच गाँव, गली और पूरे प्रदेश

में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के इस मामले को लेकर जाएंगे। मैं और मेरा दल इस मुद्दे पर वॉक आऊट कर रहा है, सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के सभी माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना, प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में दिये जाने में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री दिनेश अग्रवाल तथा अन्य सदस्यों की है। (व्यवधान) श्री दिनेश अग्रवाल जी।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरी बात का स्पष्टीकरण नहीं आया है। जो लैण्ड यूज चेंज 125 प्रतिशत बनता था, उसकी बात नहीं आयी। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, उद्योग से आवासीय में भू–उपयोग परिवर्तन करने में कोई शुल्क देय नहीं होता, इसलिए शुल्क नहीं लिया गया। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के सभी माननीय सदस्य सदन में अपने–अपने स्थान पर वापस आ गये।)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकरण की सी0बी0आई0 जाँच होनी चाहिये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

विषय आ गया है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बता दिया है कि उद्योग से आवासीय परिवर्तन करने में कोई शुल्क देय नहीं होता है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जब कुछ हुआ ही नहीं है, तो किस बात की जाँच कराई जायेगी। कोई घोटाला हुआ ही नहीं तो किस बात की जाँच कराई जा सकती है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिये हम सदन से वॉक आउट करते हैं।

(माननीय सदस्य श्री काजी निजामुद्दीन को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में दिये जाने में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा

श्री दिनेश अग्रवाल–

श्रीमन्, आपने मुझे प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में दिये जाने के कारण जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर नियम–310 की सूचना के अन्तर्गत ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, आज यह सवाल सिर्फ चन्द पॉवर की योजनाओं को आवंटित करने का नहीं है, आज यह सवाल प्रदेश की अस्मिता से जुड़ गया है। आज यह प्रदेश के संसाधनों का सवाल है और प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। जिस तरह से तमाम इलाकों की छोटी–छोटी परियोजनाओं को, बहुत सारे उन लोगों को सौंप दिया गया, जिन लोगों को इन योजनाओं को चलाने और बनाने का कोई अनुभव नहीं है। जो शराब माफिया, भू माफिया और बड़े–बड़े बिल्डर हैं, उनको इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के सीमान्त इलाकों तक घुसाने की तैयारी हो रही है। मान्यवर, यह बहुत चिन्ता का विषय है, इसे किसी प्रकार से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि ऐसे लोगों को हमारे सीमान्त इलाकों तक प्रवेश करा दिया जाय। जो प्रोजेक्ट आवंटन हुये हैं, इससे हमारी अस्मिता खतरे में पड़ गई है। जो यह 964 मेगावाट की विद्युत परियोजनायें स्वीकृत हुई हैं, उसमें से उत्तराखण्ड के निवासियों को मात्र 3.5 मेगावाट की परियोजनायें स्वीकृत हुई हैं और जिसका सरकार ने और जो सरकार की पार्टी है, उसके द्वारा बड़े–बड़े विज्ञापन देकर प्रचार और प्रसार किया गया कि उत्तराखण्ड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखण्ड के लोगों को इतनी जल विद्युत परियोजनायें आवंटित कर दी हैं। 3.5 मेगावाट की परियोजनायें उत्तराखण्ड के 6 लोगों को आवंटित की गई। मान्यवर, बड़े शर्म की बात है कि जो उत्तराखण्ड राज्य, उत्तराखण्ड के रोजगार और विकास के लिये बना था। वहाँ कि लोगों को 3.5 मेगावाट की योजनायें और वह भी मात्र 6 व्यक्तियों को और 960 मेगावाट की परियोजनायें बाहरी कम्पनियों को दे दी। वे लोग चाहे शराब के व्यवसाय से जुड़े हों, या जमीन के व्यवसाय से जुड़े हों, ऐसे लोग जिनके पास इन योजनाओं को बनाने और चलाने का कोई अनुभव नहीं है, उन्हें इन योजनाओं को आवंटित कर दिया गया।

मान्यवर, आज हमारा आरोप है कि आज यह सरकार बाहर के उन चन्द लोगों के हाथ में खेल रही है, जो यहाँ के जल और जमीन को हड़प लेना चाहते हैं, जो यहाँ के संसाधनों को हड़प लेना चाहते हैं। मान्यवर, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो हमारा सिंचाई विभाग है, जिसने पूर्व में भी

कई-कई विद्युत योजनाओं का संचालन किया है, निर्माण किया है, उसे कितनी परियोजनायें स्वीकृत की गई। हमारे उत्तराखण्ड के बहुत सारे उद्यमी उत्तराखण्ड के अन्दर विद्युत योजनाओं को बना रहे हैं, उनका संचालन कर रहे हैं। उनको कितनी योजनायें दी गई, मात्र 3.5 मेगावाट और वह भी नये लोगों को। तो मान्यवर, एक इतना बड़ा घपला और घोटाला हुआ है। इसकी कोई जानकारी वेबसाईट पर नहीं दी गई, न ही सरकार ने इसको सार्वजनिक रूप से रखा। यह प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है, खंडूड़ी सरकार में भी इस प्रक्रिया को बहुत दिन तक चलाया गया। मान्यवर, बड़ी वीडियोग्राफी हुई, बड़ा दिखाया कि परियोजनाओं को इस तरह से आवंटित किया जायेगा, लेकिन एकदम चटपट तरीके से जिस तरह से इन परियोजनाओं को जिन लोगों ने आवेदन किये थे, उनको मेरा आरोप है कि इन परियोजनाओं में बहुत बड़ा धन लेकर, प्रति मेगावाट के हिसाब से इन योजनाओं का आवंटन हुआ है, करोड़ों रुपये का इसमें घपला, घोटाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी हिम्मत से इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा है कि सरकार किसी भी जाँच को तैयार है, सरकार कोई भी जाँच कराने को तैयार है।

तो मान्यवर, जो ऐसी योजनाएं हैं, जो लोगों के मन में संदेह पैदा करती है कि 56 परियोजनाओं का आवंटन जो हमारे यहाँ हुआ है उसमें से 46 परियोजनाएं मात्र चार लोगों में बांट दी गयीं और ये लोग चण्डीगढ़, हैदराबाद, दिल्ली के हैं और जो हमारे यहाँ के जो लोग थे, जो बाकी लोग थे, उनको ये कहकर बात कहने की चेष्टा की गयी कि कॉग्रेस के समय में 1600 मेगावाट की योजनाएं आवंटित की गयी थीं, कॉग्रेस में 1600 मेगावाट की योजनाएं की गयी थीं और कॉग्रेस के जमाने में बड़ा भारी घपला, घोटाला हुआ जब योजनाएं आवंटित की गयीं थीं तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदार विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी क्या उस समय सोयी हुई थी, क्या भारतीय जनता पार्टी के ये लोग जो विपक्ष में थे, क्या वो सोये हुए थे, जब कॉग्रेस के लोग विद्युत आवंटन में घपला, घोटाला कर रहे थे, लेकिन आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि यदि उस समय की परियोजनाओं के आवंटन में भी कोई घपला, घोटाला हुआ है तो सरकार आज इनके साथ मिलकर, जुड़कर उन योजनाओं की भी सी0बी0आई0 की जाँच कराए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उनकी सी0बी0आई0 जाँच हो जाय और जो अभी घपले, घोटाले हुए हैं, जो 55 परियोजनाओं में आवंटन हुआ है, उसकी भी सी0बी0आई0 जाँच हो जाय। मैं मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूँ कि इनमें जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई, इन प्रोजेक्टों के आवंटन की लम्बी प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले किसी भी परियोजना की फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार होती है, उसके बाद डी0पी0आर0 तैयार होती है। पहले चरण में सरकार द्वारा सम्बन्धित कम्पनी को इसी की अनुमति प्रदान की जाती है और तब तैयार की गयी डी0पी0आर0 पर भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनापत्ति ली जाती है तभी जाकर इम्पलीमेंटेशन एग्रीमेन्ट किया जाता है सरकार ने न तो

पहले इम्पलीमेंटेशन एग्रीमेंट की चिट्ठियाँ जारी की, सरकार ने तो इससे पहले ही इम्पलीमेंटेशन एग्रीमेंट की चिट्ठियाँ जारी कर दीं। वन एवं पर्यावरण से किसी प्रकार की अनापत्ति नहीं ली गयी तो सरकार ने अपने चेहेते बिल्डरों, ठेकेदारों को इन परियोजनाओं को बांट दिया।

तो मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये प्रदेश पर्यटन, ऊर्जा का प्रदेश है, ये रीढ़ है हमारी और यदि इन विद्युत परियोजनाओं के आवंटन में कोई धांधली होती है, यदि धांधली का शक भी होता है तो सीधा-सीधा ये हमारी अस्मिता पर प्रहार है मान्यवर, और यदि सरकार जनहित की सच्ची परवाह करती है, सरकार इस प्रकरण में गम्भीर है तो जाँच कराने से क्यों कतराती है। आज जनमानस में एक बहुत बड़ा प्रश्न तैर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कॉग्रेस के जमाने की आवंटन की जो योजनाएं हैं, यदि कॉग्रेस के लोग चाहें और मुझे पत्र दें तो मैं उसकी जाँच करा दूँ। लेकिन इनमें कोई घपला, घोटाला नहीं हुआ है तो मैं इसकी जाँच क्यों कराऊँ। तो मान्यवर, यही तो शक है कि इनमें घपला, घोटाला हुआ, ये योजनाएं बिक जाएंगी, इनकी ट्रेडिंग होगी। इन योजनाओं को जिन लोगों को दिया गया है, कल वो अपनी कम्पनी के डायरेक्टर, अपनी कम्पनी के एम0डी0 बदल के इन्हीं कम्पनियों के माध्यम से दूसरों को इन परियोजनाओं को बेच देंगे। इस बात की चिंता है मान्यवर, हमारी। मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग के नाम पर ये कम्पनियाँ पुनः इनको बेचने का काम करेंगी तो मान्यवर, ये इतना गम्भीर मसला है जिस पर हम मौन कैसे रह सकते हैं।

बार-बार कहा जाता है कि चार दिन तक सदन नहीं चलने दे रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। प्रदेश का इतना बड़ा मसला और उस मसले पर विपक्ष अपनी बात नहीं रखेगा, जनता के सरोकार की बात विपक्ष सदन में नहीं रखेगा और सदन में अपनी बात को रखने के लिए, अपनी चिंता को रखने के लिए, नियमों के आधार पर अपनी बात नहीं कहेगा तो कहाँ कहेगा ? इसमें सरकार की सदाशयता होनी चाहिए कि यदि सरकार सच्ची है, सरकार के मन में कोई खोट नहीं है, सरकार कहीं पर विचलित नहीं है तो सरकार को क्या दिक्कत है। बहुत सारी चीजों में जाँच होती है। इसमें भी जाँच हो जाय और जाँच करने के लिए सरकार को सामने आना चाहिए। मान्यवर, हम तो इस मामले में सतर्क रहकर राज्य के हितों की चौकीदारी कर रहे हैं और यदि राज्य के हितों की चौकीदारी करना गलत है, मान्यवर, यह हमारा कर्तव्य नहीं है तो हमको बतायें कि हम राज्य के हितों की रक्षा नहीं कर सकते या राज्य के हितों की रक्षा के लिए अपनी बात को नहीं कह सकते। मान्यवर, हम कहना चाहते हैं कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर क्योंकि नाम लेने का प्रतिबन्ध है नहीं तो मैं बताता किन-किन लोगों को किस-किस तरह से इन परियोजनाओं का आवंटन हुआ। एक ही व्यक्ति, जो कई कम्पनियों का डायरेक्टर है, उसको परियोजनाओं के आवंटन में वरीयता दी गई।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जिनको आवंटन हुआ, उनका नाम तो ले सकते हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप देखेंगे कि किन–किन लोगों को परियोजना आवंटित की गई, चण्डीगढ़ डिस्ट्रीलर्स एवं बॉटलर्स कुर्मी इंजीनियर्स, इनको 75 मेगावाट की तीन परियोजनायें, कुर्मी इनर्जी प्राइवेट इंजीनियर्स को 50 मेगावाट की, पंजाब डिस्टलरी को 26.6 मेगावाट की, सिगनेट सप्लायर्स को 71 मेगावाट की, एक्वा पॉवर प्राइवेट को 25 मेगावाट की, कपिल मोहन एण्ड एसोसिएट्स को 15 मेगावाट की, टायटेन सॉफ्टवेयर को 10 मेगावाट की, ऑडामुडी अन्नाई को 75 मेगावाट की, देवभूमि एनर्जी कॉरपोरेशन को 25 मेगावाट की, इस तरह 377 मेगावाट की परियोजनायें मात्र 09 आदमियों को। [×××], ये जो लोग हैं, अब डिस्टिलेरी कम्पनियाँ शराब बनाने के बजाय बिजली बनायेंगे। ये प्रदेश के अन्दर शराब के व्यवसाय को छोड़कर बिजली बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

श्री दिनेश जी, आपकी बात आ गई है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसमें बहुत सारे उन लोगों को बाहर कर दिया गया जो इलीजेबल थे, जिनकी इलीजिबल्टी थी। मान्यवर, इसमें मेरा कहना है कि अपने चहेतों को, जिन लोगों से धन के उपार्जन की, मैं समझता हूँ कि उन लोगों को इन परियोजनाओं का आवंटन किया गया, इसमें सीधा–सीधा घपला है। मैं समझता हूँ कि इसमें नियम–310 में चर्चा कराई जानी चाहिए और मैं इसमें सी0बी0आई0 की जाँच की माँग करता हूँ।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड राज्य की 56 परियोजनायें, जो 964 मेगावाट की थी, वह आवंटन कर दी गई हैं। यह सीधा–सीधा यह दर्शाता है कि बहुत बड़ा घोटाला नहीं बल्कि महाघोटाला हुआ है। इसके अन्तर्गत आपने जो मुझे नियम–310 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता सदन जी से जानना चाहती हूँ कि जो आपने 964 मेगावाट की 56 परियोजनायें आवंटित की हैं, वह सारी उन लोगों को दी गई हैं, जिनको कि आज तक एक मेगावाट क्या एक किलोवाट बिजली बनाने का अनुभव नहीं है। मैं माननीय नेता सदन जी से जानना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार को सिंचाई विभाग के ऊपर कोई

नोटः–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

भरोसा नहीं था, कोई विश्वास नहीं था कि जिस सिंचाई विभाग ने चीला बनाई हो, जिस सिंचाई विभाग ने छिबरो बनाई हो, जिस सिंचाई विभाग ने ढकरानी बनायी हो, जिस सिंचाई विभाग ने खटीमा बनायी हो, जिस सिंचाई विभाग ने ढालीपुर बनाई हो, जिस सिंचाई विभाग ने कुल्हाल बनाई हो, जिस सिंचाई विभाग ने तिलौथ बनाई हो, जिस सिंचाई विभाग ने रामगंगा आदि अनेक कई हजार मेगावाट की परियोजनायें बनायी हैं, आज उस सिंचाई विभाग को दरकिनार कर दिया गया। इसमें सिंचाई विभाग के लगभग 5 हजार कर्मचारी जो आज बिना काम के बैठे हैं और बिना काम के सरकार आज उनको तनख्वाह दे रही है, आज करोड़ों रुपये का राजस्व उनकी तनख्वाह में जा रहा है, आज सिंचाई विभाग को कोई काम न देकर ये सारी योजनायें बाहरी लोगों को आवंटित कर दी गई हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से यह बात जानना चाहती हूँ कि कोई भी परियोजना आवंटित तब की जाती है जब कि उसकी पी0एफ0आर0 रिपोर्ट बनती है अर्थात् अर्थात् प्री फिजीबल रिपोर्ट, वह रिपोर्ट तीन साल के नदी के जल का प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में और बरसात की ऋतु में कितना उसका प्रभाव है, कितना उसमें जल स्रोत है, उसके आधार पर उसकी पीएफ0आर0 बनाई जाती है और उसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि इस जल प्रवाह में कितनी मेगावाट की योजना बनेगी। उसमें पाँच मेगावाट बन सकती है, 10 की बनेगी, 15 की बनेगी, 20 की बनेगी या 25 की बनेगी और परियोजनाओं की किसी की भी पी0एफ0आर0 रिपोर्ट सरकार को नहीं जमा कराई गई है। इसके बाद डी0पी0आर0 रिपोर्ट बनाई जाती है, इन परियोजनाओं की कोई पी0एफ0आर0 रिपोर्ट नहीं बनाई गई, कोई डी0पी0आर0 रिपोर्ट नहीं बनाई गई और इतना करने के बावजूद इन सब को परियोजना आवंटित कर दी गई। क्या इतनी दूरदर्शिता है कि उन्हें पता है।

मैं इस सदन को बता देना चाहती हूँ। (व्यवधान) क्योंकि आजकल जल स्रोत सूखते जा रहे हैं, जल का प्रवाह नदियों में कम होता जा रहा है अगर तीन साल पहले कोई परियोजना 25 मेगावाट की बन सकती थी तो आज जल प्रवाह के कारण वह परियोजना 20 या 15 मेगावाट पर भी आ सकती है तो बिना पी0एफ0आर0 रिपोर्ट बनाये कैसे आपने यह उनके कहने पर मान लिया कि 25 मेगावाट की है, 20 मेगावाट की है, 15 मेगावाट की है, 10 मेगावाट की है या 5 मेगावाट की है। यह तो बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है कि वह इतने अन्तर्यामी हो गये। इसके अलावा जो यह ऊर्जा नीति है, इसमें है कि एक ही कम्पनी को तीन योजनाओं से अधिक नहीं दी जा सकती हैं जबकि आपकी सरकार ने [×××] जो पति-पत्नी हैं, उनका एक ही पता है, उनको छः योजना आवंटित की गई तो यह किस उद्देश्य से किस मद से उनको यह योजना प्रदान की गई और जब यह चार दिन तक सदन नहीं चला और जब यह देखा गया कि यह मुद्दा सदन में आयेगा तो उन्होंने तीन

नोट:-[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

परियोजनायें वापस कर दी। इसका मैं कारण जानना चाहती हूँ कि क्यों उन्होंने छः परियोजनायें ली और उसके कुछ दिनों बाद तीन परियोजनायें वापस कर दी गई। वैसे तो सरकार यह कहती है कि हम अपने स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, स्थानीय लोगों को अधिक प्रोत्साहन देंगे। लेकिन जब कोई जल विद्युत परियोजना आवंटित की जाती है तो यह बड़ा दुःख का विषय है कि मात्र 3.5 मेगावाट की परियोजनायें स्थानीय लोगों को दी जाती हैं और यह उन स्थानीय लोगों को नहीं दी जाती है जिनके यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उत्तरकाशी में जिनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनका अभी कार्य चल रहा है, उन लोगों को इन परियोजनाओं में से एक परियोजना का भी आवंटन नहीं किया जाता है। वैसे तो सरकार कहती है कि हम ऊर्जा प्रदेश जो हमारी सरकार का संकल्प था, वह तो इस सरकार ने घोर अन्धकार प्रदेश में परिवर्तित कर दिया है। लेकिन यह जो 964 मेगावाट की परियोजना अगर हमारा सिंचाई विभाग या उत्तरांचल जल विद्युत निगम बनाता तो इसकी पूरी-पूरी 964 मेगावाट बिजली हमारी सरकार को प्राप्त होती लेकिन जो यह आपने बाहर के लोगों को दे दी तो मात्र 12 प्रतिशत बिजली हमको प्राप्त होगी अर्थात् लगभग 115 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी तो कहाँ हमको 964 मेगावाट बिजली प्राप्त होती, कहाँ हमको 12 प्रतिशत राज्यांश ही मिलगा तो इस आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में परिवर्तित करेंगे। ऐसी अनेकों जल विद्युत परियोजनायें है। इसी तरह से हम बेचते रहेंगे तो हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश बनने वाला नहीं, यह अन्धकार प्रदेश बन जायेगा। इसके अलावा जो [×××] परियोजना दी है, वह टैक्निकल ग्राउण्ड में डिस्क्वालीफाई थे, उसके बावजूद उन्हें 6 परियोजनाएं दी गई । टैक्निकल ग्राउण्ड में डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी उनको 6 परियोजनायें कैसे आवंटित की गई।

मेरा पूरा दावा है कि जिन शराब माफियाओं को, भू माफियाओं को जल विद्युत परियोजनायें आवंटित की गई, वह इस उत्तराखण्ड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उनको नहीं पता होगा कि धौली गंगा कहाँ है, उन्हें यह नहीं पता होगा कि मंदाकनी कहाँ है, उन्हें यह नहीं पता होगा कि नन्दाकनी कहाँ है, उन्हें यह नहीं पता होगा कि काली गंगा कहाँ है और उन्हें यह नहीं पता होगा ऋषि गंगा कहाँ है, लेकिन ऐसे अनुभवहीन लोगों को आपने योजनायें आवंटित कर दी। इसका हम घोर विरोध करते है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जिन कम्पनियों को वह परियोजनायें आवंटित की गई है, उनमें से कई के पते फर्जी है, या फिर बदल दिये गये हैं। मान्यवर, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जिन कम्पनियों को ये परियोनजाएं आवंटित की गयी हैं, उनमें से कई के पते या तो फर्जी हैं या फिर बदल दिये गये हैं। एक पंजाब डिस्टलर्स का पता एस0सी0ओ0 140-141, सेक्टर-34 ए, चण्डीगढ़

नोट-[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

दर्शाया गया है, जबकि यह पता दूसरी कम्पनी चण्डीगढ़ डिस्टिलर्स का भी है, दूसरा चण्डीगढ़ डिस्टिलर्स का पता दूसरा बेनर्स गांव, पटियाला, पंजाब दर्शाया गया है, तीसरा एल्वा पॉवर का पता 2587, फेज-1, मोहाली, पंजाब भी गलत दर्शाया गया है, जबकि इसका ऑफिस चण्डीगढ़ डिस्टिलर्स के नीचे वाले फ्लोर पर है, चौथा कुर्मी एनर्जी का पता 1108 सेक्टर-19 बी0, चण्डीगढ़ दर्शाया गया है, जबकि यहाँ आवासीय कॉलोनी है तथा इस पते पर कोई कार्यालय नहीं है पाँचवां सिगनेट कम्पनी का पता 1377, सेक्टर-24, सी0ए0, चण्डीगढ़ दर्शाया गया है, जबकि यहाँ कोई कार्यालय नहीं है, केवल एक निर्माणाधीन भवन है। अब सवाल यह है कि 5 मेगावाट से 25 मेगावाट की परियोजनाएं ही क्यों खोली गयी हैं, स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं में वरीयता क्यों नहीं दी गयी। इसलिए मेरा माननीय अध्यक्ष जी, यही अनुरोध है कि यह बहुत संवेदनशील मामला है, इसमें चर्चा करायी जाय और मैं माँग करती हूँ कि इसकी सी0बी0आई0 से जाँच करायी जाय। धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)-

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल जी ने और श्रीमती अमृता रावत जी ने, आपके द्वारा नियम-310 की ग्राह्यता पर जो अपनी बात रखी है और जो तथ्य इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये हैं और संज्ञान में लाये हैं मैं उनकी बात पर बल देता हूँ और निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के जल संसाधन को बेचने का एक सुनियोजित षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने किया है और जैसे श्रीमती अमृता रावत जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने कांग्रेस के शासनकाल पर 56 घोटालों का आरोप लगाया है। इन्होंने तो केवल फर्जी घोटालों का आरोप लगाया है, इसलिए मुझे गम्भीरता के साथ फर्जी घोटाला कहना पड़ रहा है। मान्यवर, इनकी सरकार को तीन वर्ष हो गये हैं और इतने समय बाद भी किसी घोटाले का पर्दाफाश नहीं होता है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने द्वारा उठाये गये 56 घोटालों के मामले में कांग्रेस की सरकार को क्लीन चीट दे दी है।

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")-

श्रीमन्, इस घोटाला प्रकरण को आयोग देख रहे हैं लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो रिपोर्ट घोटाले से सम्बन्धित आयोग ने हमको दे दी है, बहुत जल्दी उसको सदन के समक्ष ला करके प्रस्तुत करूँगा। (मेजों की थपथपाहट)

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, न्याय की किताब में स्पष्ट उल्लेख किया गया है और दिनेश अग्रवाल जी वकील हैं, कि विलम्ब से किया गया न्याय भी अपने

आप में अन्याय होता है और जब आपने 56 घोटालों का उल्लेख इस प्रदेश की जनता के सम्मुख किया और आपने चुनाव के दौरान इस बात का वायदा किया था कि हम 100 दिन के अन्दर कॉंग्रेस शासनकाल के 56 घोटालों का पर्दाफाश करके दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। मैं आपके उन नेताओं के जिनका संसदीय परम्पराओं के दृष्टिकोण से नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, चाहे आपके राष्ट्र नेता हो या प्रदेश के नेता हों या आप स्वयं हों। मैं रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ, आपके बयान दिखा सकता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश की जनता को अन्याय मिल रहा है क्योंकि आपकी बात पर जनता ने विश्वास करके इस उम्मीद में आपको सरकार बनाने का अवसर दिया कि आप कॉंग्रेस शासनकाल के 56 घोटालों का पर्दाफाश करके प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय दिलाओगे। लेकिन 3 साल में आप प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय नहीं दिला पाये, इसलिए यह अपने आप में अन्याय है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया विषय पर आयें। माननीय नेता सदन ने आपको बता दिया इस बारे में।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हम पर केवल घोटालों का आरोप लगाया था और मैं अमृता रावत जी की बात से सहमत हूँ कि हम आप पर घोटालों का आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम महा घोटालों का आरोप लगा रहे हैं। आपने 56 जल विद्युत परियोजनाओं का, जैसाकि माननीय दिनेश अग्रवाल जी ने उल्लेख किया। 56 का तो आंकड़ा गड़बड़ ही है, अरे 36 का आंकड़ा भी गड़बड़ है। माननीय प्रेम चन्द जी, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, ये आंकड़ा भी गड़बड़ है और इन आंकड़ों मे गड़बड़ी भी हुई है। अरे भाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो किसका रखेंगे। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

यह आपका दूसरा भाई बोल रहा है। पीछे बैठा हुआ है। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

ख्याल तो कई तरह से रखा जा सकता है, पक्ष में खड़े होकर और विपक्ष में भी खड़े होकर रखा जा सकता है। कहते हैं न कि बेवकूफ मित्र से होशियार दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है तो किसी भी रूप मे मदद की जा सकती है। (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, यह तो केवल मैं प्रेम जी के लिए कह रहा हूँ, यह प्रीतम भाई के लिए नहीं कह रहा हूँ। (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, चंद

लोग इस सारे महाघोटाले के सूत्रधार हैं। अमृता जी ने जिक्र किया [×××] और माननीय दिनेश अग्रवाल जी ने उल्लेख किया चार लोगों का [×××]। अब इन चार लोगों की कम्पनी को जैसे अमृता जी ने कहा। हमने नहीं कानून बनाया आपने कहा, आपका शासनादेश है कि हम एक कम्पनी को या एक व्यक्ति को 3 से अधिक परियोजना आवंटित नहीं करेंगे यह आपने आदेश किया, क्या हुआ उस आदेश का, आपने विरोधाभास कर दिया। कान इधर से पकड़ों या उधर से पकड़ों, अरे कान तो पकड़ ही लिया। ये 4 लोग मान्यवर, जहाँ 8 कम्पनियों में डायरेक्टर हैं, असिस्टेन्ट डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उन 8 कम्पनियों को 17 प्रोजेक्ट्स, 17 जल विद्युत परियोजनायें बाँटी गयी।

अभी माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी ने कहा कि उत्तराखण्ड के लोगों को 3.5 मेगावाट और अकेले इन 4 लोगों को जिन कम्पनियों में यह शेयर होल्डर के मालिक हैं, उनको 377 मेगावाट। अकेले 900-960 मेगावाट की बिजली में 377 मेगावाट ये 4 लोग डकार कर गये। माननीय अध्यक्ष जी, [×××] यह कौन हैं, कहाँ रहते हैं। यह भारत सरकार के कम्पनी लॉ के द्वारा जो रजिस्टर्ड कम्पनी है, उनमें 41 कम्पनियों में यह मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उन 9 कम्पनियों में 41 कम्पनियों में से 7 कम्पनियों के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर हैं, 13 जल विद्युत परियोजनायें आवंटित की गई। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ कम्पनियों में यह डायरेक्टर नवम्बर, 2009 में बने, 4 महीने पहले। मेरे पास पूरा तथ्य है कि किस तारीख को किस कम्पनी में डायरेक्टर बना, एडिशनल डायरेक्टर बना, मैनेजिंग डायरेक्टर बना। माननीय अध्यक्ष जी, [×××] यह भारत सरकार के द्वारा कम्पनी लॉ द्वारा 91 कम्पनियों में, यह हर कम्पनी में डायरेक्टर हैं, इन 10 कम्पनियों में 6 कम्पनियों में, जिसमें यह डायरेक्टर हैं, 9 जल विद्युत परियोजना आवंटित की गई। उसमें किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन, इसी तरह से 9 जल विद्युत परियोजना [×××] को आवंटित किये गये। मान्यवर, [×××] यह भारत सरकार के द्वारा, कम्पनी इन लॉ के द्वारा हिन्दुस्तान के 10 कम्पनियों में डायरेक्टर हैं, जिन दो कम्पनियों में यह होल टाईम डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर हैं, 2 ऐसी कम्पनियों को जल विद्युत परियोजना आवंटित की गई, उन 2 कम्पनियों को 5 जल विद्युत परियोजनायें आवंटित की गई।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

श्रीमन, जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा भी है कि हमारी नीति है कि

नोट-[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

एक व्यक्ति को 3 से अधिक नहीं मिलेगी, एक कम्पनी को 3 से अधिक नहीं मिलेगी। श्रीमन्, जब एक कम्पनी को 3 से अधिक नहीं मिलना तो मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि सदन का समय बच जायेगा, तो उस बात पर चर्चा हो, जब नीति स्पष्ट है कि एक व्यक्ति को तीन से अधिक नहीं। एक कम्पनी है, व्यक्ति का विषय नहीं है। तो एक कम्पनी को 3 से अधिक नहीं है तो एक व्यक्ति पर क्यों सदन का समय खराब किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

कम्पनी अलग इन्टाइटी है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप पीठ पर बैठे हैं, वो ठीक है कि माननीय नेता सदन कुछ कह सकते हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे यह उम्मीद नहीं करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल नम्र शब्दों में निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपकी अध्यक्षता में सम्मानित सदन के सदस्य हैं और हम आरोप लगा रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो तथ्य दे रहे हैं, वह हल्के तथ्य नहीं हैं, वह बहुत गम्भीर तथ्य हैं।

श्री अध्यक्ष–

हम आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने शुरू में कह दिया था कि कान इधर से पकड़ों या उधर से पकड़ों, मैं आगे कहूँगा जो माननीय नेता सदन जी ने कहा है, मैं उसका जवाब दूँगा आगे। माननीय अध्यक्ष जी, [×××] दो कम्पनियों का डायरेक्टर है और दोनों ही कम्पनियों को प्रोजेक्ट मिले हैं। एक कम्पनी को तीन प्रोजेक्ट, जिसमें वे मालिक हैं। इसने फिर एक अन्य जल विद्युत परियोजना को हथियाने के लिए एक देवभूमि के नाम से अलग कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कराया और एक जल विद्युत परियोजना उसे मिली। इसलिए इसको भी चार जल विद्युत परियोजना मिली। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने यह कहा कि एक व्यक्ति को तीन प्रोजेक्ट मिलेंगे। माना, हरक सिंह रावत को तीन प्रोजेक्ट मिलेंगे और हरक सिंह रावत, [×××] के नाम से कम्पनी रजिस्टर्ड करा दे और तीन प्रोजेक्ट उसको मिले। हरक सिंह रावत जिसका ऑनर खुद हो। "गैंड", जो मेरे गाँव का नाम है। गैंड पॉवर कॉर्पोरेशन के नाम से एक कम्पनी रजिस्टर्ड करा दे। तीन प्रोजेक्ट उसको मिले। माननीय अध्यक्ष जी, अगर कम्पनियाँ अलग-अलग होती है, लेकिन व्यक्ति एक है, वही व्यक्ति ए में, वही व्यक्ति बी में, वही व्यक्ति सी में, डायरेक्टर है, ऑनर है, शेयर होल्डर है। आपने जो शासनादेश किया था कि एक व्यक्ति को या एक कम्पनी को तीन से अधिक परियोजनाएं नहीं मिलेंगी,

---

नोट–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उसकी मंशा क्या थी। क्या उसकी मंशा यह थी कि आप कम्पनियों के नाम बदल-बदल कर रजिस्ट्रेशन करायें। आप 50 जल विद्युत परियोजनाएं ले लो। इस सरकार को उस शासनादेश को निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ गयी थी। अगर सरकार की मंशा साफ है तो आपने शासनादेश क्यों निकाला ? आपने शासनादेश बाद में निकाला और उसकी धज्जियां [×××] नाम बदल-बदल कर उड़ायी। अभी माननीय अमृता जी ने कहा, ये फोटो है।

श्री अध्यक्ष-

इनका संज्ञान तो नहीं लिया जाता है।

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं संज्ञान नहीं ले रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अखबार और मैगजीन का संज्ञान नहीं लिया जाता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

श्रीमन्, इसी मैगजीन के आधार पर अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, चूँकि यह बात तो आपने कह दी है और माननीय सदन के अन्दर जो भी बातें कही गयी हैं और अगर वह मैगजीन के आधार पर कही जायेंगी तो फिर यह तो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जायेगा।

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, जो बातें मैंने कही हैं। वे मैगजीन के आधार पर नहीं, भारत सरकार की कम्पनी, जो जहाँ रजिस्टर्ड हुई है, उनकी रिपोर्ट पर, उनकी आई0डी0 हमने इंटरनेट से निकाली है।

श्री प्रकाश पन्त-

श्रीमन्, मैगजीन तो हाथ पर न उठायें।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, जब आपके फर्जी पते मेरे हाथ पर भारी नहीं हो रहे हैं, जब सरकार फर्जी पतों का बोझ उठाने के लिए तैयार है तो नेता विरोधी दल के हाथ इतने कमजोर थोड़ी हैं कि आप जिस बोझ को उठा रहे हो, उनकी जाँच के लिए हम दो फाईलें भी न उठा सकें। माननीय अध्यक्ष जी, फर्जी पते, माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं यह दिखा नहीं रहा हूँ। यह मैं संज्ञान के लिए नहीं कह रहा हूँ।

नोट:-[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

पत्रिका का कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा और पत्रिका के आधार पर जो उल्लेख किया गया है, उसका भी संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं इस पत्रावली का संज्ञान लेने को नहीं कह रहा हूँ, ये फर्जी पते हैं और फर्जी फोटो है। मै स्वयं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसका संज्ञान न लिया जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, विनम्रतापूर्वक एक आग्रह है, चूँकि आज सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कुछ शब्दों का भी उल्लेख किया और उल्लेख करने से पहले कहा कि ये असंसदीय हैं, इसलिए इनको निकाल लिया जायेगा, उसके बावजूद भी उल्लेख किया है, यह उचित परम्परा नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, पंत जी के हाथ में इतनी बड़ी पत्रावली रहती है, हमने तो कभी नहीं पूछा कि पंत जी, आपके हाथ में कौन सी पत्रावली है।

(मा0 सदस्य श्री राजकुमार जी के कुछ कहने पर)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय राजकुमार जी, आपको माननीय नेता सदन से सीखना चाहिए। उन्हें पत्रिकाएं पढ़ने का, कविताएं लिखने का बड़ा शौक है। अगर नेता प्रतिपक्ष भी कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या आपत्ति हो रही है।

(माननीय राज्य मंत्री श्रीमती विजय बड़थ्वाल द्वारा बैठे–बैठे कुछ कहने पर)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप कह दें कि हम कोई पत्र या किसी चीज का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी कह रही है कि सदन के बाहर पढ़े।

श्री अध्यक्ष–

आप उनकी बात का संज्ञान न लें। (व्यवधान) आप सीधे मुझे सम्बोधित करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, ठीक है मैं संज्ञान नहीं ले रहा। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन के सम्मुख आया, यह सदन किसी की बपौती नहीं है। (व्यवधान) यह भी इस सदन में उल्लेख हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह सदन सबकी सम्पत्ति है, किसी एक की सम्पत्ति नहीं है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक लिस्ट है, जो आपने आबंटन किया है, 26 लोगों की लिस्ट है, जो आपने चिन्हित किये हैं। (व्यवधान) अब यह भी नहीं दिखा सकता क्या ? अब आप कहें तो यह भी न दिखाऊँ। क्योंकि आप तो दिखाओगे। यह 26 लोगों की लिस्ट है। मान्यवर, जो माननीय अमृता जी और दिनेश जी ने कहा कि उत्तराखण्ड के लोगों को, कुल मिलाकर 6 लोगों को 3.5 मेगावाट मिला। एक को कितना मिला है ? माननीय अध्यक्ष जी, आप कहें तो मैं इसको बोलूँ।

श्री अध्यक्ष–

इसका एक प्रति हमें दे दीजिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं दे दूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आज आप विनिश्चय कर दें, सी0बी0आई0 की जाँच का, तो ये क्या, हम और मोटी फाईल आपको देने को तैयार हैं। (व्यवधान) अभी दे दूँगा, माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैं थोड़ा बोल लूँ। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड के व्यक्ति को सबसे अधिक जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की आवंटित की गयी ? 6 लोगों को कुल 305 मेगावाट तो की ही गयी, लेकिन सबसे अधिक एक व्यक्ति को 0.5 मेगावाट दी गयी। [×××] और तीन लोगों को 377 मेगावाट और उत्तराखण्ड के लोगों के भाग्य में, जिन्होंने आज दो, अभी दो, उत्तराखण्ड राज्य दो, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखण्ड राज्य बनाएंगे, खतीसैंण से आयी आवाज, पिनानी से आयी आवाज, उत्तराखण्ड दे सरकार। क्यों पंत जी, पिथौरागढ़ से आयी आवाज, उत्तराखण्ड दे सरकार, के नारे लगाए, उनके भाग्य में कितना, 0.5 मेगावाट। माननीय अध्यक्ष जी, जबकि इसी सरकार ने कहा था, इनका जुलाई, 2008 का शासनादेश है, तीन चरणों में इन्होंने कहा, एक मेगावाट तक, दो मेगावाट या पाँच मेगावाट तक। हमने अखबारों में पढ़ा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश की जनता को गुमराह किया, उद्यमियों को गुमराह किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसी नीति बनायी है कि जिससे उत्तराखण्ड के स्थानीय लोगों को 5 मेगावाट की योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। एक मेगावाट तक निश्चित रूप से दी जाएगी। पर माननीय अध्यक्ष जी, क्या हुआ ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या इस पर चर्चा स्वीकृत हो गयी है।

नोट:–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर बोल रहा हूँ।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, ग्राह्यता इतनी लम्बी कहाँ से हो गयी ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं बिन्दुओं पर बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि ग्राह्यता को ग्राह्यता तक ही सीमित रखें। इसे चर्चा का विषय न बनाएं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूँ। चर्चा के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सारे विषय आ गये। अब बाकी क्या रह गया ?

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो हम ग्राह्यता पर कह रहे हैं और आपसे निवेदन करेंगे कि इस पर कम से कम दो घण्टे की चर्चा होनी चाहिए। यह इतना गम्भीर विषय है, जल, जंगल से सम्बन्धित विषय है। (व्यवधान) मान्यवर, मा0 सदस्य लोग टीका–टाकी करेंगे तो और समय खराब होगा।

मान्यवर, जुलाई, 2008 को लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई इन उत्तराखण्ड स्टेट, जो उत्तराखण्ड स्टेट ने आइडेंटिफाई किया, इन परियोजनाओं को, कितनों को किया, 240 बांट दी गई, इन शराब माफियाओं को। ऐसी तमाम योजनायें और जो सेल्फ आइडेंटिफाई योजनायें हैं, जिसमें आइडेंटिफाई कर रहा है, एक और आवंटित कर दी उसे, जिसने आईडेंटिफिकेशन किया ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि यह एक बहुत गम्भीर विषय है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के बयानों को पढ़ा और सुना है, उन्होंने कहा है कि यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उनके एड्रेस सही हैं या नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यदि हम मूल निवास प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र के लिये और बन्दूक का लाईसेंस लेने के लिये एप्लाई करते हैं, तो उसके लिये भी एल0आई0यू0 जाँच होती है। आज इतनी बड़ी जल विद्युत परियोजनायें, जो हमारे उत्तराखण्ड की नदियों में, कन्दराओं में

बनेगी। यह जल विद्युत परियोजनायें सुरंग बनाने के नाम पर विस्फोटक सामग्री ले जा सकते हैं, उस विस्फोटक सामग्री का उपयोग यह माफिया, यह शराब माफिया उत्तराखण्ड और देश की सीमाओं के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, कई बार सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्य ने माफिया और भू–माफिया कहा है और कुछ लोगों को इंगित करके कहा है। तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि यदि वह सच में माफिया है तो पूरा सदन उस पर कुछ निर्णय लेगा। यदि आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण हो कि यह शराब से माफिया है और माफिया हैं तो श्रीमन्, वह प्रमाण आप ले लीजिये, ताकि बात को स्पष्ट किया जा सके। इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये, क्योंकि बहुत स्पष्ट कहा गया है हिमाचल प्रदेश में भी इन्हीं लोगों का कॉंग्रेस की सरकार के समय में योजनायें आवंटित की गई।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमन्, क्योंकि यह बोल रहे हैं, इसलिये मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाह रहा हूँ। माननीय तिलक राज जी, आप भी बोल लीजियेगा। हम लोग यहाँ पर बात करने के लिये ही हैं। चूँकि यह पूरे सदन का विषय है, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, यह कोई चौराहा तो नहीं है ....।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वे एक–एक शब्द और एक–एक वाक्य का जवाब देंगे।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, हम जवाब दे तो रहे हैं, आप सुन लीजिये।.........

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

<u>घोर व्यवधान के मध्य</u>

मान्यवर, हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रेस के शासन काल में इन्हीं को योजनायें आवंटित की गई। इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

<u>घोर व्यवधान के मध्य</u>

श्री अध्यक्ष–

आप कार्यवाही देख लीजियेगा, आपका ध्यान कहीं और होगा। अब विषय को सीमित रखिये, सारी बातें आ गई हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह हम सबकी पीड़ा है और इस सदन की भी पीड़ा है। इस प्रदेश के जल, जंगल और जमीन को हम खुर्द–बुर्द नहीं होने देंगे। क्योंकि आने वाला इतिहास, आने वाले 40–50 साल बाद, हमारी आने वाली संतानें, हमसे पूछ सकती हैं कि जब उस समय सरकार जल विद्युत परियोजनायें आवंटित कर रही थीं, उस समय हरक सिंह रावत और शहजाद जी, जो नेता विपक्ष और नेता बसपा थे। मान्यवर, तिलक राज बेहड़, प्रीतम जी सम्मानित सदन के सदस्य थे, ये लोग जब हमारे जल, जंगल, जमीन को खुर्द–बुर्द किया जा रहा था, इन्होंने अपने जो विपक्ष का धर्म होता है, कर्तव्य होता है, उस धर्म का पालन क्यों नहीं किया और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह भी माँग करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के शासनकाल में भी अगर जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बार–बार यह बात होती है कि कांग्रेस शासनकाल मे भी घोटाले हुए हैं, जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन में। जिस तरह हमने ऋषिकेश के मामले में कहा अगर हमसे गलती हुई है, हमको भी सजा मिलनी चाहिए और इस सरकार ने अगर गलती की तो इसको भी सजा मिलनी चाहिए। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह माँग करना चाहता हूँ, आपसे यह नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर दो घंटे की चर्चा, जितनी महत्वपूर्ण और लोकहित का यह सवाल है, इस पर दो घंटे की चर्चा करायी जाय। हम निश्चित रुप से जिस दिन दो घंटे की चर्चा होगी बहुत सारे खुलासे जो हमने आज किये हैं और भी अधिक खुलासे हम, उस दिन करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, उस दिन हम और खुलासे करेंगे और माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन सी0बी0आई0 की जाँच होगी उस दिन हम सी0बी0आई0 के सामने, जो सारे तथ्य हमारे संज्ञान में हैं, सी0बी0आई0 के सामने रखेंगे और सी0बी0आई0 दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। (विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

जिन लोगों को, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं और अपना यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, भू–माफिया और शराब माफिया के रुप में जिन्हें यहाँ चिन्हित किया गया, कार्यवाही से इनके नाम निकाल दें और प्रसंग को भी कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि नियम–310 के अन्तर्गत माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय कांग्रेस के सम्मानित सदस्यों ने इस सूचना को सम्मानित सदन के समक्ष रखा है और आपने भी पीठ से निर्देशित किया है कि भू–माफिया और शराब माफिया के रूप में जो स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं, उनका उल्लेख कार्यवाही में न किया जाय, क्योंकि ये नोटिस मेरे समक्ष है श्रीमन्, और इस नोटिस की शुरूआत ही इस शब्द से हुई है। इसलिए मैं इसको उल्लिखित करना उचित नहीं समझता हूँ श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले कि मैं जल विद्युत परियोजनाओं पर जो आक्षेप और जो विषय उठाये गये हैं, उस पर अपनी बात रखूँ, सरकार की बात रखूँ, दो पंक्तियाँ उद्धृत चाहूँगा श्रीमन्, और अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष मेरी बात सुन रहे हों तो आज भोजनावकाश के बाद जिस तरह से आंधियाँ माननीय नेता प्रतिपक्ष ने चलाने का प्रयास किया है और नेता सदन लगातार उन आंधियों को यहाँ पर बैठे हुए उन आंधियों के दृष्टा और साक्षी हैं तो दो पंक्तियां अगर मुझे अनुमति हो तो आज ऐसी बयार चली है कि ....(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपके दायें और बायें, दोनों कवि हृदय बैठे हैं। किसको महाकवि कहूँ, 'निशंक' जी को महाकवि कहूँ या कण्डारी जी को महाकवि कहूँ। एक की पुस्तक छपी है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सामने भी है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम तो इनका अनुसरण करते हैं। इस मामले में तो हम इनका अनुसरण कर रहे हैं। कुछ अनुसरण कण्डारी जी का करते हैं और कुछ अनुसरण 'निशंक' जी का करते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूँ, क्योंकि समय की घड़ी बहुत तेजी से खिसक रही है। "हम जुगनू हैं, हम जुगनू हैं, दीपक नहीं, जो आँधियों से बुझ जाएंगे। हम जुगनू हैं, दीपक नहीं, जो आँधियों से बुझ जाएंगे। हम रास्ते हैं, राहगीर नहीं, जो मंजिल का इंतजार करते–करते थक जाएंगे।"

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह किसको सुनाया आपने, निशंक जी को।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप भोजनावकाश के बाद लगातार आंधियाँ बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप उस कुर्सी तक तो पहुँच ही गये ? अब वहाँ से आपकी मंजिल कहाँ हो सकती है। (हँसी)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जिस विषय को बहुत ही संजीदा तरीके से 08 मार्च से माननीय प्रतिपक्ष के बन्धु उठाना चाह रहे थे और सदन के बाहर भी कई विषयों को बोला गया, हमारा और नेता प्रतिपक्ष का तथा सभी माननीय सदस्यों का यह अनुरोध था कि इस विषय पर सदन के अन्दर बात रखी जाय और काफी हद तक आपने अपनी बात रखने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि नवीकरण ऊर्जा नीति वित्तीय वर्ष, 2008 में बनाई गई। वर्ष, 2008 में इसको बनाने का जो उद्देश्य था उसका एक मूल कारण था कि निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से एवं सामूहिक सहभागिता के आधार पर नवीकरण ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का उत्पादन करना और इस सामुदायिक जन सहभागिता के आधार पर विद्युत उत्पादन बढ़ाये जाने का प्रयास करना। यह विषय इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि राज्य स्थापना के बाद जहाँ इस राज्य को एक ऊर्जा प्रदेश के रूप में महिमामंडित कर रखा जाता था श्रीमन्, वहीं जितनी भी परियोजनायें लगी उन परियोजनाओं में स्थानीय भागीदारी लगभग–लगभग शून्य रही। जो 34 परियोजनायें राज्य स्थापना के पश्चात् आवंटित की गई, वे परियोजनायें दस, दस व 15 मेगावाट की थी और परियोजनाओं में केवल अगर उन परियोजनाओं को हटा दें जो कि बहुत छोटी हैं अगुण्डा थाती 03 मेगावाट और कोट बूढ़ाकेदार, 3 मेगावाट की, यदि इन ....।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम को 2536 मेगावाट की योजना आवंटित की गई थी। उत्तरांचल जल विद्युत निगम, उत्तरांचल सरकार का है, उसकी पूरी की पूरी मेगावाट बिजली सरकार को मिलती है। आपकी तरह नहीं कि 12 प्रतिशत ही मिलेगी।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरे संज्ञान में है कि माननीय सदस्या ऊर्जा राज्य मंत्री रही हैं। मैं जो विषय कह रहा हूँ, उस विषय की गहराई तक जाने का प्रयास करें। चूँकि मैंने यह कहा कि निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से हम

जो लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करे, थोड़ा सा धैर्य रखें तो बात स्पष्ट होगी क्योंकि माननीय शहजाद जी ने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। श्रीमन्, जो यह 14 जल विद्युत परियोजनायें थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये परियोजनायें 400 मेगावाट, 330 मेगावाट और इसी तरह से ये सभी परियोजनायें भले ही छोटी थी, 4.95 मेगावाट या और भी छोटी श्रीमन्, 3 मेगावाट, 4 मेगावाट, ये सब बाहर के लोगों को दी गई। इन परियोजनाओं का, अगर आप उचित समझें और अनुमति दें तो मैं एक परियोजना का नाम और यह किसको दी गई, इसका उल्लेख करना चाहूँगा। लेकिन जब यह विचार किया गया कि किस तरह से हम......।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जो हम आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब दे दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, दे रहे हैं जवाब, थोड़ा धैर्य रखें। मैं एक–एक आरोप का उत्तर दूँगा। (व्यवधान) मान्यवर, इन जल विद्युत ऊर्जाओं के सम्बन्ध में यह नीति प्रख्यापित की गई, इस नीति के आधार पर जल ऊर्जा परियोजनायें इनको उत्पादन क्षमता के अनुरूप तीन भागों में विभक्त किया गया। जिसके तहत 100 किलोवाट क्षमता की जो योजनायें है, वह सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनायें कहलाई गई और 100 किलोवाट से 5 मेगावाट क्षमता की अति लघु जल विद्युत परियोजनायें और पाँच मेगावाट से 25 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें कहलाई गई और इन परियोजनाओं का चिन्हीकरण और वर्गीकरण दो श्रेणियों में किया गया। एक तो यह थी कि जो स्वयं के आधार पर परियोजनायें चिन्हित की जायेंगी और इन स्वयं के आधार पर परियोजनायें चिन्हित करने के लिए विकासकर्ताओं द्वारा परियोजनाओं का चिन्हीकरण, डी0पी0आर0 तैयार करना, यह काम स्वयं किया जायेगा और उसके पश्चात् वह आवंटन के आवेदन करेंगे। दूसरी जो इसकी कैटेगिरी थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जो विषय आप उठा रहे थे, उनका उत्तर मैं दे रहा हूँ। जब आपने अपनी बात रखी तो हमारी बात भी सुनें। इतनी तो कृपा करें। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि चिन्हित करें राज्य सरकार और दे इनको। इसलिए माननीय मंत्री जी उस समय यह कह रहे थे कि राज्य सरकार द्वारा चिन्हित नहीं है, यह स्वयं चिन्हित है। इसलिए आप का ध्यान केन्द्रित किया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हमारी बात सुन लें।

डा० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने अपनी बात कही, आप अपनी बात कहें। लेकिन हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि तभी तो हम सुनेंगे ढंग से, जब हमें यह उम्मीद होगी कि आप अपने जवाब से हमको संतुष्ट करेंगे। (व्यवधान) तो जो थर्ड एजेंसी है और वह भी देश की सी०बी०आई० इसकी जाँच करे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपने अपना पक्ष रख दिया। मुझे तो अवसर दीजिए कि अपना पक्ष रख सकूँ और जो आपने सवाल खड़े किये हैं उनका उत्तर दे सकूँ। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इन परियोजनाओं के चिन्हीकरण के लिए वर्गीकरण किया गया और वर्गीकरण के आधार पर पहला वर्गीकरण तो स्वयं के आधार पर चिन्हित परियोजनायें हैं।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, दोनों दल सी०बी०आई० जाँच की माँग कर रहे हैं अगर पीठ सी०बी०आई० जाँच के निर्देश करती है तो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि राज्य सरकार की इसमें संस्तुति की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट के थ्रू सी०बी०आई० से जाँच करा ली जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वर्गीकरण की जो पहली श्रेणी है, उसमें विकासकर्ता और परियोजनाओं का चिन्हीकरण और डी०पी०आर० तैयार करना यह कार्य आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं किया जायेगा और तदोपरान्त आवेदन किया जायेगा और दूसरी कैटेगिरी है राज्य द्वारा चिन्हित परियोजनायें और राज्याधीन संस्थाओं द्वारा चिन्हित परियोजनायें, किसी भी क्षमता की परियोजनायें चिन्हित की जायेंगी

तो इस प्रकार से जो यह लघु जल विद्युत ऊर्जा है इसका चिन्हीकरण दो तरह की श्रेणियों में होगा। मान्यवर, लघु जल विद्युत ऊर्जा है इसका चिन्हिकरण दो तरह की श्रेणियों में होगा और इनकी अर्हतायें क्यों होगी ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया आपस में बात ना करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इनके आवंटन जो स्वयं के आधार पर चिन्हित योजनायें हैं, उनके आवंटन की प्रक्रिया क्या होगी, इस प्रक्रिया के तहत जो सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए आवश्यकता, जो शर्त है वह उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी हो और परियोजना स्थल के आस–पास उत्तराखण्ड की ग्राम पंचायत का हो अर्थात् जो 100 किलोवाट के नीचे की परियोजनायें हैं, वह उस ग्राम पंचायत के व्यक्ति को ही दी जाय, इस नीति में की गयी है। उसके बाद सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 उत्तर प्रदेश को–आपरेटिव सोसाईटी के आधार पर पंजीकृत संस्था, जो उत्तराखण्ड में स्थित हो, तीसरी उसकी अर्हता है, ये परियोजना आवंटन हेतु अर्ह होंगे और सूक्ष्म परियोजनाओं हेतु आवंटन की प्रक्रिया है और इसके बाद जो लघु जल विद्युत परियोजनायें हैं, उन सभी परियोजनाओं के लिए खुली रखी गयी है। इन पर कोई आरक्षण नहीं है, इसके लिए प्रीमियम का निर्धारण अलग से किया जायेगा। इस प्रकार जब मूल्यांकन होगा, उसकी व्यवस्था क्या होगी, उसकी व्यवस्था भी इस नीति में है। सम्भावित विकासकर्ताओं की उपयुक्तता का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा। तकनीकी क्षमता, जिसमें पूर्व वर्षों में ऊर्जा परियोजना के विकास, निर्माण, संचालन का अनुभव सम्मिलित होगा, के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी क्षमता के आंकलन हेतु अधिकतम 60 अंक निर्धारित किये गये हैं। वित्तीय क्षमता का आंकलन परियोजना के निर्माण में पूंजी लागत तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण कराए जा सकने की क्षमता के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु न्यूनतम वित्तीय क्षमता सूक्ष्म परियोजनाओं हेतु रुपये दस लाख तथा अति लघु परियोजनाओं हेतु रुपये पचास लाख होनी चाहिए, साक्ष्य हेतु हैसियत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, वित्तीय क्षमता के आंकलन हेतु अधिकतम 40 अंक निर्धारित किये गये हैं, इस प्रकार की व्यवस्था की गयी। इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग फीस भी निर्धारित की गयी है मान्यवर, यहाँ मैं यह अवगत करा दूँ कि पूर्व में इस प्रकार की व्यवस्था कुछ भी नहीं थीं, जो इस नीति के अन्तर्गत ली गयी है। सूक्ष्म परियोजना हेतु दस हजार रुपये, अति लघु परियोजनाओं हेतु पच्चीस हजार रुपये, लघु परियोजनाओं हेतु पचास हजार रुपये निर्धारित किया जायेगा और सिक्युरिटी की धनराशि भी निर्धारित की गयी। सूक्ष्म परियोजना हेतु बीस हजार रुपये, अति लघु परियोजनाओं हेतु पचास हजार रुपये, लघु परियोजनाओं हेतु एक लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

इसी प्रकार आवंटन की प्रक्रिया भी इस परियोजना में निर्धारित की गयी हैं चिन्हित परियोजनाओं के आवंटन हेतु समाचार-पत्रों के माध्यम से निविदायें आमन्त्रित की जायेंगी, निविदाओं का दो स्तरीय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से होगा, इसमें प्री-क्वालिफिकेशन आवेदनकर्ता की उपयुक्तता का निर्धारण आर०एफ०क्यू० प्रपत्र में दिये गये मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर किया जायेगा जिसमें मुख्यतः बैलेंस शीट, वार्षिक रिपोर्ट, तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता आदि सम्मिलित होगी, मूल्यांकन के आधार पर सफल विकासकर्ताओं की छंटनी कर सूचीबद्ध किया जायेगा, इसी प्रकार वित्तीय बिड खोली जायेगी। फिर छटनी के उपरान्त सूचीबद्ध किए गए विकासकर्ताओं से वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किए जायेंगे। वित्तीय प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रीमियम के आधार पर जमा किया जायेगा। इसके लिए जो प्रीमियम निर्धारित किया गया है, दो मेगावाट क्षमता से अधिक एवं 5 मेगावाट क्षमता से कम तक रुपये एक लाख प्रति मेगावाट और पाँच मेगावाट क्षमता से अधिक एवं 25 मेगावाट क्षमता तक रुपये पाँच लाख प्रति मेगावाट, अधिकतम प्रीमियम धनराशि देने वाले निविदादाता को परियोजना आवंटित की जायेगी, सफल निविदादाता द्वारा प्रीमियम धनराशि को निविदा प्रपत्र में दी गयी समयावधि में राज्य सरकार को जमा कराया जाना होगा, परियोजनाओं के आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता अपनायी जायेगी, इस हेतु आर०एफ०क्यू०, आर०एफ०पी० और बिड प्रपत्र में सभी तकनीकी एवं वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध होंगी और इसके सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहूँगा, जब आवेदन-पत्र इस नीति के अन्तर्गत मांगे गये थे तो 25 जुलाई, 2008 का विज्ञापन प्रकाशित किया गया और जो विज्ञापन किया गया, उसमें 27 दिसम्बर, 2008 को अन्तिम तिथि थी और जो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए उनके बारे में मैं उल्लिखित कराना चाहूँगा कि इन आवेदन-पत्र में इस नीति के तहत जमा हुए थे, वह 100 किलोवाट के सात आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, इन सभी आवेदन-पत्रों में स्थानीय आवेदनकर्ता थे, 100 किलोवाट से 5 मेगावाट तक के 254 आवेदन-पत्र जमा हुए। जिसमें स्थानीय आवेदक 161 थे और 5 मेगावाट से 25 मेगावाट तक के 475 आवेदन-पत्र जमा हुए। जिनमें 38 स्थानीय थे, इस प्रकार से 736 आवेदन-पत्रों में से 206 स्थानीय आवेदनकर्ता थे।

इसी तरह से जो उत्तराखण्ड के स्थानीय योग्य आवेदक थे। उनका जो विवरण है वह है कि 0 से 100 किलोवाट तक के 6 स्थानीय आवेदनकर्ताओं में से 6 आवेदनकर्ता योग्य पाये गये और 100 किलोवाट से 5 मेगावाट तक के 161 आवेदनकर्ताओं में से 116 आवेदक स्थानीय थे जो योग्य पाये गये और 45 अयोग्य पाए गए। 5 मेगावाट से ऊपर के और 25 मेगावाट तक के 38 स्थानीय आवेदनकर्ताओं में से 29 स्थानीय आवेदनकर्ता योग्य पाये गये और 9 अयोग्य पाए गए और बाहरी जो प्रथम चरण में परियोजना का आवंटन किया गया, उस परियोजना के आधार पर जो आवंटन हुआ है वह 3 आवेदनकर्ताओं को, स्थानीय आवेदनकर्ताओं को 0 से 100 किलोवाट तक की परियोजनाएँ दी गयी हैं, 100 किलोवाट से ऊपर

और 5 मेगावाट से नीचे की 10 आवेदनकर्ता इसमें चिन्हित किये गये थे और इनमें से 9 स्थानीय आवेदनकर्ता हैं और 1 बाहरी आवेदनकर्ता है। 5 मेगावाट से 25 मेगावाट तक के 43 आवेदनकर्ता थे, जिसमें से 42 आवेदनकर्ता बाहर के हैं और 1 स्थानीय है। इस प्रकार से इस प्रकरण में जो अभी तक वर्तमान में संचालित हो रहा है, इसके आधार पर हमने जो 56 परियोजनाएँ चिन्हित की हैं, उनका आवंटन अभी अस्थायी रूप से ये सूची इंटरनेट पर हमने डाली थी, इसके लिए 20 मार्च, 2010 की तिथि निर्धारित हुई है कि ऐसे विकासकर्ताओं ने जिन्होंने सम्बन्धित नदी या गदेरों में परियोजना हेतु आवेदन किया। उनको आवंटन के सम्बन्ध में अगर कोई आपत्ति है तो वे अपनी आपत्ति 20 मार्च, 2010 तक अपर सचिव, ऊर्जा को लिखित रूप से अपनी आपत्ति सम्मिट करके, उसका निराकरण करवा सकता है और अभी इनका कोई भी आवंटन, किसी भी प्रकार का नहीं किया गया। यह सूची जो मैंने अभी सम्मानित सदन के समक्ष रखी है वह निश्चित रूप से इसमें पूरी पारदर्शिता व्यक्त की गयी है, कहीं से कहीं तक घोटाले का कहीं इसमें संशय नहीं दिखता।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, पंत जी कह रहे हैं, घोटाले का नहीं दिख रहा है, इसमें तो महाघोटाले का दिख रहा है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, अभी योजनाएँ आवंटित ही नही हुई हैं। जहाँ तक स्थानीय लोगों का ताल्लुक है तो इसमें स्थानीय लोगों को पूरी तरह से अवसर दिया गया है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रणजीत रावत–

अगर घोटाला नहीं हुआ है तो जाँच क्यों नहीं करा रहे हैं ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं फिर इस अनुरोध के साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि विपक्ष ने बहुत महत्वपूर्ण और 4–5 दिन तक जिस तरीके से इस प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश की है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह हमारी जिम्मेदारी थी।

(घोर व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार पारदर्शी है, गलत तरीके से बिन्दु को उठाया जा रहा है। हमारी सरकार ने एक–एक विषय पर एक–एक

चीज चिन्हित करके किया है, पहली बार नीति बनाई है। पहली बार 59 को इसका लाभ दिया गया है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि वे एक भी व्यक्ति का नाम बताएँ। 2003 श्रीमन्, हजारों मेगावाट बिजली लोगों के हाथों में नीलाम की गयी। यदि यह देखा जाए तो 500 करोड़ रु0 का घोटाला किया गया है।

('वेल' में खड़े सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमन्, हमारा तो एक ही उद्देश्य है, स्थानीय लोगों को दिया गया है। गलत आवंटन नहीं हुआ है। गलत तरीके से स्थानीय लोगों को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई। श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जितनी भी योजनाएं आवंटित होंगी उनका पूरा अधिकार उत्तराखण्ड का होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों की घोटाला करने की आदत है, जो लोग इसमें लिप्त रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग की योजना इन्होंने दी, कौन से स्थानीय क्षेत्र को दी ? वे बताएँ।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यों द्वारा कुछ कागज उछाले गये।)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि श्रीनगर की 320 मेगावाट की योजना कौन से स्थानीय लोगों को दी गयी, वे बताएँ। वर्ष, 2003 में एक हजार मेगावाट बिजली आवंटन में 500 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार पारदर्शी है। पूरी तरह से स्थानीय लोगों के हित में एक-एक आवंटन किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को 3 योजनायें नहीं दी गई हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष, 2003 में एक-एक कम्पनी को 4-4 दी गई थीं। वर्ष, 2004 में एक-एक कम्पनी को 5-5 योजनाएं दी गई। इस तरह से प्रदेश की जनता को जिस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश की गई है, वह बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में वातावरण बनाया गया है, यह सरकार पारदर्शी सरकार है, एक-एक आवंटी को तीन-तीन स्टेज पर पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ इनका आवंटन हुआ है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय श्री दिनेश अग्रवाल, श्रीमती अमृता रावत, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा उत्तर प्रदेश माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000, जिसे उत्तराखण्ड राज्य में यथावत् अंगीकृत किया गया था, को असंवैधानिक घोषित कर दिये जाने के परिणामस्वरूप एक नया उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 बनाया गया, जो उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 13 वर्ष, 2008 बन चुका है। यह अधिनियम पूर्ववर्ती राज्य द्वारा बनाये गये अधिनियम के अनुरूप है। पूर्ववर्ती राज्य ने अपने नये प्रवेश कर अधिनियम में दिनांक 28–02–2009 में कतिपय संशोधन किये हैं। पूर्ववर्ती राज्य की भाँति ही उत्तराखण्ड राज्य में व्यौहारियों को सुविधा देने एवं कर प्रणाली को सरल बनाने हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर संशोधन प्रस्तावित है–

1–यदि किसी करदाता द्वारा स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कर का भुगतान कर दिया गया है तो अन्य करदाता अथवा पश्चात्वर्ती करदाता से उसके स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर पुनः प्रवेश कर की देयता नहीं रहेगी।

2–प्रस्तावित संशोधन से राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो जायेगा कि वह प्रवेश कर की राशि की ऐसे मामलों में छूट दे पायेगी, जहाँ उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व अथवा पश्चात्, वाणिज्य कर की देयता उत्पन्न हो गयी है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुये उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)
(घोर व्यवधान के मध्य)

खण्ड–2, खण्ड–6 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधेयक संख्या सन् 2010)

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) धारा 2, 3 तथा 5 दिनांक 09 नवम्बर, 2000 से तथा धारा 4 एवं धारा 6 दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी समझी जायेंगी।

धारा–4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008, जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में–

(क) उपधारा (3) के बाद निम्नलिखित उपधारा (3क) जोड़ दी जायेगी, अर्थात् :–

"(3क) उपधारा (1) एवं उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी ऐसे व्यौहारी अथवा पश्चात्वर्ती व्यौहारी के ऊपर कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जायेगा अथवा उससे कोई कर संग्रहीत नहीं किया जायेगा, जो ऐसे किसी माल को किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर लाता है या लिवाता है, जिसके सम्बन्ध में उक्त उपधाराओं में से किसी के अधीन किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में कर का भुगतान कर दिया गया है और ऐसा व्यौहारी सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष उसके सम्बन्ध में ऐसा घोषणा–पत्र जैसा कि विहित किया जाय, दाखिल करता है :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन जमा कर की धनराशि ऐसे व्यौहारी अथवा किसी पश्चात्वर्ती व्यौहारी के लिये तथा उसकी ओर से जमा की गयी मानी जायेगी जिसे उक्त विहित घोषणा-पत्र निर्गत किया गया है।"

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(6) उपधारा (1) एवं उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी ऐसे व्यौहारी के ऊपर कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जायेगा अथवा उससे कोई कर संग्रहीत नहीं किया जायेगा जो किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर कोई माल लाता है या लिवाता है, जो-

(एक) स्थानीय क्षेत्र में उपयोग के बगैर राज्य के बाहर किसी स्थान को परेषित किया जाये; अथवा

(दो) अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान अथवा भारत क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान बिक्री अथवा पुनः बिक्री किया जाए।

स्पष्टीकरण-यह अवधारित करने के प्रयोजन से कि व्यौहारी द्वारा कोई माल अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान अथवा भारत क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान बेचा गया है अथवा नहीं, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 5 तथा धारा 6 (क) लागू होगी :

परन्तु यह कि यदि स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी माल के प्रवेश के समय ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग, उपभोग अथवा बिक्री के बगैर स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से ऐसे स्थानीय क्षेत्र के भीतर बिक्री किये जाने वाले माल की मात्रा तथा मूल्य अभिनिश्चित किये जाने योग्य नहीं है तो

व्यौहारी माल की सकल मात्रा के मूल्य पर कर की धनराशि का भुगतान करेगा तथा माल के परेषित अथवा राज्य के बाहर अथवा माल के निर्यात के दौरान विक्रय करने के पश्चात् व्यौहारी ऐसे माल के सम्बन्ध में कर के रूप में संदत्त ऐसी धनराशि की वापसी अथवा समायोजन का दावा उस माह में कर सकता है जिसमें माल का अन्तरण राज्य के बाहर किया जाये अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान अथवा निर्यात के दौरान विक्रय किया जाए।

(ग) उपधारा (7) हटा दी जायेगी।

धारा-5 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की-

धारा-5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी ; अर्थात्-

"5. जहाँ कोई व्यौहारी धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कोई माल स्थानीय क्षेत्र के भीतर उसके प्रवेश पर वहाँ उपयोग, उपभोग अथवा विक्रय हेतु लाया है अथवा लिवाया है अथवा उसका परिदान प्राप्त किया है और उसने ऐसे माल के ऐसे स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के सम्बन्ध में कर का भुगतान कर दिया है अथवा ऐसे माल को क्रय किया है जिसके ऊपर प्रवेश कर का भुगतान पहले ही कर दिया है तो ऐसे कर की वापसी अथवा समायोजन ऐसे व्यौहारी को किया जायेगा जिसके द्वारा ऐसे माल को स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किये बगैर राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को परेषित किया जाता है अथवा या तो अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान अथवा भारत क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान बेच दिया जाता है।"

धारा-6 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की-

धारा-6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात-

"6. जहाँ धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल के सम्बन्ध में ऐसे माल की बिक्री अथवा खरीद

के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन उस अधिनियम के पंजीकृत किसी व्यौहारी द्वारा कर देय है तो राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा तथा ऐसी शर्तों एवं निर्बन्धनों के अध्यधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर की सम्पूर्ण धनराशि तक छूट अनुमन्य कर सकती है।"

धारा-12 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा-12 में-

(क) उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द "ऐसा माल क्रेता को नहीं देगा" के स्थान पर शब्द "ऐसा माल क्रेता को परिदान नहीं करेगा" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (5) के बाद निम्नलिखित उपधारा जोड़ दी जायेगी, अर्थात्-

"(6) इस उपधारा के अधीन जमा की गयी कर की धनराशि उस व्यौहारी के लिये तथा उसकी ओर से जमा मानी जायेगी, जिससे ऐसा कर प्राप्त किया गया है। विनिर्माता ऐसे कर की धनराशि का उल्लेख क्रेता व्यापारी को जारी कर, बीजक अथवा बिक्री बीजक, जैसी भी स्थिति हो, में करेगा। यह कर जमा का सबूत समझा जायेगा, जब तक कि कर बीजक अथवा बिक्री बीजक, जैसी भी स्थिति हो, कूट रचित अथवा मिथ्या अथवा नकली अथवा वैध रूप से जारी नहीं किया गया न पाया जाये अथवा कपटपूर्ण रूप से प्राप्त किया गया हो।"

धारा-13 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की-

धारा-13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी ; अर्थात्-

"13. इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) (यथा संशोधित) के अन्तर्गत कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण, संग्रहण तथा कर का भुगतान प्रवर्तित करने

के लिये शक्ति प्राप्त प्राधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण, संग्रहण तथा देय अर्थदण्ड सहित कर के भुगतान को प्रवर्तित करेंगे मानो कि वह उस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर अथवा अर्थदण्ड हो, और इस प्रयोजन हेतु वे उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं तथा वर्ष 2005 के उक्त अधिनियम (यथा संशोधित) के उपबन्ध विवरणियों, कर का भुगतान एवं वसूली, विघटित फर्म एवं अंतरिती के कर का दायित्व, कर देयता का समाधान, व्यौहारियों द्वारा कर की वसूली, कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण, भूल सुधार, पुनर्गठित अथवा नयी फर्मों एवं साझीदारों में परिवर्तन का कर निर्धारण, तृतीय पक्षकार से वसूली, जाँच चौकी तथा नाके, लेखों का रख-रखाव, लेखों को दिखाने की आज्ञा देने की शक्ति और प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, माल को अभिग्रहण करने की शक्ति, अपराध एवं अर्थदण्ड, अपराधों का समाधान, मिथ्या प्रमाण-पत्र जारी करने पर दायित्व, कर की वापसी, कुछ ऐसी सूचना जो गोपनीय होंगी, राजस्व को कपटवंचित करने के लिये किये गये अन्तरण का शून्य होना, ब्याज प्रभारित करना तथा देना, अधिकारिता के प्रति आपत्ति, हानिरक्षा, कतिपय कार्यवाहियों पर रोक, कम्पनियों द्वारा अपराध, विवादित प्रश्न का अवधारण, बकाया माफी एवं किस्त मंजूर करने का अधिकार तथा रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिये सुविधा के प्राविधानों को शामिल करते हुए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-6 तक खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् नारेबाजी करने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

खण्ड–2, खण्ड–21 तक, खण्ड–1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक
उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2010)

बाल विवाहों के प्रतिषेध, द्विविवाह अथवा बहुपत्नीत्व रोकने, पति से भरण–पोषण एवं संतान की अभिरक्षा के अपने अधिकार को प्राप्त करने में महिलाओं की सहायता करने, विधवाओं को विरासत के दावे प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाने तथा मर्यादातिकारी पतियों द्वारा अपनी पत्नियों का परित्याग करने से बचाने के लिए, उत्तराखण्ड राज्य में सम्पन्न होने वाले समस्त विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और उनसे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो-

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार उत्तराखण्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है ;

(ख) "महानिबन्धक" से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908) की धारा-3 के अधीन नियुक्त महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "जिला निबन्धक" से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908) की धारा-6 के अधीन नियुक्त जिला निबन्धक अभिप्रेत है और इसमें अधिनियम की धारा-10 और 11 के अधीन निबन्धक के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला अधिकारी भी सम्मिलित है ;

(घ) "स्थानीय निबन्धक" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विवाहों का स्थानीय निबन्धक अभिप्रेत है ;

(ङ) "विवाह" में किसी जाति, जनजाति या धर्म से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा किसी रूढ़ि प्रथा या परम्परा के अनुरूप निष्पादित समस्त विवाह अभिप्रेत हैं तथा इसमें पुनर्विवाह भी सम्मिलित है ;

(च) "विवाह का सम्पादन" से सम्पन्न किसी रूप या प्रकार से प्रचलित किसी प्रथा, रूढ़ि या परम्परा के अनुसार हो अथवा विवाह रचना अभिप्रेत है ;

(छ) "ज्ञापन" से धारा–5 या 6 में निर्दिष्ट विवाह का ज्ञापन अभिप्रेत है ;

(ज) "पुजारी" से सम्बन्धित समुदाय की प्रथा के अनुसार विवाह सम्पादित कराने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(झ) "रजिस्टर" से इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित विवाहों का रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

3. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् राज्य में सम्पन्न समस्त विवाह, विवाह सम्पन्न होने के नब्बे दिन के भीतर ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, रजिस्ट्रीकृत किए जायेंगे।

(2) प्रत्येक पति विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होगा ;

परन्तु यह कि जहां पति 18 वर्ष की आयु से न्यून है या जड़ है या पागल है या बीमार है या अशक्त है या किसी सशस्त्र सेवा में कार्यरत है और अपने विवाह पंजीकरण के लिये अवकाश प्राप्त करने में असमर्थ है, वहां पत्नी विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होगी ;

परन्तु यह और कि जहां पत्नी 18 वर्ष की आयु से न्यून है या जड़ है या पागल है या बीमार है, अशक्त है या किसी सशस्त्र सेवा में कार्यरत है और अवकाश प्राप्त करने में असमर्थ है या जिसे स्थानीय रूढ़ि और रीतियों के अनुसार बाहर निकलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वहां माता या पिता या संरक्षक विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होंगे।

स्थानीय निबन्धक की नियुक्ति

4. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, स्थानीय निबन्धक नियुक्त करेगी।

(2) जिला निबन्धक या स्थानीय निबन्धक विहित रीति से विवाह का एक रजिस्टर तथा ऐसे अन्य रजिस्टर रखेगा जैसा विहित किया जाय।

विवाह का ज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण

5. (1) विवाह के पक्षकार अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट प्ररूप में ज्ञापन तैयार और हस्ताक्षरित करेंगे और उस क्षेत्र के निबन्धक को जहाँ विवाह निष्पादित हुआ है, विवाह की तारीख के 90 दिन के भीतर उक्त ज्ञापन की दो प्रतियां देंगे या पंजीकृत डाक से भेजेंगे।

(2) ज्ञापन विहित फीस के साथ और विहित व्यक्ति द्वारा सत्यापित कर भेजा जाएगा।

(3) ज्ञापन के प्राप्त होने पर निबन्धक उसे सात दिन के भीतर फाइल करेगा तथा रजिस्टर में उसकी विवरणियों की प्रविष्टि करेगा और उसकी दूसरी प्रति जिला निबन्धक को भेजेगा तथा ऐसे प्ररूप में और ऐसी गति से जैसा विहित किया जाए, विवाह प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

विवाह का रजिस्ट्रीकरण न कराने वाले पक्षकारों को नोटिस

6. (1) निबन्धक स्वयं अथवा अन्यथा नोटिस जारी करके इस अधिनियम के अधीन विवाह का रजिस्ट्रीकरण न करने वाले पक्षकारों को अपने सम्मुख उपस्थित होने और ऐसी रीति से तथा नोटिस में विनिर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर विवाह के ज्ञापन को हस्ताक्षरित तथा विहित फीस के साथ देने के लिए आदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ज्ञापन प्राप्त होने पर निबन्धक, उसे फाइल करेगा तथा रजिस्टर में उसकी विवरणियां की प्रविष्टि करेगा तथा उसकी दूसरी प्रति जिला निबन्धक को भेजेगा और धारा-5 में उपबन्धित विवाह प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(3) उपधारा (1) की कोई बात धारा-13 के प्राविधानों के अधीन किसी व्यक्ति के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी।

(4) जहां विवाह का कोई पक्षकार या दोनों पक्षकार अवयस्क हैं तो निबन्धक स्थानीय पुलिस को बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (केन्द्रीय अधिनियम सं० 19 वर्ष 1929) के उल्लंघन में विवाह निष्पादित करने की सूचना देगा।

रजिस्टर जनसाधारण के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा

7. इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर कार्यदिवस के युक्तियुक्त समय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए खुला रहेगा और आवेदन करने पर विहित फीस के संदाय पर निबन्धक अथवा स्थानीय निबन्धक द्वारा उसका सत्यापित उद्धरण जारी किया जा सकेगा। ज्ञापन की प्रविष्टियां या रजिस्टर या उसका सत्यापित उद्धरण या धारा 5 अथवा धारा 6 के अधीन जारी विवाह प्रमाण-पत्र साक्ष्य के रूप में अनुमन्य होगा और उसमें उल्लिखित विवरण का प्रमाण होगा।

अरजिस्ट्रीकृत विवाह को अविधिमान्य नहीं करेगा

8. राज्य में निष्पादित कोई विवाह इस कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं था या ज्ञापन निबन्धक को पहुंचाया या भेजा नहीं गया था या ऐसा ज्ञापन त्रुटिपूर्ण, अनियमित या गलत था।

निबन्धक विहित प्रकार में रजिस्टर रखेगा

9\. (1) प्रत्येक निबन्धक विहित प्ररूप में एक उसके क्षेत्राधिकार के अधीन के क्षेत्र में विवाह रजिस्ट्रीकरण का विवाह रजिस्टर रखेगा।

(2) महानिबन्धक इस हेतु समय–समय पर विहित प्ररूप में पर्याप्त संख्या में रजिस्टर छपवायेगा और निबन्धकों को आपूर्ति करेगा।

रजिस्टर की तलाशी

10\. फीस के संदाय से सम्बन्धित नियमों सहित, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गए नियमों के अध्यधीन कोई व्यक्ति–

(क) विवाह रजिस्ट्रीकरण के रजिस्टर में की गयी किसी प्रविष्टि के लिये रजिस्टर की तलाशी ले सकेगा और

(ख) ऐसे रजिस्टर से उद्धरण प्राप्त कर सकेगा।

उद्धरित प्रमाण–पत्र की शुद्धता और साक्षिक मूल्य

11\. (1) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सभी उद्धरण सम्बन्धित निबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित किए जायेंगे और किसी न्यायालय में सम्बन्धित प्रविष्टि विवाह के कृत्य को स्थापित करने के लिए साक्ष्य हेतु ग्राह्य होंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन जारी विवाह प्रमाण–पत्र या निबन्धक अथवा स्थानीय निबन्धक द्वारा जारी इस अधिनियम के अधीन रखे गए रजिस्टर के उद्धरण सही माने जायेंगे, जब तक कि उसे (उन्हें) प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाय।

उपेक्षा या मिथ्या कथन के लिए शास्ति

12\. कोई व्यक्ति जो–

(क) धारा–5 अथवा 6 द्वारा अपेक्षित ज्ञापन हस्ताक्षरित कराने या भेजने में चूक अथवा उपेक्षा करता है ;

(ख) ज्ञापन की तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या कथन करता है और यह जानता है या यह विश्वास करता है कि यह मिथ्या है, उसे दोषसिद्ध होने पर जुर्माने से दण्डित किया जाएगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा ;

(ग) ऐसा व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रमों की विभिन्न योजनाओं के अधीन किसी लाभ का हकदार नहीं होगा।

ज्ञापन दर्ज न करने पर दण्ड

13\. धारा–5 या 6 के अनुक्रम में कोई निबन्धक जो जानबूझकर ज्ञापन को दर्ज करने में असफल रहता है, दोषसिद्धि पर कारावास से, जो तीन माह तक की अवधि के लिए हो सकेगा और जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

अभिलेखों को छुपाने पर दण्ड

14. कोई व्यक्ति जो विवाह के रजिस्टर या उसके किसी भाग को छुपाएगा, नष्ट करेगा या बेईमानी से या कपट पूर्वक परिवर्तन करेगा, दोष सिद्ध होने पर कारावास या जुर्माने से जो दो वर्ष की अवधि के लिए हो सकेगा या दस हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।

अपराधों का संज्ञान

15. (1) धारा–12 के उपखण्ड (ख) के अधीन व्यथित पति या पत्नी की शिकायत के सिवाय कोई न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा :

परन्तु यह कि जहां ऐसा व्यथित 18 वर्ष की आयु से कम है या जड़ है या पागल है या बीमार है या आवश्यकता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है या महिला है, जिसे स्थानीय रूढ़ि और परम्पराओं के अनुसार बाहर निकालने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, माता अथवा पिता अथवा संरक्षक न्यायालय की अनुमति से उसकी ओर से शिकायत दर्ज करा सकता है।

(2) कोई न्यायालय धारा 12, 13 और 14 के उपखण्ड (क) के अधीन सम्बन्धित जिले के जिला निबन्धक की शिकायत के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा।

अपराध का शमन

16. (1) धारा–12 के उपधारा (ख) के अधीन अपराध शमनीय होगा।

(2) जिला निबन्धक द्वारा समाधान होने पर कि विवाह का रजिस्ट्रीकरण हो चुका है, धारा–12 के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का प्रशमन किया जा सकेगा।

(3) जाँच अथवा अभियुक्त द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाने पर जिला निबन्धक के समाधान होने पर कि अभियुक्त ने धारा–5 और 6 के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन किया था, जिला निबन्धक धारा–13 के अधीन शिकायत को वापस ले सकेगा।

सद्भावनापूर्वक किए गये कृत्य के संरक्षण

17. किसी व्यक्ति के विरूद्ध सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

व्यावृत्ति

18. कोई विवाह जो उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह (रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझा जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

19. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और विशेषकर पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन, पूर्वोक्त शक्तियों

की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे नियमों में सभी या निम्नलिखित किसी मामले में नियम बना सकती है, अर्थात्–

(क) स्थानीय निबन्धक, जिला निबन्धक और महा निबन्धक की शक्तियां और कर्तव्य ;

(ख) ज्ञापन को दर्ज किये जाने हेतु प्रारूप और रीति ;

(ग) धारा–5 और 8 के अधीन जारी किये जाने वाले विवाह पंजीकरण प्रमाण–पत्र का प्रारूप और रीति जिसमें विवाह रजिस्टर और अभिलेख रखे जाने अपेक्षित है ;

(घ) रजिस्टर और अभिलेखों की अभिरक्षा में रखा जाना और ऐसे रजिस्टर तथा अभिलेखों का परिरक्षण ;

(ङ) इस अधिनियम के संगत प्राविधानों के अधीन संदत्त की जाने वाल फीस ;

(च) विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए जागरूकता पैदा करना ;

(छ) अन्य कोई मामला जिसे विहित किया जा सकेगा या विहित किया जाना अपेक्षित है।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे और राज्य विधान सभा की स्वीकृति अथवा ऐसा उपान्तरणों के अध्यधीन प्रभावी होंगे।

अन्य विधियों के लागू होने पर रोक नहीं होगी

20. अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के प्राविधान इनके अतिरिक्त होंगे और किसी रूप में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेंगे।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

21. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे निर्देश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो,

परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जा सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

अनुसूची "क"

विवाह का ज्ञापन

(धारा 5 और 6)

उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010

वर की स्वयं सत्यापित फोटो	वधू की स्वयं सत्यापित फोटो

सेवा में,

निबन्धक,
विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण,
जिला ....,
उत्तराखण्ड,

महोदय,

हम पर लागू प्राविधानों के अनुसार (पक्षकारों पर लागू धर्म, रूढ़ि परम्परा का उल्लेख किया जाय).. के अधोहस्ताक्षरी पक्षकारों के मध्य दिनांक .... को विवाह सम्पन्न हो गया है और हम अनुरोध करते हैं कि हमारे विवाह की निम्नलिखित विवरणियां, उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत कर दी जायं।

विवाह की विवरणियां

1. विवाह की तारीख ....
2. विवाह का स्थल (स्थान के पर्याप्त विवरण के साथ ताकि स्थान का पता लगाया जा सके) ....
3. वर की विवरणियां ....
   - (क) पूरा नाम और व्यवसाय ....
   - (ख) मूल निवास स्थान (केवल विवरण भरा जाय) ....
   - (ग) आयु ....

(घ) निवास का सामान्य स्थान ....

(ङ) स्थायी पता ....

(च) आवेदन देते समय पता ....

(छ) विवाह के समय प्रास्थिति ....

अविवाहित –

विधुर –

तलाकशुदा –

तारीख

वर के हस्ताक्षर

4. वधु का विवरण –

(क) पूरा नाम –

(ख) मूल निवास (केवल विवरण भरा जाय) –

(ग) आवास का सामान्य स्थान –

(घ) आयु –

(ङ) स्थायी पता–

(च) आवेदन देते समय पता –

(छ) विवाह के समय प्रास्थिति –

अविवाहित –

विधवा –

तलाकशुदा –

तारीख

वधू के हस्ताक्षर

5. वर के पिता का पूर्ण विवरण –

(क) पूरा नाम –

(ख) आयु –

(ग) व्यवसाय –

(घ) आवास का सामान्य स्थान –

(ङ) आवेदन देते समय पता –

(च) क्या जीवित है या मृत –

तारीख

वर के पिता के हस्ताक्षर

(नोट :–वर के पिता के हस्ताक्षर बाध्यकारी नहीं है)

6. वधू के पिता या अन्य संरक्षक का पूर्ण विवरण –

(क) पूरा नाम –

(ख) आयु –

(ग) व्यवसाय –

(घ) आवास का सामान्य स्थान –

(ङ) आवेदन देते समय पता –

(च) वधु के साथ संरक्षक का सम्बन्ध –

तारीख

वधू के पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर

(टिप्पणी–जहाँ आवेदन देने की तारीख को वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक है, वहाँ वधू के पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर बाध्यकारी नही है परन्तु जहाँ वह आवेदन देने की तारीख को 18 वर्ष से कम है और विवाह की तारीख को ऐसा विवाह तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार सम्पादित हो रहा हो, तो उसके पिता अथवा संरक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे)

7. पुजारी का विवरण –

(क) पूरा नाम –

(ख) आयु –

(ग) निवास का सामान्य स्थान –

(घ) पता –

(नोट :–यदि विवाह आवेदन देने की तारीख से एक वर्ष हो चुका है, तो पुजारी का विवरण अंकित किया जाना बाध्यकारी नहीं है। उसके हस्ताक्षर भी बाध्यकारी नहीं है।)

तारीख

पुजारी के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि जहाँ तक उनका मुझ से और विवाह के निष्पादन से सम्बन्ध हैं आवेदन में दिए गऐ विवरण मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं और शेष प्राप्त सूचनाओं पर आधारित हैं और विश्वास के अनुसार सही हैं।

8. वर के हस्ताक्षर – वधू के हस्ताक्षर –

तारीख – तारीख –

9. 1. गवाह –

(क) पूरा नाम –

(ख) पता –

हस्ताक्षर –

तारीख –

2. गवाह –

(क) पूरा नाम –

(ख) पता –

हस्ताक्षर –

तारीख –

हस्ताक्षर –

तारीख –

पद .... द्वारा प्रमाणित

(संसद सदस्य, राज्य विधान मण्डल का सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/प्रधान/सरपंच/प्रमुख/स्थानीय निकाय का अध्यक्ष/समासद/उप समासद) द्वारा वर और वधू की पहचान और अन्य विवरणियां इस आवेदन के साथ संलग्न हैं)

(टिप्पणी–जहाँ कोई व्यक्ति दोनों पक्षकारों की पहचान अथवा अन्य समस्त विवरणियां प्रमाणित नहीं करता है, वहां ऐसे एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–21 तक खण्ड–1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन)

विधेयक, 2010

(विधेयक संख्या सन् 2010)

उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए :–

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

अध्याय–एक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल शब्द के स्थान पर 'उत्तराखण्ड' शब्द पढ़ा जाना।

2. उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 14, सन् 2006), जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में जहाँ–जहाँ "उत्तरांचल" शब्द आया है वहाँ–वहाँ "उत्तराखण्ड" शब्द पढ़ा जायेगा।

धारा–4 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी ; अर्थात् :–

"(1) राज्य सरकार प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) राज्य सरकार द्वारा नामित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश – अध्यक्ष

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा (पदेन) – सदस्य

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा (पदेन) – सदस्य

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय (पदेन) – सदस्य

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामित एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जो राज्य सरकार के सचिव से अनिम्न स्तर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो – सदस्य

(च) राज्यपाल द्वारा नामित राज्य विश्वविद्यालय के एक भूतपूर्व कुलपति – सदस्य

(छ) राज्य सरकार द्वारा नामित दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद् – सदस्य

(ज) राज्य सरकार द्वारा नामित नियमों में परिभाषित एक प्रसिद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट – सदस्य

(झ) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा (पदेन) – सदस्य-सचिव

धारा-12 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

मूल अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्न खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(क) राज्य सरकार द्वारा नामित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश – अध्यक्ष,

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य को प्रदत्त औद्योगिक पैकेज जिसकी अवधि माह मार्च, 2010 में समाप्त हो रही है, को वर्ष, 2020 तक बढ़ाये जाने का संकल्प

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि, उत्तराखण्ड राज्य को प्रदत्त औद्योगिक पैकेज जिसकी अवधि माह मार्च, 2010 में समाप्त हो रही है, को वर्ष 2020 तक बढ़ा दिया जाय।"

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमन्, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष औद्योगिक पैकेज के फलस्वरूप प्रदेश के मैदानी जनपदों में ही औद्योगिकीकरण सीमित रह गया और पर्वतीय क्षेत्र के 10 जनपद लगभग अछूते रह गये। मैदानी जनपदों में तीव्र औद्योगिकीकरण का लाभ प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 लागू की गयी। इस नीति से प्रोत्साहित होकर एवं मैदानी क्षेत्र में लगातार निवेशकों के आने से पर्वतीय क्षेत्र में भी छोटी–छोटी एन्सीलरी एवं पार्ट्स एवं सेवायें उपलब्ध कराने वाली इकाईयों द्वारा भी अभिरूचि प्रदर्शित की जा रही थी, लेकिन पैकेज की अनिश्चितता एवं इसके मार्च, 2010 में ही समाप्त हो जाने की स्थिति में इस पर्वतीय क्षेत्र की ओर लगने वाली औद्योगिक इकाईयों में भी अनिश्चितता के कारण वास्तविक निवेश के निर्णय नहीं लिये जा रहे हैं और भारत सरकार द्वारा औद्योगिक पैकेज की अवधि न बढ़ाये जाने से प्रदेश के संतुलित विकास की दिशा में राज्य सरकार की पहल का भी अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग विभाग द्वारा 80 के दशक में 17 मिनी औद्योगिक आस्थानों को स्थापित किया गया था, लेकिन अधिकतर आस्थानों में कोई औद्योगिक गतिविधियाँ प्रारम्भ नहीं हो सकीं। पर्वतीय क्षेत्र की नीति लागू होने के बाद पर्वतीय क्षेत्र के मिनी औद्योगिक आस्थान, गरूड़ (बागेश्वर)/मिकियासैंण (अल्मोड़ा)/द्वाराहाट (अल्मोड़ा)/चिलियानौला (अल्मोड़ा)/डुण्डा (उत्तरकाशी)/मटवाड़ी (उत्तरकाशी)/भटवाणीसैंण (रुद्रप्रयाग)/जाखणीधार (टिहरी) में 49 उद्यमियों को हाल ही में भूखण्डों का आवंटन किया गया है इस प्रकार इस क्षेत्र में भी उद्योग स्थापना की ओर उद्यमियों की रूचि स्पष्ट परिलक्षित होती है। भारत सरकार द्वारा यदि औद्योगिक पैकेज की अवधि बढ़ा दी जाती है, तो ऐसी लघु इकाईयाँ, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट का लाभ लेकर व्यवहारिक हो सकती हैं, वे भी पर्वतीय क्षेत्रों में शीघ्रता से स्थापित हो सकती हैं। पर्वतीय क्षेत्र

में भारत सरकार के विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में 162.67 एकड़ अधिसूचित ऐसी भूमि है, जहाँ पर उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध हो सकती है। इस भूमि के सदुपयोग के लिये भी विशेष पैकेज की समयावधि 31 मार्च, 2010 के पश्चात् बढ़ायी जानी आवश्यक है। अतः मैं सम्मानित सदन के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रोत्साहन नीति के तहत इस औद्योगिक पैकेज की समय सीमा बढ़ाई जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को प्रदत्त औद्योगिक पैकेज, जिसकी अवधि माह मार्च, 2010 में समाप्त हो रही है, को वर्ष 2020 तक बढ़ा दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाई के निराकरण हेतु यथोचित दिशा–निर्देश जारी करने का संकल्प

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाई के निराकरण हेतु यथोचित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें।"

श्रीमन्, इसी सदन में माननीय विधान सभा सदन के माध्यम से सरकार ने आश्वस्त किया था कि हम एक सरकारी संकल्प के माध्यम से अपनी राज्य की भावनाओं से भारत सरकार को अवगत कराएंगे। इसको दृष्टिगत रखते हुए यह संकल्प लाया गया है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाई के निराकरण हेतु यथोचित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–21 और 22 स्थगित की जाती है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्रीमती बीना महराना, श्री केदार सिंह रावत, श्री शेर सिंह, श्री नारायण पाल, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री मनोज तिवारी, श्री ओम गोपाल, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना तथा श्रीमती अमृता रावत की कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्या श्रीमती बीना महराना की सूचना, जो जनपद चम्पावत में राष्ट्रीय राजमार्ग 125 लगबुड़ा नदी पर 20 सितम्बर, 2008 को क्षतिग्रस्त हुये पुल का निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से चलने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये तथा जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड लमगड़ा के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में पेयजल की गम्भीर समस्या से वहाँ की जनता को निजात दिलाने के लिये अल्मोड़ा जल निगम निर्माण शाखा द्वारा स्वैप योजना के अन्तर्गत कपिलेश्वर पम्पिंग योजनाओं का निर्माण 3–4 वर्षों में भी नहीं किये जाने से ग्रामीण जनता में उत्पन्न रोष के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहा हूं। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

घोर व्यवधान के मध्य

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत लगभग एक दर्जन गाँवों में विद्युत संकट के सम्बन्ध में श्री शेर सिंह सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वैकल्पिक ऊर्जा एवं पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

वैकल्पिक ऊर्जा एवं पंचायती राज मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

[बागेश्वर जनपद के विकासखण्ड कपकोट के अन्तर्गत उरेडा द्वारा संचालित लाथी परियोजना के दैवीय आपदा से अकार्यशील होने के कारण इस परियोजना से जुड़े 07 गाँवों में विद्युत आपूर्ति बाधित है, जिन्हें ग्रिड से विद्युत आपूर्ति किए जाने हेतु यू0पी0सी0एल0 द्वारा निविदायें आमंत्रित कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इन ग्रामों में विद्युत आपूर्ति 15 दिन के अन्दर प्रारम्भ की जा सकेगी। ग्राम गोगीना, ग्राम हाम्पटीकापड़ी हाम्पटीकापड़ी तथा मजखेत में विद्युत आपूर्ति सुचारू है। ग्राम जैती एवं ग्राम बैरानी पूर्व में विद्युतीकृत नहीं थे, जिनका विद्युतीकरण वर्ष 2010–11 तक किया जाना प्रस्तावित है ग्राम रातिरकेठी तथा तोक मल्खा डुगर्चा में दिनांक 8–9 फरवरी, 2010 को भारी हिमपात के कारण लाईनें क्षतिग्रस्त हो गयी थी, जिनकी

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। इन ग्रामों में शीघ्र ही विद्युत आपूर्ति बहाल करायी जा रही है।]

घोर व्यवधान के मध्य

उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को सम्मान आदि न मिल पाने से फैले असन्तोष के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[श्री तरुण पन्त पुत्र श्री एच०एच० पन्त, निवासी छोटी मखानी, हल्द्वानी द्वारा राज्य आन्दोलनकारी घोषित किये जाने तथा राज्य आन्दोलनकारियों को अनुमन्य सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु विभिन्न स्रोतों से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये। श्री पन्त द्वारा प्रार्थना–पत्रों में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 19 अगस्त, 1994 को विधान सभा लखनऊ में पर्चे फेंकने तथा सदन की कार्यवाही चलने तक मार्शल द्वारा बंदी रखने की व्यवस्था सदन द्वारा दी गयी थी। अभिलेखों के अनुसार श्री तरुण पन्त, दिनांक 09.11.1994 से 17.11.1994 तक जेल में निरुद्ध रहे। दिनांक 09.11.1994 को अन्य आन्दोलनों, जिसमें श्री तरुण पन्त भी सम्मलित थे, स्थानीय शिक्षण संस्थाओं को बंद कराते हुए राज्य की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने के सम्बन्ध मे थाना हल्द्वानी, जनपद नैनीताल में अपराध सं० 1369/94, धारा 147/347/427/336/353 भादवि व 7 क्रिमिनल लॉ एमडमेन्ट एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार कर हल्द्वानी जेल भेजा गया था।

प्रभावी शासनादेशों के अधीन श्री तरुण पन्त के सम्बन्ध में विधि सम्यक् कार्यवाही की जायेगी।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये।

(सदन की कार्यवाही 9 बजकर 06 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,
दिनांक : 18 मार्च, 2010

महेश चन्द्र,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न सं0–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–19 पर)

संलग्नक–1

वर्ष 2005–06 में प्रदेश में स्प्रिंग मॉनीटरिंग हेतु चिन्हांकित स्थलों की सूची

क्र0	स्थल का नाम	जनपद	क्र0	स्थल का नाम	जनपद
1.	बादशाहीथौल	टिहरी गढ़वाल	13.	गरूड़ / बैजनाथ	बागेश्वर
2.	देवलीखाल	अल्मोड़ा	14.	मजखाली	अल्मोड़ा
3.	मानाधेर	नैनीताल	15.	मलारी	चमोली
4.	चिरबटिया	रुद्रप्रयाग	16.	सुक्खी	उत्तरकाशी
5.	उपरैखाल	पौढ़ी गढ़वाल	17.	काण्डा	पिथौरागढ़
6.	बुगाछीना	पिथौरागढ़	18.	कर्णकरायत	चम्पावत
7.	हाथीपॉव	देहरादून	19.	पालना	अल्मोड़ा
8.	गैरबखाल	पौढ़ी गढ़वाल	20.	गनाई	अल्मोड़ा
9.	श्रीकोट	अल्मोड़ा	21.	द्वाराहाट	अल्मोड़ा
10.	ग्वेपड़ा	बागेश्वर	22.	हर्नवाल	चमोली
11.	चौकोड़ी	पिथौरागढ़	23.	नारायण आश्रम	पिथौरागढ़
12.	मानेसर	चम्पावत	24.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी

संलग्नक–2

वायु वेग मापन संयंत्रों की स्थापना हेतु चिन्हित स्थलों की सूची

क्र०	स्थलका नाम	जनपद
1.	हाथीपाँव	देहरादून
2.	भैरवखाल	पौड़ी गढ़वाल
3.	श्रीकोट	अल्मोड़ा
4.	झोपड़ा	अल्मोड़ा
5.	चौकोड़ी	पिथौरागढ़
6.	मानेसर	चम्पावत
7.	गरूड़/बैजनाथ	बागेश्वर
8.	मजखाली	अल्मोड़ा
9.	मलारी	चमोली
10.	सुक्खी	उत्तरकाशी

संलग्नक–3

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा विभाग
अधिसूचना
29 जनवरी, 2008 ई0

संख्या 263/I(2)/2008–04(8)–96/2001–निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से एवं सामुदायिक सहभागिता आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल अधिसूचना सं0 1611/नौ–3–ऊ/2002, दिनांक 19–10–2002 द्वारा निर्गत 25 मे0वा0 तक की राज्य की जल विद्युत नीति को अधिक्रमित करते हुये निम्नांकित संशोधित नीति, को इस आदेश की तिथि से लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

शासनादेश सं0 263/I(2)/2008–04(8)–96/2001 का संलग्नक, दिनांक 29–1–2008

उत्तराखण्ड सरकार

निजी विकासकर्ताओं एवं सामुदायिक सहभागिता आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने हेतु नीति

1. प्रस्तावना :

उत्तराखण्ड राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की बहुत अधिक सम्भावनायें हैं। इन पर्यावरणीय अनुकूल लघु जल विद्युत परियोजनाओं (25 मे0वा0 क्षमता तक) की स्थापना से अधिकतर स्रोतों को दोहन किया जा सकता है एक अनुमान के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में अभी 20000 मे0वा0 से भी अधिक विद्युत उत्पादन की सम्भावनाएं हैं।

इसके अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे बायोमास, कृषि अपशिष्ट, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नगरीय अपशिष्ट, सह–उत्पादन आदि पर आधारित सूक्ष्म, अति लघु एवं लघु विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं। इस नीति के माध्यम से विभिन्न प्रदूषणरहित अक्षय ऊर्जा स्रोतों को दोहन एवं उपयोग कर राज्य के दूरस्थ एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत उत्पादन करने तथा वर्ष, 2020 तक विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं के माध्यम से 1000 मे0वा0 क्षमता से अधिक की विद्युत परियोजनाएं विकसित कराया जाना है।

2. उद्देश्य :

उत्तराखण्ड राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में निजी क्षेत्र (Private Sector)/सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित कराए जाने के अनुकूल शर्तों/नियमों का निर्धारण किया जाना। मुख्यतः

2.1 पर्यावरणानुकूल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन एवं राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में इनके योगदान को बढ़ावा दिया जाना।

2.2 आत्मनिर्भर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (Renewable Energy Projects) का माध्यम से न्यूनतम ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति एवं विकल्पों का निर्धारण।

2.3 कृषि, औद्योगिक, व्यवसायिक/वाणिज्यिक एवं घरेलू क्षेत्रों को विकेन्द्रीकृत विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना।

2.4 ग्रिड विद्युत उत्पादन की गुणवत्ता में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (RE Projects) के माध्यम से सुधार किया जाना।

4.2. सह–उत्पादन :

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान तक अनेकों औद्योगिक इकाईयां स्थापित हो चुकी हैं जिनका विस्तार किया जा रहा है। राज्य में स्थापित चीनी, कागज, उर्वरक, रासायनिक, कपड़ा एवं अन्य उद्योगों में सह–उत्पादन किए जाने हेतु अनुमानित 220 मे0वा0 विद्युत उत्पादन के स्रोत उपलब्ध हैं। इन उद्योगों/इकाईयों द्वारा सह–उत्पादन को अपनाये जाने से राज्य को अतिरिक्त विद्युत प्राप्त होने के साथ–साथ कैपटिव उत्पादन भी हो सकेगा। सह–उत्पादन के स्रोतों का वर्ष 2020 तक पूर्ण रूप से दोहन किया जायेगा।

4.3. बायोमास एवं कृषि अपशिष्ट ऊर्जा :

उत्तराखण्ड राज्य में बायोमास से विद्युत उत्पादन की सम्भावनायें हैं अनुमानतः प्रतिवर्ष लगभग 20 मिलियन टन कृषि अपशिष्टों एवं कृषि आधारित उद्योगों से अपशिष्टों के रूप में प्राप्त होता है। इन अपशिष्टों से लगभग 300 मे0वा0 विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। राज्य सरकार इन स्रोतों का वर्ष 2020 तक दोहन किए जाने हेतु सहयोग एवं सुविधाएं उपलब्ध करायेगी।

4.4. शहरी, नगरीय एवं औद्योगिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट ऊर्जा :

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1000 मीट्रिक टन शहरी, नगरीय एवं औद्योगिक ठोस एवं तरल अपशिष्टों का उत्पादन हो रहा है

इन अपशिष्टों का वैज्ञानिक विधि द्वारा निराकरण करते हुए पर्यावरण के शुद्ध होने के साथ–साथ विद्युत उत्पादन किया जा सकता है प्रारम्भिक तौर पर इस प्रकार की छोटी–छोटी परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहयोग किया जायेगा।

4.5. सौर ऊर्जा :

राज्य में सौर ऊर्जा के प्रचुर स्रोत उपलब्ध हैं एवं राज्य सरकार इन स्रोतों का दोहन करने हेतु इच्छुक है। राज्य सरकार इस प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध करायेगी।

4.6. वायु ऊर्जा :

राज्य में वायु ऊर्जा के प्रर्याप्त मात्रा में अनुप्रयुक्त स्रोत उपलब्ध हैं। उपलब्ध स्रोतों के दोहन हेतु विण्ड मैपिंग की तत्काल आवश्यकता है राज्य सरकार इस प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध करायेगी।

4.7. जियोथर्मल ऊर्जा :

राज्य में जियोथर्मल ऊर्जा के पर्याप्त मात्रा में अनुप्रयुक्त स्रोत उपलब्ध हैं। उपलब्ध स्रोतों के मापन/दोहन की आवश्यकता है राज्य में उपलब्ध स्रोतों के अधिकाधिक उपयुक्त दोहन हेतु जियोथर्मल ऊर्जा आधारित परियोजनाओं की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

4.8. ऊर्जा संरक्षण :

राज्य में घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से 20 प्रतिशत तक विद्युत की खपत में बचत की जायेगी। राज्य सरकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण कराए जाने हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य में स्थित ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों जिनका विद्युत भार 25 कि0वा0 से अधिक है, में ऊर्जा ऑडिट को अनिवार्य बनाया जायेगा। इस कार्यक्रम के उचित क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त कार्यप्रणाली को अपनाया जायेगा।

5. प्रोत्साहन :

5.1 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को क्रय करने का प्रथम अधिकार यू0पी0सी0एल0 को दिया जायेगा। यू0पी0सी0एल0 को कुल उत्पादित विद्युत अथवा उसके एक भाग को अपनी आवश्यकता के अनुसार सम्बन्धित उत्पादनकर्ता से क्रय करने का अधिकार होगा। क्रय की जाने वाली विद्युत का मूल्य उत्तराखण्ड विद्युत नियामक

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 विधान सभा/204–25–08–2012–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।